# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 4th
# LOK SABHA DEBATES

[ दसवां सत्र
Tenth Session ]

Preservation Unit
Fumigated
On 3-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[ खंड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 1 to 10 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

## विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5, गुरुवार, 26 फरवरी, 1970/7 फाल्गुन, 1891 (शक)

*No. 5, Thursday, February 26, 1970/Phalguna 7, 1891 (Saka)*


| विषय | Subject | | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | | | |
| **ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.** | | | |
| 92. चीनी सम्बन्धी नीति | Sugar Policy | .. | 2—8 |
| 93. चलचित्रों के सेंसर के बारे में खोसला समिति की रिपोर्ट | Khosla Committee's Report on Film Censorship. | .. | 8—11 |
| 95. सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की बहाली | Reinstatement of P. and T. Employees who participated in September, 1968 Strike | .. | 11—14 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | | | |
| **ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.** | | | |
| 91. फाइव पास्ट फाइव फीचर फिल्म | Feature Film Five Past Five | .. | 14—15 |
| 94. गैर सरकारी व्यवसायों में श्रमिकों के लिये आवास | Accommodation for workers in private Sector Concerns | .. | 15 |
| 96. मैसूर राज्य में कृषि का विकास | Development of Agriculture in Mysore State | .. | 15—16 |
| 97. केरल को चावल की सप्लाई | Supply of Rice to Kerala | .. | 16 |
| 98. सुपर बाजार, नई दिल्ली द्वारा किराये का भुगतान न किया जाना | Non Payment of Rent by Super Bazar, New Delhi | .. | 16—17 |
| 99. चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण | Nationalisation of Sugar Industry | .. | 17—18 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| विषय | Subject | पृष्ठ/Page |
|---|---|---|
| ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. | | |
| 100. जमशेदपुर के इन्जीनियरिंग उद्योग में हड़ताल | Strike in Engineering Industry in Jamshedpur .. | 18 |
| 101. रबी की फसल के खाद्यान्नों का अनुमान | Estimate of Foodgrains in Rabi Crop | 18—19 |
| 102. केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, सूरतगढ़ के श्रमिकों की मांगें | Demands of Workers of Central Mechanised Farm, Suratgarh .. | 19 |
| 103. फिल्म परिषद | Film Council .. | 19 |
| 104. वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि | Rise in price of Vanaspati .. | 20 |
| 105. बागनी खेती (ड्राई फार्मिग) के प्रयोग | Dry Farming Experiments .. | 20—21 |
| 106. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का विकास | Development of Deep Sea Fishing | 21—22 |
| 107. आकाशवाणी के पारी कर्मचारियों (शिफ्ट स्टाफ) के लिये छुट्टियों की संख्या में कमी | Reduction in number of Holidays for AIR Shift Staff .. | 22—23 |
| 108. सूर्यगढ़ मुंगेर में चोरी किये गये तांबे के तार का बरामद किया जाना | Recovery of Stolen Copper Wire in Suryagarh, Monghyr .. | 23 |
| 109. दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन | Composition of Delhi Telephone Advisory Committee .. | 23—24 |
| 110. उर्वरक शुल्क का उसकी खपत पर प्रभाव | Effect of Fertilizer levy on its Comsumption | 24—25 |
| 111. रोजगार तथा अपूर्ण रोजगार तथा शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी के आंकड़े | Estimates of the Employment and Under Employment and Educated Unemplyed .. | 25 |
| 112. वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन | Production of Commercial Crops .. | 25—26 |
| 113. बड़े नगरों के लिये पृथक डाक सर्किल बनाना | Creation of separate postal circles for big cities .. | 26 |
| 114. पश्चिम बंगाल में घेराव | Gheraos in West Bengal .. | 26—27 |
| 115. भूमि सुधार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का सुझाव | Suggestion from UNO on land Reform .. | 27 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| **ता० प्र० संख्या** **S. Q. Nos.** | | |
| 116. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों को लोकप्रिय तथा कारगर दवाइयों की सप्लाई | Supply of popular and Effective Medicines to Industrial Workers under Employees' State Insurance Scheme .. | 27—28 |
| 117. नागालैंड में जाली डाक टिकटों की बिक्री | Sale of Fake Postal Stamps in Nagaland .. | 28 |
| 118. आयातित उर्वरकों की बिक्री को वरीयता | Preference in disposal of imported Fertilizers .. | 28—29 |
| 119. पटसन के खेतों की सिंचाई के लिये पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय अनुदान | Central grant to West Bengal for Irrigation of Jute Fields .. | 29 |
| 120. देश में सूखे को रोकने के लिये की गई कार्यवाही | Steps taken to check drought in the country .. | 29—30 |
| **अता० प्र० संख्या** **U. S. Q. Nos.** | | |
| 601. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार खेतिहर मजदूरों की आय | Income of Agricultural Labour according to National Sample Survey .. | 30 |
| 602. खाद्य तथा व्यापारी फसलों की वृद्धि | Rate of Growth of Food and Commerial Crops .. | 30—31 |
| 603. खेती वाली भूमि की एक जोत से औसत आय | Average Return from a Unit of Cultivated Area .. | 31 |
| 604. राज्यों में कारखानों का बन्द होना और उससे उत्पादन बेरोजगारी | Closure of Factories in States and Resultant unemployment .. | 31—32 |
| 605. चीनी मिलों द्वारा गन्धक का उपयोग | Use of Sulphur by Sugar Mills .. | 32 |
| 606. वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि | Increase in prices of vanaspati .. | 33 |
| 607. ढोरों की नसबन्दी | Family planning in Cattle .. | 33—34 |
| 608. राजस्थान में अकुशल मजदूरों की मजूरी | Wages of Unskilled Labour in Rajasthan .. | 34 |
| 609. केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा एक काजू अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना | Starting of a Cashew Research Station by Kerala State Cashew Development Corporation .. | 34—35 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 610. कोरबा क्षेत्र में कोयला खानों में कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति | Implementation of Coal Wage Board Recommendations in Collieries in Korba Region .. | 35 |
| 611. बेरोजगारी बीमा योजना | Unemloyment Insurance Scheme | 35—36 |
| 612. बिहार, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के अभाव ग्रस्त क्षेत्र | Scarcity Hit Areas in Bihar, Rajasthan and U.P. .. | 36 |
| 613. उर्वरकों की खपत में कमी | Fall in Consumption of Fertilisers .. | 37 |
| 614. बी० ई० एस० टी० कर्मचारी यूनियन द्वारा पारित प्रस्ताव | Resolution passed by B.E.S.T. Workers Union .. | 38 |
| 615. पाकिस्तान में निष्क्रांत सम्पत्ति का मूल्य | Value of Evacuee Property in Pakistan | 38 |
| 616. दिल्ली प्रशासन द्वारा अलाभकर जोतों पर लगान की समाप्ति | Abolition of Land Revenue on Uneconomic Holdings by Delhi Administration .. | 38 |
| 617. उर्वरकों के विपणन को लाइसेंस से छूट करना | Delicensing of Marketing of Fertiliser Consumptions .. | 39 |
| 618. तमिलनाडु में चीनी कारखानों को हानि | Losses by Sugar Factories in Tamil Nadu | 39—40 |
| 619. अधिकतम सीमा से अधिक वाली भूमि को कब्जे में लेने की योजना | Plan for taking over of Land in Excess of ceiling .. | 40—41 |
| 620. चौथी योजना में राज्यों की ट्रैक्टरों की मांग | Demand of States of Tractors during Fourth Plan .. | 41—42 |
| 621. पूर्वी जर्मनी तथा रूमानिया से आर० एस० 09 माडल ट्रैक्टरों का आयात | Import of RS 09 Tractors from East Germany and Rumania | 42—43 |
| 622. ट्रैक्टरों का आयात और निर्माण | Import and Maufacture of Tractors .. | 43—45 |
| 623. अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति | All India Rural Credit Review Committee.. | 45—46 |
| 625. विमानों से उर्वरक छिड़कना | Aerial Spray of Fertilisers .. | 46—47 |
| 626. बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाना | Creating of job opportunities to Check unemployment .. | 47 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 627. उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी मिलों को हुआ लाभ | Profits made by Sugar Mills in U. P. and Bihar .. | 47—48 |
| 628. चावल विकास परिषद् की स्थापना | Rice Development Council .. | 48—50 |
| 629. खाद्यान्नों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के उपाय | Steps to check Rise in prices of Food grains .. | 50 |
| 630. बिजली कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट | Report of Wage Board for Electricity Workers .. | 50—51 |
| 631. पी० टी० आई० के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का नोटिस | Strike Notice by PTI Employees .. | 51 |
| 632. खाद्यान्न का राजकीय व्यापार | State Trading in Food grains .. | 51 |
| 633. विविध भारती कार्यक्रमों से आय तथा उस पर व्यय | Revenue from and Expenditure on Vividh Bharati Programme .. | 52 |
| 634. सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश | Recommendation of National Labour Commission Re : Relations Between Public and Private Sectors .. | 52 |
| 635. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के वर्नपुर कारखाने के मजदूरों में असन्तोष | Labour Unrest in Durgapur Steel Plant of Hindustan Steel Ltd. and Burnpur Factory of Indian Iron and Steel Company .. | 53 |
| 636. रैयतों से खाद्यान्न का क्रय | Purchase of Foodgrains from Rayats | 53—54 |
| 637. चौथी योजना के अन्तर्गत केरल में मछली पालन के विकास के लिये मास्टर प्लान के लिये आवंटन | Allotment Under 4th Plan for Master Plan for Development of Fishery of Kerala .. | 54—55 |
| 638. दिल्ली दुग्ध योजना का एक निगम में परिवर्तन | Conversion of D.M.S. into a corporation .. | 55 |
| 639. पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार | Expansion of Telephone Facilities in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh .. | 55—56 |
| 641. संसद् सदस्यों को गेहूं के बढ़िया बीज उपलब्ध कराना | Availability of Improved Seed of wheat to M.Ps. | 56 |
| 642. दिल्ली में लिफाफे से नोटों का गुम हो जाना | Missing of Currency Notes from an Envelope in Delhi .. | 57 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 643. अशोक बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति | Ashoka Multi purpose co-operative Society | 57—58 |
| 644. कृषि आयोग की स्थापना | Setting up of Agriculture Commission .. | 58—59 |
| 645. राजस्थान में विमानों द्वारा यूरिया स्त्रव का छिड़कना | Aerial Spray of Urea Solution in Rajasthan .. | 59—60 |
| 646. गुंटूर में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का 28 वां अधिवेशन | 28th Session of All India Trade Union Congress held in Guntur | 60 |
| 647. उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण | Nationalisation of Sugar Industry in U. P. | 60—61 |
| 648. गुजरात में सूखे की स्थिति | Scarcity Conditions in Gujarat | 61—62 |
| 649. चेकों तथा विदेशी पत्रिकाओं की चोरी के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा डाक कर्मचारियों के विरुद्ध जांच | Enquiry by Central Bureau of Investigation against Postal Employees for Pilfering Cheques and Foreign Magazines .. | 62 |
| 650. उत्तर भारत में आलू से आटा बनाने के कारखाने की स्थापना | Setting up of a Plant in North India for manufacturing Potato Flour .. | 63 |
| 651. सुपर बाजार को अतिरिक्त अनुदान देने के निर्णय पर विवाद | Controversy over Decision of Additional Grant to Super Bazar .. | 63—64 |
| 652. भारतीय समाचारपत्रों का राष्ट्रीयकरण | Nationalisation of Indian Press .. | 64 |
| 653. राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति | Implementation of National Labour Commission Recommendations | 64—65 |
| 654. ओनासकन्था क्षेत्र में भुखमरी अथवा कुपोषण से मौतें | Deaths due to Starvation or malnutrition in Onaskantha Area .. | 65 |
| 656. आकाशवाणी के पारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टी देने से इन्कार | Denial of National Holidays to A. I. R. Shift Staff .. | 65—66 |
| 657. वाल न्यूजपेपर | Wall Newspaper .. | 66 |
| 658. टेलीफोन प्रयोक्ताओं को ट्रंक काल टिकट देने के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच | Enquiry by Central Bureau of investigation re. issue of Trunks Call Tickets to Subscribers .. | 67 |
| 659. केन्द्रीय मंत्रियों के निवासों पर टेलीफोनों के सम्बन्ध में ट्रंक काल बिल | Trunk Call Bills in respect of Telephones at Central Ministers Residence .. | 67 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 660. चौथी पंचवर्षीय योजना में नये डाकघर खोलना | Opening of new Post Offices during Fourth Five Year Plan .. | 67—68 |
| 661. अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और कनाडा से आयातित अनाज की मात्रा तथा मूल्य | Quantity and value of Foodgrains imported from U.S.A., U.K. Australia and Canada | 68 |
| 662. उर्वरकों के मूल्य का चावल की उपज पर प्रभाव | Impact of Price of Fertiliser on Production of Rice .. | 68—69 |
| 663. कृषि पदार्थों के मूल्यों पर अखिल भारतीय समन्वित नीति | All India Coordinated Policy on Prices of Agricultural Commodities | 69—71 |
| 664. गन्ने तथा गुड़ के मूल्य में गिरावट | Fall in price of Sugarcane and Gur -.. | 71—72 |
| 665. आकाशवाणी में हिन्दी स्टेनोग्राफरों के अग्रिम वेतन वृद्धि | Advance increment to Hindi Stenographers in AIR | 72 |
| 666. दिल्ली सहकारी अधिनियम और सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं की उप-विधियां | Delhi Co-operative Act and Bye Laws of Co-operative House Building Societies .. | 72—73 |
| 667. राजस्थान के अकालग्रस्त लोगों को मोटे अनाज की सप्लाई | Supply of Coarse Foodgrains to Famine Striken People of Rajasthan .. | 73 |
| 668. खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के उपाय | Steps to check rise in prices of Food grains .. | 74 |
| 669. राजस्थान के शुल्क क्षेत्रों के लिये अध्ययन दल | Study Team for Arid Area of Rajasthan .. | 74—75 |
| 670. दक्षिण दिल्ली में राशन की दुकानों को गेहूं की सप्लाई रोकने की जांच | Enquiry into Suspension of Supply of Wheat to Ration Shops in South Delhi .. | 75 |
| 671. कपास की फसल पर कीटनाशक, दवाइयां छिड़कने के लिये हैलीकाप्टरों की खरीद | Purchase of Helicopters for Spray of Pesticides on Cotton Crop .. | 75—76 |
| 672. यवतमाल, महाराष्ट्र में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र | Automatic Telephone Exchange at Yeotmal (Maharashtra) .. | 76 |
| 673. अखिल भारतीय तृतीय श्रेणी के नागपुर डिवीजन के तार कर्मचारियों का सम्मेलन | Conference of All India Class III Telegraph Employees (Nagpur Division) .. | 76 |
| 674. गांवों में निर्मल जल की व्यवस्था | Supply of Clean Water to Villages .. | 76—77 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 675. आकाशवाणी को निगम में बदलना | Conversion of All India Radio into a Corporation .. | 77 |
| 677. बिहार तथा पश्चिम बंगाल में कोयला खानों में मनमाने ढंग से छंटनी | Arbitrary Retrenchment in Collieries in Bihar and West Bengal .. | 77—78 |
| 678. भारतीय उर्वरक निगम में चार्जमैनों के सम्बन्ध में दूसरे वेतन आयोग के पंचाट की क्रियान्विति | Implementations of Award of Second Pay Commission with regard to Chargemen in Fertilizer Corporation of India .. | 78 |
| 679. चौथे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कुप्रबन्ध | Mismanagement in Fourth International Film Festival .. | 79 |
| 680. भूमि सुधार कानूनों के प्रवर्तन में बाधाएं | Obstacles in Enforcement of Land Reforms Laws .. | 79—81 |
| 681. दीवारी समाचार पत्र (बाल न्यूजपेपर) 'हमारा देश' | Wall Newspaper 'Hamara Desh' .. | 81—82 |
| 682. पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का फिर से प्रव्रजन | Fresh Migration of Refugees from East Pakistan .. | 82 |
| 683. खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा टेलीफोन का कथित दुरुपयोग | Alleged misuse of Telephone Call by Food and Agriculture Minister .. | 82—83 |
| 684. आकाशवाणी के प्रसारणों में पक्षपात के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against Partisanship of AIR Broadcasts .. | 83 |
| 685. दिल्ली से प्रकाशित होने वाले भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के सरकारी विज्ञापन | Government Advertisements to Delhi Vernacular Papers .. | 83—84 |
| 686. मनीपुर में भूमिहीन किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि का आवंटन | Allotment of land to Landless Peasants in Manipur for Agricultural purposes .. | 84 |
| 687. लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में छंटनी | Retrenchment in PWD Manipur .. | 85 |
| 688. मनीपुर में धान का उत्पादन | Production of Paddy in Manipur .. | 85 |
| 689. मनीपुर के पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र को भुगतान | Payment to Panchayati Raj Training Centre, Manipur | 86 |
| 690. मनीपुर विद्युत कर्मचारी संघ को मान्यता देना | Grant of Recognition to Manipur Electricity Employees Union .. | 86 |
| 691. पी० एल० 480 के अधीन आयात किये जाने वाले अनाज तथा अन्य कृषि जन्य पदार्थ | Foodgrains and other Agricultural Commodities to be imported under PL 480 .. | 86—87 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 692. अनाज का रक्षित भंडार | Buffer Stock of Foodgrains .. | 87 |
| 693. अनाज गोदामों की भण्डारण क्षमता | Storage capacity of Foodgrains Godowns .. | 87 |
| 694. पंजीकृत तथा अपंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और स्वनियोजन की योजना | Number of unemployed registered and unregistered and scheme for self employment .. | 88—89 |
| 696. बेरोजगारी वृद्धि पर भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा चिन्ता | Concern by F. I. E. C. I. on Increasing unemployment. .. | 89 |
| 697. बरेली के डाकघर में पड़े अदावी बीमा पार्सल | Unclaimed insured parcels lying in Bareilly Post Office .. | 90 |
| 698. केन्द्रीय कृषि औद्योगिक निगम | Central Agro Industrial Corporation .. | 91 |
| 699. हरियाणा में टेलीफोन केन्द्र तथा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय | Telephone Exchanges and Public Call Offices in Haryana .. | 91 |
| 700. चरखी दादरी दिल्ली तथा चरखी दादरी रोहतक के बीच सीधी टेलीफोन लाइन | Direct telephone line between Charkhi Dadri Delhi and Charkhi Dadri-Rohtak .. | 91 |
| 701. दरभंगा जिले में डाकघरों का खोला जाना | Opening of Post Offices in Darbhanga District .. | 92 |
| 702. डाक तथा तार विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों का स्थानान्तरण | Transfer of Work-Charged Staff of P & T Department .. | 92 |
| 703. दक्षिण अफ्रीका में महात्मा नामक चल चित्र के दिखाये जाने पर रोक | Ban on Exhibition of Mahatma Film in South Africa .. | 92—93 |
| 704. पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातित अनाज और उस पर किया गया खर्च | Foodgrains Imported Under PL 480 and Amount spent thereon .. | 93—94 |
| 705. खेती करने के अच्छे तरीके | Better Farm Methods .. | 94 |
| 706. दिल्ली दुग्ध योजना में कार्य करने वाले छात्रों की ओर से ज्ञापन | Memorandum from Students Working in DMS .. | 94—95 |
| 707. प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के परिक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन | International Union for Conservation of Nature and Natural Resources .. | 95 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 708. आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से कांग्रेस संविधान के विवेचन पर वार्ता | Talk on Interpretation of Congress Constitution, over AIR, Delhi .. | 96 |
| 709. गैर-सरकारी प्रबन्धकों तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे चीनी के कारखानों के लाभों में परस्पर असमानता | Disparity in profits by Sugar Factories run by Private Owners and Co-operative Societies .. | 96—97 |
| 710. तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये विदेशी सहायता | Foreign Aid for Settling Tibetan Refugees .. | 97 |
| 711. सहकारी आन्दोलन की प्रगति | Progress of Co-operative Movement .. | 98 |
| 712. भारत में कृषि विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कालिज | Agricultural Universities and Affiliated Colleges in India | 98—99 |
| 713. कृषि ऋण निगम की स्थापना | Setting up of Agricultural Credit Corporation .. | 99 |
| 714. स्व-नियोजन के अवसरों के बनाने के बारे में अन्तर्मंत्रालय सम्मेलन | Inter Ministerial Conference on creating self employment opportunities .. | 99—100 |
| 715. चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का अध्ययन करने के लिये समिति | Committee to study Nationalisation of Sugar Industry .. | 100 |
| 716. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 88 में संशोधन | Amendment of ILO Convention No. 88 .. | 100 |
| 717. राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद | Hindi Translation of Report of NCL | 101 |
| 718. भिन्न भिन्न खाद्यान्नों के लिये पृथक-पृथक परिषदों का स्थापित किया जाना | Establishment of separate Councils for different foodgrains .. | 101 |
| 719. कुछ ब्रिटिश पत्रकारों का भारत से निकाला जाना | Expulsion of certain British Journalists from India .. | 101—102 |
| 720. मजूरी बोर्डों के बारे में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के विचार | AITUC Views on Wage Board .. | 102 |
| 721. पश्चिम बंगाल में धान की फसल का लूटा जाना तथा खाद्य स्थिति पर इसका प्रभाव | Looting of Paddy in West Bengal and its effect on Food position .. | 102—103 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 722. तमिलनाडु में खाद्यान्नों पर नियंत्रण की समाप्ति और उसका प्रभाव | Abolition of control on foodgrains in Tamil Nadu and its effect | 103 |
| 723. देशबन्धु चितरंजन दास का जन्म शताब्दी समारोह | Birthday Centenary Celebrations of Deshbandhu Chittaranjan Das .. | 104 |
| 724. नेता जी के जन्म दिवस पर आकाशवाणी के कार्यक्रम | Programme over AIR on Netaji's Birthday .. | 105 |
| 725. एक संसद् सदस्य द्वारा कन्टाई से कलकत्ता भेजे गये तार के पहुंचने में विलम्ब | Delay in Transmission of Telegram sent by a M. P. from Contai to Calcutta .. | 105—106 |
| 726. पंचायतों, ब्लाकों तथा तालुक-मंडलों में सेवाएं | Services in Panchayats, Blocks and Taluk Boards .. | 106 |
| 727. गांधी शताब्दी समारोह | Gandhi Centenary Celebrations .. | 106—107 |
| 728. फलों सम्बन्धी विश्व सम्मेलन | World Conference on fruits .. | 107—108 |
| 729. वनस्पति घी का निर्यात | Export of Vanaspati .. | 108 |
| 730. दिल्ली में सब्जियों के लिये विपणन सुविधाएं | Marketing facilities for Vegetables in Delhi .. | 108—109 |
| 731. सरगुजा, मध्य प्रदेश में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों द्वारा अन्तिम रूप से पुनर्वास के बारे में अभ्यावेदन | Representation from East Bengal Refugees in Sarguja, Madhya Pradesh for final Rehabilitation .. | 109 |
| 732. आदिलाबाद जिले में ईसगांव परियोजना के अन्तर्गत शरणार्थियों से अभ्यावेदन | Representation from Refugees under Easgaon Project in Adilabad District .. | 110 |
| 733. महाराष्ट्र के चांदा जिले में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थी | East Bengal Refugees in Chanda District of Maharashtra .. | 110—111 |
| 735. सामुदायिक श्रवण कार्यक्रम | Community listening programmes | 111 |
| 736. केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों द्वारा ज्ञापन | Memorandum by CIS Officers .. | 111—112 |
| 737. बर्मा से भारत लौटे व्यक्तियों का तमिलनाडु में पुनर्वास | Resettlement of Repatriates from Burma in Tamil Nadu .. | 112 |
| 738. वर्ष 1970 की सरकारी डायरी | Government Diary—1970 .. | 112—113 |
| 739. समाचार एजेंसियों के लिए निगम | Carporation for News Agencies .. | 113 |
| 741. पत्रकारों को छूट प्राप्त श्रेणी में टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी | Sanction of Telephone Connections to Journalist under exempted category .. | 113—114 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 742. केन्द्रीय सरकार के लघु उद्योग संगठनों के कर्मचारी संघ की ओर से अभ्यावेदन | Representation from Central Government Small Scale Industries Organisation Employees Union, Kerala .. | 114 |
| 743. फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्मों का रिलीज किया जाना | Release of Films by Film Finance Corporation .. | 114 |
| 744. खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि | Rise in Price of Foodgrains .. | 115 |
| 745. खाद्यान्नों वसूली कार्यक्रमों की क्रियान्विति | Implementation of Procurement programmes in respect of Foodgrains .. | 115—116 |
| 747. कृषकों को ऊंची दरों पर खाद का बेचा जाना | Sale to Manure to farmers at Higher Rates .. | 116—117 |
| 748. वनों सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों में संशोधन | Amendment of Rules and Regulations relating to Forests | 117 |
| 749. भारत सेवक समाज की फाइलों का गुम होना | Missing files relating to Bharat Sewak Samaj | 117 |
| 750. उर्वरकों की खपत का खाद्य उत्पादन पर प्रभाव | Effect of consumption of fertiliser on Food Production .. | 118—119 |
| 751. संरक्षित पशु के रूप में बाघ | Tiger as protected animal .. | 119—123 |
| 752. असिंचित क्षेत्रों को कृषि भूमि में बदलने के लिये परियोजना | Projects for change of unirrigated areas to cultivable land .. | 120—121 |
| 753. उज्जैन स्थित मध्य प्रदेश राज्य के विलायक निस्सारण (सोलवेंट एक्स्ट्रेक्शन) कारखानों को अपने नियन्त्रण में लेना | Taking over of M. P. State's Solvent Extraction Plant at Ujjain | 121 |
| 754. चलचित्र (मोशन पिक्चर्स) उद्योग द्वारा ज्ञापन | Memorandum by Motion pictures industry .. | 122 |
| 755. पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों का आयात और निर्यात | Import and Export of foodgrains during Five Year Plan .. | 122—123 |
| 756. कृषि का आधुनिकीकरण | Modernization of Agriculture .. | 123—124 |
| 757. दिल्ली के चिड़ियाघर से जानवरों का बच कर निकल भागना | Escape of animals from Delhi Zoo .. | 124—125 |
| 758. खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल द्वारा चावल तथा गेहूं की मांग | Request from West Bengal for rice and wheat to meet food deficit .. | 125—126 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 759. दुर्लभ भारतीय जानवरों का समाप्त होना | Extinction of Rate Indian Animals .. | 126 |
| 760. दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं की मृत्यु | Death of animals in Delhi Zoo .. | 126—128 |
| 761. सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेना | Workers participation in Management of public undertakings .. | 128 |
| 762. एर्णाकुलम में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में विचार गोष्ठी | Seminar on Deep sea Fishing at Ernakulam .. | 129—130 |
| 763. नारियल जटा, बीड़ी तथा बागान मजदूरों के लिये मजूरी बोर्ड | Wage Board for Coir, Beedi and Plantation Workers .. | 130 |
| 764. पोषक आहार बोर्ड के कृत्य | Function of Food Nutrition Board .. | 130—131 |
| 765. दूसरा प्रेस आयोग | Second Press Commission .. | 131 |
| 766. भारतीय खाद्य निगम में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के पदों का भरना | Filling up Class II and III posts in Food Corporation of India .. | 132 |
| 767. राष्ट्रीय बीज निगम में बीजों के स्टाक का जमा हो जाना | Accumulated stock of seeds of National Seeds Corporations .. | 132 |
| 768. अखिल भारतीय आधार पर भूमि-सुधार कानून के लिये समिति की नियुक्ति | Appointment of a committee for making land reforms laws on an All India Basis .. | 132—133 |
| 769. पूर्वी पाकिस्तान के हरिजन शरणार्थियों का आसाम में पुनर्वास | Rehabilitation of Harijan Refugees from East Pakistan in Assam .. | 133 |
| 770. दुधारू गऊओं की हत्या पर प्रतिबन्ध | Ban on Slaughter of Milch Cow .. | 134 |
| 771. सहकारिता के माध्यम से मत्स्य उद्योग का विकास | Development of Fishing Industry through Cooperatives .. | 134—135 |
| 772. आसाम डाक परिमंडल में चपरासियों की भर्ती | Recruitment of peons in Assam Postal Circle .. | 135—136 |
| 773. आसाम में डाकपालों के अस्थायी पद | Temporary Posts of Assistant Post-masters in Assam Circle .. | 136 |
| 774. प्रेस परिषद् अधिनियम | Press Council Act .. | 136—137 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 775. गुजरात सरकार द्वारा मूंगफली के तेल पर पुनः वसूली शुल्क का लगाया जाना तथा उस का प्रभाव | Reimposition of procurement levy on Groundnut oil by Gujarat Government .. | 137 |
| 776. पटना में डाक और तार औषधालय का निरीक्षण | Inspection of P and T Dispensary at Patna .. | 137—138 |
| 777. रांची में डाक तार कर्मचारियों के लिये परियोजना भत्ता | Project Allowance for P and T Employees at Ranchi .. | 138—139 |
| 778. श्रमिकों को उपदान के अनिवार्य भुगतान के सम्बन्ध में विधान | Legislation on Compulsory Payment of Gratuity to Labour and Workers | 139 |
| 779. डाक तथा तार विभाग के क्वार्टरों के लिये 'पूल स्टैण्डर्ड किराया' | Pooled standard rent for posts and Telegraphs Quarters .. | 140 |
| 780. दिल्ली में मल नाली (सीवर) में काम कर रहे मजदूरों की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच | Inquiry into the death of labourers engaged in sewer work in Delhi .. | 140—141 |
| 781. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के लिये विशेष रेल गाड़ी के बारे में रेलवे अधिकारियों और कांग्रेसियों के बीच विवाद सम्बन्धी समाचार का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित न किया जाना | Ignoring of news re : dispute between Railway officials and congressmen at New Delhi Railway Station in connection with Special Train bound for Bombay Congress Session by All India Radio .. | 141 |
| 782. केरल के लिये चावल के कोटे में वृद्धि | Increase in rice quota for Kerala .. | 142 |
| 783. केरल में काजू उद्योग में कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं को लागू करना | Introduction of Employees Provident Fund and ESI Schemes in Cashew Industry in Kerala .. | 142 |
| 784. केरल तट पर मछलियों का पता लगाने के लिये भारत-नार्वे परियोजनाओं की कार्य-प्रणाली | Working of Indo-Norwegean Project for Exploratory Fishing on Kerala Coast .. | 143 |
| 786. बम्बई दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शन | Telephone connections in Bombay, Delhi, Madras and Calcutta .. | 143—144 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 787. कलकत्ता में टेली फोन कनेक्शनों के लिये अनिर्णीत आवेदन-पत्र | Applications Pending for Telephone Connections in Calcutta .. | 144 |
| 788. स्वचालित मशीनों का प्रयोग सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति | Tri Partite Committee on Automation .. | 144—145 |
| 789. भारतीय तारयंत्र अधिनियम में संशोधन | Amendment of Indian Telegraphs Act .. | 145—146 |
| 790. राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता | Assistance for drought affected Areas of Rajasthan .. | 146 |
| 791. उत्तर प्रदेश चीनी मिल्स श्रमिक संघ एकता समिति द्वारा दूसरे मजूरी बोर्ड के बारे में ज्ञापन | Memorandum by U. P. Sugar Mills Labour Union Ekta Samiti regarding Second Wage Board .. | 147 |
| 792. चौथे अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में प्रतिबन्धित चल चित्रों का दिखाया जाना | Exhibition of Films banned in Fourth International Film Festival | 147 |
| 793. कामोत्तेजक जर्मन चलचित्र का भारतीय सेंसर बोर्ड द्वारा प्रदर्शनार्थ पास किया जाना | Sexy German Film passed by Censor Board of India for exhibition .. | 148 |
| 794. डाक व तार विभाग को निगम में परिवर्तित करना | Conversion of Posts and Telegraphs Department into a Corporation .. | 148 |
| 795. लाहर, मध्य प्रदेश में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा | Unsatisfactory Telephone Service in Lahar (Madhya Pradesh) .. | 148 |
| 796. डाक व तार विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों की मजूरी में कमी | Reduction in Wages of part time Employees of P and T Department .. | 149 |
| 797. सोयाबीन की खरीद के संबंध में नीति | Policy re: procurement of Soyabean .. | 149 |
| 798. आलुओं के मूल्य में कमी | Fall in price of potatoes .. | 149 |
| 799. भूसे से सोयाबीन अलग करने के लिये मशीन | Machine for separating Soyabean from Husk .. | 150 |
| 800. चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अदरक की काश्त | Cultivation of Ginger during Fourth Plan period .. | 150 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— | | |
| विदेश के सभी सांस्कृतिक और सूचना केन्द्रों को बन्द किया जाना | Closure of Cultural and Information Centres of Foreign Countries | .. | 150—156 |
| श्री पीलु मोडी | Shri Piloo Modi | .. | 150—151 |
| श्री दिनेश सिंह | Shri Dinesh Singh | .. | 151 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table | .. | 157—158 |
| सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति | Committee on Public Undertakings | .. | 158—159 |
| 55वां और 56वां प्रतिवेदन | Fifty-Fifth and Fifty-sixth Reports | .. | 158—159 |
| समितियों के लिए निर्वाचन | Election to Committees | .. | 169—160 |
| (1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् | Indian Council of Agricultural Research | .. | 159 |
| (2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति | Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes | .. | 159—160 |
| राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव | Motion of Thanks on the President Address | .. | 160—183 |
| श्री स० क० पाटिल | Shri S. K. Patil | .. | 161—163 |
| डा० गोविन्द दास | Dr. Govind Das | .. | 163—166 |
| श्री अटल बिहारी बाजपेई | Shri Atal Bihari Vajpayee | .. | 166—168 |
| श्री रा० कृ० सिंह | Shri R. K. Sinha | .. | 168—170 |
| श्री अम्बाजागन | Shri Ambazhagan | .. | 170—173 |
| श्री सीताराम केसरी | Shri Sitaram Kesri | .. | 173—174 |
| श्री ही० ना० मुकर्जी | Shri H. N. Mukerjee | .. | 174—178 |
| श्री जी० वेंकटस्वामी | Shri G. Venkataswamy | .. | 178—179 |
| श्री रवि राय | Shri Rabi Ray | .. | 179—181 |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | .. | 181—183 |
| श्री हेम बरुआ | Shri Hem Barua | .. | 183 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

**गुरुवार, 26 फरवरी, 1970/7 फाल्गुन, 1891 (शक)**
*Thursday, February 26, 1970/Phalguna 7, 1891 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Speaker** *in the Chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम प्रश्न लेंगे । श्री इसहाक साम्भली अनुपस्थित ।

**श्री यज्ञदत्त शर्मा :** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

**Shri Yajna Datt Sharma :** The Station Masters of Jullunder and Ferozepur Division are on hunger strike. I have given notice of a calling attention motion regarding this matter.

**श्री० क० लकप्पा :** सभा के विनिर्णय के अनुसार प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । मुझे भी अनेक तार मिले हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** हम वर्तमान प्रक्रिया से बाहर क्यों जायें ?

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** हमें प्रक्रिया के अनुसार ही चलना चाहिये । आप प्रश्नकाल के बाद इसकी अनुमति दे सकते हैं ।

**श्री क० लकप्पा :** महाराष्ट्र-मैसूर विवाद के बारे में मुझे भी कई तार मिले हैं । मुझे मामला प्रश्नकाल के बाद उठाने की अनुमति दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम प्रश्न लेंगे ।

## चीनी सम्बन्धी नीति

+

*92. **डा० सुशीला नैयर :**

**श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में चीनी सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि चीनी / खाण्डसारी तथा गड़ के मूल्यों में काफी गिरावट आई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चीनी पर से पूर्ण रूप से नियंत्रण हटा देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) फिलहाल चीनी नीति में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) चीनी की आंशिक विनियंत्रण की नीति को पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण विनियंत्रण तथा आंशिक विनियंत्रण जैसे सभी तीनों वैकल्पों पर सावधानी-पूर्वक विचार करने के बाद अपनाया गया था। आंशिक विनियंत्रण की इस नीति को इसलिये अपनाया गया है, क्योंकि अन्य दो प्रणालियों की अपेक्षा इससे कुछ अधिक लाभ हैं।

**डा० सुशीला नैयर** : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खाण्डसारी के मूल्य काफी गिर गये हैं, इन वस्तुओं को उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से अन्य राज्यों में ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की बजाय सरकार उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में विधि रूप से ले जाने की अनुमति क्यों नहीं देती ताकि गन्ना उत्पादकों तथा अन्य भागों में रहने वाले लोगों को इससे लाभ पहुंच सके ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : इनके एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हम राज्य सरकारों को सलाह देते रहे हैं कि इस समय खाण्डसारी के मूल्य, उसकी उपलब्धता, आदि को देखते हुए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने पर प्रतिबन्ध न लगाये जाये।

**डा० सुशीला नैयर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी मिलों में चीनी के भारी स्टॉक जमा होने के समाचार हैं, क्या उनकी ओर से जानबूझकर कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं जिनसे चीनी का निर्यात नहीं बढ़ रहा है अथवा क्या वे मूल्य वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चीनी मिलों में चीनी के भारी स्टॉक जमा होने के क्या कारण हैं ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : हमने हाल ही में उगाही कोटा तथा उपभोक्ताओं के लिये दी जाने वाली चीनी की कुल मात्रा में वृद्धि की है। उगाही तथा नियंत्रण रहित चीनी की मात्रा लगभग 3,31,000 मीटरी टन है। चीनी आसानी से उपलब्ध है किन्तु लाइसेंस प्राप्त व्यापारी निर्धारित

समय के अन्दर चीनी नहीं लेजाना चाहते हैं। इसलिये हमने यह अवधि 45 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी है। अब चीनी उपलब्ध होने में कोई कठिनाई नहीं है। सारे देश में चीनी आसानी से मिलती है। हमने सभी राज्यों की मांग के अनुसार उनके कोटे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। जहां तक स्टॉक जमा हो जाने का सम्बन्ध है, उगाही मूल्य ढांचे में कुछ अन्तर है। कुछ क्षेत्रों में स्टॉक कुछ अधिक जमा है।

**Shri Y. P. Mandal:** Hon. Minister has just stated that the stock position is very promising. I want to know its production this year. I also want to know the steps that Government will take to stop the falling of prices of Gur and Khandsari ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** जैसा सर्वविदित है, गुड़ उद्योग और खांडसारी उद्योग कुटीर उद्योगों के समान हैं और इन पर नियंत्रण रखना सम्भव नहीं है। जहां तक गुड़ के सरकार द्वारा खरीदे जाने का सम्बन्ध है इसमें कठिनाई आती है क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जहां तक खुले बाजार का सम्बन्ध है, गन्ने की उपज चूंकि बहुत बढ़ गई है, अतः हम यह विचार कर रहे हैं कि गुड़ के मूल्यों का उचित स्तर बनाये रखने के लिये क्या उपाय किये जायें।

**श्री रंगा :** इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है कि किसानों को उनको दिये गये वचनानुसार गन्ने का मूल्य मिले और अब गिरने वाले मूल्यों का उन पर असर न पड़े। मद्रास में मूल्य 100 रुपये से घट कर 70 रुपये रह गया है। क्या वह इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रहे हैं? इस सम्बन्ध में उत्तर-प्रदेश सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह इसका मूल्य 10 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित करेगी।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** गन्ने के न्यूनतम मूल्यों के बारे में सरकार प्रतिवर्ष घोषणा करती है और वह इस बात को सुनिश्चित करती है कि किसानों को वह न्यूनतम मूल्य दिया जाये। यदि कोई कारखाना किसानों को न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम मूल्य देता है तो कानून के अन्तर्गत यह अपराध है।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** पिछले साल उन्होंने वह मूल्य नहीं दिया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

**श्री रंगा :** वे अब भी वह मूल्य नहीं देते हैं।

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** पिछले सत्र के चर्चा के दौरान श्री प्रकाश वीर शस्त्री ने सुझाव दिया था कि उत्पादकों को दिये जाने वाले गन्ने के अतिरिक्त मूल्य का सम्बन्ध खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी पर होने वाले लाभ के साथ होना चाहिए। खुले बाजार में बेचे जाने वाली चीनी पर अतिरिक्त लाभ होने में गन्ना उत्पादकों का हिस्सा देने के बारे में मिल मालिकों और मेरे मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श हुआ है और मेरा विचार है, इस सम्बन्ध में कोई तरीका निकाला जायेगा।

**Shri Randhir Singh :** Labour charges and water charges have gone up. Additional taxes have been imposed. Electricity charges have also increased. But the prices of Gur etc. are falling now a days. Will it not prove a set back for the farmers? Government should give assurance to the peasants that a minimum price of sugarcane, will be paid to them. If this kind of assurance is not given, the farmers will stop growing sugarcane in future. I want to know what steps Government is going to take in this regard.

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त मूल्य सम्बन्धी फार्मूला भी विचाराधीन है। गन्ने के उत्पादन में कमी नहीं हुई है। वास्तव में गत दो वर्षों में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

**Shri Atal Behari Vajpayee :** The Hon. Minister has just stated that Gur and Khandsari industries are like cottage industries.

I, therefore, want to know why excise duty has been imposed on Khandsari and whether there is any proposal under consideration to do away with the excise duty on Khandsari ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : खांडसारी पर काफी समय से उत्पादन शुल्क लगा है। लेकिन हाल ही में खांडसारी पर लगे उत्पादन शुल्क में कमी की गई है।

**Shri Maharaj Singh Bharati :** In view of the facts that no factory is paying even a single penny more than the minimum price of sugar, the prices of Gur and Khandsari are 45 paise and Rs. 1.10 per kilogram respectively, the production of sugar is going to be 22 lakh tons this year and also that the quota of sugar is not being lifted in time, are the Government keeping the price of sugar high intentionally by extending the time limit ? I want to know whether it would not be proper either to abolish control on sugar or to reduce the time limit so that the sugar may be available at control rate ?

**Shri Jagjiwan Ram :** There is very little difference between the price of sugar sold in the open market and the price of sugar being sold on control rates. Therefore, there is some delay in removing such sugar from the mills on which levy is imposed. The time has been extended because the mill owners and wholesellers have been making demands to this effect so that their stocks may be cleared.

**Shri K. N. Tiwary :** I want to know whether the Gur manufacturer are giving much less prices for sugar cane due to fall in the prices of sugar and Khandsari. They are paying at the rate of Rs. 4.5 or Rs. 4.25 as against the fixed price of Rs. 7.37. I want to know what action Government is going to take in this regard ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : सरकार को भी इस प्रकार के समाचार प्राप्त हुए हैं। इस बारे में आवश्यक निदेश जारी करने के लिये हमने राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है।

**श्री चेंगलराया नायडू** : आप विपक्षी दल के सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं देते। आपको इस सम्बन्ध में पक्षपात नहीं करना चाहिये। **(अन्तर्बाधाएं)**

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न डा० सुशीला नैयर द्वारा पूछा गया था और उन्होंने इस बारे में दो अनुपूरक प्रश्न पूछे थे। मुझे सभा के सब वर्गों के सदस्यों को बोलने का अवसर देना होता है। मैं इस सम्बन्ध में जो उचित समझता हूं करता हूं। प्रश्नों का शीघ्र निबटारा करने के उद्देश्य से अन्य देशों में सदस्य दो या तीन से अधिक अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछते।

**डा० सुशीला नैयर** : मैं यह पूछना चाहती हूं कि प्रश्न पूछने वाले सदस्य को दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है या नहीं। क्या आपने मेरे साथ पक्षपात किया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : आपने दो अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं।

**डा० सुशीला नैयर** : हर किसी को यह अधिकार प्राप्त है। मेरे साथ कोई विशेष अनुग्रह नहीं किया गया है।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** प्रश्न उनके नाम में था, अतएव उन्हें दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

**अध्यक्ष महोदय :** सदन के हर एक पक्ष को बोलने का अवसर मिलना चाहिए। प्रश्न उनके नाम में था, अतएव उन्हें दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। मैं दूसरे पक्ष को समय देने के पश्चात् पुनः आपको अवसर दूंगा।

**श्री एस० एम० कृष्ण :** हमारी भी एक शिकायत है कि प्रश्नकाल में केवल ग्रुपों के नेताओं को ही बोलने का अवसर मिलता है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इसके कारण पीछे बैठने वाले विद्रोह करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि विद्रोह होना है तो होगा ही।

**श्री क० लकप्पा :** भारत सरकार समय-समय अपनी चीनी सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करती रहती है जिससे न तो उपभोक्ताओं को लाभ होता है और न किसानों को ही। क्या सरकार समाजवाद के नए चरण को ध्यान में रखते हुए बम्बई के समान समाजवाद को अपनाएगी अथवा क्या वह वास्तविकताओं का ध्यान रखते हुए सभी चीनी की मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी ? क्या सरकार इस मामले को राज्यों पर छोड़ने की अपेक्षा एक समान नीति अपनाएगी ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** कुछ समय पश्चात् एक और प्रश्न राष्ट्रीयकरण के बारे में आयेगा। जहां तक सरकार की चीनी सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है उसमें उपभोक्ताओं और किसानों का हित ध्यान में रखा जाता है।

**श्री क० लकप्पा :** श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। कृपया निर्णय कीजिये कि मेरा प्रश्न संगत है, अथवा नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** आप अपना स्थान ग्रहण करें मंत्री महोदय ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है और यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

**श्री क० लकप्पा :** मंत्री महोदय को मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। यह कहना उचित नहीं कि इस विषय पर एक अन्य प्रश्न है और वे उसके साथ उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार अपनी चीनी सम्बन्धी नीति के कारण सभी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी ?

**श्री समर गुह :** श्री लकप्पा का प्रश्न बिल्कुल संगत है। इसमें पूछा गया है कि क्या सरकार का प्रस्ताव चीनी सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने का है। राष्ट्रीयकरण का प्रश्न बिलकुल संगत है।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री लकप्पा अपनी बात को स्पष्ट करने में सक्षम हैं। श्री गुह को उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं।

**श्री क० लकप्पा :** क्या सरकार सभी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की एक समान नीति अपनाएगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप एक वक्तव्य देते हैं और स्वयं ही प्रश्न का उत्तर देते हैं। इससे मंत्री महोदय को और क्या कहना है ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता। (**अन्तर्बाधाएं**)।

**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को प्रश्न मुझे संबोधित करने चाहिएं। तीन चार व्यक्तियों को एक साथ खड़े नहीं होना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या चीनी सम्बन्धी नीति में संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

**श्री मनुभाई पटेल** : मूल्य नीति में नहीं। (**अन्तर्बाधाएं**)।

**Shri Rabi Ray** : It is necessary that a direct reply to the question be given.

**अध्यक्ष महोदय** : उनका उत्तर स्पष्ट है। प्रश्न यह था कि क्या सरकार का विचार चीनी को पूरी तरह विनियन्त्रित करने का है ? उसका उत्तर दिया जा चुका है। इसमें छोड़ा क्या गया है।

**श्री पीलु मोडी** : संसद् का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : नीति से आपका क्या अभिप्राय है ? मूल्य से क्या अभिप्रेत है ?

**श्री हेम बरुआ** : श्री लकप्पा ने ठीक ही कहा है। उन्होंने कहा कि क्या देश की सभी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई समान नीति अपनाई जाएगी। इसे अलग-अलग नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय प्रश्न की उपेक्षा करना चाहते हैं।

**Shri Rabi Ray** : There is another question on nationalisation and it would be better if that is taken along-with this.

**अध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर प्रश्न बाद में लिया जा रहा है।

**श्री नम्बियार** : इसमें व्यवस्था का एक गम्भीर मामला है। श्री पीलु मोडी ने एक गम्भीर बात कही है। संसद् के राष्ट्रीयकरण की बात करना अति अपमानजनक है।

**अध्यक्ष महोदय** : इसमें क्या बात है। हम पहले ही एक राष्ट्र हैं।

**श्री नम्बियार** : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में न रखा जाए।

**Shri Rabi Ray** : The question asked for by Shri Lakkappa is very relevant. It would be better if you combine question No. 99 with it.

**श्री स० कुण्डू** : सदन की इच्छा है कि मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर दें। आप उनका ध्यान प्रश्न संख्या 99 की ओर दिलाएं और उत्तर देने के लिये कहें।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री कुण्डू अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : प्रश्न संख्या 99 का सम्बन्ध राष्ट्रीयकरण से है। इस बारे में हमारी नीति मंत्री महोदय ने पहले ही सदन को बता दी थी। चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण तथा उस उद्योग सम्बन्धी अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की जा रही है जिसकी नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी। सरकार की इस नीति की मंत्री महोदय ने घोषणा की थी।

**श्री चेंगलराया नायडू** : अभी मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि चीनी सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह सच नहीं है अभी हाल ही में सरकार ने देश में चीनी की दरों में संशोधन किये हैं। पिछले वर्ष आंध्र को 160 रुपये मिलते थे। उत्पादन मूल्य बढ़ गया है। अतएव राज्य सरकार ने प्रतिवेदन दिया है और हम इस सदन में मामला रख रहे हैं कि उत्पादन मूल्य बढ़ने के कारण चीनी के मूल्य को बढ़ाया जाय परन्तु वास्तव में मंत्री महोदय ने आंध्र प्रदेश में मूल्य में 15 रुपये प्रति क्वीटंल कमी कर दी है, जबकि पड़ोसी मद्रास राज्य में अम्बूर चीनी मिल में उन्होंने मूल्य बढ़ाया है। श्रीमानजी, क्या यह भेदभाव नहीं है। किसानों और गन्ना उत्पादकों की सहायता करने के बदले मंत्री महोदय का रवैया उनके प्रति शत्रुतापूर्ण है। उन्होंने महाराष्ट्र में मूल्य बढ़ा दिये हैं और आंध्र में घटा दिए हैं। क्या मंत्री महोदय मूल्यों को घटाने की अपेक्षा पिछले वर्ष के बराबर कर देंगे।

मेरे प्रश्न का (ख) भाग यह है, हमारे देश में गुड़ के मूल्य गिर गये हैं। गुड़ की कोई वास्तविक बिक्री नहीं होती। सिंगापुर और मलयेशिया में हमारे देश की शक्कर की मांग है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया सीधा प्रश्न कीजिए, अधिक जानकारी न दीजिये।

**श्री चेंगलराया नायडू** : क्या सरकार सिंगापुर और मलएशिया को शक्कर और गुड़ के निर्यात के लिए वार्ता करने को तैयार हैं जिससे कि किसानों को अधिक मूल्य मिल सके ? मंत्री महोदय से मैं इन दो बातों का उत्तर चाहता हूं।

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे** : मैं माननीय सदस्य द्वारा राज्यों के मध्य भेद-भाव करने और गन्ना उत्पादकों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार के आरोप का पुरजोर विरोध करता हूं। शायद माननीय सदस्य विभिन्न राज्यों के लिए घोषित चीनी के मूल्यों की योजना का उल्लेख कर रहे हैं। जैसाकि सदन को पता है कुछ समय पूर्व चीनी के मूल्यों का अध्ययन करने लिए एक टैरिफ आयोग नियुक्त किया गया था। उस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया था और उनकी सिफारिशों के अनुसार सरकार ने चीनी के मूल्यों के बारे में निर्णय किया था। सरकार द्वारा घोषित मूल्य मुख्य रूप से टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं और उसमें भेदभाव अथवा किसी के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये का कोई प्रश्न ही नहीं।

गन्ना उत्पादकों के हित हमें भी उतने ही प्रिय हैं जितने किसी और सदस्य को।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, सरकार शक्कर और गुड़ के निर्यात की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। जहां तक चीनी का प्रश्न है सरकार का प्रस्ताव 1.5 लाख टन मीटरी निर्यात करने का है और अग्रेतर सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

जहां तक गुड़ का सम्बन्ध है यदि संम्भव हुआ तो हम इस सुझाव का स्वागत करेंगे। कुछ समय पूर्व मैंने आंतरिक व्यापार मंत्रालय को विश्व के बाजारों में गुड़ के निर्यात की सम्भावनाएं खोजने को कहा है।

**श्री चेंगलराया नायडू** : जो भूल टैरिफ आयोग की है, सरकार उसमें सुधार क्यों नहीं करती ?

**Shri Sharda Nand :** Hon. Speaker, the Hon. Minister has just stated the difficulty that the Government is facing in fixing prices of joggery and the reason for this is that the quality of joggery is low. I would like to know as to whether the Hon. Minister has taken steps or propose to take steps in future to improve the quality of joggery in the country ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। दूसरे भाग में वह क्या चाहते हैं।

**Shri Sharda Nand :** In his reply he said that there was difficulty in fixing the prices of joggery as that its quality was not good. This has been stated in reply to Shri Ranga's question. My questions is as to what steps the Government propose to take to improve the quality of joggery ?

**श्री अन्नासाहिब शिन्दे :** गुड़ के न्यूनतम मूल्य नियत करने में कठिनाइयों का मैंने उल्लेख किया था। ऐसा मैंने गुड़ के मूल्यों में स्थिरता की दृष्टि से ही कहा था।

## चलचित्रों के "सेंसर" के बारे में खोसला समिति की रिपोर्ट

*93. **श्री न० कु० सांघी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्मों के "सेंसर" के सम्बन्ध में खोसला समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन सिफारिशों को स्वीकार किया जा रहा है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री न० कु० सांघी :** यह वास्तव में लज्जाजनक बात है कि सरकार प्रतिवेदनों के संबंध में कभी भी निर्णय नहीं लेती है, चाहे वह करमारकर समिति का प्रतिवेदन हो या स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें हों या जीवन बीमा निगम सम्बन्धी प्रतिवेदन हो। वह किसी पर भी ध्यान नहीं देती। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस विशेष प्रतिवेदन पर दोनों सभाओं में विचार किया जायेगा और इसके पश्चात् ही सरकार कोई निर्णय लेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बीच उन्होंने इस प्रश्न की जांच की है कि सेन्सर व्यवस्था के वर्तमान नियम और विनियम संविधान के विपरीत हैं और इनसे अनुच्छेद 19(2) का उल्लंघन होता है। सदन में इस प्रतिवेदन पर चर्चा पूरी होने तक प्रतीक्षा किये बिना ही इन्हें समाप्त किया जाना चाहिये।

**श्री इ० कु० गुजराल :** यह बात मुझे नहीं बताई गयी है कि सेन्सर के नियम संविधान के विपरीत हैं; और न ही न्यायालय में इनकी जांच की गयी है। इसीलिये यह नियम काफी समय से लागू है। जहां तक इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक विस्तृत तथा व्यापक प्रतिवेदन है। मंत्रालय में इस पर विचार किया जा रहा है और इसके पश्चात् सभा में भी इस पर चर्चा की जायेगी।

**श्री न० कु० सांघी** : मंत्री महोदय ने कहा है कि न्यायालय में इनकी जांच नहीं की गयी है। किन्तु उच्चतम न्यायालय में पहले ही एक मामला पड़ा हुआ है ; ख्वाजा अहमद अब्बास ने इसे अपने एक चलचित्र 'फोर सिटीज' के सम्बन्ध में दायर किया है। यह एक गम्भीर बात है ; सरकार को शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेना चाहिये ।

**श्री इ० कु० गुजराल** : उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय करेगा, हम उसे अवश्य स्वीकार करेंगे ।

**श्री न० कु० सांघी** : इस प्रतिवेदन में फिल्म सेंसर बोर्ड पर गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और कहा गया है कि सरकारी अधिकारी इस बोर्ड का मनचाहा प्रयोग कर रहे हैं ; जिन्हें तुरन्त कोई अन्य काम नहीं मिलता, उन्हें बोर्ड में रख लिया जाता है ; यदि कोई उनकी आलोचना करे तो यह उन्हें बहुत अखरती है । मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान सेंसर बोर्ड में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? नग्नता तथा चुम्बन सम्बन्धी प्रश्न लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रश्न पर आगे विचार करके शीघ्र ही कोई निर्णय करें ।

**श्री इ० कु० गुजराल** : प्रशासन सम्बन्धी सिफारिशों के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि इसमें सुधार करने के लिये कौन-कौन से अस्थायी उपाय किये जा सकते हैं । जहां तक सामान्य नीति का प्रश्न है, मैंने कहा है कि परामर्श समिति में विचार करने के पश्चात अन्तिम रूप से कोई निर्णय लिया जायेगा ।

**श्री समर गुह** : खोसला समिति ने नग्नता तथा चुम्बन सम्बन्धी जो सिफारिशें की हैं उनसे भारत की नैतिक तथा सांस्कृतिक भावना पर आघात पहुंचा है और सारे देश में तीव्र मतभेद पैदा हो गये हैं ; मंत्री महोदय ने भी कहा है कि विभिन्न राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त होने के पश्चात् इस मामले को परामर्श समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मंत्रालय के अधिकारियों को इन सिफारिशों की जांच करने और मंत्री महोदय के विचारार्थ अस्थायी सुझाव देने के लिये क्यों कहा है ? इससे विषय पर स्वतन्त्र रूप से विचार करने के काम में बाधा आयेगी ।

**सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : इसमें कोई अन्तर्विरोध नहीं है । क्या हम यह काम साथ-साथ नहीं कर सकते ?

**श्री समर गुह** : राज्यों तथा संसद सदस्यों के विचार जाने बिना अधिकारी कैसे निर्णय कर सकते हैं ?

**श्री मनुभाई पटेल** : इस प्रतिवेदन पर विचार करते समय क्या नन्दा के कथन को भी ध्यान में रखा जायेगा जिसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया गया था । **(अन्तर्बाधा)** मैं रेलवे मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा संकेत तो नन्दा, नरगिस और अन्य अभिनेत्रियों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की ओर था ।

**श्री इ० कु० गुजराल :** मुझे इस बात का पता नहीं कि किस अभिनेत्री ने क्या कहा है। मेरी उस अभिनेत्री तक पहुंच नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई जानकारी दें तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

**श्री हेम बरुआ :** एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री का यह कहने से क्या अभिप्राय है कि उनकी नन्दा तक पहुंच नहीं है।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** खोसला समिति ने भारतीय चलचित्रों में चुम्बन दिखाने की क्रान्तिकारी सिफारिश की है। ऐसी सिफारिश करने से उनका अभिप्राय यह है कि इससे भारतीय चलचित्रों के कलात्मक मूल्यों में वृद्धि होगी। ये चलचित्र तो पहले से ही अश्लील हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है या सरकार को यह सिफारिश अच्छी नहीं लगी है। किन्तु चुम्बन सम्बन्धी मामलों में तो मंत्री महोदय को काफी अनुभव है। **(अन्तर्बाधा)**

**श्री क० लकप्पा :** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** आप मुझे अपना प्रश्न पूरा करने दीजिये। उसके बाद ही इन्हें बोलने की अनुमति दीजिये।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य कल को स्वयं व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं। तो क्या मुझे अनुमति नहीं देनी चाहिए ? उनकी बात सुनने के लिये आप मुझे रोक नहीं सकते।

**श्री क० लकप्पा :** माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय को चुम्बन सम्बन्धी मामलों का विशेषज्ञ बताया है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह वास्तव में विशेषज्ञ हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। चुम्बन सम्बन्धी विषय को आप व्यवस्था के प्रश्न द्वारा नहीं उठा सकते।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्योंकि सरकार को चुम्बन सम्बन्धी सिफारिश अच्छी नहीं लगी है, इसलिये क्या सरकार समझती है कि प्रेम करने का यह तरीका अभारतीय है और कलात्मक न होकर नैतिक मूल्यों को कम करता है। यदि सरकार समझती है कि चुम्बन दिखाने से नैतिक मूल्य निर्बल होते हैं तो चलचित्र में जो और अश्लील तथा भद्दी बातें दिखायी जाती हैं, उन्हें रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसद ने एक संकल्प पारित करके इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की थी और इसके 17 सदस्यों में से 8 सदस्य संसद की दोनों सभाओं से लिये गये थे। इसलिये उनकी सिफारिशों को हम आसानी से नहीं टाल सकते। जैसा मैंने पहले कहा है कि अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि यह प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री इ० कु० गुजराल :** जहां तक सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न है, वह प्रतिक्रिया नहीं दिखाती, वह कार्यवाही करती है।

**श्री श्रीधरन** : इस देश में कामसूत्र लिखा गया और खजुराहों तथा मदुरै मन्दिरों का निर्माण किया गया है। यह कहना कि चुम्बन अभारतीय है, भारतीय इतिहास के ज्ञान के प्रति अपना दिवालियापन प्रदर्शित करना है, इस प्रतिवेदन का मामला लम्बे समय से लटका हुआ है। क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार प्रतिक्रियावादी तथा दकियानूसी धार्मिक दलों के दबाव में आकर कोई निर्णय लेने में हिचक रही है ?

**श्री इ० कु० गुजराल** : दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि समूचे प्रतिवेदन में से एक खास बात को ले लिया गया है। यह बहुत ही व्यापक और गम्भीर दस्तावेज है जिस पर बहुत सारे लोगों द्वारा गम्भीररूप से विचार किये जाने की आवश्यकता है। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि निर्णय करते समय सरकार सलाहकार समिति के विचार को ध्यान में रखेगी।

**श्री एस० कन्डप्पन** : क्या सरकार एक समिति की सिफारिशों पर निर्णय करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखेगी कि हमारे देश में दिखाई जाने वाली भारतीय तथा विदेशी फिल्मों में भेदभाव नहीं किया जायेगा।

**श्री इ० कु० गुजराल** : जैसा कि मैंने बताया ये सभी प्रश्न निर्णय से सम्बन्धित हैं और निर्णय के बारे में कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि माननीय मित्रों द्वारा कही गई सभी बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

**Shri Rabi Ray** : The Khosla Committee Report is open to question. May I know whether after the publication of this report Government have taken an opinion poll of the students, teachers and the artists and if so the outcome thereof ?

**श्री इ० कु० गुजराल** : मेरा ख्याल है आकाशवाणी के कर्मचारियों द्वारा जनमत जानने का प्रयास किया गया था। उसका क्या परिणाम निकला, इस बारे में मैं देख कर बताऊंगा।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** : एक लम्बे समय से सरकार ने सेंसर बोर्ड द्वारा देश की नैतिकता का ठेका ले रखा है। भारत में प्रौढ़ दर्शकों को दिखाये जाने वाले चलचित्रों पर किसी प्रकार के भी प्रतिबन्ध लगाये जाने का हम विरोध करते हैं।

## सितम्तर 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की बहाली

+

*95. **श्री स० मो० बनर्जी** :

**श्री बलराज मधोक** :

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले डाक व तार विभाग के सभी कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उनमें से अभी तक निलम्बित अथवा सेवा मुक्त कर्मचारियों की संख्या किननी है ;

(ग) उनको सेवा में वापिस न लिये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या कुछ मामले इस समय भी विचाराधीन हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) अभी तक 54 कर्मचारी निलम्बित हैं और सेवा-मुक्त कर्मचारियों की संख्या जिन्हें काम पर वापिस नहीं लिया गया, 95 है ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति को मद्देनजर रखते हुये इन मामलों पर पुनर्विचार करने पर यह पाया गया कि इन कर्मचारियों के साथ नरमी नहीं बरती जानी चाहिए क्योंकि या तो इन्होंने कोई हिंसात्मक कार्य किये थे या ये हड़ताल सम्बन्धी गम्भीर दुराचरण के लिये जिम्मेदार थे ।

(घ) जी हां ।

(ङ) ऊपर (ख) में उल्लिखित 95 मामलों में से ग्यारह ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : यह बड़ी विचित्र बात है कि प्रधान मंत्री इस देश में समाजवाद की बातें करती हैं और कर्मचारी उन्हें पूरा समर्थन दे रहे हैं फिर भी डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के साथ यह भेदभाव बरता जा रहा है । वे गृह मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं ?

**श्री शेर सिंह** : हमने गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन किया है और काफी मामले वापस ले लिए हैं । सितम्बर 1969 में ऐसे मामलों की संख्या 512 थी और दिसम्बर में पुनर्विचार के बाद यह संख्या घटकर 215 रह गई थी । अब यह संख्या केवल 149 है ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । रेलवे बोर्ड भी गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही कर रहा है और हिंसा के मामलों पर भी विचार किया गया है और उन्हें वापस ले लिया गया है । डाक तथा तार विभाग भी सरकार का एक अंग है परन्तु उसमें अभी भी कुछ मामले वापस नहीं लिये गये हैं । इसका कारण श्री जैन का बदला लेने का रवैया है जो कि इस विभाग के सचिव थे । उन्होंने अकारण लोगों को बर्खास्त कर दिया जबकि उनके विरुद्ध हिंसा के कोई आरोप ही नहीं थे । जब रेलवे में मामले वापस ले लिये गये हैं तो इस विभाग में मामले वापस न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

**श्री शेर सिंह** : गृह मंत्रालय के आदेश हैं कि जिन मामलों में हिंसा बरती गई है या दाण्डिक कार्य अन्तर्ग्रस्त हैं, उनमें कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिये । मुझे नहीं मालूम कि रेलवे में हिंसा के कोई मामले थे ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : गोली चलाई गई थी ।

**सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैंने माननीय सदस्य तथा कुछ कर्मचारी संघ नेताओं से इस मामले में बातचीत की थी और मेरा ख्याल था कि वे पूरी तरह संतुष्ट हो गये थे ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : परन्तु खेद की बात यह है कि आपके आदेशों का पालन नहीं किया गया है । माननीय मंत्री आदेश देते हैं कि सब व्यक्तियों को वापस ले लिया जाये परन्तु

श्री जैन के आदेश से जो भ्रष्टाचार तथा विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में अन्तर्ग्रस्त थे, डाक तार विभाग ने उन्हें वापस लेने से इन्कार कर दिया ।

**श्री सत्य नारायण सिंह :** श्री जैन अब वहां नहीं हैं । मैंने अपने माननीय मित्र को संतुष्ट कर दिया था कि मामलों को शीघ्र निपटाया जा रहा है । केरल में कुछ मामले हैं; हमें इसका खेद है ।

**श्री ए० श्रीधरन :** उन्होंने इतनी बार अभ्यावेदन दिये हैं और आप हमेशा कहते रहते हैं कि हम जांच करेंगे और उसके बाद उत्तर देंगे परन्तु उन्हें अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

**श्री सत्य नारायण सिंह :** मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जो कुछ रेलवे में किया जा रहा है, वही इस विभाग में भी किया जायेगा ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मुअत्तिल, बरखास्त तथा न्यायालयों में विचाराधीन मामलों के अलावा हजारों डाक-तार कर्मचारी सेवा में व्यवधान किये जाने के कारण छुट्टी, पदोन्नति आदि के मामले में असमर्थता अनुभव कर रहे हैं । प्रधान मंत्री, इस विषय के प्रभारी मंत्री तथा गृह मंत्री को सेवा में व्यवधान को समाप्त करने की प्रार्थना की गई थी । अन्यथा अप्रैल में कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि कुछ संसद सदस्य जिनमें मैं तथा श्री जोशी भी शामिल हैं, अन्य लोगों के साथ धरना शुरू करेंगे और अन्य कर्मचारी भी प्रधान मंत्री के निवास के सामने धरना शुरु करेंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय गृह मंत्री को सेवा में व्यवधान को समाप्त करने के बारे में लिखें ।

**श्री सत्य नारायण सिंह :** मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र तथा अन्य लोगों को हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

**Shri Bal Raj Madhok :** This Government does not move unless strike or hunger-strike etc. is resorted to. For getting the demand for interim relief conceded we shall have to resort to 'dharna'.

The case of Kerala has been raised here. In Delhi the P & T Department has the largest number of employees on its rolls. Is it not a fact that out of the persons arrested from one office or one place, some have been released, some were put in prison while some others are being proceeded against ? Victimisation is being done on personal grounds. Will he personally examine all these cases and review them ? The Home Ministry has introduced that cases where violence was not involved should be withdrawn. I want to know whether those cases would be withdrawn and the harassment on personal grounds will be stopped ?

Will the break in service also be condoned ?

**Shri Satya Narayan Sinha :** So far as court cases are concerned, we have no hand in them. The police have instituted those cases. It is not possible for me to examine all the cases, but if the Hon. Member has any specific case of victimisation in view, he may pass it on to me. I shall examine it and necessary action will be taken.

**Shri Bal Raj Madhok :** I had raised the point of break in service as well.

**Shri Satya Narayan Singh :** Hunger strike was going to be resorted to press this demand.

**Shri Balraj Madhok :** Why did he allow such a situation to arise ?

**Shri Satya Narayan Sinha:** I have already said that such an occasion will not arise.

**श्री नम्बियार :** क्या मंत्री जी का ध्यान श्री नन्दा द्वारा रेलवे बजट पर दिये गये भाषण की ओर गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि 19 सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सभी रेलवे कर्मचारियों को वापस ले लिया गया है। और जिनके विरुद्ध न्यायालयों में मामले चल रहे हैं, न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने तक उन्हें वापस ले लिया गया है और न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए जाने पर उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ? क्या सरकार डाक तथा तार विभाग के मामले में भी तदनुसार कार्यवाही करेगी और डाक-तार कर्मचारियों को तुरन्त वापस लेगी ?

**श्री सत्य नारायण सिंह :** मैंने कहा है कि रेलवे मंत्रालय के अनुसार ही डाक तथा तार विभाग में भी कार्यवाही की जायेगी।

**Shri Molahu Prasad:** May I know whether the staff responsible for the publication of the Hindi Directory who were dismissed for participating in the strike of September 19, 1968 have not been reinstated as yet, because we have not got the Hindi Telephone Directory so far ?

**Shri Sher Singh:** The Hindi Telephone Directory has nothing to do with that strike.

**Shri Hukam Chand Kachwai:** Why has the Directory not been brought out ? Is it because the staff was dismissed on account of their participation in the strike ? Will arrangements be made for its publication ?

**श्रीवासुदेव नायर :** हड़ताल के बाद कर्मचारियों पर मुकदमे चलाए गये। कई राज्य सरकारों ने, जिनमें केरल सरकार भी शामिल है, यह देखा कि उन पर बेकार के आरोप लगाए गये हैं और उन्होंने उन मामलों को वापस लेने का निर्णय किया। परन्तु दिल्ली से केरल सर्किल के महाडाकपाल को निदेश दिया गया कि वह उच्च न्यायालय में अपील करें ताकि मामलों को दोबारा लिया जा सके और उन पर दोबारा मुकदमे चल रहे हैं। हिंसा का कोई मामला नहीं था परन्तु हजारों कर्मचारियों को अभी भी मुकदमे चला कर तंग किया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय केरल सर्किल के महाडाकपाल को हिदायतें जारी करेंगे कि वह ऐसे मुकदमें वापस ले लें और कर्मचारियों को तंग न करें ?

**श्री सत्य नारायण सिंह :** हम इस पर विचार करेंगे।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### 'फाइव पास्ट फाइव' फीचर फिल्म

*91. **श्री इसहाक सम्भली :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री ही० ना० मुकर्जी :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'फाइव पास्ट फाइव' नामक पूरी लम्बाई वाली फीचर फिल्म गांधी विरोधी तथा गोडसे समर्थक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस फिल्म को भारत में प्रदर्शित करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) और (ख). सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि फिल्म 'फाइव पास्ट फाइव' गांधी विरोधी तथा गोडसे समर्थक है। इन शिकायतों की जांच की जा रही है। इस फिल्म को कानून में निर्धारित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उचित विचार करने के बाद केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 'यू' प्रमाण-पत्र दिया गया था।

**गैर-सरकारी व्यवसायों में श्रमिकों के लिये आवास**

*94. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
**श्री जि० मो० बिस्वास :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का ऐसी कड़ी कार्यवाही करने का विचार है जिससे गैर-सरकारी बड़े-बड़े व्यवसायों में काम करने वाले सभी श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों को आवास मिल जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ऐसे सांविधिक उपबन्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रही, जिनके अन्तर्गत उक्त व्यवसायों के मालिकों को उपरोक्त सुविधा देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) और (ख). वैधानिक बाध्यता के वर्तमान क्षेत्र को बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**मैसूर राज्य में कृषि का विकास**

*96. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के अन्तर्गत मैसूर राज्य के लिए नियत कुल राशि में से कृषि विकास पर कितनी राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार का मैसूर राज्य में कृषि विकास हेतु कोई विशेष योजना तैयार करने का विचार है ताकि आत्म-निर्भरता प्राप्त हो सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित चतुर्थ पंच वर्षीय योजना (1969-74) के प्रारूप

के अनुसार मैसूर राज्य की चतुर्थ योजना के लिये कुल 327.10 करोड़ रुपये नियतित किये गये, जिसमें से 76.75 करोड़ रुपये कृषि कार्यक्रमों के लिये थे। फिर भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतिम रूप पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). 1966-67 से मैसूर सहित समस्त राज्यों में कृषि विकास के लिए एक नई नीति अपनायी गयी है। नई नीति की मुख्य बातें निम्न है :

खाद्यान्नों के अधिक उत्पादनशील बीजों की खेती, बहु फसलों का उत्पादन, सघन कृषि के लिये लघु सिंचाई, उर्वरकों और कीटनाशक औषधियों आदि आदानों की सुव्यवस्था, संस्थात्मक वित्त सहित सामयिक और उदार ऋण सुविधायें, सुनिश्चित अनुप्रेरक मूल्यों की सुनिश्चितता, कृषकों की शिक्षा और प्रशिक्षण तथा अनुसंधान का तीव्रीकरण।

**केरल को चावल की सप्लाई**

*97. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री प० गोपालन :**
**श्री क० अनिरुद्धन :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1969 में केरल राज्य को कितनी मात्रा में चावल सप्लाई दिया गया ; और

(ख) वर्ष 1970 में केरल राज्य को कितनी मात्रा में चावल सप्लाई बढ़ाये जाने की सम्भावना है और क्या वह मात्रा कार्डधारियों को दी जाने वाली वर्तमान 160 औंस राशन की मात्रा को बनाये रखने के लिये पर्याप्त होगी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) केरल में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों और राज्य सरकार के अन्य नामितों को 1969 में सप्लाई की गई चावल की मात्रा 7.61 लाख मीटरी टन थी।

(ख) केरल में चावल के राशन की वर्तमान मात्रा 120 ग्राम प्रति वयस्क प्रति दिन है। आशा है कि इस दर पर वितरण-व्यवस्था बनाये रखने और कम आमद के मौसम में इसे बढ़ाकर 160 ग्राम प्रति वयस्क प्रति दिन करने के लिए केन्द्रीय भण्डार से चावल की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में होगी।

**Non-Payment of Rent by Super Bazar, New Delhi**

*98. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Sezhiyan :**
**Shri Atam Das :** **Shri Virendra Kumar Shah :**
**Shri Saminathan :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Super Bazar in New Delhi is running in heavy loss ;

(b) whether it is also a fact that the New Delhi Municipal Committee has served a notice to the Super Bazar Management for its eviction on the ground of non-payment of rent :

(c) whether it is further a fact that the loss is due to mismanagement and whether any protest in this regard has been received from Delhi Administration ;

(d) if so, the amount of loss incurred ; and

(e) the extent to which the purpose of opening Super Bazar has been achieved and measures proposed to be taken to ensure that the said super bazar does not become a loss incurring organisation?

**The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri D. Ering) :** (a) It incurred losses in the first three years of its working.

(b) Yes, Sir.

(c) The main reasons for loss are high promotional expenditure in the first year, high rent of the building in Connaught Circus, heavy administrative and operational costs and large shortages and leakages. No protest, as such, has been received from the Delhi Administration, but the question of effecting improvements has been engaging the attention of the Delhi Administration as well as the Government of India.

(d) About Rs. 40 lakhs up to the end of June, 1969.

(e) The Super Bazar, which was set up in July, 1966, as part of the measures taken for stabilisation of the prices of consumer goods in the wake of devaluation of the rupee, initially exercised a healthy influence on the trend of prices of consumer goods, by selling them at reasonable rates and adopting fair trading practices. It can play an effective role in the present day conditions also, with further improvement in its working. Every effort is being made by the management of the Super Bazar to minimise losses, by adopting improved business and administrative procedures, reducing leakages and shortages in stocks, economising in expenditure, and promoting sales and other sources of income.

## चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*99. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
**श्री जनेश्वर मिश्र :** **श्री राम किशन गुप्त :**
**श्री राम सेवक यादव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में समान आधार पर चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा तथा ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने चीनी प्रतिष्ठानों के राष्ट्रीयकरण की मांग के संदर्भ में चीनी उद्योग के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। समिति के गठन और उसके विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप देने का काम किया जा रहा है।

**जमशेदपुर के इंजीनियरिंग उद्योग में हड़ताल**

*100. **श्री जनार्दनन :** **डा० रानेन सेन :**
**श्री योगेन्द्र शर्मा:** **श्री मणिभाई जे०पटेल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेल्को, जमशेदपुर इंजीनियरिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, इण्डियन स्टील-वायर प्रोडक्ट्स, टाटा रोलिंग फास्टर तथा इण्डियन ट्यूब कम्पनी के उन कर्मचारियों की क्या मांगें थीं जिन्होंने अभी हाल ही में 48 दिन की हड़ताल की थी ; और

(ख) उस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा यह हड़ताल 4 जनवरी, 1970 को किन शर्तों पर समाप्त हुई ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) श्रमिकों की मांग थी कि उनकी मजूरी दरों को उनके द्वारा प्रस्तावित सीमा तक तत्काल बढ़ाया जाय।

(ख) सितम्बर, 1969 में हुये समझौते के अनुसार बिहार सरकार ने एक त्रिपक्षीय समिति इस मामले की छानबीन के लिये नियुक्त की थी। परन्तु समिति द्वारा अपना कार्य समाप्त करने से पहले ही श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। राज्य सरकार द्वारा समझौता कार्यवाही की गई और मजूरी संशोधन के प्रश्न पर कुछ प्रबन्धकों और उनकी मान्यता-प्राप्त यूनियनों में समझौते हो गए। 3 जनवरी, 1970 को श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा जारी की गई अपील के फलस्वरूप हड़ताल वापिस ले ली गई।

**Estimates of Foodgrains in Rabi Crops**

*101. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the estimated production of various foodgrains in the Rabi crop during this year ;

(b) the procurement targets fixed in respect of various foodgrains alongwith their price; and

(c) the reaction of State Governments in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):** (a) It is estimated that the production of wheat and other rabi crops during the marketing season 1969-70 is about 25.4 million tonnes. Although it is too early to give a precise estimate about the size of the forthcoming rabi crop it is expected to be better than the current crop.

(b) Procurement target as such was not fixed for the rabi crop of 1968-69 marketed in

1969-70 in view of Government's commitment to purchase all wheat offered for sale at the procurement price of Rs. 76.00 per quintal fixed for all varieties excepting indigenous red. The procurement targets and prices for the crop of 1969-70 to be marketed in 1970-71 will be considered at the commencement of the season in the consultation with the State Governments.

(c) The procurement prices are fixed in consultation with the State Governments.

**Demand of Workers of Central Mechanised Farm, Suratgarh**

*102. **Shri Brij Raj Singh**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees and workers of the Central Mechanised Farm, Suratgarh (Rajasthan) have sent a proposal in which they have demanded a ban on the appointment of higher officers in the farm, as their appointment lowers down the profit of the farm and harms the interests of the workers ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde)**: (a) No, Sir. No such proposal has been received by the Government.

(b) Does not arise.

**फिल्म परिषद्**

*103. **श्री मयाबन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री नारायणन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री दण्डपाणि :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक फिल्म परिषद् स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की जायेगी ;

(ग) इसके मुख्य कृत्य और अधिकार क्या होंगे ; और

(घ) इसकी स्थापना से फिल्म उद्योग को किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ). अभी ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं कि फिल्म परिषद् की कब तक स्थापना हो जायेगी। तथापि, प्रारम्भिक कार्य चल रहा है।

## वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि

*104. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

**श्री रवि राय:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनस्पति के मूल्य बराबर बढ़ते जा रहे हैं और विशेषकर जनवरी, 1970 में बहुत अधिक बढ़ गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिल मालिकों द्वारा वनस्पति के मूल्य दिसम्बर, 1969 और जनवरी, 1970 में दो बार बढ़ा दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वनस्पति के मूल्य केन्द्रीय सरकार की सहमति से बढ़ाये गये थे और वनस्पति के मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वनस्पति के मूल्यों पर सांविधिक नियंत्रण रखा जाता है। ये मूल्य नवम्बर, 1969 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में दो बार 55 से 76 पैसे प्रति किलो कम किये गये थे। इन मूल्यों में दिसम्बर, 1969 तथा जनवरी, 1970 के पहले तीन सप्ताहों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। लेकिन 25 दिसम्बर, 1969 को पश्चिमी क्षेत्र में 25 पैसे प्रति किलो की वृद्धि की गयी थी। 23 जनवरी, 1970 को सभी क्षेत्रो में 25 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गयी थी।

(ख) और (ग). क्योंकि वनस्पति के मूल्यों पर सांविधिक नियंत्रण होता है, इसलिये मिल मालिकों द्वारा सरकार द्वारा अनुमेय वृद्धि से और वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## बागनी खेती (ड्राई फार्मिग) के प्रयोग

*105. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में बागनी खेती के प्रयोग आरम्भ किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब से और देश के विशेषतः बिहार के किन किन भागों में ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को विदेशी सहयोग मिल रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्र अनुसन्धान संस्था, जोधपुर, भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली, भूमि संरक्षण अनुसन्धान प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कई केन्द्रीय तथा राजकीय कृषि अनुसन्धान संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों आदि में बारानी खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रयोग किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न फसल सुधार योजनाओं और समन्वित शस्य परीक्षण योजनाओं के अन्तर्गत देश भर में बारानी खेती की परिस्थितियों में कुछ प्रयोग किए

जा रहे हैं । परन्तु समस्या के महत्व को देखते हुए यह प्रयत्न पर्याप्त और समेय नहीं समझा गया। अनुसन्धान में एक सघन और समन्वित में प्रयत्न की आवश्यकता को अनुभव किया गया है और इस उद्देश्य के लिये बारानी खेती की एक ऐसी समन्वित योजना का प्रस्ताव रखा गया जिसमें भारत में विभिन्न कृषि जलवायु और भूमि की परिस्थितियां शामिल होंगी ।

(ख) योजना के अन्तर्गत रांची (बिहार) में एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस अनुसन्धान कार्यक्रम के लिये तकनीकी सहायता देने की सम्भावनाओं पर कैनाडा सरकार विचार कर रही है । निश्चित प्रस्ताव प्राप्त होने से पूर्व सहायता कार्यक्रम के किसी ब्यौरे के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है ।

**गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य का विकास**

*106. **श्री अदिचन : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्र तट के आसपास गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के लिये एक योजना बनायी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत मत्स्य नौकाओं का कोई बेड़ा लगाया जाना है ; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस बेड़े को कहां से प्राप्त किया जायेगा तथा उस पर कितना धन व्यय होगा ; और

(घ) योजना को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) तथा (ख). चौथी योजना की अवधि में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यकलापों को गतिमान करने का प्रस्ताव है । समुद्र तट के आस पास के विभिन्न पत्तनों पर गहरे समुद्र में मत्स्य पकड़ने के पोतों के काम आ सकने वाली बन्दरगाहों की व्यवस्था की जा रही है । गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों का पता लगाने के सर्वेक्षण कार्य के लिये गतिमान किया जा रहा है । गहरे समुद्र में मत्स्य पकड़ने के पोतो के निर्माण की व्यवस्था करने के लिये देश में उपाय किये गये हैं । अनुमान लगाया गया है कि इस अवस्थापना की व्यवस्था के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मुख्यतः गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 300 जलपोतों का प्रयोग शुरू किया जायेगा ।

(ग) इन 300 जलपोतों में से अधिकांश को भारतीय जहाज निर्माण यार्ड में तैयार करने का प्रस्ताव है । पोतों की एक सीमिति संख्या का आयात करना पड़ सकता है । कुछ शर्तों पर 30 जलपोतों के आयात की एक योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिनमें से एक शर्त यह है कि आयात किये गये प्रत्येक जलपोतों की तुलना में एक जलपोत को देश में ही तैयार किया जायेगा । इस बेड़े की लागत लगभग 35 करोड़ रुपये होगी ।

(घ) गहरे समुद्र में मत्स्य पकड़ने के जलपोतों के योग्य बन्दरगाहों का निर्माण तूतीकोरिन

विजिनजम तथा करवार में पहले से ही हो रहा है। बम्बई तथा मद्रास में ऐसी बड़ी मत्स्य बन्दरगाहों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है, जहां गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलपोतों के ठहरने, उनकी मरम्मत तथा देख भाल की सुविधाएं मौजूद हों। स्थानों की जांच करने तथा योजना एवं अनुमान तैयार करने के लिये कई अन्य बन्दरगाहों में कार्य शुरू कर दिया गया है। गहरे समुद्र में समन्वेषण करने वाले केन्द्रीय संगठन में (जो मीन संसाधनों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण का कार्य करता है) 24 पोत शामिल करके उसे सुदृढ़ किया जा रहा है। इन पोतों में से अधिकांश पोत निर्माणाधीन हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों व सार्वजनिक निगमों ने 1968-69 में भारतीय जहाज निर्माण यार्ड को 57 फुट लम्बे 40 मछली पकड़ने के ट्रालरों के निर्माण के लिये आदेश दिये थे। इन जलपोतों का परिदान शुरू हो चुका है। आशा की जाती है कि 30 जलपोतों के आयात की योजना की शर्तों के अनुसार, गैर सरकारी उद्योगों द्वारा देशी जहाज निर्माण यार्ड को 15 और जलपोतों के लिये आदेश दे दिये जायेंगे। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलपोतों का देश में निर्माण के लिये सहायता देने की एक योजना तैयार की गई है। कोचीन की वर्तमान एकक के अलावा 1968 में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलपोतों के चालकों को प्रशिक्षण देने के लिये मद्रास में एक प्रशिक्षण देने के एकक का विस्तार किया गया है। 1969 की अवधि में स्वेडन की सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हुये 90 फुट लम्बे दो स्वेडीस जलपोत मछली पकड़ने वाले जलपोतों के चालकों, मछुआ आरक्षकों, इंजन चालकों इलेक्ट्रोनिक इंजनियरों तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलपोतों के अन्य कार्मिकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण संस्थाओं को अलाट कर दिये गये हैं।

## आकाशवाणी के पारी-कर्मचारियों (शिफ्ट स्टाफ) के लिये छुट्टियों की संख्या में कमी

*107. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में कर्मी वर्ग (आपरेटिव स्टाफ) अर्थात् पारी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये राजपत्रित तथा वैकल्पिक छुट्टियों की संख्या 8 सितम्बर, 1969 से 18 से घटाकर 9 कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आकस्मिक छुट्टियां वर्ष में 12 दिन से बढ़ाकर 18 दिन कर दी गई हैं, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में काम कर रहे कर्मी वर्ग को दी जाती हैं, जिन्हें राजपत्रित तथा वैकल्पिक छुट्टियां सीमित संख्या में दी जाती हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). जी, नहीं । आकाशवाणी में पारी में काम करने वाले स्टाफ के कार्य करने के सप्ताह में 42 घण्टे निर्धारित किये गये हैं जो कई अन्य विभागों में पारी पर काम करने वाले स्टाफ के लिये निर्धारित काम करने के घण्टों से कम है । अतएव, आकाशवाणी में पारी में कार्य करने वाले स्टाफ की आकस्मिक छुट्टियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**Recovery of Stolen Copper wire in Suryagarh, Monghyr**

*108. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that telephone wire worth about Rs. 50,000 was recovered from Suryagarh in Monghyr District in the first week of January, 1970 ;

(b) if so, the action taken by Government in this connection so far ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check the theft of copper wire in future ?

**The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha)** : (a) About 800 Kgs. of copper wire had been recovered by Suryagarh Police station in Monghyr District on 27.12.69. It is yet to be established whether this is telegraph wire. If so, the approximate book value of this quantity will be Rs. 10,000/-

(b) The Postmaster General Bihar is in contact with the Police authorities over this racovery.

(c) The following steps are being taken by the Department :

(i) Departmental officers have been directed to intensify liaison with the concerned Police authorities.

(ii) The Chief Minister of State has been addressed to direct the I. G. Police to take steps to prevent copper thefts.

(iii) The telegraph wires (Unlawful Possession) Act, 1950 is being amended to provide for enhanced punishment to the culprits.

(iv) Wherever possible, copper wire is being replaced by copper-coated steel wire or ACSR wire.

**दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन**

*109. **श्री रामजी राम** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलोफोन सलाहकार समिति के लिये इस वर्ष जो सदस्य चुने गये हैं, उनकी संख्या और नाम क्या हैं ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ग) दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति के गठन के लिये क्या कसौटी अपनाई गयी है ;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को समिति में पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इन समुदायों के व्यक्तियों को और अधिक प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रस्ताव है ; और यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

**सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** (क) दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति के लिये विभाग के दो अधिकारियों के अतिरिक्त, जो कि पदेन अध्यक्ष और सचिव हैं, 30 सदस्य नामजद किये गये हैं। सभा पटल पर सूची रखी जाती है जिसमें इन सदस्यों के नाम दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-2606/70]**

(ख) टेलीफोन सलाहकार समिति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को नामजद करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

(ग) दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समिति में दिल्ली प्रशासन, महानगर परिषद, नगर निगम, संसद सदस्यों, व्यापार तथा वाणिज्य, समाचार पत्र, चिकित्सा व्यवसाय, विस्थापितों, ऐसे हित जिन्हें प्रतिनिधित्व न दिया गया हो और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इनकी नामजदगी संचार मंत्री दिल्ली प्रशासन, नगर और सम्बन्धित हितों की प्रतिनिधि संस्थाओं से प्राप्त की गई या मिली सिफारिशों के आधार पर बनाये गये नामों के पैनल में से करते हैं। जिन हितों को प्रतिनिधित्व न मिला हो, उनकी नामजदगी संचार मंत्री अपने विवेक से करते हैं।

(घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

## उर्वरक शुल्क का उसकी खपत पर प्रभाव

*110. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विरोधी दलों ने उर्वरक शुल्क लगाने के बारे में सरकार की आलोचना की थी तथा यह चेतावनी दी थी कि छोटे किसानों द्वारा उर्वरक की खपत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) क्या वह पुर्वानुमान अब सही साबित नहीं हुआ है ;

(ग) उर्वरक की खपत में राज्यवार कितनी कमी होने का अनुमान है ;

(घ) पिछले वर्ष के आय-व्यय के बाद उर्वरक खपत के आंकड़े गत वर्ष में हुई उर्वरक खपत के आंकड़ों की तुलना में कितने अधिक अथवा कम हैं ; और

(ङ) क्या इस कटु अनुभव को देखते हुए सरकार का उर्वरक शुल्क समाप्त करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) यह सच है कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने कर लगाने पर आलोचना की थी।

(ख) से (घ). राज्य सरकारों द्वारा 1969-70 के विषय में उर्वरक की खपत के विषय में लगाये अन्तिम अनुमानों से प्रतीत होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 1969-70 के दौरान उर्वरक की खपत में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि होने की सम्भावना है। फिर भी उर्वरक खपत की वृद्धि की यह दर प्रस्तावित खपत से कम है।

(ङ) जी नहीं। इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता।

**रोजगार तथा अपूर्ण रोजगार तथा शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी के आंकड़े**

*111. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
**श्री एस० आर० दामानी :** **श्री राम सिंह अयरवाल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तथा गैरसरकारी संगठनों द्वारा तैयार किये गये, देश में बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार के आंकड़ों में बहुत अन्तर है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार उस समिति के निर्देश पदों को जो समस्या का मूल्यांकन करेगी, अभी तक अन्तिम रूप नहीं दे सकी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के अनुमान के अनुसार देश में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी के वर्तमान आंकड़े क्या हैं और चौथी योजना में आरम्भ किये जाने वाले रोजगार के अवसरों की तुलना में उनमें कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) जी हां।

(ख) समिति के विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप से तय किया जा रहा है।

(ग) यथा-तथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

**वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन**

*112. **श्री सरजू पाण्डेय :**
**श्री जगेश्वर यादव :**
**श्री झारखण्डे राय :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निर्यात संवर्द्धन तथा आयातित माल के विकल्प के लिए वाणिज्यिक फसलों को भारी मात्रा में उपलब्ध करने हेतु उनके उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयत्न कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) निर्यात वर्द्धन और आयात प्रतिस्थापन की अधिकाधिक मात्रा में उपलब्धि हेतु वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये सघन कृषि उपायों को अपना कर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को उपयुक्त क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। 1969-70 की अवधि में इन योजनाओं पर 2.32 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है। इन योजनाओं को चतुर्थ योजना-वधि में भी चालू रखा जायेगा।

**Creation of separate Postal Circles for big Cities**

*113. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up separate P. M. G. circles for Bombay, Calcutta, Madras and Delhi Cities and separate P. M. G. circles for the remaining department dealing with cities other than those mentioned above ;

(b) whether there is a demand to set up P. M. G. circle in Nagpur besides that for Bombay city in Maharashtra ; and

(c) if so, the action so far taken by Government in the matter ?

**The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha)** : (a) No, Sir.

(b) There have been local demands from time to time for a separate P&T Circle with headquarters at Nagpur.

(c) The present policy of Government is to have only one general P&T administration for each State.

**पश्चिम बंगाल में घेराव**

*114. **श्री श्रीचन्द गोयल** :

**श्री मृत्युंजय प्रसाद** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में फरवरी से जुलाई, 1969 तक उद्योगों में घेराव की 228 घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनसे उत्पादन पर किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) घेरावों से निपटने के लिये श्रम आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में फरवरी से जुलाई, 1969 तक उद्योगों में घेरावों की संख्या 261 (कच्ची) है। उत्पादन की हानि के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह कहा है कि घेरावों को श्रमिकों द्वारा किया जाने वाला विरोध मात्र नहीं समझा जा सकता क्योंकि इनमें आर्थिक दबाव नहीं बल्कि शारीरिक बल प्रयोग निहित होता है और ये श्रमिक वर्ग के लिये हानिकर हैं तथा आगे चल कर इनसे राष्ट्रीयहित को ठेस पहुंच सकती है।

**भूमि सुधार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का सुझाव**

*115. **श्री भगवान दास :**

**श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 जनवरी, 1970 के इकनामिक टाइम्स के अंक में "थांट द्वारा भूमि सुधार पर बल-कृषि क्रान्ति खराब हो सकती है" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र महा सचिव श्री ऊ० थांट के टिप्पण का पूरा पाठ क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नोट की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-2607/70]**

(ग) महा सचिव के नोट में उठाई गई बातों पर 28-29 नवम्बर, 1969 को भूमि-सुधार के सम्बन्ध में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में पहले ही विचार कर लिया गया है।

**कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों को लोकप्रिय तथा कारगर दवाइयों की सप्लाई**

*116. **श्री मंगलाथुमाडम :**

**श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **श्रम, तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराये हुये औद्योगिक श्रमिकों को प्रचलित तथा कारगर दवाइयां दी जाती हैं ;

(ख) क्या दवाइयों की लागत तथा वे किस देश में बनाई गई हैं, इस आधार पर दवाइयों में कोई भेदभाव किया जाता है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत देश में निर्मित तथा विदेशों में निर्मित दवाइयों की प्रतिशतता क्या है ?

**श्रम, तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्न-लिखित सूचना भेजी हैं :

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत डाक्टरी सुविधा की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है ।

**Sale of Fake Postal Stamps in Nagaland**

*117. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the sale of fake postal stamps in Nagaland ;

(b) whether the said stamps are different from those issued in the country and have been printed in some foreign country ; and

(c) if so, since when they are being sold and the steps taken by Government to check it ?

**The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) :** (a) Enquiries show that no fake postage stamps are being sold in Nagaland. However, reports have been received from time to time of some stamp dealers abroad offering for sale stamps purporting to have been issued by the so-called Independent State of Nagaland. Government have also seen an item in the local Press some time back that similar stamps were on sale in New Delhi.

(b) Yes, Sir.

(c) The matter first came to notice in 1965 when a Firm in the United Kingdom forwarded a set of these stamps to a Philatelist in Bombay.

All Post Offices have been directed to keep a watch over the use of such stamps in correspondence and make an immediate report of such cases.

All our Missions abroad have been instructed to keep a watch and inform Firms concerned about the spurious nature of such stamps and advise the Firms not to deal in such stamps.

Regarding the alleged sale of stamps in Delhi, the matter has been reported to the Police for action under the Penal Code.

**आयातित उर्वरकों की बिक्री की वरीयता**

*118. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में तैयार उर्वरकों की अपेक्षा आयातित उर्वरकों की बिक्री को वरीयता दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कम बिक्री होने के कारण देशी उर्वरकों का स्टाक खराब हो गया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास, तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं। इसके विपरीत, प्रत्येक राज्य को सम्भरण करने का कार्यक्रम राज्य तथा दिलचस्पी रखने वाले विनिर्माताओं के परामर्श से बनाया जाता है और केन्द्रीय उर्वरक पूल केवल तभी आयातित स्टाक से माल सम्भरण करता है, जब कि विनिर्माता राज्य की मांग को पूरी करने की स्थिति में न हो।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) इस मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

**पटसन के खतों की सिंचाई के लिए पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय अनुदान**

*119. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य की योजना की सीमा के अतिरिक्त 4 करोड़ रुपये देने का आग्रह किया है, जिससे पटसन के खेतों की सिंचाई के लिये राज्य में 200 स्थानों पर नदियों से जल उठाने की व्यवस्था की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की सरकार का अनुरोध धन की कमी के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है ; और

(ङ) इस महत्वपूर्ण योजना के लिये राज्य की योजना के अतिरिक्त 4 करोड़ रुपये देना क्यों असम्भव समझा गया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). योजना पर भलीभांति विचार किया गया था परन्तु चौथी योजना की अवधि में समस्त पटसन उत्पादक राज्यों के लिये पटसन विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र हेतु कुल 3.92 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। अतः इस योजना को उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत पूरा करना सम्भव नहीं था। फिर भी केन्द्रीय ऋण की पुनर्अदायगी के रूप में सहायता के तौर पर लघु सिंचाई के लिये 1969-70 में राज्य को 1.75 करोड़ रुपये की एक राशि की व्यवस्था की गई है। ऐसा अन्य बातों के अतिरिक्त पटसन की फसल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये किया गया है।

**देश में सूखे को रोकने के लिये की गई कार्यवाही**

*120. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में बार-बार पैदा होने वाली सूखे की स्थिति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उससे ऐसे क्षेत्रों की, राज्यवार आवश्यकताएं कहां तक पूरी हो सकेगी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास, तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2608/70]**

**राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार खेतिहर मजदूरों की आय**

601. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार खेतिहर मजदूरों की राज्यवार मुद्रा में तथा वास्तविक आय कितनी-कितनी है ;

(ख) खेतिहर मजदूरों में रोजगारी तथा बेरोजगारी की स्थिति क्या है ; और

(ग) खेतिहर मजदूरों में भूमिस्वामित्व तथा भूमिहीनता के बारे में राज्य-वार स्थिति क्या है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना विवरण I, II और III में दी गई है। यह सूचना ग्रामीण श्रमिक जांच (1964-65) से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2609/70]**

**खाद्य तथा व्यापारी फसलों की वृद्धि**

602. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 से 1969-70 तक प्रत्येक राज्य में खाद्य फसलों, पटसन, कपास, तम्बाकू, चाय, काफी तथा अन्य ब्यापारी फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि की प्रतिशत दर क्या थी ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में खाद्यान्नों तथा व्यापारी फसलों में हुई वर्षवार वृद्धि में (एक) खेती वाली भूमि के क्षेत्र के विस्तार का, (दो) सिंचाई सुविधाओं में हुई वृद्धि का तथा (तीन) उर्वरकों के अधिक उपयोग का कितना-कितना योगदान रहा है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1967-68 की तुलना में वर्ष 1968-69 में खाद्यान्नों, पटसन, कपास, तम्बाकू, चाय, काफी और गन्ने के उत्पादन में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2610/70]** 1968-69 की तुलना में 1969-70 में चाय के उत्पादन में अन्तर प्रतिशत भी दिया गया है। अन्य फसलों के बारे में 1969-70 के उत्पादन के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) किसी निर्दिष्ट वर्ष में खाद्यान्नों तथा व्यापारी फसलों के उत्पादन पर न केवल सिचाई, उर्वरक आदि का अपितु उस वर्ष मौसम की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वास्वविक अन्तर के लिये विभिन्न कारणों में से प्रत्येक के योगदान के बारे में पृथक जानकारी नहीं है। तथापि एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। जिसमें 1967-68 की तुलना में 1968-69 में प्रत्येक राज्य में विभिन्न फसलों वाली भूमि के क्षेत्रफल के अन्तर का प्रतिशत तथा 1968-69 की तुलना में 1969-70 में पटसन की खेती वाली भूमि में वृद्धि का प्रतिशत दिखाया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2610/70]** अन्य फसलों के बारे में वर्ष 1969-70 की इसी प्रकार की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

**खेती वाली भूमि की एक जोत से औसत आय**

603. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि प्रबन्ध अर्थ-व्यवस्था के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक राज्य में खेती वाली भूमि की एक जोत से कुल कितनी आय होती है ;

(ख) 1966-67 से 1968-69 तक भारत में तथा भारत के प्रत्येक राज्य में कुल शुद्ध खेती वाली भूमि में उस क्षेत्र का अनुपात कितना था, जिसमें एक से अधिक बार फसल बोई गई थी ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारत में तथा भारत के प्रत्येक राज्य में कुल खेती वाली भूमि में सिंचित क्षेत्र का वर्षवार अनुपात कितना था ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) चुने हुए जिलों में हाल में की गई फार्म प्रबन्ध अध्ययन पर आधारित फसल वाले क्षेत्र के प्रति हैक्टार पर औसत कुल आय के आंकड़े प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 1) ये अध्ययन अलग-अलग अवधियों में विभिन्न राज्यों में कुछ चुने हुए जिलों में ही किये गये हैं और इनके आधार पर राज्यवार अनुमान नहीं दिये गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2611/70]**

(ख) तथा (ग). सिंचाई तथा सस्य प्रतिशतता के आंकड़ भूमि उपयोगिता आंकड़ों के भाग के रूप में एकत्रित किये जाते हैं और कुछ अन्तराल में उपलब्ध होते हैं। सन् 1966-67 के दौरान, नवीनतम वर्ष जिसके लिये अखिल भारतीय आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में (i) बोए गए कुल क्षेत्र की अपेक्षा एक से अधिक बार बोये गये क्षेत्र की और (ii) समग्र सस्य क्षेत्र की अपेक्षा समग्र सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 2)। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2611/70]**

**राज्यों में कारखानों का बन्द होना और उससे उत्पन्न बेरोजगारी**

604. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में वर्ष-वार तथा उद्योग-वार कितने कारखाने बन्द

कर दिये गये और प्रत्येक राज्य में उद्योग-वार कितने कारखाने आज भी बन्द पड़े हैं ;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में बन्द हुए कारखानों के कारण वर्ष-वार तथा उद्योग-वार कितने मजदूर बेरोजगार हुए और प्रत्येक राज्य में उद्योग-वार अभी भी कितने मजदूर बेरोजगार हैं ;

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में उद्योग-वार कितने कारखानों को पुनः चालू किया गया ;

(घ) उक्त अवधि में बन्द हुए प्रत्येक उद्योग में एक हजार और इससे अधिक मजदूरों वाले कारखानों का ब्योरा क्या है ; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में आज भी बन्द पड़े एक हजार और इससे अधिक मजदूरों वाले कारखानों का उद्योग-वार ब्योरा क्या है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**चीनी मिलों द्वारा गन्धक का उपयोग**

605. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने चीनी मिलों में गंधक का कम उपयोग करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने चीनी साफ करने के लिये चीनी मिलों को अन्य तरीके अपनाने के लिये प्रेरित किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर चीनी मिलों की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां । दिसम्बर, 1967 में प्रस्तुत की गयी अपनी पांचवीं रिपोर्ट में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने यह सुझाव दिया था कि सरकार गंधक प्रयोग कर रही चीनी मिलों को कार्बोनेशन प्रक्रिया को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करे ।

(ख) राष्ट्रीय सर्करा संस्थान, कानपुर ने गंधक के प्रयोग के बिना सफेद चीनी बनाने की प्रक्रिया का विकास किया है । इस प्रक्रिया को अपनाने के लिये चीनी उद्योग को सिफारिश की गयी है । तथापि, इस प्रक्रिया के लिये अतिरिक्त धनराशि लगाने की आवश्यकता है और विस्तृत परीक्षणों से अभी पता लगाना है कि मौजूदा तरीके की तुलना में नयी प्रक्रिया से चीनी तैयार करने में तुलनात्मक आर्थिक लाभ क्या होंगे ।

(ग) नई प्रक्रिया के प्रति चीनी कारखानों की प्रतिक्रिया अभी स्वीकारात्मक नहीं है ।

**वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि**

606. **श्री दे० वि० सिंह :**

**श्री अविचन :**

**श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति घी के मूल्य हाल ही में बढ़ाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोन में कितनी वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) नवम्बर, 1969 से वनस्पति घी के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(घ) क्या यह बात सरकार को मालूम है कि फुटकर विक्रेता सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किये गये मूल्यों से कहीं अधिक मूल्यों पर बनस्पति घी को चोर-बाजार में बेचते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो वनस्पति घी की जमाखोरी तथा चोरबाजारी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी हां ।

(ख) गत छः सप्ताहों में चल रहे मूंगफली के तेल के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में 20 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति दी गयी थी ।

(ग) पहली नवम्बर, 1969 के मूल्यों की तुलना में वनस्पति के मूल्यों में निबल कमी हुई है, न कि वृद्धि । उसी तारीख को क्रमश: 12,10,11 तथा 6 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में मूल्यों में कमी हुई है ।

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर वनस्पति की बिक्री के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में समय-समय पर समाचार छपते रहते हैं । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में सतर्क रहें और अधिसूचित मूल्यों को सख्ती से लागू करें । उन्हें फिर लिखा जा रहा है ।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर अधिकांश राज्य सरकारों ने वनस्पति के थोक तथा खुदरा व्यापार को सांविधिक नियंत्रण के अन्तर्गत लाने के लिये लाइसेंसिंग आदेश जारी किये हैं।

**ढोरों की नसबन्दी**

607. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें अच्छी नस्ल के ढोर रखने के लिये ढोरों की नसबन्दी का कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को किन राज्यों ने आरम्भ कर दिया है अथवा आरम्भ करने जा रहे हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) पूर्वकालीन केन्द्रीय गोसम्वर्धन परिषद ने "देश में अलाभकारी गायों के प्रजनन के निरोध" के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना प्रारम्भ की थी और राज्यों को यह परियोजना अपनाने की सलाह दी गई थी, इस परियोजना का उद्देश्य अलाभकारी ढोरों की और अधिक बढ़ोतरी को रोकने के लिए उनका वधियाकरण करना है ।

(ख) यह परियोजना अब तक केवल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की जा सकी है ।

(ग) भारत सरकार ने स्कीम के तकनीकी कार्यक्रम को मंजूर कर लिया है और राज्य सरकारों को इसे क्रियान्वित करने की सलाह दी है । अब तक राज्य सरकारों ने इसमें बहुत कम दिलचस्पी ली है ।

**राजस्थान में अकुशल मजदूरों की मजूरी**

608. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में दरीवों में तथा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के उद्योगों में अकुशल मजदूर को कितनी न्यूनतम मजदूरी मिलती है ;

(ख) खेतरी में न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलती है ; और

(ग) खेतरी में मजदूरी की दरों के लिये कौन जिम्मेदार है और इससे योजना के लागत ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) से (ग). सार्वाधिक न्यूनतम मजूरी दरें, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की अनुसूची में सम्मिलित या इस अधिनियम की धारा 27 के अधीन उसमें सम्मिलित किये जाने वाले रोजगारों के संबंध में चाहे, वे केन्द्रीय हो अथवा राज्यों के सम्बन्ध में निश्चित की जाती हैं । अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी दरों के निर्धारण अथवा संशोधन की कार्रवाई उक्त अधिनियम की धारा 2 (ख) के परिभाषित "उचित सरकारों" द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में की जाती है और जब कभी दरों का निर्धारण/संशोधन होता है तो निर्धारित/संशोधित मजूरी दरें सरकारी राज-पत्र में अधिसूचित की जाती हैं ।

**केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा एक काजू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना**

609. **श्री अ० कु० गोपालन** : **श्री के० एम० अब्राहम** :
**श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री अनिरुद्धन** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य काजू विकास निगम द्वारा एक काजू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निगम को आवश्यक वित्तीय तथा अन्य सहायता देगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

**खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री ( श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

**कोरबा क्षेत्र में कोयला खानों में कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति**

610. **श्री भगवान दास :** **श्री बि० कु० मोडक :**
**श्री पी० राममूर्ति :** **श्री मोहम्मद इस्माइल :**

क्या **श्रम-तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरबा क्षेत्र में कुछ कोयला खानों ने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन कोयला खानों ने ये सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की हैं और उन्होंने कितनी सिफारिशें क्रियान्वित नहीं की हैं ; और

(ग) इन्हें क्रियान्वित कराने के लिये नियोजकों को बाध्य करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

**बेरोजगारी बीमा योजना**

611. **डा० सुशीला नैयर :**
**श्री एस० एम० कृष्ण :**
**श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेरोजगारी बीमा योजना चालू करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर कितनी धन राशि व्यय होगी ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री ( श्री डी० संजीवैया)** : (क) ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि के सदस्य हैं, बेरोजगारी बीमा योजना के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग). अभी तक ब्योरे को अन्तिमरूप नहीं दिया गया है।

**Scarcity-Hit Areas in Bihar, Rajasthan and U. P.**

612. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have collected information from the State Governments of Bihar, Rajasthan and Uttar Pradesh as to the number of districts they had declared as scarcity-hit areas in 1969 ;

(b) the number of villages in each State which were benefited as a result thereof and the number of persons living in those villages ; and

(c) the amount of grants and loans separately provided by Government to these States during the said period ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) and (b). During 1969 relief operations were continued undertaken by State Governments in areas affected by drought due to the failure of rains in 1968. Relief operations were also stared during the latter part of 1969 in areas affected by the failure of rains in 1969.

The Government of Rajasthan had declared 22,799 villages spread over the entire State as scarcity affected in 1968-69. The population affected was 1.31 crores. Drought conditions have continued in several parts of the State in 1969-70 and the State Government have so far declared 9,961 villages in 16 districts as famine or scarcity affected. The population affected is 70.5 lakhs.

In Uttar Pradesh, 26,400 villages in 8 districts were affected by drought due to failure of rains in 1968. The population affected was 1.05 crores. The drought conditions were over by the end of July, 1969.

In Bihar, no part of the State was declared as scarcity affected in 1969. However, relief operations were undertaken in one district which was in the grip of a dry spell from September, 1968 to June, 1969.

(c) The financial assistance released to these States during 1968-69 and 1969-70 is as follows:

**(Rs. in Crores)**

| | 1968-69 | | | 1969-70 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Loan** | **Grants** | **Total** | **Loan** | **Grants** | **Total** |
| Bihar | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rajasthan | 13.16 | 1.35 | 14.51 | 21.00 | 7.50 | 28.50 |
| Uttar Pradesh | .. | .. | .. | 1.00 | 0.50 | 1.50 |

**उर्वरकों की खपत में कमी**

613. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में अब तक उर्वरकों की खपत निर्धारित लक्ष्य से कम रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उर्वरकों की वास्तविक खपत कितनी हुई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) से (ग). अभी सन् 1969-70 समाप्त नहीं हुआ है। अतः निर्धारित लक्ष्यों के साथ वास्तविक खपत की तुलना करना सम्भव नहीं है। 1969 के खरीफ के दौरान उर्वरकों की खपत के अनुमानों से प्रतीत होता है कि 1968-69 के खरीफ के मौसम में उर्वरकों की खपत की तुलना में नाइट्रोजन की खपत में लगभग 20% और एन० पी० के० की खपत में 13% वृद्धि हुई है। राज्यों से प्राप्त अन्तिम रिपोर्टों से पता चलता है कि रबी के मौसम में खपत की प्रवृत्ति उत्साहजनक रही है। एन० पी० और के० के सम्बन्ध में सारे भारत के लिये निर्धारित लक्ष्यों और प्रत्याशित उपलब्धियों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

| | (लाख मीटरी टन में) | | |
|---|---|---|---|
| | एन० | पी० | के० |
| 1. खपत के परिचालन सम्बन्धी लक्ष्य | 1.7 | 0.6 | 0.3 |
| 2. खपत का प्रत्याशित स्तर | 1.45 | 0.43 | 0.2 |

खपत के बारे में उपरोक्त अनुमान प्रारम्भिक रिपोर्टों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त रबी की खपत अभी तक चल रही है। अन्तिम अनुमान मार्च-अप्रैल, 1970 तक राज्य सरकारों और उर्वरक निर्माताओं के परामर्श से पूरे किये जाएंगे।

(ख) निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में खपत में कमी होने के कारणों में कुछ क्षेत्रों में सामयिक वर्षा का अभाव, कृषकों के लिये उचित ऋणों का अभाव, वितरण प्रणाली में कड़ी शर्तों का होना और विस्तार कार्य में अन्तर होना आदि शामिल हैं। यह भी देखा गया है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अधीन आने वाले क्षेत्रों में भी कृषक पूरी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते। सरकार उर्वरक व्यापारियों और कृषकों के लिये बैंकों द्वारा ऋण का विस्तार करने की गारंटी की प्रणाली पर भी विचार कर रही है। उर्वरक व्यापारियों को लाइसेंस देने की प्रणाली को संशोधित करके पंजीकरण हेतु एक उदार प्रणाली का प्रबन्ध किया जा रहा है। उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि करने के लिये सरकार एक उर्वरक प्रोत्साहन परिषद् की स्थापना के बारे में सक्रियरूप से विचार कर रही है।

**बी० ई० एस० टी० कर्मचारी यूनियन द्वारा पारित प्रस्ताव**

614. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बी० ई० एस० टी० कर्मचारी यूनियन, बम्बई के वार्षिक सम्मेलन में पारित प्रस्ताव की प्रति प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

**पाकिस्तान में निश्क्रांत सम्पत्ति का मूल्य**

615. **श्री हेमराज :** क्या श्रम तथा पुर्नावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में निश्क्रांत सम्पत्ति का मूल्य कितना है, जिससे भारत वंचित कर दिया गया है ; और

(ख) सरकार ने इसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) पश्चिम पाकिस्तान में जिस अचल निश्क्रांत सम्पत्ति से भारत को वंचित कर दिया गया है, उसका मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपये है । इसके अतिरिक्त 90 लाख एकड़ कृषि भूमि भी है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा लगातार प्रयत्न करने पर भी, पाकिस्तान इस प्रश्न के निपटारे को टालता रहा है ।

**Abolition of Land Revenue on uneconomic holdings by Delhi Administration**

616. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Administration has decided to abolish the land revenue on uneconomic holdings of small farmers ;

(b) if so, whether Government have agreed to the decision of the Delhi Administration ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) The Delhi Administration has sent its recommendations to the Central Government.

(b) The matter is under consideration.

(c) Does not arise.

**उर्वरकों के विपणन को लाइसेंस से छूट करना**

617. **श्री भगवान दास :**
**श्री गणेश घोष :**
**श्री प० गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उर्वरकों के विपणन को लाइसेंस से छूट देने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) तथा (ख). जी, हां । लाइसेंस पद्धति के स्थान पर बिक्रेताओं का पंजीकरण करने का तरीका अपनाकर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 को हाल ही में संशोधित किया गया है ताकि और अधिक बिक्री केन्द्रों की स्थापना करके उर्वरकों के वितरण के लिये विस्तृत आधार तैयार किया जा सके । संशोधित कानून के अन्तर्गत राज्य सरकारों को किसी भी आवेदक को पंजीकरण का प्रमाणपत्र देना होगा, बशर्ते कि ऐसे आवेदन की तिथि के तीन पूर्ववर्ती वर्षों में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) या इसके अन्तर्गत जारी हुई किसी आदेश के अनुसार दण्ड न मिला हो। यह संशोधित कानून 1 नवम्बर, 1969 से लागू हुआ था और उर्वरक बेचने के व्यापार को चलाए रखने के लिये 30 नवम्बर, 1969 को या उससे पहले राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों को उनकी अवधि की समाप्ति तक पंजीकरण के प्रमाणपत्र समझा जायेगा ।

**तमिलनाडु में चीनी कारखानों को हानि**

618. **श्री नम्बियार :** **श्री पी० राममूर्ति :**
**श्री उमानाथ :** **श्री के० रमानी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तामिलनाडु में चीनी कारखानों को भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने तमिलनाडु में चीनी कारखानों का फालतू शीरा बेचने की अनुमति नहीं दी है ;

(घ) क्या चीनी कारखानों में फालतू शीरा बेचने की अनुमति प्राप्त करने के लिये तमिलनाडु से सरकार को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) तमिल नाडु में 15 चीनी कारखानों में से जिन्होंने 1967-68 में कार्य किया था, 11 के बारे में सूचना उपलब्ध है, ने 1967-68 के अपने हिसाब-किताब में 3.21 करोड़ रुपये का कुल निवल लाभ दिखाया है। 1968-69 में दो सहकारी चीनी कारखानों को 13.65 लाख रुपए की हानि हुई थी ;

(ख) 1968-69 में हानि के कारण ये हैं। सूखे की स्थिति के कारण कम उपलब्धि, खुले बाजार में चीनी की बिक्री से कम वसूली और गन्ना उत्पादकों को गन्ने का अधिक मूल्य देना।

(ग) से (ङ). सरकार ने अधिशेष शीरे का अन्य राज्यों और देश से बाहर निर्यात कर निपटान करने की अनुमति दी है। चीनी कारखानों से अधिशेष शीरे को भेजने के लिए कार्यवाही भी की गई है। राज्य सरकार ने शीरे की स्थानीय बिक्री की भी इजाजत दी है।

**अधिकतम सीमा से अधिक वाली भूमि को कब्जे में लेने की योजना**

619. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित अधिकतम सीमा से अधिक वाली भूमि को कब्जे में लेने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) इस निर्णय को कब कार्यरूप दिया जाएगा ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए जाने वाले अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) से (ग). भूमि राज्य का विषय है। अतः भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में नीति बनाने, विधान बनाने और उनकी क्रियान्विति करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। विधान में निहित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि को कब्जे में लेने और उससे संबंधित अन्य अनुसंगिक मामलों के लिए योजना बनाना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। क्रमबद्ध पंचवर्षीय योजनाओं में की गई सिफारिशों या भारत सरकार द्वारा बुलाए गए विभिन्न सम्मेलनों तथा समितियों द्वारा दिए गए सुझाव सामान्य ढंग के हैं और इन्हें प्रत्येक राज्य को स्थानीय परिस्थियों और स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अपनाया जाना चाहिए।

दिनांक 28-29 नवम्बर, 1969 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में जोत की अधिकतम सीमा को लागू करने की क्रियान्विति तथा अधिशेष भूमि को कब्जे में लेने तथा उसके वितरण के प्रश्न पर विचार किया गया था। इस बात पर प्रायः सहमति प्रकट की गई थी कि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र जोत की अधिकतम सीमा से संबंधित मौजूदा विधान के उपबन्धों का पुनरीक्षण करें और कृषि की नई नीति को दृष्टिगत रखते हुए जोत की अधिकतम सीमा के निर्धारण विषयक विधान को लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएं ताकि खेतिहर कृषि श्रमिकों को बसाने के लिए भूमि उपलब्ध की जा सके।

समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों के नाम लिखे एक पत्र में खाद्य और कृषि मन्त्री ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किए गत निर्णयों के प्रसंग में यह सुझाव दिया दिया है कि 1972-73 के अन्त तक अर्थात लगभग 2 वर्षों में जोत अधिकतम सीमा विषयक कानूनों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों से इस दिशा में एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाने का अनुरोध किया गया है।

**Demand of States for Tractors during Fourth Plan**

620. **Shri Ram Avatar Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the various State Governments have sent the statement of their tractor requirements during the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the details thereof, Statewise;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) whether Government have formulated any plan to guarantee their supply and if so, the details thereof, State-wise?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):** (a) to (c). A statement showing the requirements for tractors for the Fourth Five Year Plan as intimated by the various States is appended. These requirements are being kept in view while making allocation of imported tractors.

(d) With a view to meeting the increased demand for tractors as far as practicable it has been decided to import a substantially large number of tractors besides stepping up the indigenous production. As against 15,500 tractors decided to be imported against 1968-69 requirements, out of which about 14,000 tractors have been either received or are on high seas, the number of tractors to be imported against 1969-70 demand is 35,000. During 1968-69, the target of indigenous production was fixed at 20,000 nos. but the production was 15,466. The indigenous production is expected to increase to 30,000 by the end of 1971-72. Besides, the following measures have been taken up to improve availability through indigenous production and imports:

(i) The tractor industry has been declared as priority industry and Government has been able to meet full requirements of tractor munufacturers for import of components and raw materials in regard to the phased manufacturing programme of the tractor manufacturers, assisted by grant of import licences for additional capital goods required for achieving their licensed capacity. The Agriculture Wheeled Tractor Industry was exempted from the Licensing Provisions of the Industries (D&R) Act 1951 with effect from 7th February, 1968 in order to induce the present tractor manufacturers to diversify their production in the lower H. P. range and also to induce other intending parties to come into the field to undertake manufacture of tractors. Eight new schemes for manufacture of tractors have been approved in principle and three are under various stages of consideration and proposals have been received from five in whose cases detailed schemes are awaited.

(ii) It is proposed to undertake to manufacture of a small H. P. tractor (20 H. P.) in the public sector for a capacity of 12,000 numbers, per annum initially.

(iii) Import of tractors as gift from Indian relatives living abroad has also been allowed with a view to easing the supply position.

(iv) The gap between demand and supply from indigenous production will be met to the extent possible, from imports subject to availability of foreign exchange.

Allocation of tractors is made to States on year to year basis.

**Statement**

**Statement showing the requirements of Tractors for the Fourth Five Year Plan**

| S. No. | Name of States | Total |
|---|---|---|
| 1. | Andhra Pradesh | 20,000 |
| 2. | Assam | 750* |
| 3. | Bihar | 13,673 |
| 4. | Gujarat | 11,500 |
| 5. | Haryana | 35,900 |
| 6. | Jammu & Kashmir | 100* |
| 7. | Kerala | 10,050 |
| 8. | Madhya Pradesh | 15,200 |
| 9. | Tamil Nadu | 11,550 |
| 10. | Maharashtra | 5,750 |
| 11. | Mysore | 7,640 |
| 12. | Nagaland | 46* |
| 13. | Orissa | 2,905 |
| 14. | Punjab | 1,04,200 |
| 15. | Rajasthan | 28,750 |
| 16. | Uttar Pradesh | 1,61,700 |
| 17. | West Bengal | 1,463 |
| 18. | Union Territories | 2,875 |
| | Total | 4,34,052 |

* Complete information is still awaited.

**N. B.**—The requirements are tentative as some State Governments/A. I. Corporations revise their Demands consequent on implementation or otherwise of new schemes/projects in their States.

## पूर्वी जर्मनी तथा रूमानिया से आर० एस०-09 माडल ट्रैक्टरों का आयात

621. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी जर्मनी और रूमानिया से आर० एस०-09 माडल ट्रैक्टरों का आयात किया है और यदि हां, तो प्रत्येक से कितने तथा उनका मूल्य क्या है ;

(ख) क्या ये ट्रैक्टर अपने कार्य में पूर्णतया असफल रहे हैं, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, और क्या एग्रोइण्डस्ट्रीज, हैदराबाद ने क्षतिपूर्ति के लिए सरकार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की धमकी दी है ;

(ग) क्या यह तकनीकी शिष्टमण्डल आंध्र प्रदेश में आर० एस०-09 जर्मन ट्रैक्टरों का निरीक्षण करने गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि को सभा पटल पर रखने का है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) 1968-69 और 1969-70 के दौरान जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक से 212.00 लाख रु० के मूल्य के 2000 आर० एस०-09 ट्रैक्टर आयात किए गए। रूमानिया से कोई आर० एस०-09 ट्रैक्टर आयात नहीं किये गये।

(ख) जी नहीं, इन ट्रेक्टरों की एक बड़ी संख्या आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात के कृषकों को बेची गई है। इनके कार्य करने के बारे में पंजाब और गुजरात से प्राप्त रिपोर्ट बिलकुल संतोषजनक है। फिर भी इन ट्रेक्टरों के कार्य के बारे में आन्ध्र प्रदेश से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ). हाल ही में आंध्र प्रदेश को एक तकनीकी दल भेजा गया। दल ने एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इस पर जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक के एक तकनीकी शिष्ट मण्डल से जो हाल ही में इस देश में आया है, विचार विनियम किया जा रहा है। रिपोर्ट को अन्तिमरूप दिए जाने पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

## ट्रैक्टरों का आयात और निर्माण

622. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में प्रत्येक देश से कुल कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया तथा उनका मूल्य कितना था और वर्ष 1970-71 में वे कितने और ट्रैक्टरों का आयात करना चाहते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्णय किया था कि उन्हीं किस्मों के ट्रैक्टरों का आयात किया जाना चाहिए जिनका इस समय भारत में निर्माण किया जा रहा है ताकि पुर्जों और मरम्मत आदि के मामले में कठिनाई न होने पाये ;

(ग) यदि हां, तो भारत में वास्तव में अभी निर्मित न होने वाले ट्रैक्टरों का आयात किस कारण से किया गया है और यह काम किसके अनुदेश पर किया जाता है ;

(घ) सरकार ने उन किसानों को क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की है, जिन्होंने जर्मन और रूमानिया के ट्रैक्टर खरीदे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार है, जिन्होंने सरकार को ऐसे ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए परामर्श दिया था ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) 1968-69 की मांग पूरी करने के लिये 15,500 ट्रैक्टरों का आयात करने का निर्णय किया गया था । इन ट्रैक्टरों के 'मेक' तथा मूल्य ये हैं :—

| 'मेक' | संख्या | कुल मूल्य रुपये | |
|---|---|---|---|
| (1) जैटर 2011 एस के डी | 5,000 | 4,61,85,000 | (जहाज तक निःशुल्क) |
| (2) डी टी-14 बी | 6,000 | 3,63,00,000 | (लागत-बीमा-भाड़ा) |
| (3) बाईलारस | 500 | 63,92,000* | (लागत-बीमा-भाड़ा) |
| (4) आर एस-09 | 3,000 | 3,18,00,000 | (लागत-भाड़ा) |
| (5) सुपर यू टी ओ एस (यू० 650) | 1,000 | 1,50,25,000 | (लागत-भाड़ा) |

*इसमें 3 लाख रुपये की विशेष छूट शामिल नहीं है ।

इसके अलावा, 1969-70 की आवश्यकता पूरी करने के लिये 35,000 ट्रैक्टर आयात करने का भी निर्णय किया गया है । इनमें से 18,500 ट्रैक्टरों के आयात के लिये निम्नलिखित करार किये गये हैं :—

| देश का नाम | 'मेक' | संख्या जिसका आयात किया जाना है | कुल मूल्य | |
|---|---|---|---|---|
| चैकोस्लोवाकिया | जैटर 2011 एस के डी | | | |
| | राइस स्पेशल | 1,000 | 1,09,57,000 | (लागत-भाड़ा) |
| | जैटर 2011 एस के डी | 2500 | 2,50,17,500 | (लागत-भाड़ा) |
| | जैटर 2011 राइस स्पेशल | 2500 | 2,86,67,500 | ,, |
| | जैटर 5511 | 1000 | 1,76,80,000 | ,, |
| रूमानिया | यू 650 | 2250 | 4,42,12,500 | ,, |
| | यू०651 | 750 | 1,63,12,500 | ,, |
| जी. डी. आर. | आर एस-09 | 7000 | 6,54,50,000 | ,, |
| रूस | बाइलारस एम टी जे-5 एम एस | 1500 | 2,02,50,000 | (लागत-बीमा-भाड़ा) |
| | योग | 18500 | | |

1967-68, 1968-69 और 1969-70 में प्रत्येक देश से आयात किये गये कुल ट्रैक्टरों तथा उनका मूल्य दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी.-2612/70]**

(ख) सरकार की नीति बिदेशी मुद्रा की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए ऐसे ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति देना है जो (1) ऐसे मेक के हों जिनके निर्माण का कार्यक्रम औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा/अथवा जिनका निकट भविष्य में देश में निर्माण किये जाने की संभावना है। (2) ऐसे ट्रैक्टर जिनका ट्रैक्टर प्रशिक्षण तथा परीक्षण केन्द्र, बुदनी में परीक्षण किया गया है और संतोषजनक पाए गये हैं अथवा, भारतीय जलवायु में लम्बे समय तक उपयोग के बाद वे संतोषजनक पाए गये हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को दृष्टि में रखते हुए यह उत्पन्न नहीं होता।

(घ) विभिन्न राज्यों में ये ट्रैक्टर उपयोग किये जाने पर संतोषजनक पाए गये हैं फिर भी वारंटी दावे उत्पन्न होने पर विदेशी सम्भरणकर्ता उन्हें पूरा करते हैं क्योंकि सभी आयातित ट्रैक्टरों के मामले में यह एक सामान्य प्रथा है।

(ङ) (ख) और (घ) को दृष्टि में रखते हुए यह उत्पन्न नहीं होता।

## अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति

623. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति ने इस बीच अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या की हैं ; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की हैं अथवा करने का विचार किया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

| निष्कर्ष / सिफारिश | की गई / की जाने वाली कार्यवाही |
|---|---|
| कुछ मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें निम्नलिखित हैं :— | |
| (1) जब तक सहकारी ऋण का पुन: आयोजन नहीं किया जाता, तब तक कृषि प्रगति को केवल सहकारी ऋण की प्रगति से प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता। यदि अन्य संस्थाऐं अच्छे ढंग की प्रतियोगिता में सहकारी संगठन के साथ सहयोग करें तो किसान की बेहतर सेवा हो सकेगी। | यह स्वीकार कर ली गई है। |

| निष्कर्ष/सिफारिश | की गई/की जाने वाली कार्यवाही |
|---|---|
| (2) सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों का विशेषतः छोटे किसानों की उत्पादन सम्बन्धी आवश्वकताओं को ठीक बैठने वाली अपनी ऋण नीतियों का पुनरीक्षण करना चाहिए। | इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। |
| (3) उन्नतिशील छोटे किसानों को सहायता देने के लिए छोटे किसान विकास अभिकरणों की एक मार्गदर्शी योजना की क्रियान्वित करना। | यह स्कीम चौथी योजना में सम्मिलित कर ली गई है। |
| (4) ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये एक निगम की स्थापना करना। | निगम की स्थापना 25 जुलाई, 1969 को हुई थी। |
| (5) सहकारी समितियों की आवश्यकताओं और अन्य ग्रामीण ऋण की देखभाल के लिए रिजर्व बैंक में एक कृषि ऋण मण्डल की स्थापना करना। | यह मण्डल हाल ही में 20 फरवरी, 1970 को स्थापित किया गया है। |
| (6) कृषि से अलग शुरू की गई पशुपालन सम्बन्धी गतिविधियों और मात्स्यकी में धन लगाने हेतु बैंक को सक्षम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करना। | इस पर विचार किया जा रहा है। |

## विमानों से उर्वरक छिड़काना

625. **डा० सुशीला नैयर :**
**श्रीमती सावित्री श्याम :**
**श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेतों में विमानों द्वारा उर्वरक छिड़कने की किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना पर कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). जी हां। जूट तथा मेस्ता का उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्यों में जूट और मेस्ता फसलों पर यूरिया के हवाई छिड़काव विषयक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना पहले से ही चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत 1968-69 और 1969-70 के दौरान क्रमशः 9,000 एकड़ तथा 13,063 एकड़ भूमि का सकल क्षेत्र लाया गया था। चौथी योजना के

दौरान 1,50,000 एकड़ क्षेत्र आवृत्त करने की योजना है। राज्यों को यूरिया की कुल लागत और विमानों के प्रचालन व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है।

इस हवाई छिड़काव कार्यक्रम को धान और गेहूं की फसलों के सम्बन्ध में भी लागू करने का विचार है। मध्य प्रदेश में खरीफ 1969 के दौरान वर्षा पर आश्रित रहने वाली धान की 12,000 एकड़ भूमि पर और राजस्थान में रबी 1969-70 में वर्षा पर आश्रित गेहूं की 5,000 एकड़ भूमि पर परीक्षणात्मक एवं प्रदर्शनात्मक प्रयोग किए गए। मध्य प्रदेश में धान की फसल के परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं और इस कार्यक्रम को वर्षा पर आश्रित रहने वाले तथा शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू करने का विचार है।

(ग) चौथी योजना में जूट और मेस्ता की फसलों पर हवाई छिड़काव की केन्द्रीय प्रायोजित योजना पर 27.00 लाख रुपए व्यय करने की योजना है। अन्य योजनाओं के ब्योरे को अन्तिमरूप नहीं दिया गया है।

**बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाना**

626. **श्री कृ० मि० मधुकर :** **डा० रानेन सेन :**
**श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री कं० हाल्दर :**
**श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री यशवन्तसिंह कुशवाह :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने हेतु और अधिक रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ;

(ख) क्या पंजीकृत बेकार व्यक्तियों अथवा शिक्षित बेकार व्यक्तियों को बेरोजगारी राहत देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, परिवहन संचार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं समाज कल्याण जैसी सामाजिक सेवाओं इत्यादि के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगार लोगों के लिए अधिकाधिक नियुक्ति अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल ही पैदा नहीं होता।

**उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी मिलों को हुआ लाभ**

627. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री सरजू पाण्डेय :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी मिलों को कितना लाभ हुआ है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी कारखानों से प्राप्त सूचना के आधार पर उन्हें 1966-67 और 1967-68 के लेखा-वर्षों में जो निबल लाभ/हानि हुई थी वह इस प्रकार थी :-

(लाख रुपयों में)

| राज्य | 1966-67 | | | 1967-68 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | जिन कारखानों ने काम किया उनकी संख्या | जिन कारखानों ने सूचना दी है उनकी संख्या | निबल लाभ(+) हानि(−) | जिन कारखानों ने काम किया उनकी संख्या | जिन कारखानों ने सूचना दी है उनकी संख्या | निबल लाभ(+) हानि(−) |
| उत्तर प्रदेश | 71 | 65 | (−) 84.98 | 71 | 64 | (+)310.48 |
| बिहार | 29 | 23 | (+) 31.50 | 27 | 22 | (+)125.45 |

1968-69 के लाभ और हानि संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

## चावल विकास परिषद् की स्थापना

628. **श्री क० मि० मधुकर :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री अदिचन :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री सरजू पाण्डेय :**
**श्रीमती इला पालचौधरी**
**श्री झारखंडे राय :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चावल विकास परिषद् स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन होंगे और इसके अधिकार तथा कृत्य क्या होंगे ; और

(ग) यह परिषद् कब तक स्थापित हो जायेगी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) भारतीय चावल विकास परिषद् के गठन, शक्तियों तथा कार्यकलापों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों से नामजदगी सम्बन्धी सूचना प्राप्त होते ही परिषद् कार्य करना शुरू कर देगी।

### विवरण

**गठन** :—

(i) **अध्यक्ष** — सरकार द्वारा नामजद एक गैर-सरकारी व्यक्ति।

(ii) **उपाध्यक्ष** — कृषि विभाग में भारत सरकार के अपर सचिव।

(iii) **सदस्य**

(क) राज्य और केन्द्र सरकारों के प्रतिनिधि :—

(1) प्रत्येक राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार नामजद करेगी ।

(2) प्रत्येक राज्य से एक कृषक जिसे राज्य सरकार नामजद करेगी ।

(3) उत्पादकों के 4 प्रतिनिधि जिन्हें भारत सरकार नामजद करेगी ।

(4) संसद् के तीन सदस्य—लोक सभा के दो और राज्य सभा के एक ।

(5) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।

(6) भारत सरकार के कृषि आयुक्त ।

(7) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महा निदेशक या उनका प्रतिनिधि ।

(8) धान मिल्लरस एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि ।

(9) खाद्य विभाग का एक प्रतिनिधि ।

(10) भारत सरकार द्वारा नामजद दो या अधिक व्यक्ति । उनके अनुसन्धान या विकास क्षेत्र में योगदान को विचार में रखते हुए नामजद किया जायेगा ।

(11) सदस्य सचिव—निदेशक, चावल विकास ।

**कार्यकलाप** :—

(1) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा देश में चावल के विकास के लिये बनाये कार्यक्रम पर समय समय पर विचार करना ।

(2) देश में तथा विदेशों में चावलों के उत्पादन में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी विकासों पर विचार करना और उन्हें राज्यों में प्रसारण के उपायों के बारे में सुझाव देना ।

(3) चालू अनुसंधानों की प्रगति या आगामी अनुसन्धानों पर विचार करना ।

(4) वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं से निर्धारित लक्ष्यों के सन्दर्भ में चावल विकास की प्रगति पर विचार करना और संवीक्षा करना ।

(5) राज्यों में चावल विकास के सम्बन्ध में कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये उपायों का सुझाव देना ।

(6) धान, विशेषकर विदेशी किस्मों के विद्यमान मूल्यों का मूल्यांकन करना और मूल्यों को स्थिर रखने के लिये उपायों के बारे में सिफारिश करना ।

(7) ऐसी समस्याओं के बारे में भारत सरकार को सलाह देना ; जो परिषद् को सौंपी जायें ।

**शक्तियां :—**

(1) भारतीय चावल विकास परिषद् का मुख्यालय पटना में होगा।

(2) भारतीय चावल विकास परिषद्, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) के प्रशासनिक नियन्त्रण में होगी।

(3) परिषद् की समय समय पर, कम से कम 6 मास में एक बैठक अवश्य होगी और यह भारत सरकार को अपनी सिफारिशें करेंगी।

**खाद्यान्नों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के उपाय**

629. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यान्नों की कीमतों को गिराने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार खाद्यान्नों की कीमतों को गिराने के लिये खाद्यान्नों के समाहार से लेकर इनके वितरण तक के कार्य को अपने हाथ में लेने जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में और क्या उपाय किये गये हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) खाद्यान्नों की बहुत अधिक मात्रा सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है। जहां कहीं भी आवश्यक है, केन्द्रीय भंडार से राज्यों को किए जाने वाले आवंटनों में भी वृद्धि कर दी गयी है। जिन क्षेत्रों में खाद्यान्नों के मूल्यों में अनुचित वृद्धि हो गई है वहां खुले बाजार के माध्यम से बफर स्टाक से खाद्यान्न देने का भी प्रयास किया जा रहा है।

(ख) सरकार खाद्यान्नों के विक्रय-अधिशेष की पर्याप्त मात्रा को पहले ही अधिप्राप्त और वितरित कर रही है।

(ग) उपर्युक्त (क) में वर्णित उपायों पर पर्याप्त और समय से कार्यवाही करने से मूल्य में स्थिरता आने की आशा है।

**बिजली कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट**

630. **श्री स० मो० बनर्जी :**

**श्री एन० शिवप्पा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली कर्मचारियों के बारे में मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट की कार्यान्विति कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) से (ग). उक्त बोर्ड की रिपोर्ट सरकार को 12 दिसम्बर, 1969 को प्रस्तुत की गई और सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। सिफारिशों पर सरकारी निर्णयों की घोषणा हो जाने के पश्चात् उन पर आगे कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

**पी० टी० आई० के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल नोटिस**

631. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० टी० आई० के कर्मचारियों ने 28 फरवरी, 1970 से समूचे देश में दो दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करने और विवाद को निपटाने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) और (ख). प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के कर्मचारियों की यूनियनों के संघ ने यह नोटिस दिया था कि यदि उसकी मांगें स्वीकार नहीं की गई तो कर्मचारी 27 फरवरी, 1970 के 8 बजे सुबह से 2 मार्च, 1970 के 8 बजे सुबह तक कार्यालय में बैठकर हड़ताल करेंगे। उनकी मांगें, वर्ष 1968 के लिये 8 प्रतिशत बोनस की अदायगी, मकान भत्ते तथा चिकित्सा भत्ते की सांकेतिक अदायगी, व वर्दी-छुट्टी-भाड़े, रात्रि ड्यूटी भत्ते इत्यादि अन्य बातों से संबंधित थीं।

(ग) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। परन्तु केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तन्त्र ने आपसी समझौता कराने के लिये मध्यस्थता की है। इसके प्रयत्नों के फलस्वरूप, 25 फरवरी को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और संघ ने हड़ताल का नोटिस वापिस ले लिया।

**खाद्यान्न का राजकीय व्यापार**

632. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न का राजकीय व्यापार आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) और (ख). कई वर्षों से खाद्यान्नों के समाहार तथा वितरण के लिए राजकीय व्यापार की व्यापक व्यवस्था है। 1955 में भारतीय राज्य व्यापार निगम की स्थापना से खाद्यान्न का राजकीय व्यापार काफी बढ़ाया गया है।

**विविध-भारती कार्यक्रमों से आय तथा उस पर व्यय**

633. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "विविध-भारती" कार्यक्रम आय की दृष्टि से सफल सिद्ध रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक कितना धन व्यय किया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) जी, हां ।

(ख) यह समझकर कि प्रश्न विविध भारती के व्यापारिक प्रसारण सेवा से संबंध रखता है, 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान उस पर जो व्यय किया गया, वह नीचे दिया गया है :--

| | |
|---|---|
| 1967-68 | 8,47,965 रुपये |
| 1968-69 | 29,49,653 रुपए |

**सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के सम्बंधों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश**

634. **श्री एन० शिवप्पा** : **श्री हिम्मतसिंहका** :
**श्री स० कुन्दू** : **श्री क० लकप्पा** :
**श्री एस० एम० कृष्ण** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के सम्बन्धों के बारे में राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या उस रिपोर्ट में श्रमिकों तथा नियोजकों से कुछ आशायें रखी गई हैं; और

(घ) उस रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार एक समान श्रम संहिता तैयार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) रिपोर्ट पर विभिन्न सम्बंधित पक्षों के परामर्श से अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) आयोग की सिफारिशें सामान्यतः दोनों क्षेत्रों पर लागू होती हैं और उनमें से कुल केवल सरकारी क्षेत्र के बारे में हैं; परन्तु सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के सम्बन्धों के बारे में कोई सिफारिश नहीं है ।

(ग) आयोग की रिपोर्ट में नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों द्वारा व्यक्त विचारों पर ध्यान दिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आयोग ने एक समान श्रम संहिता बनाने का समर्थन नहीं किया है ।

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर कारखाने के मजदूरों में असन्तोष**

635. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री अजमल खां :** **श्री चं० चु० देसाई :**
**श्री पीलु मोदी :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1970 को 'इकनामिक टाइम्स' में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न कारखानों में श्रमिकों में भी कम असन्तोष के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया है : और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो उसका ब्यौर क्या है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) और (ख). 7 जनवरी, 1970 के इकनैमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार हिन्दुस्तान स्टील लि० के दुर्गापुर स्थित इस्पात संयंत्र और इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी के बर्नपुर स्थित कारखाने में व्याप्त श्रमिक असन्तोष के बारे में है। यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

**रैयतों से खाद्यान्न का क्रय**

636. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री अजमल खां :** **श्री चं० चु० देसाई :**
**श्री पीलु मोदी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि देश में फसल की स्थिति बहुत अच्छी है और इस समय रैयतों के पास खाद्यान्न का यथेष्ट भण्डार है;

(ख) क्या सरकार को खाद्यान्न के दामों के गिर जाने का भी पता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार दिए गए आश्वासन के अनुसार रैयतों से उचित मूल्य पर खाद्यान्न खरीदेगी; और

(घ) इस वर्ष कृषकों को किस मूल्य का आश्वासन दिया गया है ?

**खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष में फसल का उत्पादन संतोषजनक है। रैयतों के पास उपलब्ध स्टाक का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) थोक मूल्यों के महीने के अन्तिम सूचकांक के अनुसार नवम्बर-दिसम्बर, 1969 से कुल मिलाकर खाद्यान्न के मूल्यों में सामान्यतः कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) सरकार की नीति निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्यों पर बिक्री के लिये पेश किए गए सभी खाद्यान्नों को खरीदने की है।

(घ) एक विवरण स्लंग्न है।

**विवरण**

खाद्यान्नों के प्रति अधिप्राप्ति मूल्य निम्न प्रकार हैं। ये मूल्य किसानों को दिये जाते हैं :--

| | रुपये प्रति क्विन्टल |
|---|---|
| धान | 45.00 से 56.25 के बीच |
| ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी | 52.00 |
| गेहूं (लाल के अलावा देसी) | 76.00 |

**चौथी योजना के अन्तर्गत केरल में मछली पालन के विकास के लिये मास्टर प्लान के लिये आवंटन**

637. **श्री बासुदेवन नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछली पालन के विकास के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये मास्टर प्लान की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मछली पालन के विकास के लिये पर्याप्त आवंटन करने के उपाय किये जा रहे हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) केरल सरकार की सलाह से मास्टर प्लान का प्रारम्भिक अध्ययन किया गया है और राज्य सरकार को कुछ-कुछ सुझाव दिये गये हैं। ये सुझाव विशेषकर, अतिरिक्त संसाधनों के भरपूर उपयोग के विषय में दिये गये हैं, ताकि केरल राज्य में मछली विकास के लिये कुल निवेश की मात्रा को बढ़ाया जा सके।

(ख) मास्टर प्लान के अन्तर्गत यह कार्यक्रम 20 वर्षों तक, अर्थात् मौजूदा योजना सहित चार पंचवर्षीय योजनाओं के समय तक जारी रहेगा। मास्टर प्लान के प्रथम चरण में, जो चतुर्थ योजना के साथ-साथ चलता है, जो परिव्यय निर्धारित किया गया है, वह केरल में मछली विकास के लिये चतुर्थ योजना के मसौदे में की हुई कुल धन व्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक है। मास्टर प्लान में दिये गये कार्यक्रम राज्य में मछली के सर्वोमुखी विकास से सम्बन्धित है जिसमें अर्थ व्यवस्था के सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी सभी क्षेत्र आ जाते हैं। राज्य योजना के परिव्यय राज्य के लिये कुल धन की उपलब्धि और राज्य योजना में सम्बन्धित प्राथमिकताओं तक सीमित है। मछली विकास की केन्द्रीय योजना में बन्दरगाहों का निर्माण, संसाधनों का सर्वेक्षण और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये देशीय जहाजों का निर्माण आदि शामिल हैं। इन योजनाओं के लिये जो व्यवस्था की गई है, वह राज्यवार आधार पर नहीं है।

फिर भी केरल में बन्दरगाह के विकास, सर्वेक्षण और जहाज बनाने के लिये सहायता के रूप में काफी धन उपलब्ध किया जायेगा । इन अनेक योजनाओं के लिये मास्टर प्लान में लगाई गई पूंजी का एक बड़ा भाग निजी और सहकारी क्षेत्र में व्यय किया जायेगा । यान्त्रिकृत नावों का प्रयोग शुरू करने आदि की कुछ योजनायें अधिकाधिक सहकारिता क्षेत्र में शुरू हो सकती हैं और उनके लिये कृषि पुनर्वित्त निगम आदि ऋणदायी संस्थाओं से काफी धन की सहायता मिल सकती है । अतः केरल राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि सहकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध होने वाले सम्भावित संसाधनों का अनुमान लगाया जाये ताकि योजना बनाते समय सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्र में मछली विकास के उपलब्ध साधनों का प्रभावशाली ढंग से समन्वय किया जा सके ।

**Conversion of D. M. S. into a Corporation**

638. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Ram Charan :**
**Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
**Shri Atam Das :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to convert the Delhi Milk Scheme into an autonomous Corporation ; if so, when ;

(b) whether it is also a fact that despite its best efforts, the Delhi Milk Scheme has not been able to cater to the needs of the most of the people of Delhi ;

(c) if so, whether it would be possible to cater to the needs of the entire population of Delhi by converting the said scheme into an autonomous corporation ; and

(d) whether the employees of the scheme are likely to receive any special benefit if the Delhi Milk Scheme is converted into an autonomous corporation ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Delhi Milk Scheme is able at present to serve only an estimated 40% of the Delhi's population. Action is in hand for expansion of handling capacity of the Scheme from its present capacity of 2.55 lakh litres to about 7.00 lakh litres of milk per day in 2 to 3 years when the Scheme may be in a position to serve bulk of the city's requirements.

(d) A Bill for conversion of Delhi Milk Scheme into a Statutory Corporation is under preparation and it is proposed to make provision in it for protecting the rights of its employees on the same lines as in the case of Food Corporation of India. It will be for the Corporation to consider provision of any special benefits to the employees.

**Expansion of Telephone facilities in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh**

639. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
**Shri Atam Das :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are contemplating to expand the telephone facilities in Punjab, Haryana and Himachal Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that in the above States and also in other States even the businessmen and social workers have to face great difficulties in obtaining telephone connections ;

(c) whether it is furthr a fact that there is a long waiting list of applicants for telephone connections in these States ; and

(d) if so, the steps being taken by Government to sanction telephone connections and regularise the work in this respect ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :** (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The average waiting period in these States is about a little over four years, which is about the average for the whole country.

(d) (i) The telephone exchanges in all the important towns and villages in all the States are being expanded within the limitations of financial and material resources.

(ii) Action is being taken to expand the production and supply of material resources in the country.

(iii) During the fourth plan period it is hoped that 25,000 to 30,000 lines of exchange capacity will be added in the States of Haryana, Himachal Pradesh and Punjab against the total waiting list of about 22,000 as on 1-10-1969.

**Availability of Improved Seed of Wheat to M.Ps.**

641. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether research is in progress in the Indian Agricultural Researh Institute, Pusa (New Delhi) in regard to some new improved seed of wheat ;

(b) if so, whether the said seed would be made available to such Members of Parliament as are interested in agriculture with a view to augment the production of the said seed ; and

(c) whether such seed of paddy in regard to which research has been made to grow paddy in lesser quantity of water would be distributed to some people during the Kharif Crop ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) Yes, Sir. Intensive research work is in progress at the Indian Agricultural Research Institute, New Delhi to develop improved varieties of wheat.

(b) The newly developed varieties are tested for their performance through multi-location yield tests on an all-India basis. After this, varieties have to be approved for release by the Central Varietal Release Committee of the Government of India. The major responsibility for rapid multiplication and distribution of the released varieties rests with the National Seeds Corporation. The Institute also distributes in very small quantities the approved varieties as part of its experimental produce to interested farmers including Members of Parliament.

(c) Research on this aspect is in progress but no variety with specifiaclly less requirement of water has so far been released.

**Missing Currency Notes from an Envelope in Delhi**

642. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the action so far taken to investigate the case wherein an envelope, which was received by Shri Krishnajit Grover of Hamilton Road on the 27th January, 1970 from Delhi General Post Office, containing the pieces of paper in place of currency notes worth Rs. 4000/-; and

(b) the nature of punishment awarded to the guilty officers?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh):** (a) Departmental investigations made at Delhi G.P.O. reveal that the envelope was delivered to the addressee in good condition under clear receipt. The weight recorded on the envelope, as found at the time of booking, was 30 grams and this tallies with the weight taken on test check of the envelope with the blank papers alleged to have been found therein. The possibility, therefore, of foul-play before the article was presented at Post Office for booking cannot be ruled out. Investigations are still in progress. The addressee has reported the matter to the police.

(b) Action to fix responsibility will be taken on completion of enquiry.

**अशोक बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति**

643. **श्री जनार्दनन :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**
**श्री रामावतार शास्त्री :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
**श्री कं० हाल्दर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोक बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति दिल्ली के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस समिति का पंजीकरण कब हुआ था ; और

(ग) क्या उसके कार्यकलापों के बारे में कोई जांच की जा रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) :** (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना निम्न प्रकार है :

(क) पदधारियों के नाम :

1. श्री अतर सिंह
2. श्री कर्तार सिंह
3. श्री माम चन्द
4. श्री रूप चन्द
5. श्री ईश्वर सिंह

6. श्री देवी सिंह

7. श्री ओम प्रकाश

(ख) समिति के पंजीकरण की तारीख 3-3-1960.

(ग) इस समिति के कार्य-कलापों की कोई सांविधिक जांच नहीं की जा रही है।

**Setting up of Agriculture Commission**

644. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have taken a final decision in regard to the setting up of an Agriculture Commission; and

(b) if so, the names of the Members of the proposed commission ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):** (a) and (b). Government have decided to set up the National Commission on Agriculture. A statement showing the terms of reference of the Commission is attached.

The composition of the Commission is at present under consideration.

**Statement**

**Terms of Reference of the National Commission on Agriculture**

1. To examine and report on the present condition of agriculture and rural economy in India and to make recommendations for the improvement of agriculture and thereby for the promotion of the welfare and prosperity of the people; and.

2. In particular, to investigate and report on:

(i) the pattern of land and water utilisation and the development thereof including the cropping pattern in order to get the maximum economic return out of these resources keeping also in view the growth requirement of the economy for balanced and nutritious food and for industries and exports;

(ii) integrated development of agriculture, animal husbandry. farm forestry and inland fisheries in order to ensure the benefits of mixed farming so as to provide a minimum standard of living for even a small farmer;

(iii) afforestation as a measure for Soil Conservation and Farm Forestry having a bearing upon fuel needs of the rural areas;

(iv) the requirements of the new strategy of scientific agriculture in the shape of research support, education training and extension, statistics and of requisite supplies of good seeds, fertilisers, pesticides, weedicides, fungicides, and agicultural machinery;

(v) forecast for the decade 1970-71 to 1980-81 about the requirements of short, medium and long-term credit of farmers of varying holdings to support the agricultural programmes that may be recommend, keeping in view the possible rate of growth of investment from the farmers' own resources in the programme;

(vi) the structure and organisation of the agricultural services to support the agricultural programmes that may be recommended, defining the relative responsibilities

of the Centre and the States in this regard manpower requirements in various classes of services methods of recruitment and training;

(vii) the development required in transport, marketing, storage, farm mechanisation and in process industries to support the programme for growth in agricultural production;

(viii) the special problems of agricultural labour in the context of the new developments in the agriculture and the solutions thereof;

(ix) the level of basic requirements of social services and amenities in the rural sector in order to maintain in the rural areas the population necessary for the developing agricultural programmes, and suggestions for the organisation and resources there for;

(x) study of agricultural price problems as a policy of incentives for agricultural production;

(xi) study of agriculture production problems in remote and economically backward areas;

(xii) development of the economy of the small farmers; and

(xiii) review of land reforms programmes and in particular, programmes such as consolidation of holdings which have bearing on the size of the unit of agricultural production.

**Aerial spray of Urea solution in Rajasthan**

645. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have started any scheme for spraying urea solution by air on the crops;

(b) if so, the regions of Rajasthan and the total acreage of land, where this work has been done;

(c) whether the farmers or producers are charged for this work;

(d) the extent of increase in agricultural production as a result thereof; and

(e) whether any foreign assistance has also been taken for this scheme?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) Yes. A Centrally sponsored scheme on the aerial spraying of urea on jute and mesta crop in important jute growing States is in operation. This programme may be extended to Wheat and Paddy Crops also.

(b) Experimental-cum demostration aerial spraying of urea has only been undertaken on rainfed wheat over an area of about 5,000 acres in Baran Panchayat Samiti, district Kotah of Rajasthan during January, 1970.

(c) Under the jute scheme, grant is given to States to meet the total cost of urea and operational charges of the aircraft. The aerial spraying of urea on Paddy and Wheat is still of experimental nature, and no charges have been made by the Central Government.

(d) Increase in production of jute from this schemes ranged from 25 to 33 per cent. In case of paddy experimental trial in Madhya Pradesh, the increase was to the tune of about 12 per cent over the unsprayed plots.

(e) Under Centrally sponsored scheme on Jute and Mesta funds are provided by Government of India. The funds for experimental trial on spraying of urea on rainfed paddy in Madhya Pradesh was financed by a private agency and funds on rainfed wheat in Rajasthan have been provided from trust funds by the United States Agency for International Development.

## गुंटूर में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का 28वां अधिवेशन

546. **श्री मयाबन :** **श्री सामिनाथन् :**
**श्री नारायणन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री दण्डपाणि :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय मजदूर संघ का 28वां अधिवेशन गुंटूर में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिनिधि-मंडलों/संघों ने इस सम्मेलन में भाग लिया ;

(ग) उसमें किन-किन विषयों पर विचार किया गया ; और

(घ) सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) से (घ). समाचार पत्रों की इस सूचना के अतिरिक्त कि अखिल भारतीय मजदूर संघ ने गुंटूर में 28 जनवरी, 1970 से पहली फरवरी, 1970 तक अपना 28वां अधिवेशन आयोजित किया और कुछ प्रस्ताव पारित किये, सरकार के पास इस सम्मेलन के बारे में और कोई सूचना नहीं है।

## उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

647. **श्री मयाबन :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री नारायणन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री दंडपाणि :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री सामिनाथन् :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस दल ने सरकार से यह आग्रह किया था कि वह उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग को अपने हाथ में ले ले ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस दिशा में कोई कदम न उठाने का निर्णय किया है ; और

(घ) क्या अन्य राज्य सरकारों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां, जैसा कि समाचार पत्रों में छपा।

(ख) उत्तर प्रदेश की पिछड़ी सरकार ने यह आधार लिया था कि अखिल भारतीय आधार पर गैर-सरकारी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। तथापि, नई सरकार ने राज्य में चीनी मिलों को लेने के तौर-तरीके की जांच करने के लिये तीन सदस्यीय पेनिल नियुक्त किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

## गुजरात में सूखे की स्थिति

648. **श्री मयाबन :** **श्री दंडपाणि :**
**श्री नारायणन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री सामिनाथन् :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के 4817 गांवों में सूखा है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) गुजरात में 4,744 गांवों को कमी तथा अर्द्ध-कमी से प्रभावित घोषित किया गया है।

(ख) तथा (ग). जी हां। अक्तूबर, 1969 में राज्य सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया था।

राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्राकृतिक विपदाओं से सम्बन्धित सहायता उपायों पर खर्च करने के लिये दी जाती है। जब कभी किसी राज्य में ऐसे खर्चों की वित्तीय आयोग द्वारा अपनी हस्तान्तरण सम्बन्धी योजना में उल्लिखित मापदण्ड से बढ़ने की सम्भावना होती है तब राज्य सरकार स्थिति से सम्बन्धित एक विस्तृत रिपोर्ट तथा सम्भावी खर्चे का ब्योरा केन्द्रीय सरकार को भेजती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों का एक केन्द्रीय दल स्थान पर ही स्थिति का तथा विभिन्न सहायता उपायों के लिये धनराशि की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिये राज्य का दौरा करता है। केन्द्रीय दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये खर्चे की सीमा को अपनाया जाता है। मौजूदा नीति के अनुसार राज्यों को सहायता उपायों पर खर्चे की 75 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह उस प्रावधान से अधिक होती है जिसकी वित्तीय आयोग ने व्यवस्था की है।

1969-70 के लिये सूखा सहायता के लिये निर्धारित की गयी सीमा तथा गुजरात सरकार को 1969-70 में निर्मुक्त की गयी वित्तीय सहायता (1968-69 में किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति सहित) निम्न प्रकार है :

| | (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| **सीमा** | |
| अप्रैल से सितम्बर, 1969 | 13.86 |
| अक्तूबर, 1969 से मार्च, 1970 | 4.24 |
| | 18.10 |
| **निर्मुक्त की गयी सहायता** | |
| ऋण | 7.50 |
| अनुदान | 3.00 |
| | 10.50 |

**चेकों तथा विदेशी पत्रिकाओं की चोरी के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा डाक-कर्मचारियों के विरुद्ध जांच**

649. **श्री मयाबन :** **श्री पी० सामिनाथन् :**
**श्री नारायणन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री दंडपाणि :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने डाक-कर्मचारियों के विरुद्ध चेक तथा विदेशी पत्रिकाओं की चोरी करने और उन्हें काले बाजार में बेचने की शिकायतों के सम्बन्ध में जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) क्या ग्राहकों को भारतीय पत्रिकायें भी नियमित रूप से नहीं मिल पातीं और क्या ग्राहकों तथा पत्रिकायें भेजने वालों ने डाक अधिकारियों से अनेक शिकायतें की हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो कुछ समय से इस मामले की छानबीन कर रहा है । इस सम्बन्ध में हाल ही में उन्होंने बम्बई में एक विभागीय कर्मचारी को गिरफ्तार किया है ।

(ग) इस तरह की कुछ शिकायतें मिल रही हैं और इनके प्राप्त होने पर इनकी छानबीन की जा रही है ।

**उत्तर भारत में आलू से आटा बनाने के कारखाने की स्थापना**

650. **श्री नारायणन :** **श्री सामिनाथन् :**
**श्री मयाबन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री दण्डपाणि :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने आलू से आटा बनाने का एक कारखाना उत्तर भारत में स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने के किस राज्य में स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस पर कितनी लागत आयेगी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) खाद्य निगम इस समय आलू से आटा बनाने का एक कारखाना लगाने की व्यवहार्यता की जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

**सुपर बाजार को अतिरिक्त अनुदान देने के निर्णय पर विवाद**

651. **श्री सामिनाथन् :** **श्री नारायणन :**
**श्री मयाबन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री बलराज मधोक :**
**श्री दण्डपाणि :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजार दिल्ली को 16 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान देने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार का निर्णय दिल्ली प्रशासन तथा केन्द्र के बीच विवाद का विषय बन गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि वह अपनी योजना के लिये नियत राशि में से इस राशि का भुगतान करे ;

(घ) इस विवाद को समाप्त करने के लिये दिल्ली प्रशासन ने अन्य क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ङ) सरकार ने इस सुझाव को कहां तक स्वीकार किया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). यह निर्णय किया गया है कि सुपर बाजार, नई दिल्ली को दी गई 16 लाख रुपये की राशि वर्ष 1969-70 के लिये केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली की योजना हेतु नियत राशि के अतिरिक्त होगी । इस राशि का वास्तविक व्यय में होने वाली कमी, यदि कोई हुई, से समायोजन किया जा सकता है ।

**भारतीय समाचार पत्रों का राष्ट्रीयकरण**

652. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 10,000 से अधिक ग्राहकों वाले भारतीय समाचार पत्रों का राष्ट्रीयकरण तथा केन्द्र द्वारा मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के दलीय समाचार-पत्रों को वार्षिक आर्थिक सहायता देकर उनकी वृद्धि करने की योजना कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा ; और इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस प्रकार की सहायता से प्रेस की स्वतन्त्रता और उसके सम्मुख सरकार की जो स्थिति है उसमें अन्तर आ सकता है और वह स्वस्थ संसदीय जनतंत्र के लिये सहायक नहीं होगा ।

**राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति**

653. **श्री शिव चन्द्र झा** : **श्री रामावतार शास्त्री** :
**श्री रविराय** : **श्री मोलहू प्रसाद** :
**श्री राम किशन गुप्त** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-सी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और कौन-सी स्वीकार नहीं की गई हैं ; और सिफारिशों को स्वीकार तथा अस्वीकार करने का क्या कारण है ;

(ग) क्या किसी अखिल भारतीय कार्मिक संघ ने इसकी सिफारिशों का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनमें से किन का विरोध किया है और क्या विरोध किया है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) सिफारिशों की जांच की रही है और उनमें से कुछ स्वीकार कर ली गई हैं।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2613/70]**

**ओनासकन्था क्षेत्र में भुखमरी अथवा कुपोषण से मौतें**

654. **श्री अदिचन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 दिसम्बर, 1969 को **इण्डियन एक्सप्रेस** में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अक्तूबर और नवम्बर, 1969 के बीच एक महीने की अवधि में सूखाग्रस्त ओनासकन्था के थरांड तालुक क्षेत्र में भुखमरी से 69 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट की जांच की गई है और जांच का क्या परिणाम निकला है ;

(ग) देश में 1969 में भुखमरी और पर्याप्त पोषक भोजन न मिलने के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(घ) ऐसी मौतों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). उक्त समाचार के बारे में गुजरात सरकार को लिखा गया था और उसने यह बताया कि अक्तूबर और नवम्बर, 1969 में बानसंकठा के थराड तालुक में भुखमरी से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। किन्तु 'फ्लू' जैसी किसी बीमारी के फैलने से वहां कुछ लोगों की मृत्यु हुई है।

(ग) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भुखमरी के बारे में आरोप जांच के लिये राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं। किसी राज्य ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि 1969 में भुखमरी से किसी की मृत्यु हुई।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 1969 में पर्याप्त पोषक भोजन न मिलने के कारण किसी की मृत्यु होने का समाचार राज्य सरकारों से नहीं मिला है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**आकाशवाणी से पारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टी देने से इन्कार**

656. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के पारी-कर्मचारियों को एक वर्ष में दी जाने वाली छुट्टियों में गणराज्य दिवस, स्वतन्त्रता दिवस तथा महात्मा गान्धी जयन्ती, ये तीन राष्ट्रीय छुट्टियां सम्मिलित नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो आकाशवाणी के कुछ पारी-कर्मचारियों को वर्ष 1970 की गणराज्य दिवस की छुट्टी देने से क्यों इंकार किया गया था और क्यों कुछ अन्य कर्मचारियों के इस छुट्टी के आवेदन पत्रों का उत्तर नहीं दिया गया था ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, नहीं । आकाशवाणी में पारी पर काम करने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली 9 छुट्टियों में 3 राष्ट्रीय छुट्टियां शामिल हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आकाशवाणी काम के दिनों एवं छुट्टियों में, जिनमें तीन राष्ट्रीय छुट्टियां जिनमें आकाशवाणी के कार्यक्रम और महत्वपूर्ण होते हैं, भी शामिल हैं, सारा साल काम करता है । अतः पारी पर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की छुट्टियों में भी आवश्यक रूप से ड्यूटी लगाई जाती हैं । ऐसे कर्मचारियों को इसके बदले या तो एवजी छुट्टी दी जाती है या अतिरिक्त समय भत्ता दिया जाता है ।

वर्ष 1970 के गणराज्य दिवस की छुट्टी लेने की अर्जियों के बारे में स्थिति मालूम की जा रही है ।

**'वाल न्यूजपेपर'**

657. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री लखन लाल कपूर :**
**श्री अदिचन :** **श्री मंगलाथुमाडोम :**
**श्री स० कुण्डू :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक 'वाल न्यूजपेपर' का प्रकाशन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रकाशन कब से हो रहा है ;

(ग) क्या समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार से इसके 'नाम' के बारे में अनुमति प्राप्त कर ली गई है ; और यदि हां, तो यह अनुमति कब ली गई ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार ने 'कारण बताओ' सम्बन्धी कोई नोटिस जारी किया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, हां ।

(ख) पहला संस्करण 20 जनवरी, 1970 को प्रकाशित हुआ था ।

(ग) और (घ). अंग्रेजी में 'हमारा देश' नाम की मंजूरी समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा 27 जनवरी, 1970 को दी गई थी ।

**टेलीफोन प्रयोक्ताओं को ट्रंक काल टिकट देने के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच**

658. **श्री मोहन स्वरूप :**

**श्री लखन लाल कपूर :**

**श्री पी० विश्वम्भरन :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो टेलीफोन प्रयोक्ताओं को ट्रंक काल टिकट देने के सम्बन्ध में धोखेबाजी करने के एक बड़े मामले की जांच कर रहा है ;

(ख) क्या जांच पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी हां, कलकत्ता टेलीफोन जिले में ।

(ख) तथा (ग). अभी विशेष पुलिस व्यवस्था द्वारा इस मामले की छान बीन चल रही है ।

**Trunk Call Bills in respect of Telephones at Central Ministers' Residences**

659. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the trunk calls made by each of the Union Ministers including the Prime Minister separately from the telephones installed at their official residences from the 1st January, 1969 to-date ;

(b) the provision made on this account for the year 1969-70 ; and

(c) the provision made for this item of expenditure for the year 1968-69 ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh):** (a) to (c). The information is not readily available and will be collected from the respective Ministries, and placed before the Lok Sabha.

**Opening of new Post Offices during Fourth Five Year Plan**

660. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of new post Offices Government propose to open in the entire country during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the number of Post Offices out of them, which would be opened in urban and rural areas separately?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh):** (a) Number of new Post Offices to be opened during the Fourth Five Year Plan has not yet been finalised.

(b) Does not arise in view of (a).

**Quantity and Value of Foodgrains Imported from U.S.A., U.K., Australia and Canada**

661. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total value, in terms of rupees of foodgrains imported by Government from U.S.A., Britain, Australia and Canada and during 1967, 1968 and 1969 and during 1970 to-dade;

(b) the quantity of foodgrains received by Government from the said countries free of cost; and

(c) the estimated value of foodgrains in terms of rupees likely to be imported during 1970-71 ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):** (a) and (b). A statement is attached **[Placed in Library. See No. L.T-2614/70].**

(c) As the purchase prices and the freight are variable elements, it is not possible to indicate with any reasonable degree of accuracy the value of the foodgrains to be imported during 1970-71.

**उर्वरकों के मूल्य का चावल की उपज पर प्रभाव**

662. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जापान चावल का आयात किया करता था ;

(ख) क्या वहां की उस स्थिति में आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके फलस्वरूप अब जापान में बहुत अधिक फालतू चावल उपलब्ध है ;

(ग) क्या उर्वरकों की कीमतों के लिये भारी अनुदान दिये जाने और लाभकारी कीमतों के कारण मुख्य रूप से यह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ;

(घ) जापानी किसान और भारतीय किसान को उर्वरक के लिए औसतन कितना मूल्य देना पड़ता है ; और

(ङ) सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी हां। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात 1966 तक जापान चावल को आयात करता रहा, जबकि उसका आयात 811,000 मीटरी टन था।

(ख) हाल ही की रिपोर्टों से पता चलता है कि जापान में परिस्थिति काफी बदल गई है और उस देश के पास चावल का फालतू भण्डार है।

(ग) खाद्य और कृषि संगठन की प्रोडक्शन ईयर बुक, 1968 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार जापान में कृषकों को उर्वरकों के लिये कोई राज सहायता उपलब्ध नहीं है। जापान सरकार विपणन सहायता और प्रोत्साहन मूल्य के माध्यम से चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करती रही है।

(घ) सन 1967-68 के दौरान कृषकों द्वारा वनस्पति पोषण के प्रति 100 किलोग्राम के लिये अमरीकी डालर के रूप में अदा की हुई कीमत नीचे दी गई है :

| उर्वरक का नाम | कृषकों द्वारा डालर के रूप में अदा किया गया मूल्य | |
|---|---|---|
| | भारत | जापान* |
| एमोनियम सल्फेट | 31.2 | 25.6 |
| यूरिया | 24.3 | 22.5 |
| सुपर फास्फेट | 25.4 | 23.2 |
| (25 प्रतिशत से कम पी 205) | (कारखाने का मूल्य) | |
| म्यूरेट आफ पोटाश | 9.8 | 9.7 |
| (45 प्रतिशत से ऊपर के 20) | | |

*कोई राज सहायता नहीं।

जापान में उर्वरकों की कम कीमत के कारण :

(i) बड़े स्तर के उत्पादन से व्यय में कमी।

(ii) मशीनों और तकनीकी ज्ञान में स्वावलम्बी होना है।

*(स्रोत-खाद्य एवं कृषि संगठन प्रोडक्शन ईयर बुक खण्ड 22-1966 के लिये)

(ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद ने निर्णय किया है कि उर्वरकों सहित कृषि आदानों पर कोई राज सहायता नहीं दी जानी चाहिये और उत्पादकों का प्रोत्साहन सम्बन्धी मूल्य बनाए रखा जाये ताकि अपनी उपज बढ़ाने के लिए कृषकों को इन आदानों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

## कृषि पदार्थों के मूल्यों पर अखिल भारतीय समन्वित नीति

663. **श्री मधु लिमये** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कृषि पदार्थों एवं उत्पादों के मूल्यों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई है ;

(ख) इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय समन्वित नीति निर्धारित करने का नहीं है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे** (क) और (ख). जी हां । तथाकथित समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार है :

1. जिन पण्यों को कृषि पण्यों के रूप में सम्मिलित किया जाना है, उनकी जांच और उनका निर्धारण करना उन कृषि पण्यों का वर्गीकरण करना, जिनके मूल्यों का निश्चय किया जाना है और तुरन्त या यथासमय अधिप्राप्ति और विक्रय भी किया जाना है । इसी प्रकार यह निर्धारण करना कि क्या कृषि पर आश्रित तथा तत्सम्बन्धी उद्योगों के उत्पादन को कृषि पण्यों के रूप में निर्धारित किया जाये या नहीं और अगर किया जाये, तो कैसे ;

2. यह परिभाषा करना कि कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार हो ।

3. सिफारिश करना कि कृषि के लिए आवश्यक अनिवार्य आदानों के मूल्य का निश्चय किसे करना चाहिये ; उन्हें किस प्रकार निश्चित किया जाना चाहिये और कृषि (उत्पादन) की लागत कैसे निकाली जाये ।

4. छोटी जोत के स्वामियों और निर्धन वर्ग के उपभोक्ताओं के हितों का समाधान किस प्रकार किया जाये जिससे कि दोनों के लिए अधिकाधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके ।

5. मूल्य नियमन की विधि, क्रय, कृषि पण्यों का विक्रय और वितरण की एजेन्सी और आवश्यक संसाधनों को जुटाने की विधि और इस कार्य के लिये स्थापित की जाने वाली मशीनरी के सम्बन्ध में सिफारिश करना ।

6. उद्योगों के लिये आवश्यक कृषिगत कच्चे माल के मूल्यों के निर्धारण के क्या सिद्धान्त होने चाहिए और ऐसे कच्चे माल के मूल्यों के नियतन के लिये किस प्रकार की मशीनरी होनी चाहिए ।

7. वर्तमान विपणन व्यवस्था की जांच करना और उसमें वैधानिक और अन्य परिवर्तनों के सम्बन्ध में सुझाव देना ।

8. सट्टा बाजार से कृषि पण्यों के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिये सट्टा बाजार प्रणाली की जांच और इस सम्बन्ध में नीति का निर्धारण करना ।

9. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के क्षेत्र में आने वाले विषयों की जांच करना और उनके तत्सम्बन्धी उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना ; और

10. कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उपायों के सम्बन्ध में सुझाव देना ।

(ग) सरकार विभिन्न कृषि पण्यों के सम्बन्ध में सारे भारत के लिए एक समन्वित मूल्य नीति अपनाने के लिए पहले ही कदम उठा चुकी है और इस उद्देश्य के लिये कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है। आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के परामर्श से स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक समायोजन करते हुए निर्णय किया जाता है ।

**गन्ने तथा गुड़ के मूल्य में गिरावट**

664. **श्री मधु लिमये : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर गन्ने और गुड़ के मूल्य अधिक गिर जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष/सत्र में इनका प्रति मन अथवा प्रति क्विंटल क्या मूल्य था ; और

(ग) कृषकों तथा गुड़ उत्पादकों की सहायता के लिये सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी हां ।

(ख) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने का अधिसूचित न्यूनतम मूल्य और 1967-68 और 1968-69 में वास्तव में दिया गया मूल्य संलग्न अनुबन्ध 1 में दिया गया है। 1969-70 में चीनी कारखाने आमतौर पर गन्ने का न्यूनतम मूल्य दे रहे हैं। महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखाने और कुछ अन्य दक्षिणी राज्य आमतौर पर अपने वास्तविक कार्यचालन के परिणामों के आधार पर गन्ने का अतिरिक्त मूल्य देते हैं। 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के वर्षों के दौरान विभिन्न मंडियों में गुड़ के मास के अन्त में थोक मूल्यों को बताने वाला अन्य एक विवरण (अनुबन्ध 2) संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2615/70]**

(ग) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) चीनी कारखानों द्वारा गन्ने का देय न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। निर्धारित मूल्य 9.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर 7.37 रुपये प्रति क्विंटल है। उपलब्धि में 9.4 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर मूल्य में 5.36 प्रति क्विंटल अधिक दिये जाते हैं।

(2) राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे चीनी कारखानों के लिये पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के बाद शक्ति चालित कोल्हुओं और खण्डसारी यूनिटों के कार्यचालन पर से प्रबन्ध उठाएं।

(3) फैक्ट्री क्षेत्र में उपलब्ध गन्ने का पूरा उपयोग करने की दृष्टि से सरकार ने 1969-70 में फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी पर उनके द्वारा 1968-69 में उत्पादित चीनी के 105 प्रतिशत से अधिक पर 8 रुपये प्रति क्विंटल पर छूट दी है।

(4) महाराष्ट्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह गन्ना उत्पादकों की ओर से दिए गए इस सुझाव कि चीनी कारखानों को इस बात की इजाजत दी जानी चाहिये कि वे उनके फैक्ट्री क्षेत्र से बाहर से सप्लाई किये गन्ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से गन्ने का कम मूल्य दें, की जांच कर सलाह दें।

स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती है और आवश्यक तथा व्यवहार्य समझे जाने वाले अन्य ऐसे उपायों पर विचार किया जायेगा।

**आकाशवाणी में हिन्दी स्टेनोग्राफरों को अग्रिम वेतन वृद्धि**

665. **श्री मधु लिमये :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 20 मार्च, 1969 और 20 नवम्बर, 1969 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 3864 तथा 654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि सरकार के आदेश संख्या 7/1/66-बी(ए) दिनांक 28 फरवरी, 1967 में अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों तथा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के स्टेनोग्राफरों के बीच कोई अन्तर नहीं रखा गया है ;

(ख) क्या उपर्युक्त आदेश संख्या 9/9/67-एस-2 दिनांक 27 नवम्बर, 1968 में दिया गया स्पष्टीकरण संविधान के अनुच्छेद 16 (2) तथा 14 का उल्लंघन नहीं करता है और क्या यह अन्यायपूर्ण अनुचित तथा अवैध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो अंग्रेजी से भिन्न भाषाओं के स्टेनोग्राफरों को यह सुविधा देने के सम्बन्ध में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) से (ग). अंग्रेजी के स्टेनोग्राफरों को जो रियायत दी गई है, वह हिन्दी के स्टेनोग्राफरों समेत भारतीय भाषाओं के स्टेनोग्राफरों को भी देने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है। देरी अन्य मंत्रालयों से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता के कारण हुई है, जिसमें समय लगा है।

**दिल्ली सहकारी अधिनियम और सहकारी गृह-निर्माण संस्थाओं की उप-विधियां**

666. **श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सहकारी अधिनियम और सहकारी गृह-निर्माण संस्थाओं की उप-विधियों के अन्तर्गत ऐसी संस्थाओं की प्रबन्धक समितियों को अपने सदस्य बनाने की सांविधिक शक्तियां प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त भाग (क) के विरुद्ध ऐसी संस्थाओं को कोई अनुदेश जारी किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन संस्थाओं ने इसका विरोध किया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी० एरिंग) :** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सरकार ने कोई अनुदेश जारी नहीं किये हैं। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने अनुदेश जारी किए हैं कि सहकारी गृह-निर्माण समितियों को नये सदस्य बनाने से पहले उनकी अनुमति लेना आवश्यक होगा। उन्होंने ये अनुदेश भूमि के आवंटन तथा उपयोग को नियमित करने के लिए जारी किये हैं।

(ग) जी हां। दिल्ली प्रशासन ने इन समितियों की स्थिति स्पष्ट कर दी है।

**राजस्थान के अकालग्रस्त लोगों को मोटे अनाज की सप्लाई**

667. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जनवरी, 1970 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि यदि मोटे अनाज का भण्डार बनाने के लिये तुरन्त कार्यवाही न की गई तो राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में हजारों लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के पास मोटे अनाज में केवल 'मिलो' ही है और यदि यह सारा भण्डार भी राजस्थान को दे दिया जाय तो यह एक महीने से अधिक नहीं चलेगा और राज्य सरकार के पास मोटे अनाज का कोई भण्डार नहीं है और वह इसके लिये केन्द्रीय सरकार पर निर्भर है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष में राजस्थान के अकालग्रस्त लोगों को मोटे अनाज की सप्लाई में वृद्धि करने के बारे में कोई निर्णय किया है और कोई योजना बनाई है और अनाज की सप्लाई कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) सरकार ने उल्लिखित रिपोर्ट देख ली है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार के पास कुछ मक्का भी निपटान के लिये है जिसमें से उपयुक्त मात्रा राजस्थान को आवंटित की गयी है। राजस्थान सरकार के पास जनवरी, 1970 की निकासी के आधार पर दो महीनों से अधिक समय के लिए अपनी जरूरतें पूरी करने हेतु मोटे अनाजों का पर्याप्त स्टाक भी है।

इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से राजस्थान को मोटे अनाज भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

## खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के उपाय

668. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

**श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर भारत में खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मूल्य-वृद्धि देशव्यापी विषय है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) उत्तरी राज्यों में नवम्बर, 1969 और जनवरी, 1970 के मध्य तक के बीच की अवधि में प्रमुख खाद्यान्नों के मूल्यों में आम तौर पर बढ़ोत्तरी हुई है। इसके बाद भावों में गिरावट की प्रवृत्ति आयी है।

(ख) नवम्बर, 1969 से जनवरी, 1970 के मध्य तक सर्दी की वर्षा के अभाव से 1969-70 की रबी फसलों की सम्भावनाओं के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गयी और 1967-68 की अपेक्षा 1968-69 में लगभग सभी उत्तरी राज्यों में मोटे अनाजों की पैदावार में गिरावट आने से नवम्बर, 1969 से जनवरी, 1970 के मध्य तक थोक मूल्यों में वृद्धि हुई।

(ग) जी नहीं। अन्य राज्यों में मूल्यों में मिली-जुली प्रवृत्ति देखी गई।

मूल्यों में वृद्धि पर काबू पाने के लिये सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न वितरित किये जाते हैं। जहां आवश्यक था केन्द्रीय पूल से राज्यों को आवंटन बढ़ा दिया गया है। जहां खाद्यान्नों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है, वहां खुले बाजार के माध्यम से बफर स्टाक से खाद्यान्न दिये जा रहे हैं।

## राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिये अध्ययन दल

669. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के प्रतिनिधियों की उच्च शक्ति प्राप्त एक समिति ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के क्रमानुसार अध्ययन का काम प्रारम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के किन-किन जिलों में यह अध्ययन किया जा रहा है ;

(ग) क्या अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है और यदि हां, तो क्या राजस्थान में सूखे का स्थायीरूप से उन्मूलन करने के लिये अध्ययन के परिणामस्वरूप किन्हीं सुनिश्चित उपायों का पता लगा है ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं होते।

**दक्षिण दिल्ली में राशन की दुकानों को गेहूं की सप्लाई रोकने की जांच**

670. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीनों में दक्षिण दिल्ली के राशन वाले क्षेत्रों में राशन की दुकानों से गेहूं का वितरण नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप लोगों को राशन के गेहूं के मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य पर गेहूं को खुले बाजार से खरीदना पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे पूर्व के दो महीनों से भी राशन की दुकानों को वितरण के लिये पर्याप्त मात्रा में गेहूं सप्लाई नहीं किया गया था ; और

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिए राशन की दुकानों से गेहूं की सप्लाई न किये जाने के क्या कारण हैं, कोई जांच की गई है और क्या इसके लिये किसी को जिम्मेवार ठहराया गया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) दिल्ली में उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से की जाने वाली गेहूं की सप्लाई कभी भी बंद नहीं की गई थी, अतः उसके लिये दायित्व निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, दक्षिण दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी भंडारों द्वारा चलाई जा रही कुछ उचित मूल्य की दुकानों ने समय से गेहूं का स्टाक लिया नहीं था। अब उनसे कहा गया है कि वे नियमित रूप से स्टाक उठाया करें।

**कपास की फसल पर कीटनाशक दवाइयां छिड़कने के लिये हैलीकाप्टरों की खरीद**

671. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 4 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक से ऋण लेकर हैलीकाप्टर खरीदने के काम में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उक्त बैंक ने हैलीकाप्टरों की खरीद के लिये ऋण देने का निर्णय किया है और

(ग) यदि हां, तो कितने हैलीकाप्टर खरीदने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) निर्यात-आयात बैंक के ऋणों की 5 श्रेणियों में से अबतक 17 हैलीकाप्टर आयात किये गये हैं और अन्य 6 हैलीकाप्टर प्राप्त किये जा रहे हैं।

(ख) यह पता नहीं है कि क्या उक्त बैंक हैलीकाप्टरों की खरीद के लिये और ऋण देने के बारे में विचार करेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

**Automatic Telephone Exchange at Yeotmal (Maharashtra)**

672. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to set up an automatic exchange at Yeotmal in Maharashtra; and

(b) if so, the reasons for the delay in setting up the said automatic exchange?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh):** (a) Yes, Sir.

(b) Due to delay in execution of building work, the Automatic Exchange could not be commissioned. The building work has since been completed and Exchange is expected to be commissioned during 1970-71.

**Conference of All India Class III Telegraph Employees (Nagpur Division)**

673. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the Fifth Conference of the All India Class III Telegraph Employees (Nagpur Division) was held in Yeotmal in January, 1970;

(b) the demands put forth by the employees at the conference ; and

(c) the action taken by Government thereon?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh):** (a) to (c). The P and T Board has no information whatsoever, about the fifth conference of the All India Telegraph Class III Employees—Nagpur Division held at Yeotmal in January, 1970.

**गांवों में निर्मल जल की व्यवस्था**

674. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5,60,000 गांवों में से 1,19,000 गांवों में निर्मल जल की व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) इस समस्या के समाधान के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) :** (क) और (ख). 1964-65 में खण्ड संगठनों के माध्यम से पेयजल सुविधाओं के सर्वेक्षण से पता चला था कि देश में ऐसे गांवों तथा छोटे गांवों की संख्या 1.19 लाख थी जिनके लिये पेय जल का कोई साधन नहीं था और जिनका सामर्थ्य केवल साधारण सस्ते कुओं तक ही सीमित था। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1965-66 से 1968-69 के वर्षों में 84,084 गांवों में 70,059

कुओं का निर्माण किया गया है। इस बुनियादी सुविधा की व्यवस्था करने के लिये ग्राम जल सप्लाई योजनाएं चौथी योजना में जारी रखी जाएंगी। चौथी योजना में इस योजना के लिये काफी बड़ी राशि की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकारों से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कुओं के निर्माण का क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाने तथा इस योजना के लिये पर्याप्त धनराशि निर्धारित करने के लिये विशेषरूप से अनुरोध किया गया है।

**आकाशवाणी को निगम में बदलना**

675. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री रवि राय :**
**श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपक्षी दलों से बार-बार मांग की जा रही है कि आकाशवाणी को एक निगम में परिवर्तित किया जाये ; और

(ख) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) कुछ दलों ने समय-समय इस प्रकार की मांगें की हैं।

(ख) सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और यह निर्णय है कि आकाशवाणी को फिलहाल वैधानिक स्वायत्तशासी निगम में नहीं बदलना चाहिये।

**बिहार तथा पश्चिम बंगाल में कोयला खानों में मनमाने ढंग से छंटनी**

677. **श्री भगवान दास :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, बिहार के धनबाद जिले की कोयला खानों में तथा धनबाद जिले में सेठिया समूह की कोयला खानों में 31 जनवरी, 1967, 31 जनवरी, 1968 तथा 31 जनवरी, 1969 को स्थाई तथा अस्थाई कोयला खान मजदूरों की संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि सामान्यतः धनबाद कोयला क्षेत्र में तथा विशेषतः सेठिया समूह के अधीन कोयला क्षेत्र में मजूरी बोर्ड के पंचाट की क्रियान्विति के बाद नियोजकों ने स्थाई मजदूरों को निकाल कर उनके स्थान पर अस्थाई मजदूर रखने की एक नियमित परम्परा-सी बना ली है ; और

(ग) यदि हां, तो मनमाने ढंग से इस प्रकार की छंटनी को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

**भारतीय उर्वरक निगम में चार्जमैनों के सम्बन्ध में दूसरे वेतन आयोग के पंचाट की क्रियान्विति**

678. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री भगवान दास :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार के श्रम विभाग ने 17 जनवरी, 1967 के अपने पत्र संख्या आई० सी०-40241/67 एल० एण्ड ई०-328 में भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी यूनिट को सूचित किया था कि दूसरे वेतन आयोग का प्रतिवेदन चार्जमैनों पर लागू होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूसरे वेतन आयोग का निर्णय सिंदरी यूनिट सहित भारतीय उर्वरक निगम के सभी यूनिटों में 1 अप्रैल, 1964 से लागू किया गया था परन्तु केवल चार्जमैन को छोड़ दिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त निर्णय चार्जमैन के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1964 के बजाय 1 मार्च, 1967 से लागू किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन करने के लिये भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धकों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ; और

(ङ) चार्जमैन के सम्बन्ध में उपर्युक्त पंचाट को 1 अप्रैल, 1964 से लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). निगम ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ पहली अप्रैल, 1964 से अपनी सभी इकाइयों को जिनमें सिन्द्री इकाई भी है, देना स्वीकार किया। लेकिन सिन्द्री इकाई के बारे में, दूसरे वेतन आयोग के वेतन-क्रम केवल गैर-श्रमिक वर्गों पर ही लागू किये गये। श्रमिकों जिनमें चार्जमैन भी सम्मिलित हैं, बिहार औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के अन्तर्गत आये हुये थे। लेकिन बाद को, सिन्द्री के चार्जमैनों को भी, उनकी विशेष प्रार्थना पर न्यायाधिकरण के पंचाट के क्षेत्र में बाहर आने का विकल्प दिया गया और द्वितीय वेतन आयोग के वेतन-क्रम इत्यादि का लाभ उन्हें एक मार्च, 1967 से दिया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार, सिन्द्री इकाई के अन्य श्रमिक न्यायाधिकरण के पंचाट से ही प्रशासित हो रहे हैं।

(घ) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें सरकारी क्षेत्र की इकाइयों पर स्वत: लागू नहीं होती थीं। इन परिस्थितियों में किसी उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय इस मामले की जांच कर रहा है।

## चौथे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कुप्रबन्ध

679. **श्री मंगलाथुमाडोम :**

**श्री एस० एम० कृष्ण :**

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दिल्ली और बम्बई में हुए चौथे अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्मों के प्रदर्शन में कुप्रबन्ध के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) तथा (ख). दिल्ली में समारोह के उदघाटन के दिन अधिक भीड़ होने के परिणामस्वरूप हुई अव्यवस्था के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं। दिल्ली और बम्बई में हुये फिल्मों के व्यापारिक प्रदर्शनों में कुप्रबन्ध या दुर्व्यवहार के बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ग) उपचारात्मक उपाय किये गये और दिल्ली में उद्घाटन के दिन के बाद समारोह ठीक प्रकार चलता रहा।

## Obstacles in Enforcement of Land Reforms Laws

680. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether some further progress has been made in regard to the enforcement of land reforms laws ;

(b) whether it is a fact that the large farms owned by Ministers and their relations in some States are standing in the way of early implementation of this decision ; and

(c) in case some State Governments are delaying the enforcement of the said laws, whether Central Government propose to take certain further steps there ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde):** (a) The progress made in regard to enforcement of land reform laws has been reviewed in the notes on agenda for the Chief Minister's Conference on Land Reforms held on November 28-29, 1969 copies of which have been placed in the Parliament Library.

Further progress made in the implementation of land reform in the various States is briefly summarised below:

**Andhra Pradesh:**

Legislation has been enacted for abolition of mutadari tenure in the scheduled areas and for introduction of ryotwari tenure settlement in various parts of the scheduled areas of the State. A regulation is also being made for further strengthening the provisions relating to regulation of alienation of land belonging to members of the Scheduled Tribes. Proposals for further measures of land reforms are under consideration.

**Assam :**

The Government of Assam has formulated proposals for further reduction of the ceiling limit and strengthening the provisions relating to exemptions and transfers with a view to preventing evasion of the ceiling provisions. Proposals are also under consideration for conferment of substantial rights to tenants and adhiars (share-croppers) in the temporary settled districts of Assam.

**Bihar :**

The following measured have been enacted as President's Act :

1. The Bihar Land Reforms (Amendment) Act, 1970 which seeks to remove certain difficulties experienced in the implementation of abolition of intermediaries in the State of Bihar.
2. The Bihar Tenancy (Amendment) Act, 1970 which provides for barring the jurisdiction of Civil Courts in certain matters in which correctness of any entry in the record of rights is expressly or impliedly challenged or in which determination of incidence of tenancy is involved and for disposal of such cases by Revenue Courts.
3. The Bihar Re-enacting Act, 1970 which seeks to re-enact with minor modifications the Bihar Land Reforms (Validation) Act, 1969, the Ranchi District Tana Bhagat Raiyats Agricultural Land Restoration (Amendment) Act, 1969, the Chota Nagpur Tenancy (Amendment) Act, 1969 and the Bihar Tenancy (Amendment) Act, 1969. While the period within the proceedings for restoration may be initiated under the Ranchi District Tana Bhagat Raiyats Agricultural Lands Restoration Act, 1947, has been further extended up to 31st March, 1971, the modifications made in the Chota Nagpur Tenancy and Bihar Tenancy (Amendment) Acts confer on occupancy-raiyat or a tenant the right of simple mortgage in favour of nationalised commercial banks as well. Proposals are also under consideration for further measures of land reform particularly with regard to prevention of eviction of bataidars and revision of ceiling limit in the State of Bihar.

**Gujarat :**

Special drive has been launched by the Government of Gujarat for disposal of all outstanding matters pertaining to land reforms. It is expected that the disposal of surplus land, barring a few cases which are pending before the High Court or the Supreme Court, would be completed before the commencement of the next sowing season viz., by June, 1970.

**Jammu and Kashmir :**

Further measures of land reforms are under the consideration of a Cabinet Sub-Committee under the Chairmanship of the Revenue Minister.

**Kerala :**

The Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1969 which provides for further strengthening the provisions relating to tenants and kudikidappukarans and for reducing the ceiling limit has been enacted. The various provisions of the principal Act as recently amended have been brought into force.

**Maharashtra :**

The ceiling legislation is being amended with a view to confer permanent rights in respect of sugar cane farms taken over from sugar factories to facilitate further development of such lands.

**Mysore :**

With a view to expediting disposal of applications for resumption of land and determination

of ceiling areas by Land Tribunals, an Ordinance was issued empowering the Munsiff Courts to function as Land Tribunals. A bill has since been passed by the State Legislature for replacement of the Ordinance.

As and when the resumption applications and declaration of ceiling areas are decided by the Tribunals, Government propose to issue vesting orders for the land declared as non-resumable or surplus, as the case may be. The problem of paying compensation to ex-holders is sought to be tackled with the help of nationalised banks.

**Rajasthan :**

Proposals are under consideration for amendment of the Rajasthan Land Reform and Acquisition of Land Owners Estates Act with a view to removing the difficulties pointed out in a recent High Court judgement. Proposals are also under consideration for further amending the provisions relating to land alienations with a view to safeguarding the interests of a member of the Scheduled Caste who ceases to be a member of such caste due to change of religion or otherwise.

**Tamil Nadu :**

Legislation has been enacted for abolition of intermediaries in the Gudalur Taluk of Nilgiris District and for introduction of royatwari settlement therein. Legislation has also been enacted for preparation of record of rights of tenants and administrative action is being taken for expediting the preparation of such records.

**Uttar Pradesh :**

Proposals are under consideration for revision of ceiling legislation and for further measures of land reforms in the State of U. P.

**Dadar and Nagar Haveli :**

The draft land reforms regulation has been revised taking into consideration the recommendations made at the recent Chief Minister's Conference on Land reforms.

**Manipur :**

The Manipur Administration has under consideration amendment of the existing legislation with a view to reducing the ceiling limit and plugging the loopholes with regard to exemptions and to withdrawing the right of resumption of land-owners except in very speci[ cases.

(b) No Sir.

(c) Land bring a State subject, the responsibility for enactment of suitable legislation and its implementation is the responsibility of the State Government. The recommendations made by the Central Government can only be of advisory nature.

## Wall Newspaper Hamara Desh

681. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to publish the wall-newspaper, viz., Hamara Desh on an experimental basis to start with ;

(b) if so, from where this paper would be published in the beginning ; and

(c) the special features thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral):** (a) Yes, Sir.

(b) The paper is being published from Delhi at the moment.

(c) The wall-paper started by the Press Information Bureau is in the nature of an experiment to focus attention on the country's progress and achievements.

**Fresh Migration of Refugees from East Pakistan**

682. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether some more refugees have come to India from East Pakistan during the last three months;

(b) if so, whether they have also informed Government about the causes of their migration; and

(c) whether Government have entered into correspondence with the Government of Pakistan in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad):** (a) During the three months ending December, 1969, 3559 persons are reported to have migrated from East Pakistan to India.

(b) The influx has taken place, as in the past, on account of insecure conditions in East Pakistan, economic distress and discriminatory treatment meted out to the minority communities there.

(c) The Government of India have repeatedly drawn the attention of the Government of Pakistan to the plight of the minorities there, and have urged that Government to ensure their security, full freedom and equality of rights, in accordance with the Nehru-Liaquat Agreement of 1950.

**खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा टेलीफोन का कथित दुरुपयोग**

683. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने जुलाई और अगस्त 1969 में, अपने निजी मित्रों को, जिनमें संसद सदस्य और विधान सभाओं के सदस्य भी सम्मिलित हैं, अनेक बार "प्राथमिकता प्राप्त तुरन्त अविलम्बनीय, साधारण तथा स्थानीय" रूप से टेलीफोन कर के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अधिकार का दुरुपयोग करने के क्या कारण थे ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):** (क) जी नहीं।

सरकारी खाते में जो ट्रंक काल मंत्री जी के द्वारा या उनके लिए किये गये, उनके उपयोग के हेतु प्राप्त पांच टेलीफोन, जो उनके निवास स्थान 6, हेस्टिंग्स रोड, कृषि भवन कार्यालय और संसद भवन के कार्यालय में हैं, उन पर कुल व्यय जुलाई और अगस्त, 1969 में क्रमश: 77.00 और 148.50 रुपये हुआ।

जहां तक स्थानीय काल का सम्बन्ध है, उनका बिल हर तीन महीने बाद मीटर-वाचन (मीटर-रीडिंग) के आधार पर समय-समय पर रिकार्ड की गई टेलीफोन काल, जो कैलेण्डर-मास के आरम्भ और अन्त होने से मेल नहीं खाती है, के अनुरूप डाक व तार विभाग से प्राप्त होता है। अतः किसी मास विशेष में कितना व्यय हुआ है, यह बताना संभव नहीं है। तथापि डाक व तार विभाग के प्राप्त मीटर-रीडिंग को आधार मानकर, इन महीनों में किए गये टेलीफोनों की संख्या का पता लगाया गया और तदनुसार खर्चे का हिसाब किया गया है। इस आधार पर जुलाई और अगस्त, 1967 में की गई टेलीफोन काल पर क्रमशः लगभग 1575/-और 1200/- रुपये व्यय हुआ है जब कि पूरे वर्ष 1969 का औसत व्यय 1300/- रुपये बैठता है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

**आकाशवाणी के प्रसारणों में पक्षपात के विरुद्ध शिकायतें**

684. **श्री अब्दुल गनी दार :**

**श्री श्रीचन्द्र गोयल :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969-70 में अनेक संभ्रांत नागरिकों ने आकाशवाणी के विरुद्ध पक्षपात की कई शिकायतें की थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):** (क) जी, हां।

(ख) इन सभी शिकायतों की जांच की गई थी। इनमें से अधिकतर शिकायतों में कोई तत्व नहीं था। तथापि आकाशवाणी के प्रसारणों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये बराबर प्रयत्न किए जाते हैं।

**दिल्ली से प्रकाशित होने वाले भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन**

685. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में दिल्ली से प्रकाशित होने वाले भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को कितने मूल्य के विज्ञापन दिये गये;

(ख) क्या साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं को भी कोई विज्ञापन दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस अवधि में इन समाचारपत्रों अथवा पत्रिकाओं को कितने विज्ञापन दिये गये ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दिल्ली से प्रकाशित भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को दिये गये सरकारी विज्ञापनों के मूल्य नीचे दिये गये हैं :

| | 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 |
|---|---|---|---|
| | रुपये | रुपये | रुपये |
| | 4,34,808 | 7,76,862 | 5,78,767 |
| (ख) जी, हां। | | | |
| (ग) साप्ताहिक | 41,723 | 1,43,745 | 88,175 |
| मासिक | 69,634 | 1,09,966 | 88,422 |

**मनीपुर में भूमिहीन किसानों को कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि का आवंटन**

686. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में सरकार ने मनीपुर के निर्धन तथा भूमिहीन किसानों को कृषि कार्य के लिये कुल कितनी भूमि आवंटित की ; और

(ख) उसमें से कितनी भूमि इस कार्य के लिये पंजीकृत सहकारी कृषि समितियों को आवंटित की गई है तथा उनके नाम क्या हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) मणिपुर में भूमिहीन कृषकों को 1968-69 की अवधि में कृषि कार्य के लिए 5738.03 एकड़ भूमि अलाट की गयी है।

(ख) सन् 1968-69 की अवधि में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को अलाट हुई 5738.03 एकड़ भूमि में से 2606.46 एकड़ भूमि 17 पंजीकृत सहकारी फार्मिंग समितियों को अलाट की गई है। उन समितियों के नाम निम्नलिखित हैं:

1. खथौंग सामूहिक सहकारी फार्मिंग।
2. सनापत टोरोंगलौवी सहकारी फार्मिंग।
3. मोइरंग मामंग सहकारी फार्मिंग।
4. थंगा केइबुल सामूहिक सहकारी फार्मिंग।
5. चानुंग संयुक्त सहकारी फार्मिंग।
6. तिलोऊ संयुक्त सहकारी फार्मिंग।
7. वागूं ली इफाम मेयाइवे मयाइवे इकाई सहकारी फार्मिंग।
8. माइबम कोंजिन सामूहिक फार्मिंग।
9. वागूं सफाम सामूहिक सहकारी फार्मिंग।
10. लेंगलोंग काबुई सहकारी फार्मिंग।
11. वाहंगेखुमन सामूहिक सहकारी फार्मिंग।
12. सामुसंग भाग 1 सामूहिक सहकारी फार्मिंग।
13. नऔडाखोंग सामूहिक सहकारी फार्मिंग।
14. थंगा कीइबुल सामूहिक सहकारी फार्मिंग।
15. खुटलुमपट सहकारी फार्मिंग।
16. टेन थखुनजाओ खोंगवन सामूहिक सहकारी फार्मिंग।
17. उटलोउ सहकारी फार्मिंग।

**लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में छंटनी**

687. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोक निर्माण विभाग, मनीपुर में हाल ही की गई छंटनी के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रभाव कितने कर्मचारियों पर पड़ा तथा उनमें से कितने कर्मचारी लगातार एक वर्ष से अधिक समय से सेवा कर रहे थे; और

(ग) इस छंटनी के क्या कारण थे ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) से (ग). सूचना मणिपुर प्रशासन से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी।

**मनीपुर में धान का उत्पादन**

688. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 तथा 1970 में अब तक मनीपुर सरकार ने धान का कितना उत्पादन किया ;

(ख) वर्ष 1969 में उचित दाम वाली दुकानों द्वारा धान की कितनी मात्रा बेची गई;

(ग) सरकार को समाहार नीति मनीपुर में धान और चावल के मूल्य स्थिर करने तथा किसानों का उनके धान के उचित मूल्य दिलाने में कहां तक सहायक हुई है ; और

(घ) धान का उत्पादन कम होने तथा बाजार मूल्य और समाहार मूल्य का अन्तर अधिक होने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):**

(क)

| फसल वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर तक) | अधिप्राप्त धान की मात्रा हजार मीटरी टन में |
|---|---|
| 1968-69 | 6.1 |
| 1969-70 | 2.0 (21-2-70 तक) |

(ख) 549 मीटरी टन

(ग) और (घ). इस वर्ष मणिपुर में धान की अच्छी फसल होने के कारण धान का बाजार-भाव, सरकार द्वारा निर्धारित धान के अधिप्राप्ति-मूल्य से अपेक्षाकृत कम बताया जाता है। अधिप्राप्ति तो धान के गिरते हुए मूल्य को सहारा देने और कृषकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु की जाती है। राज्य सरकार अधिप्राप्ति की अवधि बढ़ा रही है और भारतीय खाद्य निगम से भी मणिपुर में अधिशेष धान को खरीदने के लिए कहा गया है।

**मनीपुर के पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र को भुगतान**

689. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र के शिक्षकों को सरकारी कोष से भुगतान किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें 1969-70 के लिये भुगतान किया गया है और यदि नहीं, तो उनको भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) :** (क) 14 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3658 के उत्तर में जानकारी पहले ही दी जा चुकी है ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**मनीपुर विद्युत कर्मचारी संघ को मान्यता देना**

690. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार को अब तक कितने तथा किन-किन कार्मिक संघों ने मान्यता के हेतु आवेदन दिये हैं ;

(ख) उनमें से कितने कार्मिक संघों को मान्यता दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि मनीपुर में विद्युत कर्मचारियों के एक मात्र मनीपुर विद्युत कर्मचारी संघ को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, यद्यपि वह संघ मान्यता के लिये निर्धारित सभी शर्तें पूरी करता है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्मिक संघ को मान्यता देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना मणिपुर प्रशासन से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**पी० एल० 480 के अधीन आयात किये जाने वाले अनाज तथा अन्य कृषिजन्य पदार्थ**

691. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
**श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में पी० एल० 480 करार के अधीन कितना अनाज तथा अन्य कृषिजन्य पदार्थ आयात करने का विचार है ; और

(ख) आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). पी० एल० 480 करार, दिनांक 13-10-1969 के अन्तर्गत गेहूं, कपास और वनस्पति तेलों के आयात के लिये कुल 1915 लाख डालर सुलभ किये गये थे। वनस्पति तेल का आयात करने के लिये 1969 में 67 लाख डालर की अग्रिम राशि प्राप्त की गयी थी। जिससे 1848 लाख डालर शेष बच गए। आशा है कि 1970 में लगभग 28 लाख मीटरी टन गेहूं, 2,25,000 गांठ (भारतीय गांठ) कपास और 52,000 मीटरी टन सोयाबीन तेल का आयात किया जाएगा जिसकी कुल कीमत लगभग 1848 लाख डालर होगी। 1970 में पी० एल० 480 के अधीन और कोई आयात संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ इसके बाद यदि कोई प्रबन्ध किया जा सका तो उस पर निर्भर करेगा।

## अनाज का रक्षित भण्डार

692. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षित भण्डार के रूप में अब तक कुल कितना अनाज एकत्र किया गया है ; और

(ख) क्या रक्षित भण्डार की मात्रा में अग्रेतर वृद्धि करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास जनवरी, 1970 के अन्त में खाद्यान्नों का कुल प्रत्यक्ष स्टाक लगभग 42 लाख मीटरी टन था। इसमें से लगभग 27 लाख से 30 लाख मीटरी टन स्टाक को बफर स्टाक समझा जा सकता है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में 50 लाख मीटरी टन का बफर स्टाक तैयार करने का विचार है।

## अनाज-गोदामों की भण्डारण क्षमता

693. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1969 में अनाज-गोदामों की भण्डारण-क्षमता क्या थी और जून, 1970 में सरकारी गोदामों की अनुमानित भण्डारण-क्षमता क्या होगी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : इस समय खाद्य विभाग के पास कोई खाद्यान्न गोदाम नहीं है और खाद्यान्नों के भण्डारण की जिम्मेदारी अब भारतीय खाद्य निगम की है। भारतीय खाद्य निगम के पास अक्तूबर, 1969 के अन्त में अपनी तथा किराये की भण्डारण क्षमता 56.62 लाख मीटरी टन थी। आशा है कि यह क्षमता जून, 1970 के अन्त तक 64.72 लाख मीटरी टन हो जायेगी।

**पंजीकृत तथा अपंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और स्व-नियोजन की योजना**

694. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
**श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1969 को देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की अनुमानतः कितनी संख्या होगी जो किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में स्व-नियोजन के आधार पर लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने की कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) नियोजन कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में 31 दिसम्बर, 1969 को 34.23 लाख नियुक्ति सहायता चाहने वालों के नाम दर्ज हैं। उन बेरोजगार लोगों के बारे में यथातथ्य अनुमान उपलब्ध नहीं है जिनके नाम नियोजन कार्यालयों में दर्ज नहीं हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). ऐसे इन्जीनियरों के लिये जो अपना निजी काम आरम्भ करना चाहते हैं, एक योजना तैयार की गई है। इसके अधीन उपयुक्त प्रशिक्षण देने और वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना के लिये ऐसे इन्जीनियरों को अग्रिम ऋणों की मंजूरी देने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान और कृषि इन्जीनियरों की उपाधि रखने वालों को स्व-नियोजित बनाने के लिये स्टेट बैंक ने ऋण प्रदान करने की एक योजना आरम्भ की है। इन्जीनियरों और कृषि स्नातक आदि को स्व-नियोजित अवसर प्रदान करने के लिये ग्रामीण सेवा केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी एक अन्य योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

अपना कार्य आरम्भ करने के इच्छुक इन्जीनियरों व तकनीशियनों और तकनीकी योग्यता रखने वालों द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता देने से सम्बन्धित एक नमूने की योजना भी राज्य सरकारों को भेजी गई है।

**विवरण**

सरकारी और निजी क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में नियुक्त किये व्यक्तियों की संख्या

| | संगठित क्षेत्र में नियुक्तियां * | | |
|---|---|---|---|
| | सरकारी | निजी | कुल |
| | | (लाखों में) | |
| मार्च, 1967 के अन्त तक | 96.34 | 66.84 | 163.18 |
| मार्च, 1968 के अन्त तक | 98.02 | 65.25 | 163.27 |
| मार्च, 1969 के अन्त तक | 100.27 | 66.04 | 166-31 |
| जून, 1969 के अन्त तक | 100.80 | 64.59 | 165.39 |

**बेरोजगारी वृद्धि पर भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा चिन्ता**

696. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**
**श्री जे० के० चौधरी :** **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की समिति ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) क्या सभी स्तरों पर बड़े पैमाने पर रोजगार की व्यवस्था करने के लिये कोई अविलम्बनीय कार्यक्रम बनाने के बारे में कोई सुझाव दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) से (ग). एक समाचार के अनुसार भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की समिति ने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चिता व्यक्त की है। इसके लिये, उसने औद्योगिकरण की गति को तेज करने, बड़े-बड़े निर्माण कार्यों को लागू करने और सभी गांवों को विद्युत-शक्ति उपलब्ध कराने की सिफारिश की है।

सरकार इस समस्या से परिचित है। चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, परिवहन व संचार, सिंचाई और बिजली, सामाजिक सेवाओं इत्यादि के विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लागू करके और निवेश, साख तथा लाइसेंस जारी करने के क्षेत्र में विभिन्न नीतियों को अपना कर अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने के लिये लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं। चौथी योजना में सड़क निर्माण, गांवों में बिजली पहुंचाना, आवास और नगरीय विकास इत्यादि की श्रम-प्रधान योजनाओं पर भी पर्याप्त बल दिया गया है।

*इसके अधीन सरकारी क्षेत्र के सभी स्थापनाओं और निजी क्षेत्र की कृषिएतर उन स्थापनाओं को शामिल किया गया है जहां 10 अथवा इससे अधिक लोग नियुक्त हैं।

**बरेली के डाकघर में पड़े अदावी बीमा पार्सल**

697. **श्री जे० के० चौधरी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 महीने में बरेली डाकघर में कई अदावी बीमा पार्सल पड़े थे क्योंकि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क अधिकारी इन पार्सलों को अपने सामने उनके दावेदारों को देना चाहते थे जिनके कारण उनके दावेदार उन्हें लेने के लिये नहीं गये;

(ख) क्या देश के अन्य डाकघरों में भी ऐसे पार्सल पड़े हैं जिन्हें उनके दावेदार नहीं ले गये और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, जिन्होंने पार्सल नहीं लिये अथवा जिन्होंने पार्सल भेजे थे ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी हां। जनवरी, 1970 (न कि 1969) में प्राप्त पांच बीमा पार्सलों का वितरण नही किया जा सका, क्योंकि इनमें निषिद्ध वस्तुएं होने का सन्देह होने के कारण जिन पार्टियों को डाक घरों में पार्सल खोलने के बाद उनका वितरण लेने के लिये सूचनाएं जारी की गई थीं, वे उन्हें प्राप्त करने के लिये नहीं आये थे।

(ख) अब तक प्राप्त सूचनाओं से यह पता चलता है कि विभिन्न डाकघरों में निम्न-लिखित तीन पार्सल रुके हुये हैं, क्योंकि पाने वालों को नोटिस जारी करने के बावजूद वे डाकघर में पार्सल खोलने के बाद उन्हें प्राप्त करने के लिये उपस्थित नहीं हुये।

| क्रमांक | बुक करने का स्थान | पार्सल पर पता |
|---|---|---|
| 1. | दिल्ली | मुरादाबाद |
| 2. | चिपलघाट | मुरादाबाद |
| 3. | बंगलौर | वाराणसी |

अभी कुछ स्थानों से सूचना की प्रतीक्षा है और आगे और विवरण यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) भारतीय डाकघर अधिनियम के अन्तर्गत जिन डाक-वस्तुओं में ऐसी चीजें हों जिन पर सीमा शुल्क लगता हो, उन्हें सीमा शुल्क या उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों को तत्सम्बन्धी अधिनियमों के अनुसार निपटाने के लिये भेज दिया जाता है। ऐसे पार्सलों के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई इन प्राधिकारियों को करनी होती है।

**केन्द्रीय कृषि औद्योगिक निगम**

698. **श्री राम किशन गुप्त :**
**श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कृषि-औद्योगिक निगम की स्थापना का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : एक केन्द्रीय कृषि-उद्योग निगम की स्थापना के प्रश्न पर भारत सरकार अभी विचार कर रही है ।

**हरियाणा में टेलीफोन केन्द्र तथा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय**

699. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1968-69 और 1969-70 में हरियाणा में (जिलावार) किन-किन स्थानों पर टेलीफोन केन्द्र अथवा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय स्थापित किये गये हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) :** हरयाणा में 1968-69 और 1969-70 (केवल 31-1-1970 तक) (जिले अनुसार) जिन जगहों पर टेलीफोन एक्सचेंज या लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर लगाए गये हैं और टेलीफोन एक्सचेंजों में विस्तार किया गया है, उनका उल्लेख संलग्न विवरण में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2616/70]**

**चरखी दादरी-दिल्ली तथा चरखी दादरी-रोहतक के बीच सीधी टेलीफोन लाइन**

700. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री 8 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8896 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चरखी दादरी-दिल्ली तथा चरखी दादरी-रोहतक के बीच सीधी टेलीफोन लाइन की व्यवस्था करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) दिल्ली-भिवानी के बीच नई वाहक व्यवस्था पहले ही चालू की जा चुकी है । भिवानी और चरखी दादरी तथा भिवानी-रोहतक के बीच वाहक व्यवस्था स्थापित करने का कार्य चल रहा है ।

(ख) आशा है कि उपयुक्त कार्य, 1970 के अन्त तक पूरे कर दिये जाएंगे । उसके बाद चरखी दादरी से दिल्ली तथा रोहतक के बीच सीधे ट्रंक परिपथों की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

**Opening of Post Offices in Darbhanga District**

701. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people have been demanding for a long time to open Post Offices at Bajraha, Mahekia and Damodarpur villages of Bisphi, Khajauli and Beniputti Blocks respectively of District Darbhanga in Bihar ; and

(b) if so, when Government propose to open Post Offices there and the reasons for the delay in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :** (a) Yes.

(b) The examination of such proposals necessitates a survey of the population in various villages, which will be served by the proposed Post Office, the prospective postal traffic based on the actual correspondence received for delivery in the area during the observation period, the practicability and safety of the mail routes etc. These steps take some time. Further, in the case of Nurukia, the villages suggested to be served by the proposed Post Office are not found in the Census Returns and enquiries are in progress with the Block Development Officer.

The opening of Post Offices in these villages will depend on the proposals being found, after examination, to satisfy the prescribed standards.

**डाक तथा तार विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों का स्थानान्तरण**

702. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 दिसम्बर, 1969 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से डाक तथा तार विभाग को स्थानान्तरित और डाक तथा तार विभाग में नियुक्त किये गये कर्मचारियों की उनकी सेवा शर्तों के बारे में एक संयुक्त याचिका राष्ट्रपति को भेजी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है ।

**Ban on Exhibition of "Mahatma" Film in South Africa**

703. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Bansh Narain Singh :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Ram Singh Ayarwal :**
**Shri Kanwar Lal Gupta :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the exhibition of the film 'Mahatma' has been banned in South Africa ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard and the contents of the reply received from the Government of South Africa ; and

(c) the action being taken by Government to exhibit the aforesaid film among the public and particularly among the students ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The Government have taken the following steps to exhibit the film among the Public and the Students :

(i) Special shows of the Film 'Mahatma' have been held.

(ii) Prints of the film and its 14 parts have been supplied to the State Governments and Union Territory Administrations by the Films Division for screening.

(iii) The film and its parts are being screened in rural areas through the Central Government Field Publicity Units.

(iv) Nine of the 14 parts of the Film have already been released on the cinema circuits all over the country by the Films Division. The tenth part entitled "Quit India" is due for release on 27-2-70.

(v) The remaining four parts are proposed to be released during the months of March and April, 1970.

(vi) Various State Education Departments have informed the Principals and the Headmasters of the Schools about the availability of the film 'Mahatma' and its 14 parts and have advised them to avail of the opportunity of showing the film 'Mahatma' to the students, either by purchasing the prints of the films or obtaining these on loan from the Films Division/Field Publicity Units.

**Foodgrains imported under PL-480 and amount spent thereon**

704. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Bansh Narain Singh :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Ram Singh Ayarwal :**
**Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Chengalraya Naidu :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains imported by Government under PL-480 during each of the last three years ;

(b) the amount of penalty and the freight paid by Government during each of the last three years for foodgrains imported under PL-480 ; and

(c) whether Government have under consideration a proposal to scrap this agreement ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) and (b). A statement is attached.

(c) Till such time as the country becomes self-sufficient in production of foodgrains, some imports under PL-480 are necessary. With the increase in food production the imports are gradually being reduced. According to the present assessment concessional imports are expected to be stopped after 1970-71.

**Statement**

(a) Statement showing the quantity of foodgrains imported under PL-480 during the calendar years 1967, 1968 and 1969.

| Year | Quantity in '000 M. T. |
|---|---|
| 1967 | 5834.8 |
| 1968 | 4096.7 |
| 1969 | 2563.3 |

(b) No penalty was paid by Government for import of foodgrains under PL-480.

The amount of freight paid by Government during the last three years is given below, as booked financial year-wise :

| Year | Amount in Crores of rupees |
|---|---|
| 1966-67 | 58.81 |
| 1967-68 | 48.73 |
| 1968-69 | 28.67 |

**खती करने के अच्छे तरीके**

705. **श्री गाडिलिंगन गौड :**

**श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने जोरहाट में खेती करने के कुछ अच्छे तरीकों का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और लोगों ने उनका कहां तक स्वागत किया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) उपराष्ट्रपति ने 7 फरवरी, 1970 को असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट में दीक्षान्त भाषण देते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलोजी के प्रयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था ।

(ख) नयी टेक्नोलोजी या खेती करने के अच्छे तरीकों में, अधिक उत्पादनशील फसलों तथा बहु फसलों को उगाना, जल का भली भांति उपयोग करना, आदानों का समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में सम्भरण करना, कृषक शिक्षा तथा प्रशिक्षण और अनुसन्धान विषयक कार्यों को बढ़ाना शामिल है । देश में इन तरीकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ाने में काफी सफलता मिली है ।

**दिल्ली दुग्ध योजना में कार्य करने वाले छात्रों की ओर से ज्ञापन**

706. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में कार्य करने वाले छात्र कर्मचारियों की ओर से दिनांक

7 दिसम्बर, 1969 को प्रदर्शन दिया गया था तथा इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उनकी न्यायोचित मांगों को स्वीकार करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध डिपुओं में अंशकालिक रूप में लगाये गये छात्रों की मुख्य प्रार्थना यह थी कि उन्हें एजेन्टों के बजाय श्रम कानूनों के अन्तर्गत कर्मकार समझा जाए। डिपो एजेन्टों के रूप में पदसंज्ञा देने से अंशकालिक रूप में भर्ती किये गये छात्रों की कुल आय में कोई खास परिवर्तन नहीं होता तथा दुग्ध डिपुओं के सुचारु तथा ठीक संचालन की दृष्टि से डिपो कर्मचारियों को डिपो एजेन्ट के रूप में ही कार्य करना चाहिए। अतः सरकार ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया।

## प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन

707. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षणों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन का नवम्बर, 1969 में नई दिल्ली में कोई अधिवेशन हुआ था ;

(ख) उस अधिवेशन में किन-किन देशों ने भाग लिया ; और

(ग) उस अधिवेशन में क्या-क्या निर्णय किये गये ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षणों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय यूनियन मोर्गेस, स्विटजरलैण्ड, ने 24 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1969 तक नई दिल्ली में अपना 10वां साधारण अधिवेशन और 11वीं तकनीकी बैठक आयोजित की थी।

(ख) इस अधिवेशन में 14 सदस्य देशों ने भाग लिया था (एक सूची संलग्न है: अनुबन्ध I) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2617/70]**

(ग) अधिवेशन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों की सूची संलग्न है। (अनुबन्ध II) **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2617/70]**

**आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से कांग्रेस संविधान के विवेचन पर वार्ता**

708. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
**श्री कंवरलाल गुप्त :**
**श्री राम सिंह अयरवाल :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार महीनों में आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से कांग्रेस संविधान की व्याख्या के बारे में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में कोई वार्ता प्रसारित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह व्याख्या नई कांग्रेस के पक्ष में थी ; और

(घ) क्या भविष्य में आकाशवाणी से ऐसे विषयों पर वार्ताएं प्रसारित नहीं करने का सरकार का विचार है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी हां। 4-11-1969 की रात्रि के 9.15 बजे आकाशवाणी के 'स्पाट लाइट' कार्यक्रम में 'कांग्रेस के विधान' पर एक वार्ता प्रसारित की गई थी। वार्ता का हिन्दी रूपान्तर उसी सांयकाल 'सामयिकी' कार्यक्रम में प्रसारित किया गया था।

(ख) वार्ता की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2618/70]**

(ग) जी, नहीं। इसमें कांग्रेस के दो दलों में उस समय चल रहे वादविवाद को देखते हुए कांग्रेस दल के विधान की सम्बन्धित धाराओं का विश्लेषण किया गया था तथा वह स्क्रिप्ट लेखक के दृष्टिकोण को प्रतिविम्बित करता था।

(ग) जी, नहीं।

**गैर-सरकारी प्रबन्धकों तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे चीनी के कारखानों से लाभों में परस्पर असमानता**

709. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री पी० विश्वम्भरन :**
**श्री ए० श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी प्रबन्धकों तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे चीनी के कारखानों के लाभों में परस्पर बड़ी असमानतायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार सहकारी क्षेत्र के चीनी-उद्योग से और अधिक राजस्व प्राप्त करने की दृष्टि से सहकारी संस्थाओं के कार्य की जांच करने का है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग)** : (क) जी हां। इसका कारण यह है कि सहकारी चीनी कारखाने का, जो कि गन्ना उत्पादों का एक संगठन है, प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पादक-सदस्यों को गन्ने का अधिकतम सम्भव मूल्य मिले। चूंकि सहकारी समितियों के ढांचे तथा उद्देश्य बहुत हद तक निजी स्वामित्व वाले चीनी कारखानों से भिन्न होते हैं, इसलिये अर्जित लाभ दोनों प्रकार के चीनी कारखानों की सापेक्ष कार्यक्षमता के मूल्यांकन की कसौटी नहीं होगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नहीं ; सहकारी समितियां, जैसे संयुक्त स्टाक कारखाने, भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को विभिन्न करों की अदायगी करते हैं।

**तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये विदेशी सहायता**

710. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री पी० विश्वम्भरन :**
**श्री ए० श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बती शरणार्थियों को भारत में पुनः बसाने के लिये विदेशी संस्थाओं तथा विदेशी सरकारों से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या यह राशि भारत के रिजर्व बैंक या तिब्बती शरणार्थियों तथा उनके संगठनों के माध्यम से प्राप्त हुई थी ;

(ग) दलाई लामा को 1969 के अन्त तक सीधे कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(घ) क्या इस राशि में से कुछ राशि भारत में तिब्बती शरणार्थियों की बजाय अन्य शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये प्रयोग में लाई गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) सरकार के पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार तिब्बती शरणार्थियों का भारत में पुनर्वास करने के लिये विभिन्न विदेशी ऐच्छिक संस्थाओं और सरकारों से 1959 से (1969 के अन्त तक) 3,45,68,000 रुपये की सहायता प्राप्त हुई है।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, विदेशों से धनराशियां सामान्य बैंकों द्वारा प्राप्त हुई हैं।

(ग) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ). मैसूर पुनर्व्यवस्थापन तथा विकास संस्था ने स्थानीय भूमिहीन व्यक्तियों के लिये 3,50,000 रुपये खर्च किये हैं और मैसूर में तिब्बती व्यवस्थापनों के आस-पास विकास कार्य पर 2,00,000 रुपये खर्च किये हैं।

## सहकारी आन्दोलन की प्रगति

711. **श्री एस० आर० दामानी :**

**श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी आन्दोलन ने किन-किन कार्यों में महत्वपूर्ण प्रगति की है तथा किन-किन राज्यों में यह प्रगति हुई है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1969 तक जनता द्वारा कितनी पूंजी दी गई तथा सरकार और अन्य अभिकरणों द्वारा कितना ऋण दिया गया ;

(ग) क्या शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी दूर करने के लिये सहकारी आन्दोलन का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग) :** (क) सहकारी गतिविधियों के मुख्य क्षेत्र जिनमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, ये हैं : कृषि ऋण, कृषि उत्पाद का विपणन तथा विधायन तथा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों ने कृषि के लिये ऋण सुलभ करने में प्रशंसनीय प्रगति की है। गुजरात, हरियाणा, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में सहकारी विपणन तथा विधायन ढांचा पर्याप्तरूप से विकसित हुआ है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, मैसूर तथा तमिलनाडु में उपभोक्ता सहकारी समितियों ने अच्छी प्रगति की है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1969 तक की सूचना उपलब्ध नहीं है। सहकारी ऋण समितियों की 30.6.68 तक तथा गैर-सहकारी ऋण समितियों की 30.6.67 तक की सूचना उपलब्ध है। देश में समस्त सहकारी समितियों की कुल कार्यकर पूंजी 3543 करोड़ रुपये के लगभग थी इसमें 569 करोड़ रुपये का प्रदत्त अंश पूंजी, 248 करोड़ रुपये के आरक्षण, 772 करोड़ रुपये के डिपाजिट्स, 1654 करोड़ रुपये के उधार तथा 300 करोड़ रुपये के बकाया ऋण-पत्र शामिल थे। सरकार द्वारा सहकारी समितियों को दिया गया अंश पूंजी अंशदान तथा ऋण क्रमशः 111 करोड़ रुपये और 166.50 करोड़ रुपये था।

(ग) सहकारी समितियों के व्यापार की बढ़ती हुई मात्रा, उनकी विविधता तथा प्रशिक्षित एवं योग्य कार्मिकों की नियुक्ति करने की नीति सहकारी समितियों में शिक्षितों के रोजगार के लिए अवसर प्रदान करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## भारत में कृषि विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कालिज

712 **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों की संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त संस्थाओं से प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थी स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करते हैं ; और

(ग) उनमें से नौकरी ढूढ़ने वाले व्यक्तियों और स्वयं कृषि का काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) 12 और 37 ।

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि में इन संस्थानों से स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां प्राप्त करने वालों की संख्या निम्न प्रकार है :

| | **1964-65** | **1965-66** | **1966-67** |
|---|---|---|---|
| स्नातक | 4,731 | 5,259 | 4,734 |
| स्नातकोत्तर | 832 | 1,191 | 1,263 |

(ग) कृषि स्नातकों / स्नातकोत्तरों की जीविका का प्रश्न राज्य सरकारों का विषय है। अतः भारत सरकार के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

**कृषि ऋण निगम की स्थापना**

713. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्यों में कृषि ऋण निगमों की स्थापना करने सम्बन्धी योजना के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उदार कृषि ऋण नीति अपनाने के बाद भी राज्य सरकारें उक्त निगमों की स्थापना करने की इच्छुक हैं ; और

(ग) उक्त निगमों द्वारा क्या अतिरिक्त लाभ दिये जायगें ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शन्दे)** : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल, बिहार तथा राजस्थान के राज्य अब भी कृषि ऋण निगम स्थापित करने को इच्छुक हैं । उनकी प्रार्थनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

**स्व-नियोजन के अवसरों के बनाने के बारे में अन्तर्मंत्रालय सम्मेलन**

714. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात पर विचार करने के लिये कि देश के शिक्षित युवकों को प्रत्येक मंत्रालय किस-किस क्षेत्र में स्व-नियोजन के अवसर प्रदान कर सकता है, कभी अन्तर्मंत्रालय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) क्या इस बारे में व्यवहारिक सुझाव प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारों से कभी सलाह की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त सम्मेलनों के क्या परिणाम निकले थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या समस्या का व्यवहारिक हल ढूंढ़ने के लिये सरकार ऐसा सम्मेलन शीघ्र बुलाने के बारे में विचार करेगी ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) स्व-नियोजन समेत अधिकाधिक नियुक्ति अवसर जुटाने की दृष्टि से अनेक अन्तर्मंत्रालय बैठकों में बेरोजगारी की समस्या और आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने के प्रश्न के कतिपय पहलुओं पर विचार किया गया है ।

(ख) से (घ). राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन इस विषय पर विचार-विमर्श के लिये शीघ्र ही बुलाने का सुझाव है ।

### Committee to study Nationalisation of Sugar Industry

715. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a high level committee has been appointed to study the problems in respect of bringing all the sugar factories in the country under Government control and to ensure fair price to the sugarcane growers ; and

(b) if so, the terms of reference of the said Committee ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

### Amendment of I. L. O. Convention No. 88

716. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 718 on the 20th November, 1969 regarding requirement of certificate from employment seekers and state :

(a) whether Government of India propose to take initiative in having the spirit of Convention No. 88 of the International Labour Organisation amended with a view to giving practical shape to the suggestion that priority be accorded to the applicants belonging to the low-income group in the international field ; and

(b) if so, when and, if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad)** : (a) No.

(b) Referral of workers has to be made on the basis of qualifications laid down by employers and the merits of the candidates.

**Hindi translation of report of N. C. L.**

717. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government in regard to Hindi translation of the said report and the progress made ; and

(b) the time by which Hindi version would be made available ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya)** : (a) The translation of the Report has been entrusted to a body of Hindi translators. An Editorial Board has also been set up for editing the translated material. The work of translation has made some progress.

(b) It is not possible to indicate the time at this stage.

**भिन्न-भिन्न खाद्यान्नों के लिये पृथक-पृथक परिषदों का स्थापित किया जाना**

718. **श्री वि० नरसिम्हाराव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भिन्न-भिन्न खाद्यान्नों के लिये पृथक-पृथक परिषदें स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये परिषदें किस नमूने की होंगी ; और

(ग) उनके कब तक कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां। भारतीय चावल विकास परिषद् तथा भारतीय दाल विकास परिषद् की स्थापना करने का निर्णय किया गया है।

(ख) इन परिषदों का नमूना दिनांक 15 जनवरी, 1970 के संकल्प के पैरा 2 में दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2619/70]**

(ग) राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों से नामांकन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होते ही ये परिषद् कार्य करना शुरू कर देंगी।

**कुछ ब्रिटिश पत्रकारों का भारत से निकाला जाना**

719. **श्री वी० नरसिम्हाराव** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल में हुई घटनाओं पर रिपोर्ट भेजने में कथित भारत-विरोधी रुख अपनाने के कारण कुछ ब्रिटिश पत्रकारों के भारत से निकाले जाने की भारतीय प्रेस के कुछ वर्गों ने मांग की है ;

(ख) क्या ब्रिटेन के पत्र "गार्डियन" ने ब्रिटिश पत्रकारों के बारे में भारतीय दृष्टिकोण की आलोचना की है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) सरकार का ध्यान कुछ समाचार-पत्रों में छपी इन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है जो पिछले वर्ष भारत आने वाले बरतानियों के कुछ पत्रकारों को कथित भारत-विरोधी गतिविधियों के बारे में थी । एक समाचार पत्र में एक यह सुझाव भी था कि 'स्तर' के लिये यह अच्छा होगा यदि एक या दो संवाददाताओं को वापिस भेज दिया जाए ।

(ख) लन्दन के "दि गार्डियन वीकली" ने अपने 10 जनवरी, 1970 के अंक में एक लेख छापा था जिसमें विरोधी ब्रिटिश पत्रकारों को देश से निकालने के सुझावों पर टिप्पणी की गई थी ।

(ग) यद्यपि सरकार संसदीय जनतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता तथा उसके योगदान से पूरी तरह सजग है, तो भी वह कभी-कभी की गई झूठी और द्वेषपूर्ण रिपोर्टों से चिन्तित है ।

**मजूरी बोर्डों के बारे में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के विचार**

720. **श्री वि० नरसिम्हाराव :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने यह विचार व्यक्त किया है कि और मजूरी बोर्डों की स्थापना नहीं की जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा मजूरी बोर्डों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं । अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा व्यक्त विचारों को नोट कर लिया गया है ।

**पश्चिम बंगाल में धान की फसल का लूटा जाना तथा खाद्य स्थिति पर इसका प्रभाव**

721. **श्री समर गुह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले फसल-कटाई के मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में भारी में धान की फसल को लूटा गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या उससे पश्चिम बंगाल की खाद्य स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा तथा क्या अनेक कृषक वहां लगाई गई शुल्क सम्बन्धी शर्तों को पूरा करने में असफल होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र पश्चिम बंगाल को अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान करेगा ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी गयी है, लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) राज्य सरकार से स्थिति के संबंध में रिपोर्ट मिलने पर ही इस मामले पर विचार किया जा सकता है ।

**तमिल नाडू में खाद्यान्नों पर नियंत्रण की समाप्ति और उसका प्रभाव**

722. **श्री समर गुह :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री मयाबन :** **श्री नि० रं० लास्कर**
**श्री दंडपाणि :** **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
**श्री नारायणन् :** **श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
**श्री सामीनाथन् :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने अपने प्रमुख नगरों में राशन व्यवस्था समाप्त कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के परामर्श से की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी कार्यवाही का तमिलनाडु में खाद्य स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा समूचे देश की खाद्य नियंत्रण नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) क्या अन्य राज्यों को भी खाद्य विनियंत्रण नीति के लिये अनुमति दी गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) तमिलनाडु सरकार ने मद्रास शहर और कोयम्बत्तूर तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों से सांविधिक राशन व्यवस्था 12-1-1970 से हटा दी है । तथापि, इन शहरों में अनौपचारिक राशन व्यवस्था चलती रहेगी ।

(ख) भारत सरकार की सहमति ली गई थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) राज्य के किसी क्षेत्र विशेष में राशन वितरित करने की प्रणाली सांविधिक हो या अनौपचारिक उसे तय करना सम्बन्धित राज्य सरकार का काम है । इसके लिये उसे खाद्य की चल रही स्थिति, राज्य के वितरण सम्बन्धी आश्वासनों और सरकारी वितरण के लिये स्टाफ की उपलब्धि को दृष्टिगत रखना होता है ।

## देशबन्धु चितरंजन दास का जन्म शताब्दी समारोह

723. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष देशबन्धु चितरंजन दास की जन्म शताब्दी मनाने के लिये अपनी प्रचार फिल्मों तथा प्रसारण माध्यमों द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कार्यक्रम क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

### विवरण

श्री देशबन्धु चितरंजन दास की 5 नवम्बर, 1970 को होने वाली जन्म शताब्दी के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभाग निम्नलिखित प्रचार कार्यक्रम करेंगे :

1. **आकाशवाणी महानिदेशालय :**

इस अवसर पर आकाशवाणी के केन्द्र वार्ताओं, चर्चाओं तथा कथोपकथन के रूप में विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेंगे । इस अवसर पर होने वाले महत्वपूर्ण समारोहों को भी समाचार बुलेटिनों तथा न्यूजरीलों में स्थान दिया जाएगा ।

2. **फिल्म प्रभाग**

जन्म शताब्दी के बारे में होने वाले कार्यक्रमों को यथासम्भव इंडियन न्यूज रिव्यू में शामिल करने के लिये फिल्माया जाएगा ।

3. **गीत तथा नाटक प्रभाग**

देश बन्धु चितरंजन दास के विचारों को प्रतिबिम्बित करने के लिये उपयुक्त कार्यक्रम किये जायेंगे जिनमें गीत तथा अन्य परम्परागत माध्यमों का उपयोग होगा ।

4. **प्रकाशन प्रभाग**

प्रकाशन प्रभाग "देशबन्धु चितरंजन दास" की जीवनी, 'आधुनिक भारत के निर्माता' माला के अन्तर्गत जो हिन्दी में तथा अंग्रेजी में पहले ही निकाली जा चुकी है, का बंगला रूपान्तर भी निकालेगा । बच्चों के लिये चितरंजन दास की एक लघु जीवनी भी 'भारत के अमर चरित्र' माला के अन्तर्गत तैयार की जा रही है । प्रभाग द्वारा निकाले जाने वाला पत्रिकाओं, विशेषकर "आज-कल" (हिन्दी), "आजकल" (उर्दू) तथा "बाल भारती" के नवम्बर, 1970 के अंकों में देशबन्धु चितरंचन दास के जीवन पर लेख छापे जाएंगे ।

5. **पत्र सूचना कार्यालय**

पत्र सूचना कार्यालय इनका जन्म शताब्दी के अवसर पर लेख तथा फोटो जारी करेगा ।

6. **विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय**

इस अवसर पर निदेशालय का एक पोस्टर निकालने का विचार है, जिसमें देशबन्धु चितरंजन दास का एक चित्र होगा ।

**नेताजी के जन्म दिन पर आकाशवाणी से कार्यक्रम**

724. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सभी प्रसारण केन्द्रों से 23 जनवरी, 1970 को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्म दिन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम रेडियो ने उस अवसर पर कोई विशेष कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ङ) क्या 23 जनवरी को लाल किला में हुये समारोह को जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया था, आकाशवाणी से प्रसारित किया गया था और फिल्म डिवीजन ने प्रसारण तथा समाचार दर्शन दिखाने के प्रयोजन के लिये उसका प्रयोग किया था ; और

(च) ऐसे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):** (क) जी, हां ।

(ख) नेताजी के 73 व जन्म दिन के अवसर पर प्रसारित कार्यक्रमों में वार्तायें, चर्चायें, गीत, बातचीत, इन्टरव्यू, फीचर, रेडियो रिपोर्टें, संगीत रूपक थे तथा समाचारों और समाचार-दर्शनों में समाचार शामिल थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) तथा (च). जी, हां । आकाशवाणी ने लाल किले में हुए समारोह को विशेष रेडियो रिपोर्ट, समाचार-दर्शन (हिन्दी न्यूजरील कार्यक्रम) तथा उस दिन के समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया था । फिल्म प्रभाग ने भी समारोह को भारतीय समाचार-दर्शन संख्या 1113 में स्थान दिया था जिसको 6.2.1970 को सिनेमा सर्कटों में रिलीज किया गया था ।

**एक संसद् सदस्य द्वारा कन्टाई से कलकत्ता भेजे गये तार के पहुंचने में विलम्ब**

725. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्टाई से, 11 जनवरी, 1970 को लोक सभा के स्थानीय सदस्य द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उप-मुख्य मंत्री को भेजे गये तार दो दिन के विलम्ब के बाद प्राप्त हुए जबकि कलकत्ता वहां से केवल 130 मील दूर है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार तारों को भेजने अथवा उन्हें पहुंचाने में इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उक्त तारों को जिनका संबंध उस क्षेत्र की आवश्यक शान्ति तथा व्यवस्था से या भेजने अथवा पहुंचाने में विलम्ब करने वाले सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध उचित जांच करने के बाद कोई कार्यवाही करेगी ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) 11 जनवरी को ऐसा कोई तार बुक नहीं किया गया था। बहरहाल 12 जनवरी, 1970 को एक बहु-पता तार बुक किया गया था जिसका वितरण दो दिन विलम्ब से किया गया।

(ख) लाइन में लम्बे समय तक विघ्न होने के कारण इन तारों को डाक से भेजने और वितरण करने वाले तारघर में मकरसंक्रांति के उत्सव के कारण कर्मचारियों की भारी अनुपस्थिति की वजह से यह विलम्ब हुआ।

(ग) चूंकि वितरण में विलम्ब ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ है जो काबू से बाहर हैं, इसलिये किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। फिर भी पोस्ट-मास्टर जनरल से इस मामले में आगे और जांच-पड़ताल करने के लिये कहा जा रहा है।

**पंचायतों, ब्लाकों तथा तालुक मंडलों में सेवाएं**

726. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचायतों, ब्लॉकों तथा तालुक मंडलों में चालू की गई नई सेवाओं में पदोन्नति के बहुत कम अवसर हैं ;

(ख) ग्राम सेवकों के लिये खोली गई कृषि सेवाओं में पदोन्नति के क्या अवसर हैं तथा किन-किन राज्यों में हैं ;

(ग) एक पदावली के होने पर भी एक जैसी योग्यताओं वाले राजस्व विभाग के कर्मचारियों तथा पंचायतों, ताल्लुक मण्डलों के कर्मचारियों के बीच परस्पर तबादले करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस परस्पर तबादले से राजस्व कर्मचारियों को विकास में अनुभव प्राप्त नहीं होगा जो प्रशासन के लिये महत्वपूर्ण है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एरिंग)** : (क) से (घ). राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2620/70]**

**गांधी शताब्दी समारोह**

727. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में गांधी जी पर प्रदर्शित की गई फिल्मों की संख्या तथा अन्य ब्योरा क्या है ;

(ख) गांधी जी के जीवन, विचारधारा तथा दर्शन पर रेडियो तथा टेलीविजन वार्ताओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) गांधी शताब्दी समारोह के बारे में आकाशवाणी ने अन्य क्या कार्यक्रम आयोजित किये ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) फिल्म प्रभाग ने 1969 में गांधीजी पर निम्नलिखित 8 फिल्में रिलीज की थीं ।

1. अर्ली ईयर्स
2. बर्थ आफ सत्याग्रह
3. एमरजेंस आफ गांधीजी
4. दि ग्रेट ट्रायल
5. एपिक मार्च
6. न्यू चेलेंज

} फिल्म प्रभाग के सहयोग से गांधी स्मारक निधि द्वारा निर्मित 'महात्मा' नामक पूरी लम्बाई की डाक्युमेंटरी फिल्म से ली गई घटनाएं ।

7. 85 नायक नी पोले पोरबंदर (फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित)
8. डांडी यात्रा (गुजरात सरकार द्वारा निर्मित)

1969 के दौरान क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने निम्नलिखित 9 फिल्मों को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया ।

1. बापू ने कहा था
2. भारतीय समाचार चित्र 1096 क
3. कल उदास न होगी
4. प्रोमिस रीडीम्ड
5. 85 नायक ने पोले पोरबंदर
6. हिज मेमोरी वी चेरिश
7. गिलिम्पसिज आफ गांधीजी
8. दि लास्ट जर्नी
9. अरली इयर्स

व्यापारिक सिनेमाघरों द्वारा गांधीजी पर फीचर फिल्मों के दिखाये जाने के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) तथा (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**फलों सम्बन्धी विश्व सम्मेलन**

728. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में 15 सितम्बर से 19 सितम्बर, 1969 तक एक फलों सम्बन्धी विश्व सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन फलों के बारे में चर्चा की गई थी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) केला, सिट्स, रुचिरा, आम तथा अनन्नास के विषय में विचार-विमर्श किया गया।

**वनस्पति घी का निर्यात**

729. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति घी के विभिन्न देशों को निर्यात किये जाने की संभावनाओं पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) वनस्पति घी के निर्यात में क्या अड़चनें हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) से (ग). विदेशों मे स्थित भारतीय मिशनों के परामर्श से वनस्पति का निर्यात बढ़ाने की गुंजाइश के संबंध में इससे पूर्व भी अनेक बार विचार किया गया है और ऐसे निर्यात को बढ़ावा देने की ओर पग उठाये गये। तथापि, देश में वनस्पति तेलों के ऊंचे मूल्य होने के कारण, भारी हानि उठाए बिना वनस्पति का निर्यात नहीं किया जा सकता। वनस्पति के निर्यात के संबंध में विचार करते समय घरेलू खपत के लिये आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होता है।

**दिल्ली में सब्जियों के लिये विपणन सुविधायें**

730. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सब्जियों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा अदा की जाने वाली राशि में से कम से कम 60 प्रतिशत राशि बिचौलियों की जेब में जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्रय-विक्रय की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने और किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) और (ख). यह कहना ठीक नहीं है कि सब्जियों के लिये उपभोक्ताओं द्वारा अदा की जाने वाली कीमत का कम से कम 60 प्रतिशत भाग बिचौलियों की जेब में चला जाता है।

सब्जी उत्पादकों की 14 सहकारी समितियां और एक फेडरेशन (जो 22-9-1949 से कार्य कर रही है) अपने सदस्यों के लिये विपणन सुविधाओं का प्रबन्ध करती है। उत्पादकों के शोषण को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन फल और सब्जियों की थोक बिक्री को दिल्ली कृषि-उत्पाद मण्डी अधिनियम के अधीन लाने के विषय में विचार कर रहा है।

**सरगुजा, मध्य प्रदेश में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों द्वारा अन्तिम रूप से पुनर्वास के बारे में अभ्यावेदन**

731. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें मध्य प्रदेश के सरगुजा में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके अन्तिम रूप से पुनर्वास के लिये विशेष कार्यवाही करने की मांग की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ दिन पूर्व जब सरगुजा के शरणार्थी नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिले तो प्रधान मंत्री ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष आश्वासन दिये थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरगुजा में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की न्यायोचित शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) सरगुजा, मध्य प्रदेश, में पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों के अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं।

(ख) जहां तक हमें मालूम है, सरगुजा के नये प्रवासी, नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से नहीं मिले थे और, इसलिये, प्रधान मंत्री द्वारा उन्हें किसी आश्वासन के दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सरगुजा के नये प्रवासियों की मुख्य कठिनाईयों (i) पीने के पानी की समस्या (ii) खेती के लिये भूमि के उपयुक्त न होने, तथा (iii) सिंचाई सुविधाओं के अभाव से सम्बन्धित है।

इस क्षेत्र में स्थापित किये गये सभी प्रवासी गावों में पर्याप्त संख्या में पीने के पानी के कुओं की व्यवस्था कर दी गई है। इस परियोजना की भूमि मूल रूप में खेती के लिये उपयुक्त है। इस क्षेत्र में भूमियों की बुवाई को सफल करने के लिये, बसने वाले प्रवासियों में धैर्य, स्वतः सहायता तथा संकल्प का होना आवश्यक है। सरगुजा में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिये, तीन सिंचाई योजनांएं, जिनमें कुल 17.00 लाख रुपये खर्च होंगे, मंजूर कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, सिंचाई प्रयोजनों के लिये 5 कम गहरे नल-कूपों के निर्माण की एक योजना भी मंजूर कर दी गई है।

बसने वाले प्रवासियों की वास्तविक कठिनाइयों और शिकायतों पर सदैव सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाता है और जहां तक संभव हो उन्हें दूर करने के कदम उठाये जाते हैं।

**आदिलाबाद जिले में ईसगांव परियोजना के अन्तर्गत शरणार्थियों से अभ्यावेदन**

732. **श्री म० ल० सोंधी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिलाबाद जिले में ईसगांव परियोजना के अन्तर्गत ग्राम संख्या 7 के नये प्रव्रजकों से उन्हें एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि शासन तंत्र द्वारा लापरवाही तथा उपेक्षा किये जाने के गम्भीर आरोप हैं और कुछ मामलों में ईसगांव परियोजना में तथ्य छिपाने के लिये शरणार्थियों के हस्ताक्षर जबरदस्ती प्राप्त किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो शरणार्थियों को राहत पहुंचाने तथा उनके ठीक तरह से पुनर्वास के के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) जी, हां ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में, ईसगांव पुनर्वास परियोजना के ग्राम संख्या-7 के प्रवासियों ने शासन तंत्र पर लापरवाही और उपेक्षा के कोई आरोप नहीं लगाये हैं । तथापि, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि धान की खेती के मूल्यांकन की सूची में उनके हस्ताक्षर जबरदस्ती करवाये गये हैं । यह मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया गया था जिन्होंने सूचित किया है कि यह आरोप सच नहीं है ।

(ग) प्रवासियों को राहत प्रदान करने और उनका ठीक तरह से पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं । नवम्बर, 1970 के अन्त तक के लिये पूर्ण नकद बेकारी अनुदान की दरों पर भरण-पोषण सहायता तथा सस्ती दरों पर खाद्य राशन मंजूर कर दिये गये हैं । हाल ही में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना में गये थे और उन्होंने प्रवासियों की शिकायतों पर विचार किया था । गहरी खुदाई के कुओं, बांधों तथा तालाबों के निर्माण द्वारा सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने की योजनाएं राज्य सरकार के परामर्श से विचाराधीन हैं । परियोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने वाले चार टूटे-फूटे तालाबों का निर्माण तथा नवीकरण पहले ही मंजूर किया जा चुका है ।

**महाराष्ट्र के चांदा जिले में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थी**

733. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों ने, जो महाराष्ट्र के चांदा जिले में बसाये गये थे, महसूस किया है कि उन्हें उपलब्ध सुविधाओं से वे अपना ज़ीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते हैं;

(ख) क्या उन्हें शरणार्थी परिवारों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो शरणार्थियों की कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) चान्दा पुनर्वास जोन में पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवासियों के समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं ।

(ग) चान्दा परियोजना में प्रत्येक प्रवासी कृषक परिवार के पुनर्वास पर भारत सरकार औसत लगभग 12,000/- रुपये खर्च कर रही है । इस राशि में रिहायशी आवास के निर्माण, सड़कों, पानी की व्यवस्था, धान के खेतों की मेड़बन्दी, बीज तथा उर्वरक, बैलों, कीट-नाशक, भरण-पोषण सहायता, सस्ती दरों पर चावल/गेहूँ का राशन इत्यादि की लागत शामिल हैं । गैर-कृषि परिवारों के लिये व्यापार ऋण की व्यवस्था भी की गई है । परियोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की कुछ योजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । इस परियोजना के सभी प्रवासी गांवों में पीने के पानी के लिये पर्याप्त कुओं की व्यवस्था कर दी गई है । इस क्षेत्र की भूमि खेती के लिये उपयुक्त है किन्तु खेती को सफल बनाने के लिये बसने वालों में धैर्य, स्वत: सहायता तथा कड़े परिश्रम की आवश्यकता है ।

## सामुदायिक श्रवण कार्यक्रम

735. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक श्रवण कार्यक्रमों के कार्य में सुधार करने के लिये अग्रेतर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या कृषकों के लिये सामुदायिक कार्यक्रमों के बारे में वर्तमान प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिये कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):** (क) सामुदायिक श्रवण योजना 1.4.1969 से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची में से निकाल दी गई थी । अब यह राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है । तथापि, आकाशवाणी के केन्द्र सामुदायिक श्रवण योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार के अधिकारियों से सम्पर्क रखते हैं तथा कृषक श्रवण क्लबों में नई शक्ति डालने के लिये उपाय करते हैं ।

(ख) सामुदायिक श्रवण योजना के संचालन का योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन एकक द्वारा अध्ययन किया गया था ।

## केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों द्वारा ज्ञापन

736. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**
**श्री पी० विश्वम्भरन :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों ने सरकार को हाल ही में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों की मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त मांगों पर विचार किया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-2621/70]**

**बर्मा से भारत लौटे व्यक्तियों का तमिलनाड में पुनर्वास**

737. **श्री ए० श्रीधरन :**
**श्री पी० विश्वम्भरन :**
**श्री क० लकप्पा :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा से जो भारतीय भारत लौट रहे हैं वे अधिकतर तमिलनाडु के हैं ;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में कितने भारतीय आये हैं ; और

(ग) क्या इनमें से अधिकतर अभी बेरोजगार हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) और (ख). रंगून में भारत के राजदूतावास तथा पश्चिम बंगाल सरकार से 31-12-1969 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, बर्मा से भारत में आने वाले कुल लगभग 1,78,300 व्यक्ति में से 95,193 व्यक्ति तमिलनाडु में गये थे ।

(ग) अनियत रोजगार को मिलाकर, तमिलनाडु में 8,418 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया था । 31-10-1969 को तमिलनाडु में रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में स्वदेश लौटे बेरोजगार भारतीयों की संख्या 1,338 थी । स्वदेश लौटे शेष भारतीयों की अधिकांश संख्या को, उनकी अभिरुचि तथा अनुभव के अनुसार, व्यापार ऋण तथा कृषि भूमि की अलाटमेंन्ट इत्यादि के रूप में सहायता प्रदान की गई है ।

**वर्ष 1970 की सरकारी डायरी**

738. **श्री ए० श्रीधरन :**
**श्री पी० विश्वम्भरन :**
**श्री क० लकप्पा :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय ने वर्ष 1970 की अपनी डायरी में बिड़ला बन्धुओं द्वारा निर्मित "लैन्डमास्टर" कार का चित्र छापा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त चित्र को प्रकाशित करने के लिए बिड़ला बन्धुओं से विज्ञापन व्यय के रूप में कुछ धनराशि ली गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उनसे कितनी धनराशि ली गई थी ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):** (क) जी, हां। तथापि, इस चित्र में प्लांट या निर्माता के नाम का उल्लेख नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**समाचार एजेंसियों के लिये निगम**

739. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
**श्री मंगलाथुमाडोम :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया कर्मचारी संघ ने अपनी आम बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें समाचार एजेंसियों के लिये, जिनमें प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया भी शामिल है, एक निगम बनाने की मांग दोहराई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) तथा (ख). प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के कर्मचारियों की यूनियनों की फेडरेशन ने एक प्रस्ताव पास किया था जो प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को एक निगम में बदलने और उसके निदेशक मंडल में प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने तथा समाचार एजेंसी के एकाधिकृत तत्वों के दबावों से मुक्त होकर काम करने के बारे में था।

(ग) समाचार एजेंसियां स्वतन्त्र हैं तथा इस मन्त्रालय का उनके संचालन पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

**पत्रकारों को 'छूट प्राप्त श्रेणी' में टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी**

741. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या पत्रकारों को 'छूट प्राप्त श्रेणी' के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी किये जाने के बारे में उन्हें भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ से प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) संघ ने नियमों को उदार बनाने के लिये अभ्यावेदन दिया है जिससे 'विशेष श्रेणी' के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए सभी पत्रकारों को शामिल कर लिया जाये ।

(ग) सरकार ने इस अभयवेदन पर विचार किया है, किन्तु मौजूदा नियमों में संशोधन करना सम्भव नहीं पाया गया जिनके अनुसार केवल प्रत्यायित पत्रकार ही 'विशेष श्रेणी' के अन्तर्गत पंजीकरण कराने के पात्र हैं :

**केन्द्रीय सरकार के लघु उद्योग संगठनों के कर्मचारी संघ केरल की ओर से अभ्यावेदन**

742. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें केन्द्रीय सरकार लघु उद्योग संगठनों के कर्मचारी संघ केरल की ओर से प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारी संघ तथा उसके सदस्यों के उत्पीड़न के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । उक्त अभ्यावेदन राज्य सरकार को भेज दिया गया है ।

**फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्मों का रिलीज किया जाना**

743. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम ने अपने वितरण विभाग के माध्यम से कोई फिल्में रिलीज की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना धन व्यय हुआ तथा उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या फिल्म वित्त निगम ने सारे देश में अपने थियेटर स्थापित करने के बारे में विचार किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, हां ।

(ख) निगम ने 32,097 रुपये 37 पैसे व्यय किये हैं तथा अभी तक 3,106 रुपये 71 पैसे कमीशन अर्जित की है ।

(ग) तथा (घ). जी, हां । निगम ने सरकार के पास देश में कम खर्च वाले सिनेमाघर स्थापित करने की एक योजना भेजी है । यह योजना विचाराधीन है

**खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि**

744. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के आरम्भ में विभिन्न खाद्यान्नों के तुलनात्मक मूल्य क्या थे और इस समय क्या हैं तथा प्रत्येक खाद्यान्न के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) क्या आगामी सीजन में हल्की फसल होने की आशा के कारण मूल्य बढ़े हैं और यदि हां, तो आगामी फसल में, पिछली रबी की फसल में प्रत्येक खाद्यान्न के वास्तविक उत्पादन की तुलना में कितना-कितना उत्पादन होने की आशा है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक के अनुसार चावल, गेहूं और मक्का के मूल्यों में बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन ज्वार, बाजरा और चना (साबुत) के मूल्यों में गिरावट आयी है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) आगामी सीजन में रबी फसलों की पैदावार का ठीक-ठीक अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। हाल की वर्षा से आगामी रबी फसलों की पैदावार चालू सीजन से बेहतर होने की आशा है।

**विवरण**

| पदार्थ | 3.1.70 को अक्षांक | 14.2.70 को अक्षांक | 3 जनवरी, 1970 से आगे के अन्तिम अक्षांकों में उतार/चढ़ाव की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| चावल | 187.6 | 190.7 | (+) 1.7 |
| गेहूं | 220.7 | 228.4 | (+) 3.5 |
| ज्वार | 190.4 | 190.3 | (—) 0.1 |
| बाजरा | 177.0 | 176.5 | (—)0.3 |
| मकई | 207.3 | 212.6 | (+) 2.6 |
| चना (साबुत) | 317.4 | 308.1 | (—) 2.9 |

**खाद्यान्नों सम्बन्धी वसूली कार्यक्रमों की क्रियान्विति**

745. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से अथवा किसी अन्य प्रकार से प्रत्येक राज्य में विभिन्न खाद्यान्नों सम्बन्धी वसूली कार्यक्रम कहां तक क्रियान्वित किये गये ;

(ख) आगामी रबी फसल में खाद्यान्न वसूली योजना का ब्योरा क्या है और किन राज्यों में ये कार्यक्रम भारतीय खाद्य निगम द्वारा चलाये जायेंगे ; और

(ग) कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) अधिप्राप्ति कार्यक्रम प्रत्येक फसल मौसम के लिये बनाये जाते हैं। अधिप्राप्ति-लक्ष्यों और खरीफ विपणन मौसम 1968-69 (अर्थात नवम्बर, 1968 से 31 अक्तूबर, 1969 तक) और रबी विपणन मौसम 1969-70 (अर्थात् अप्रैल 1969 से) में इन लक्ष्यों के प्रति वास्तव में अधिप्राप्त की गई खाद्यान्नों की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2622/70]**

(ख) और (ग). रबी विपणन मौसम 1970-71 के लिए अधिप्राप्ति-कार्यक्रम कृषि मूल्य आयोग के रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तथा मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों के परामर्श से तैयार किया जाएगा।

**कृषकों को ऊंची दरों पर खाद का बेचा जाना**

747. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कुछ राज्यों में कृषकों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों से भी अधिक दरों पर खाद बेची जा रही है और कृषकों को ठीक किस्म की खाद नहीं मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ग) क्या इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का विचार खाद का आयात करने का है, यदि हां, तो 1970-71 में कितनी खाद का आयात करने का विचार है और उसका ब्योरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). इस मन्त्रालय को कोई सामान्य शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सल्फेट आफ एमोनिया, एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, यूरिया और कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट (20.5 प्रतिशत एन) को छोड़कर उर्वरकों (जिनमें कार्बनिक खाद भी शामिल है) के मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। जब कभी कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है, वह जांच और, जहां आवश्यक हो, कानूनी कार्यवाही के लिये सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज दी जाती हैं। उपरोक्त चार उर्वरकों के लिये अधिसूचित मूल्यों से अधिक मूल्य लेना उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 का उल्लंघन करना है और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अन्तर्गत यह एक दंडनीय अपराध है। उर्वरकों की आपूर्ति की स्थिति बड़ी संतोषजनक है और अधिक मूल्य वसूल करने का शायद ही अवसर उत्पन्न हुआ होगा।

जहां तक उपयुक्त प्रकार की रासायनिक खादों की उपलब्धि का प्रश्न है, यह स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है कि प्राय: उर्वरकों का मूल्य निर्धारण उनके पोषक तत्वों की मात्रा तथा स्तर के आधार पर किया जाता है, किन्तु कभी-कभी एक ही प्रकार के पोषक तत्वों के वर्ग में अन्य कुछ सामग्रियों के सम्बन्ध में उपभोक्ता की अभिरुचियों को भी दृष्टि में रखना पड़ता है। किन्तु उनकी यह अभिरुचि किसी वैज्ञानिक कारण पर आधारित नहीं होती, विस्तार

और अन्य प्रचार मशीनरी एक पोषक तत्व वर्ग के विभिन्न उर्वरकों की प्रभावकता के सम्बन्ध में कृषकों को शिक्षित करती है। इसके अतिरिक्त, उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए उपभोक्ता प्राथमिकताओं की पूर्ति के लिये भी यथासंभव प्रयत्न किये जाते हैं।

(ग) सन् 1970-71 में भी रासायनिक खादों का आयात करना आवश्यक होगा। राज्य-सरकारों और उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त (जिनकी व्यवस्था आगामी माह में की जा रही है) आवश्यकताओं के ब्योरों को अप्रैल 1970 में अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

**बनों सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों में संशोधन**

748. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि वनों से सम्बन्धित नियम तथा विनियम 50 वर्ष पूर्व बनाये गये थे और इन पुराने नियमों के कारण ग्रामवासियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों में संशोधन करने के लिये उपाय करने और राज्य सरकारों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल इन नियमों में संशोधन करने के लिये परामर्श देने का सरकार का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) और (ख). राज्य सरकारों से आवश्यक ब्योरा प्राप्त किया जा रहा है और यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

**Missing Files of Bharat Sewak Samaj**

749. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the files for the years 1953 to 1958 at the Bharat Sewak Samaj which contain the details regarding financial loans, grants etc. are missing ;

(b) if so, whether Government have conducted inquiries in this regard ; and

(c) if so, the action taken against those responsible therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) and (b). Some of the old records relating to grants-in-aid given by this Ministry to the Bharat Sewak Samaj have been weeded out in accordance with the normal procedure for weeding out old records and therefore no inquiry is called for in the matter.

(c) Does not arise.

**उर्वरकों की खपत का खाद्य उत्पादन पर प्रभाव**

750. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 12 महीनों में कृषि उत्पादन लगभग स्थिर रहा है और उर्वरकों की खपत में मामूली वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्मों के उत्पादन कार्यक्रम, जिनके उत्तर भारत के कुछ राज्यों में परिणाम अच्छे रहे थे, की प्रगति भी उल्लेखनीय नहीं है तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने की सिफारिश को भी अमल में नहीं लाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त मामलों के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(घ) किसानों को उचित किस्म के उर्वरकों का प्रयोग सिखाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी नहीं। यद्यपि 1969-70 के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं, तथापि मौसम तथा फसल स्थिति आदि से सम्बन्धित गुणात्मक रिपोर्टों को दृष्टिगत रखते हुए यह आशा की जाती है कि गत वर्ष की तुलना में 1969-70 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अधिक होगा। गत वर्ष की खपत की तुलना में 1969-70 के दौरान नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की खपत लगभग 20 प्रतिशत और फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों की खपत क्रमशः लगभग 12 और 18 प्रतिशत बढ़ने की सम्भावना है।

(ख) जी नहीं। आशा है 1968-69 में लगभग 230 लाख एकड़ की उपलब्धि की तुलना में 1969-70 में अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 270 लाख एकड़ भूमि का क्षेत्र आ जायेगा। परन्तु यह ठीक है कि किसान सिफारिश की गई मात्रा से कम उर्वरक को प्रयोग में लाते हैं।

(ग) अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम को 1966-67 में शुरू किया गया था और कृषि अनुसन्धान सांख्यिकी संस्थान तथा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन खरीफ, 1967 से निरन्तर रूप से अधिक उत्पादनशील किस्मों की फसलों का अध्ययन करते रहे हैं। इन अध्ययनों से पता चला है कि अधिक उत्पादनशील किस्मों ने अपनी अधिक उपज की सम्भाव्यताओं का सन्तोषजनक प्रदर्शन किया है और इससे महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। फिर भी पैकेज पद्धतियों के विषय में (और विशेषकर उर्वरकों की निर्धारित मात्रा के प्रयोग के विषय में) काफी कुछ किया जाना बाकी है।

(घ) उर्वरकों का भली-भांति प्रयोग करने में किसानों को शिक्षित करने की दिशा में निम्न कदम उठाए गए हैं :

(i) कृषकों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत चुनिंदा अधिक उत्पादनशील जिला कार्यक्रम में किसानों को प्रत्येक फसल के मौसम में अधिक उत्पादनशील किस्मों की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के आधुनिक तरीकों तथा तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है। उर्वरकों का दक्षतापूर्ण तथा सन्तुलित प्रयोग करना कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है।

(ii) राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को उर्वरकों के प्रयोग, प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों की किस्म तथा उनके प्रयोग करने के तरीके तथा समय आदि के बारे में शिक्षा देने का प्रस्ताव है।

(iii) भारत सरकार तथा उर्वरक उद्योग के संयुक्त उद्यम के रूप में उर्वरकों की अनुकूलतम वृद्धि तथा उनके सन्तुलित उपयोग के लिए सरकार ने एक उर्वरक वृद्धि परिषद् स्थापित करने का निर्णय भी किया है।

## संरक्षित पशु के रूप में बाघ

751. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री नरसिम्हाराव :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य पशु बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को हाल में सूचित किया है कि यदि बाघ को सारे देश में कम से कम पांच वर्ष के लिये संरक्षित पशु घोषित न किया गया तो इसके विलुप्त हो जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस पशु के विलुप्त होने के क्या कारण बताये गये हैं ;

(ग) वर्ष 1967, 1968 और 1969 में प्रति वर्ष भारत में कुल कितने बाघों का शिकार किया गया तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में शिकार के द्वारा मारे गये तथा प्राकृतिक मौत से मरे बाघों को घटा कर, उनकी कुल संख्या कितनी थी;

(घ) शेर की भांति बाघ के विलुप्त होने के खतरे की पहले चेतावनी न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में वन्य पशु बोर्ड की सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां। भारतीय वन्य पशु बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ने राज्य सरकारों से

सिफारिश की है कि प्रथम जुलाई, 1970 से पांच वर्ष के लिये बाघों के शिकार पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

(ख) मालूम हुआ है कि इनकी संख्या में कमी हो रही है और कमी की इस दिशा को रोकने के लिए इस पशु के शिकार पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश की गई है।

(ग) शिकार के रूप में वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 की अवधि में क्रमशः 166, 157 और 157 बाघों का वध किया गया। बाघों की संख्या के सम्बन्ध में कोई गणना नहीं की गई है, अतः उनकी संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्राकृतिक मौत से मरे बाघों के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) बाघ विलुप्त नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि इसकी संख्या में कमी हो रही है।

(ङ) भारतीय वन्य पशु बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है।

**असिंचित क्षेत्रों को कृषि भूमि में बदलने के लिये परियोजनायें**

752. **श्रीमती इला पालचौधरी :** **श्री जगेश्वर यादव :**
**श्री शिव कुमार शास्त्री :** **श्री आत्म दास :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कुल असिंचित क्षेत्र कुल कृष्य क्षेत्र का लगभग 4/5 भाग है ;

(ख) क्या अनेक मार्गदर्शी परियोजनाओं द्वारा असिंचित क्षेत्र को कृष्य भूमि में बदलने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो

(1) आरम्भ की जाने वाली प्राथमिक परियोजनायें कितनी हैं और उन्हें कहां आरम्भ किया जायेगा ;

(2) प्रत्येक प्राथमिक परियोजना के अन्तर्गत लगभग कितना क्षेत्र आयेगा ;

(3) प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत किस श्रेणी की फसलों को उगाये जाने का विचार है ;

(4) प्रत्येक परियोजना में अनुमानतः कितनी उपज होने की आशा है ;

(5) प्रत्येक परियोजना पर लगभग कितना वार्षिक खर्च किये जाने की संभावना है ;

(घ) क्या प्रत्येक प्राथमिक परियोजना के लिये केवल केन्द्र ही उत्तरदायी होगा अथवा केन्द्र और सम्बन्धित राज्य संयुक्तरूप से इसके लिये उत्तरदायी होंगे ;

(ङ) क्या प्रत्येक परियोजना पर होने वाला खर्च केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जायेगा अथवा केन्द्र और सम्बन्धित राज्य द्वारा इस खर्चे को बराबर-बराबर उठाया जायेगा ; और

(च) इन प्राथमिक परियोजनाओं को कब आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां।

(ख) से (च). परियोजनाओं को 1970-71 में आरम्भ करने का प्रस्ताव है और लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से चौथी योजना के बाद भी उनके चालू रहने की सम्भावना है। इन परियोजनाओं का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। ये केन्द्रीय संचालित परियोजनायें होंगी अतः उन पर होने वाले कुल व्यय को केन्द्रीय सरकार ही सहन करेगी। यह परियोजनायें प्रत्यक्षरूप से केन्द्रीय सरकार की देख रेख में रहेंगी।

**उज्जैन स्थित मध्य प्रदेश राज्य के विलायक निस्सारण (सोलवेंट एक्सट्रेक्शन) कारखानें को अपने नियन्त्रण में लेना**

753. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम उज्जैन स्थित राज्य के विलायक निस्सारण कारखाने को अपने नियन्त्रण में लेने के लिये मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग निगम के साथ बातचीत कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार ने विलायक निस्सारण कारखाने को भारतीय खाद्य निगम को सौंपने का क्यों निर्णय किया है ;

(ग) भारतीय खाद्य निगम किन शर्तों पर इस कारखाने को अपने नियन्त्रण में ले रहा है ;

(घ) बातचीत में कितनी सफलता मिली है ; और

(ङ) अन्तिम रूप से कब तक बातचीत किये जाने की सम्भावना है तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा कारखाना कब तक अपने नियन्त्रण में ले लिया जायेगा ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया था कि क्योंकि भारतीय खाद्य निगम बालाहार का उत्पादन कर रहा है और क्योंकि उज्जैन में राज्य सरकार का विलायक निस्सारण संयंत्र इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित एक वस्तु का उत्पादन कर सकता है, इसलिये निगम बालाहार के उत्पादन के लिये संयन्त्र ले सकता है। भारतीय खाद्य निगम इस प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

## चलचित्र (मोशन पिक्चर्स) उद्योग द्वारा ज्ञापन

754. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलचित्र उद्योग ने हाल में वित्त मन्त्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें चलचित्र उद्योग को वित्तीय सहायता तथा करों में राहत देने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) जी, हां ।

(ख) ज्ञापन में फिल्म उद्योग को प्राथमिक उद्योग के रूप में समझने, बैंक ऋण उपलब्ध करने, आवश्यक कच्चे माल के पर्याप्त आयात की व्यवस्था करने, सामान्य करेन्सी क्षेत्र से आयातित रंगीन कच्ची फिल्म को अबाधरूप से रिलीज करने, भारत में रंगीन कच्ची फिल्म के बनाये जाने, थियेटरों के विकासार्थ सहायता देने के लिये ठोस कदम उठाने, विभिन्न करों की दरों को कम करने, निर्यात नीति को फिर से सुनिश्चित करने आदि जैसी मांगें थीं ।

(ग) ज्ञापन में उल्लिखित मांगें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्ध रखती हैं और वे सभी फिल्म उद्योग द्वारा उठाये गये मामलों से सजग हैं ।

### Import and Export of Foodgrains during Five Year Plan

755. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the foodgr ains and foodstuffs imported by India from abroad during the last Three Five Year Plans separately ;

(b) the quantity thereof and the expenditure incurred thereon ;

(c) whether some amount is outstanding for the foodstuffs imported by her from abroad and if so, the details thereof ;

(d) whether India would become self sufficient to some extent in foodstuffs during the Fourth Five Year Plan as compared to last Three Five Year Plans, if so, the percentage thereof ;

(e) the foodstuffs exported by India to other countries during the last Three Five Year Plans and the quantity thereof and the foreign exchange earned therefrom ; and

(f) whether there will be any increase in the quantity of foodstuffs being exported by India during the Fourth Five Year Plan and if so, the percentage thereof ?

**The Miaister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) and (b). A statement is attached. (Annexure I).

(c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(d) According to the present plans, the country is expected to achieve self-sufficiency in foodgrains production during the Fourth Five Year Plan period. It is envisaged that concessional imports would cease after 1970-71.

(e) Three statements showing export of food items during the first three Five Year Plan periods are attached. (Annexures II, III and IV).

(f) It is too early to say what would be the extent of exports of foodstuffs during the Fourth Five Year Plan period. **[Placed in Library. See No. LT-2623/70.]**

**Modernization of Agriculture**

756. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the details of modern techniques adopted by Government for the improvement of agriculture in India during the last three Five Year Plans ;

(b) the various regions of the country in which the said techniques were adopted, the details thereof and the percentage of increase in agricultural production as a result thereof ;

(c) the details of various types of assistance provided by Government to the farmers for the modernisation of agriculture ; and

(d) the nature and quantum of assistance provided by Government to U. P. particularly and the farmers of Bundelkhand and Eastern District of Uttar Pradesh on this account?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a)and (b). Until the close of the Second Five Year Plan, efforts to increase agricultural production were dispersed over the entire country. The measures undertaken included the use of improved seeds, fertiliser, pesticides and improved implements ; development of irrigation, land reclamation and propagation of improved cultural practices. These efforts, though resulted in increases in agricultural production, in the local areas covered by them did not have the desired impact. It was, therefore, decided that intensive efforts for increasing agricultural production should be undertaken in selected areas which had the necessary resource potential. Thus, the Intensive Agricultural District Programme was conceived and initiated in 7 selected districts in the country in 1960-61 and later extended to 9 more districts. This programme embodied a multi-disciplined concentrated and a coordinated approach to agricultural development. involving the use of package of practices in the selected districts.

Based on the experience gained in the working of the Intensive Agricultural District Programme, another programme viz. the Intensive Agricultural Areas Programme was launched in 117 districts in 1964-65. This programme followed the same intensive approach, but due to paucity of resources, both in men and material, the programme was rather less intensive in nature.

From 1966-67, a new strategy for agricultural development has been in operation in all the States. The salient features of this new strategy are : cultivation of high-yielding varieties of seeds, multiple cropping, fuller and better utilization of irrigation for intensive cultivation, organised provision of inputs like fertilisers and pesticides ; timely provision of required credit facilities, including institutional finance ; farmers' education and training, and intensification of research. The efforts for increasing agricultural production are proposed to be further intensified during the Fourth Five Year Plan which lays emphasis upon institutional financing of agricultural development, farm machinery services and area development.

The increase in agricultural production is the cumulative effect of the use of various inputs and the extent of application of modern science and technology. It is, therefore, difficult to indicate percentage of increase in production programme-wise.

(c) The assistance so far provided by the Government for the development of agriculture in the country includes :

(i) Supply of breeders' and foundation seeds for multiplication through registered growers and their distribution to farmers ;

(ii) Measures to increase availability of fertilisers in the country from internal production as well as imports and arrange for their distribution ;

(iii) Supply of pesticides and plant protection equipment.

(iv) Strengthening of arrangements for agricultural research and education ;

(v) Provision of extension facilities including training of farmers.

(vi) Provision of administrative, technical and financial support for various development programmes like minor irrigation, soil conservation, land development etc. ; and

(vii) Expansion of facilities for supply of institutional credit, particularly cooperative credit and issue of taccavis loans.

(d) The various types of assistance listed under (c) above were, by and large, being provided to the farmers in the whole of the country and as such this assistance was available to the farmers of U. P., including Bundelkhand and Eastern Districts of the State.

## दिल्ली के चिड़ियाघर से जानवरों का बच कर निकल भागना

757. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चिड़ियाघर की स्थापना से अब तक इसमें से कितने तथा किस-किस किस्म के जानवर बचकर निकल भागे हैं ;

(ख) चिड़ियाघर के अधिकारियों द्वारा कितने जानवरों को पकड़ा/गोली से मारा गया ;

(ग) क्या उनके चिड़ियाघर से बच कर निकल भागने के बारे में कोई जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) और (ख) 29. एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2624/70]**

(ग) दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक द्वारा जांच की गई है।

(घ) बच कर निकल भागने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) खाइयों में मिट्टी जम जाने के कारण कुछ जानवर खाइयों को पार करने में सफल हो गये।

(ii) एक या दो मामलों में असीम शक्ति के प्रदर्शन द्वारा जानवरों ने कठघरों को पार कर लिया जिन्हें वे सामान्य रूप से पार न कर सकते थे।

(iii) कभी कभी रक्षकों/परिचारकों की उपेक्षा के कारण।

(2) इस प्रकार निकल भागने को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) खाइयों से जमी मिट्टी हटाना।

(ii) उन सम्बन्धित भवनों/अहातों तथा कठघरों की बनावट की कमियों को दूर करना जिनके विषय में त्रुटियों का पता चल गया था।

जहां तक शेरनी (गीता) जिसे गोली से मार दिया गया था, के बच निकलने का सम्बन्ध है, यह मामला प्रकाश में आया है कि वह रक्षक की लापरवाही के कारण निकल भागी थी। अतः रक्षक को तुरन्त ही निलम्बित कर दिया गया और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई।

**खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये पश्चिम बंगाल द्वारा चावल तथा गेहूं की मांग**

758. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में राज्य में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से 5 लाख टन चावल तथा 17 लाख टन गेहूं की सप्लाई किये जाने की मांग की है ;

(ख) क्या अन्य राज्यों ने भी ऐसी मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और सरकार का विचार खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये राज्य सरकार की मागों को कहां तक पूरा करने का है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) नई दिल्ली में 27-9-1969 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह उल्लेख किया गया था कि 1970 में पश्चिमी बंगाल में लगभग 22 लाख मीटरी टन खाद्यान्न की कमी होने की सम्भावना है और केन्द्र से यह अनुरोध किया गया था कि वे इस कमी को 5 लाख मीटरी टन चावल तथा बकाया गेहूं और अन्य अनाज सप्लाई कर पूरी करें।

(ख) तथा (ग). केवल महाराष्ट्र तथा त्रिपुरा से ही विशेषतया सारे 1970 वर्ष के लिये मांगें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने निम्नलिखित मात्राओं में खाद्यान्नों की मांग की थी :

(मीटरी टन में)

| | चावल | गेहूं तथा अन्य अनाज |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 2,50,000 | 11,00,000 |
| त्रिपुरा | 32,000 | 25,000 |

केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों को केन्द्रीय पूल में उपलब्धि तथा विभिन्न राज्यों में सरकारी वितरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर खाद्यान्न का आवंटन करती रहेगी।

**दुर्लभ भारतीय जानवरों का समाप्त होना**

759. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में दुर्लभ भारतीय जानवरों की समाप्ति के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इन जानवरों को समाप्त होने से बचाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी नहीं। केवल गुजरात के गिरि आश्रय-स्थल में शेर तथा असम के काजीरंगा वन्य प्राणि आश्रय-स्थल में गैंडों की गणना/सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) एक गणना 1968 में की गई थी जिसके अनुसार शेरों की संख्या 177 थी। गैंडों की गणना 1966 में की गई थी और उनकी संख्या 400 से कुछ अधिक है।

(ग) देश में दुर्लभ पशुओं को बचाने के लिये निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :

(1) दुर्लभ पशुओं के शिकार पर प्रतिबन्ध या रोक लगाना ;

(2) दुर्लभ किस्मों (मृत या जीवित) या उनके किसी भाग के निर्यात पर रोक लगाना ;

(3) चिड़ियाघरों में दुर्लभ पशुओं का प्रजनन।

(4) आरक्षित वनों के बाहर भी दुर्लभ किस्मों सहित वन्य प्राणियों के बचाव के लिये राज्यों द्वारा उपयुक्त कानून बनाना ;

(5) दुर्लभ किस्मों के परिरक्षण के लिये आश्रय-स्थलों और राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करना।

**दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं की मृत्यु**

760. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली चिड़ियाघर के आरम्भ होने से लेकर अब तक अनेक जानवर जिनमें कुछ दुर्लभ जातियों के जानवर भी शामिल हैं, मर चुके हैं तथा उसके परिणाम-स्वरूप उनके जोड़े टूट गये हैं और उनका पुनर्स्थापन नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य देशों तथा संगठनों/एजेंसियों द्वारा उपहार स्वरूप पशुओं का दिया जाना प्रायः समाप्त कर दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) चिड़ियाघर के आरम्भ होने से लेकर अब तक किन पशुओं के साथी मर चुके हैं और जिनका पुनर्स्थापन नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) जोड़ों को पूरा करने के लिये पशु प्राप्त करने के हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि कभी-कभी किसी देश/संगठन/एजेन्सी से उपहार स्वरूप कुछ पशु प्राप्त हुए हैं, परन्तु अब उनमें से अधिकतर देश भारत से बदले में पशुओं की प्राप्ति के लिये जोर देने लगे हैं ।

(ग) उन पशुओं/पक्षियों की एक सूची संलग्न है, जिनके साथी मर चुके हैं ।

इन पशुओं/पक्षियों को हमारे विदेशी मिशनों के माध्यम से बदलने के विषय में हमारे प्रयत्नों को अभी तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली है, क्योंकि इच्छानुसार लिंग और आयु के पशु प्राप्त करना कठिन भी है ।

(घ) अपने विदेशी मिशनों से उनके बदल प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। संगठनों/विक्रेताओं के माध्यम से भी उनके बदल प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

**विवरण**

**उन दूध पिलाने वाले पशुओं/पक्षियों की सूची जिनके साथी मर गये हैं**

| पशु का नाम<br>दूध पिलाने वाले | संख्या |
|---|---|
| 1. एलैण्ड | 1 |
| 2. शिकारी चीता | 3 |
| 3. बारहसिंगा | 1 |
| 4. विरजीनिया हिरण | 1 |
| 5. अमरीकी जंगली सांड | 1 |
| 6. जंगली बिल्ला | 1 |
| 7. चिम्पाजी | 1 |
| 8. हूलुक गिबन | 1 |
| 9. फारमोसन बन्दर | 1 |
| 10. बिन्टूंग | 1 |

| पशु का नाम | संख्या |
|---|---|
| **दूध पिलाने वाले** | |
| 11. जेबरा | 1 |
| 12. बुश बेबी | 1 |
| 13. सुनहरी बिल्ली | 1 |
| 14. जंगली बिल्ली | 1 |
| 15. मश्टाश्ड ग्यूनून | 1 |
| 16. औडिड शीप | 1 |
| 17. विरवेट ग्यूनून | 2 |
| 18. नीलगिरि लंगूर | 2 |
| 19. साइक्स ग्यूनून | 2 |
| 20. जापानी बन्दर | 1 |
| 21. ऊंट | 1 |
| 22. लाल कंगारू | 1 |
| 23. भूरा कंगारू | 1 |
| 24. अमरीकी रीछ | 1 |
| 25. शल्यकी | 1 |
| **पक्षी** | |
| 1. उष्ट्रपक्षी | 1 |
| 2. शुतुर्मुर्ग | 1 |
| 3. सफेद रोएं वाला सारस | 1 |
| 4. मंचूरियाई सारस | 1 |
| 5. चकोर तीतर | 1 |
| 6. भटट तीतर | 1 |
| 7. गौस हाक | 1 |

**सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेना**

761. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
**श्री सीता राम केसरी :** **श्री आत्म दास :**
**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों को सम्मिमित करने की प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) सरकार ने इन सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ सिद्धांतरूप में स्वीकार कर लिया है ।

(ख) ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

**उर्वरकों के मूल्य का चावल की उपज पर प्रभाव**

662. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान चावल का आयात किया करता था ;

(ख) क्या वहां की उस स्थिति में आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके फलस्वरूप अब जापान में बहुत अधिक फालतू चावल उपलब्ध है ;

(ग) क्या उर्वरकों की कीमतों के लिए भारी अनुदान दिये जाने और लाभकारी कीमतों के कारण मुख्य रूप से यह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ;

(घ) जापानी किसान और भारतीय किसान को उर्वरक के लिये औसतन कितना मूल्य देना पड़ता है ; और

(ङ) सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी हां, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात 1966 तक जापान चावल को आयात करता रहा, जबकि उसका आयात 811,000 मीटरी टन था।

(ख) हाल ही की रिपोर्टों से पता चलता है कि जापान में परिस्थिति काफी बदल गई हैं और उस देश के पास चावल का फालतू भण्डार है।

(ग) खाद्य और कृषि संगठन की प्रोडक्शन ईयर बुक, 1968 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार जापान में कृषकों का उर्वरकों के लिए राज सहायता उपलब्ध नहीं है। जापान सरकार विपणन सहायता और प्रोत्साहन-मूल्य के माध्यम से चावल के उत्पादन को प्रोत्साहित करती रही है।

(घ) सन् 1967-68 के दौरान कृषकों द्वारा वनस्पति पोषण के प्रति 100 किलोग्राम के लिए अमरीकी डालर के रूप में अदा की हुई कीमत नीचे दी गई है :

| उर्वरक का नाम | कृषकों द्वारा डालर के रूप में अदा किया गया मूल्य | |
|---|---|---|
| | भारत | जापान* |
| एमोनियम सल्फेट | 31.2 | 25.6 |
| यूरिया | 24.3 | 22.5 |
| सुपर फासफेट | 25.4 | 23.2 |
| (25 प्रतिशत से कम पी 205) | (कारखाने का मूल्य) | |
| म्यूरेट आफ पोटाश | 9.8 | 9.7 |
| (45 प्रतिशत से ऊपर के 20) | | |

*कोई राज सहायता नहीं।

जापान में उर्वरकों की कम कीमत के कारण

(i) बड़े स्तर के उत्पादन से व्यय में कमी।

(ii) मशीनों और तकनीकी ज्ञान में स्वावलम्बी होना है।

(स्रोत-खाद्य एवं कृषि संगठन प्रोडक्शन ईयर बुक खण्ड 22-1966 के लिए)

(ङ) राष्ट्रीय विकास परिषद ने निर्णय किया है कि उर्वरकों सहित कृषि आदानों पर कोई राज सहायता नहीं दी जानी चाहिये और उत्पादकों का प्रोत्साहन सम्बन्धी मूल्य बनाए रखा जाए ताकि अपनी उपज बढ़ाने के लिए कृषकों को इन आदानों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

**नारियल जटा, बीड़ी तथा बागान मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड**

763. **श्री क० अनिरुद्धन : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा, बीड़ी तथा बागान मजदूरों के लिये कोई मजूरी बोर्ड बनाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**पोषक आहार बोर्ड के कृत्य**

764. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोषक आहार बोर्ड के कृत्य क्या हैं ;

(ख) उस बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि इस बोर्ड ने अनुसंधान इत्यादि से कोई सफलता प्राप्त की है तो क्या सफलता प्राप्त की है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) बोर्ड को नीतियां तैयार करनी और सरकार को सलाह देनी होती है और निम्नलिखित गति विधियों को चलाने, सहायता, बढ़ावा देने तथा उनका समन्वय करने का कार्य करना पड़ता है :

1. सहायक तथा संरक्षी खाद्यों का विकास करना तथा उनको लोकप्रिय बनाना ;

2. पोषाहार, खाद्य विस्तार तथा खाद्य प्रबन्ध

3. खाद्य संसाधनों का संरक्षण तथा कुशल उपयोग और उन्हें बढ़ाना।

4. खाद्य परिरक्षण, विद्यायन, पैकेजिंग परिवहन तथा अन्य प्राविधिक सहायता ; और

5. अन्य ऐसे कार्य जिन्हें बोर्ड आवश्यक समझें, जोकि उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक का प्रेरक हो।

(ख) बोर्ड की सदस्यता इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| 1. सचिव, खाद्य विभाग | अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव, खाद्य विभाग | सदस्य |
| 3. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग | सदस्य |
| 4. कृषि आयुक्त, कृषि विभाग | सदस्य |
| 5. निदेशक, केन्द्रीय खाद्य औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर | सदस्य |
| 6. निदेशक, पोषाहार अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद | सदस्य |
| 7. सहकारी विभाग का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 8. महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद | सदस्य |
| 9. स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 10. तकनीकी सलाहकार | सदस्य |
| 11. डा० वी० कुरेन, महाप्रबन्धक, कैरा जिला सहकारी संघ, आनन्द। | सदस्य |
| 12. डा० ए० श्रीनिवासन, खाद्य परिरक्षण, परमाणुऊर्जा आयोग, बम्बई। | सदस्य |
| 13. डा० एम० एस० स्वामीनाथन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 14. कार्यकारी निदेशक, खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड खाद्य विभाग | सदस्य |

(ग) जैसाकि उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित कार्यों से स्पष्ट होगा बोर्ड मुख्यतः विज्ञान और औद्योगिकी के उपयोग से सम्बन्धित है और न कि मूलभूत अनुसंधान से।

## दूसरा प्रेस आयोग

765. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि 15 वर्ष पूर्व, प्रथम प्रेस आयोग द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के बाद प्रेस और देश की बदली हुई परिस्थितियों में प्रेस के कार्यकरण के सम्पूर्ण विषय क्षेत्र पर विचार करने के लिए दूसरा वेतन आयोग नियुक्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) और (ख). सरकार को अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन से अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक में पारित प्रस्तावों की प्रतियां मिली हैं। इनमें से एक प्रस्ताव दूसरे प्रेस आयोग की नियुक्ति से सम्बन्धित है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

**Filling up Class II and III Posts in Food Corporation of India**

766. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Class III and Class II technical as well as non-technical posts filled in various offices of the Food Corporation of India during the last two years ;

(b) the classwise break up of posts reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes out of the above ; and

(c) the classwise break up regarding the number of reserved posts actually filled up ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) to (c). The information is being collected from the Food Corporation of India and will be laid on the Table of the Sabha.

**Accumulated Stock of Seeds of National Seeds Corporation**

767. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of seeds belonging to the National Seeds Corporation remained undisposed of ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the amount of loss suffered by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) Yes, Sir.

(b) The reasons for the stock remaining unsold are as follows :

(i) During the year 1968-69, some of the State Governments who, in earlier years, had been purchasing seeds from the National Seeds Corporation had their own seeds produced and indeed some of them were left with sizeable stocks of surplus seeds at the end of the year.

(ii) Increasing competition from seed producers and seed firms who have been expanding their seed production programmes steadily over the past two or three years ;

(iii) Fall in demand of seeds of particular hybirds on account of reduction in the coverage of the high-yielding-varieties programme, especially programme of growing hybrid maize.

(iv) Fall in the sale of foundation seed consequent upon the reduction by the State Governments and other producers in the production of certified seeds of hybrids on account of surplus seeds available with the State Governments, private firms and seed producers, etc.

(c) The National Seeds Corporation has undergone a loss of Rs. 25,05,447.41.

**Appointment of a Committee for making Land Reforms Laws on an All-India Basis**

768. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a Committee to go into the question of making land reforms laws on an all-India basis ; and

(b) if so, whether a statement in this regard would be laid on the Table of the House ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) and (b). Land being a State subject, the formulation of land policies, enactment of suitable legislation and its implementation is primarily the concern of the State Governments. Tenurial conditions differ very widely from State to State and in many cases even within a State from area to area. Separate land reform laws have therefore to be enacted for different States and even in different parts of the same State in view of the variations in the conditions and historical developments. Therefore legislation on all India basis for the country as a whole is not feasible. The question of appointment of a Committee for making land reforms laws on all India basis therefore does not arise.

It may, however, be mentioned that in view of the important role of land reforms in agricultural production programmes and the large number of persons who are affected by measures of land reforms, certain recommendations have been included in the successive Five Year Plans which are in the nature of a broad common approach to be adopted and pursued by State Governments with due regard to local conditions and in response to local needs. In the formulation of the land policies for the Plan, the Planning Commission has from time to time appointed Panels on Land Reforms and Advisory Committees. There has also been a Central Committee for Land Reforms which was set up to guide and assist the State Governments in formulation of legislative proposals keeping in view the national land policy. The National Development Council has also on various occasions reviewed progress and problems of land reforms and made recommendations for expediting implementation. In 1963, a special Committee had been appointed by the National Development Council to review the implementation of land reforms. This committee submitted its report to the NDC in August, 1966. A conference of Chief Ministers' of all the States and Union Territories was also held in November 28-29, 1969 to review problems of land reforms.

Proposal is under consideration for reconstituting the Central Committee for land reforms with a view to keeping a watch on the progress of land reforms, in the light of the decision taken at the Chief Ministers' Conference, in the various States.

**Rehabilitation of Harijan Refugees from East Pakistan in Assam**

769. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Harijan refugees who came from East Pakistan have not so far been rehabilitated in Assam ;

(b) whether it is also a fact that a party of Members of Parliament met them on the spot ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad)** : (a) No attempt has so far been made to classify refugees from East Pakistan as Harijans and non-Harijans and all refugees are treated on the same footing without any discrimination on the basis of community. There may be Harijans amongst those rehabilitated and yet to be rehabilitated.

(b) No official information is available to indicate that a Parliamentary party had met the Harijan refugees on the spot, but a Parliamentary group did meet officials of the Government of Assam on the 24th January at Shillong. During the course of their discussions, they mentioned that they had met some Harijan refugees during the course of their tour of the State in January last.

(c) The Parliamentary group was informed by the State Government as at (a) above.

## दुधारू गऊओं की हत्या पर प्रतिबन्ध

770. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले दूध के मौसम की प्रतीक्षा किये बिना देश में प्रति वर्ष लगभग एक लाख गऊओं की, उनके द्वारा दूध देना बन्द किये जाने के तुरन्त बाद, हत्या की जाती है ;

(ख) क्या देश में दूध की प्रति व्यक्ति बहुत कम खपत को ध्यान में रखते हुये बड़ौदा में हुए अखिल भारतीय दुग्धशाला उद्योग सम्मेलन में इस प्रथा को रोकने की सिफारिश की थी और दुधारू गऊओं की नस्ल सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों से दुधारू पशुओं को बाहर ले जाने को रोकने के लिये तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) देश में गऊओं द्वारा दूध देना बन्द किए जाने के तुरन्त बाद उनके वध करने के विषय में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) अभी तक भारत सरकार को बड़ौदा में हुए अखिल भारतीय दुग्धशाला उद्योग सम्मेलन की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं । परन्तु पता चला है कि सम्मेलन में सामान्य रूप से कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास के चार बड़े शहरों में अपनाये जाने वाले दुग्ध विपणन और डेरी विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति के विषय में विचार-विमर्श हुआ था । इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ अधिक दूध देने वाले पशुओं और उनके (गायों के बछड़ों व भैंसों के कटड़ों) के वध को रोकना भी शामिल है ।

(ग) दुग्ध वितरण में सुधार करने और दुधारू पशुओं की बरबादी को रोकने के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से कलकत्ता बम्बई, दिल्ली और मद्रास के चार बड़े शहरों में डेरी विकास और दुग्ध सम्भरण की दिशा में क्रमबद्ध प्रयत्न करने का प्रस्ताव है । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गई योजना का उद्देश्य महानगरीय मण्डी में प्रभावशाली स्थान प्राप्त करना है । पूर्ण दुग्ध सस्ता बेचा जायेगा । अत्यधिक दुग्ध मूल्य के वह आर्थिक प्रोत्साहन समाप्त हो जाएंगे जिनसे दूधिये ग्रामीण क्षेत्रों के बजाए शहरी पशुशालाओं में ढोर रखने के भारी व्यय को वहन कर लेते हैं । उन शहरी ढोर मालिकों को, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ढोर बसा दिये हैं और जहां से वे दुग्ध योजनाओं को दुग्ध सम्भरण करते रहेंगे, वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ।

## सहकारिता के माध्यम से मत्स्य उद्योग का विकास

771. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारिता के माध्यम से मत्स्य उद्योग का विकास करने के लिये एक कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने मत्स्य सहकारी संस्थाओं के लिये एक अध्ययन दल गठित किया था, जिसने 1964 में अपना प्रतिवेदन दिया । मत्स्य सहकारिताओं का विकास राज्य क्षेत्र का विषय है । नवम्बर, 1964 में राज्यों को प्रतिवेदन परिचारित किया गया था । राज्य सरकारों ने मत्स्य सहकारी संस्थाओं को संगठित तथा मजबूत करने की अपनी योजना के निर्माण के लिये अध्ययन दल की सिफारिशों को ध्यान में रखा है ।

(ख) अध्ययन दल ने प्रारम्भिक समितियों, संघों तथा अग्रक समितियों के संगठित ढांचे की उचित रूप-रेखा तैयार की है । सिफारिशों के अन्तर्गत सहायता के प्रतिमान तथा ऐसी सहायता के लिये पथ-प्रदर्शन दिये गये हैं । कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि सहकारी क्षेत्र से कम से कम 50 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होना चाहिये और इस परिणाम को प्राप्त करने की दृष्टि से सहकारी संस्थाओं को वित्त और प्रबन्धात्मक दृष्टियों से सबल बनाया जाना चाहिये । समुद्री मत्स्य उद्योग के लिये मत्स्य बन्दरगाहों के आस-पास तथा समुद्र तट से दूर के मत्स्य उद्योगों के लिये जलाशयों एवं अधिक पानी वाले क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं को संगठित करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जाते हैं । पानी वाले क्षेत्रों को लम्बी अवधि के लिये पट्टे पर देकर अन्तर्देशस्थ मत्स्य सहकारी संस्थाओं को विशेष सुविधायें दी जानी हैं । कार्यकारी दल ने सहकारी संस्थाओं के प्रबन्ध के लिये सहायता देने तथा संस्थागत वित्त द्वारा पूंजी की व्यवस्था के लिये भी सिफारिश की है ।

(ग) क्रियात्मकरूप से सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने चौथी योजना में मत्स्य सहकारी संस्थाओं के लिये व्यवस्था की है और सहकारी संस्थाओं के ढांचे को पुनर्गठित करने के लिये उपाय किये जा रहे हैं । मैसूर, तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश में उचित संगठित संघों को बड़े पैमाने की उत्पादन योजना के लिये कृषि पुनर्वित्त निगम से सहायता दी जाती है । अन्य राज्यों में भी काफी संघों को ऐसी सहायता देने की सम्भावना है । कुछ राज्यों में समुद्री मत्स्य केन्द्रों तथा जलाशयों के नजदीक अन्तर्देशस्थ केन्द्रों में मछुआ सहकारी संस्थाओं को संगठित किया गया है और पूंजी, आर्थिक सहायता, उपकरण तथा पट्टे की उचित शर्तों से सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है । फिर भी सहकारी ढांचे को काफी मजबूत करना है और इसके लिये बड़े पैमाने पर लगातार प्रयत्न की आवश्यकता है ।

## आसाम डाक परिमंडल में चपरासियों की भर्ती

772. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में डाक-तार विभाग के आसाम सर्किल में चपरासी के पदों पर नियुक्ति के लिये एक साक्षात्कार (इण्टरव्यू) लिया गया था ;

(ख) कितने चपरासियों की आवश्यकता थी और उस साक्षात्कार अथवा परीक्षा का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) भर्ती में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी हां, 1969 में भर्ती की गई थी।

(ख) आवश्यकताओं के अनुसार पूरे आसाम डाक-तार सर्कल में चतुर्थ श्रेणी के 107 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी।

(ग) इसमें कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ।

**आसाम में डाकपालों के अस्थाई पद**

773. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम डाक तथा तार सर्किल में सहायक डाकपाल आदि के पद गत 7 वर्षों से अस्थाई ही चले आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) इन पदों को स्थाई बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) किसी भी सहायक पोस्टमास्टर का पद गत सात वर्षों से अस्थाई नहीं चल रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रेस परिषद् अधिनियम**

774. **श्री सीता राम केसरी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रेस परिषद् अधिनियम, 1969 में संशोधन के लिये विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्रेस परिषद् अधिनियम में क्या-क्या संशोधन किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) संशोध नविधेयक कब तक संसद् में पुनः स्थापित किये जाने की संभावना है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) से (घ). जी, हां। प्रेस परिषद् सम्बन्धी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर सावधानी-पूर्वक विचार करने के उपरांत सरकार ने प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 में संशोधन करने के

निर्णय के अनुसार, संसद् के वर्तमान सत्र में शीघ्र ही प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ परिषद् के अधिकारों तथा उसके गठन में कुछ परिवर्तनों से सम्बन्धित है।

**गुजरात सरकार द्वारा मूंगफली के तेल पर पुनः वसूली शुल्क का लगाया जाना तथा उसका प्रभाव**

775. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार द्वारा मूंगफली के तेल पर पुनः वसूली शुल्क लगाये जाने से राज्य में तेल मालिकों को एक गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिससे देश भर में मूंगफली के तेल की कमी हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार के निर्णय के कारण वनस्पति के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है ;

(ग) क्या लोगों को खुले बाजार में अधिक मूल्यों पर वनस्पति घी प्राप्त करने में भी काफी कठिनाई हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उचित मूल्य पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में वनस्पति घी उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी बात नहीं है।

(ख) केन्द्रीय सरकार वनस्पति का मूल्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रख कर निर्धारित करती है।

(ग) और (घ). जहां तक सरकार को पता है, वनस्पति घी बाजार में उपलब्ध है।

**पटना में डाक और तार औषधालय का निरीक्षण**

776. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में डाक और तार औषधालय के स्थापना के पश्चात् से लेकर अब तक, डाक और तार निदेशालय के विभागीय निरीक्षण अधिकारियों अथवा स्वास्थ्य महा निदेशालय के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उस औषधालय का कोई निरीक्षण नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटना में इस डाक और तार औषधालय के मामलों की स्थिति जानने हेतु निरीक्षण कराने के लिये विभागीय कर्मचारियों ने अपने संघों के माध्यम से दबाव डाला है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार सर्किल के श्रेणी तीन के अखिल भारतीय तार इंजीनियरिंग कर्मचारी संघ के मासिक पत्र "टेली मिरर" के सम्पादक ने अपने पत्र के अक्तूबर-दिसम्बर, 1969 के अंक में, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध गलत नुसखों के सम्बन्ध में गंभीर आरोप प्रकाशित किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) कर्मचारी संघों ने डाक-तार औषधालयों के कार्य का पुनरीक्षण करने की इच्छा प्रकट की है।

(ग) जी हां।

(घ) डाक तार औषधालयों के कार्य की देख-भाल के लिये डाक-तार महानिदेशालय में एक वरिष्ठ डाक्टर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

**रांची में डाक-तार कर्मचारियों के लिये परियोजना भत्ता**

777. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग ने अपने पत्र संख्या 7/56/65-पी० ए० सी० दिनांक 24-9-69 के अनुसार रांची में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के लिए हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन (एच० इ० सी०) के कर्मचारियों के समान परियोजना भत्ता मंजूर किया है ;

(ख) क्या बिहार परिमंडल के महाडाकपाल ने तदनुसार भुगतान करने के आदेश दे दिये थे ;

(ग) क्या रांची स्थित डिवीजनल अधिकारी ने उक्त आदेशों को एक न एक बहाना बना कर कार्यान्वित नहीं किया था और निदेशालय से भुगतान रोकने के लिए कहा था ;

(घ) क्या डाक-तार निदेशालय ने बिना कोई कारण बताये अपने पत्र संख्या 7/56/66 पी० ए० पी० तथा टेलक्स संदेश संख्या 6/18, दिनांक 18-12-69 देकर भुगतान रोकने के आदेश दिये ; और

(ङ) यदि हां, तो किन्हीं अन्य सरकारी कर्मचारियों अथवा सरकारी उपक्रम के अन्तर्गत कार्य कर रहे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिये जाने की स्थिति में डाक-तार कर्मचारियों को भी परियोजना भत्ता देने की सरकारी नीति के अनुसार रांची स्थित डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) रांची के मंडल अधीक्षक को ऐसा भत्ता की देयता के सम्बन्ध में कुछ संदेह था और उन्होंने इस प्रसंग की ओर पटना के पोस्टमास्टर जनरल का ध्यान आकर्षित किया, जिसने मंडल अधीक्षक को परियोजना भत्ते की अदायगी स्थगित करके महानिदेशालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने की हिदायत दी।

(घ) महानिदेशालय ने पटना के पोस्टमास्टर जनरल को अदायगी करने से पहले स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने के लिये हिदायतें जारी की थीं और यह मामला आगे वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।

(ङ) वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह मामला अभी तक विचाराधीन है।

**Legislation on Compulsory Payment of Gratuity to Labour and Workers**

778. **Shri Ramavtar Shastri**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Achyuth Menon Government of Kerala have enacted a legislation making the payment of gratuity to labour and workers compulsory;

(b) if so, the broad details thereof and Government's reaction thereto;

(c) whether the Government of India also propose to enact similar legislation and to bring a Bill in this regard in Lok Sabha during the Budget Session; and

(d) if not the reasons therefor?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya):** (a) The Governor of Kerala promulgated an Ordinance on the subject on the 6th December, 1969. The Government understand that the Ordinance has since been replaced by a Bill passed by the State Legislature. The Government of Kerala have been requested to send a copy of the Bill as passed.

(b) A statement giving the broad details of the Scheme contained in the Ordinance is attached. The State Government are competent to enact legislation on the subject.

(c) and (d). The Government have no proposal at present to enact legislation on the subject. The matter will be examined when considering the recommendations of the National Commission on Labour.

**Statement**

(i) Gratuity is payable to employees in factories, plantations and other establishments whose monthly wages do not exceed Rs. 750/-.

(ii) Gratuity is payable to an employee:—

(a) on his superannuation;

(b) on termination of service or resignation from service after completion of a minimum period of 5 years of continuous service; or

(c) on his death or total disablement due to accident or disease.

(iii) The rate of gratuity is 15 days' wages (based on the last drawn wage rate) for every completed year of service or part thereof in excess of six months, subject to the condition that the maximimum amount of gratuity payable to an employee shall not exceed 15 month's wages.

**डाक तथा तार विभाग के क्वार्टरों के लिये "पूल स्टैण्डर्ड किराया"**

779. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में क्वार्टरों के लिये "पूल स्टैण्डर्ड किराया" प्रणाली, 1953 लागू की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक तथा तार विभाग ने 18 फरवरी, 1969 के आदेश संख्या 4-2-67 एन० बी० के द्वारा पटना में डाक तथा तार विभाग के क्वार्टरों के लिये 1 अप्रैल, 1969 से 'पूल स्टैण्डर्ड किराया' लागू किये जाने के आदेश दिये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि महाडाकपाल, बिहार ने उक्त आदेश को एक न एक बहाना करके क्रियान्वित नहीं किया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अधिकारियों द्वारा कुछ कर्मचारियों को न्यायालय में मुकदमें करने के लिये बढ़ावा दिया जा रहा है और महाडाकपाल ने 22 दिसम्बर, 1969 को पटना के मुन्सिफ-3 द्वारा अन्तरिम व्यादेश किये जाने पर 23 दिसम्बर, 1969 को अन्त में क्रियान्विति के आदेश दिये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या व्यादेश समाप्त कराने तथा आदेशों को शीघ्र क्रियान्वित कराने के लिये कार्यवाहीं करने का सरकार का विचार है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे ।

(घ) जी नहीं । ये कर्मचारी अपनी इच्छा से अदालत में गए थे । पटना के पोस्टमास्टर जनरल ने 20-11-69 को क्वार्टरों में रहने वाले सभी कर्मचारियों को अधिसूचित कर दिया था कि पूल स्टैंडर्ड किराया 1-4-69 से लागू हो जाएगा । 19-12-69 को राशि वितरण अधिकारियों को ये आदेश दे दिये गये थे कि 1-1-70 को दिये जाने वाले वेतन में से वसूली कर ली जाए और 23-12-69 को वसूल की जाने वाली ठीक-ठीक राशि की सूचना दे दी गई थी । निषेधाज्ञा 23-12-69 को अपराह्न 3 बजे प्राप्त हुई थी ।

(ङ) विभाग विधि मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की पैरवी कर रहा है ।

**Inquiry into the Death of Labourers Engaged in Sewer Work in Delhi**

780. **Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri K. P. Singh Deo :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that eight labourers engaged in sewer work were killed as a result of the collapse of sewer wall in the last few months in New Delhi ;

(b) if so, whether Government have made an enquiry into the causes of these incidents;

(c) if so, the results thereof;

(d) the action taken in regard to awarding punishment to the officers and staff found at fault; and

(e) the amount of compensation paid to the families of the persons killed in these incidents?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya):** (a) According to available information 4 labourers were killed in a fatal accident which occurred in December 1969, on the Aurangzeb Road.

(b) to (e). The matter concerns the Delhi Administration. Some compensation is reported to have been paid on an ad-hoc basis to the families of the deceased labourers pending payment of compensation due under the Workmen's Compensation Act. 1923.

## नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के लिये विशेष रेल गाड़ी के बारे में रेलवे अधिकारियों और कांग्रेसियों के बीच विवाद सम्बन्धी समाचार का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित न किया जाना

781. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दिसम्बर के अन्त में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के लिये जाने वाली विशेष रेलगाड़ी के बारे में नई दिल्ली स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों तथा कांग्रेसियों के बीच विवाद हुआ था ;

(ख) क्या समाचारपत्रों ने महत्वपूर्ण समाचार समझा था और इसे भारत के लगभग सभी समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया था परन्तु आकाशवाणी से प्रसारित किये गये समाचारों में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो आकाशवाणी द्वारा इतने महत्वपूर्ण समाचार की अवहेलना किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस लापरवाही के जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल):** (क) से (ग). आकाशवाणी जिन समाचार एजेंसियों से खबरें लेती है उनमें से एक ने यह रिपोर्ट दी थी कि रेलवे द्वारा मांगे गये धन की अदायगी न करने के कारण रेलगाड़ी देर से चली । इस समाचार को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया कि इसको बुलेटिनों में शामिल किया जाय ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**केरल के लिये चावल के कोटे में वृद्धि**

782. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री पी० गोपालन :**
**श्री के० अनिरुद्धन :** **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में खाद्य उत्पादन में हुई वृद्धि पर विचार करते हुए क्या सरकार का विचार केरल के लिये चावल का कोटा बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख). 1969-70 के उत्पादन के पक्के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक कमी वाले राज्यों को सप्लाई करने का सम्बन्ध है, यह कुल उत्पादन नहीं है जोकि इसके संगत है बल्कि अधिशेष है जोकि केन्द्रीय पूल के लिये चावल की दृष्टि से अधिशेष राज्यों से उपलब्ध होता है। अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि चावल की दृष्टि से अधिशेष राज्यों का केन्द्रीय पूल में योगदान गत वर्ष की अपेक्षा बहुत अधिक रहेगा या नहीं। इसलिये केरल या अन्य किसी कमी वाले राज्य में चावल के राशन की मात्रा में किसी प्रकार की वृद्धि करने पर विचार करना फिलहाल ठीक नहीं समझा जाता है।

**केरल में काजू उद्योग में कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं को लागू करना**

783. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री के० पी० अब्राहम :**
**श्री प० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के काजू कारखानों में कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजनायें लागू नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या काजू कारखानों में इन योजनाओं को लागू करने के लिये सरकार विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया)** : (क) जी नहीं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना केरल राज्य के उन क्षेत्रों में स्थित, जहां यह योजना लागू की गई है, काजू कारखानों समेत ऐसे सभी बारहमासी कारखानों पर लागू होती है जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं और जो बिजली का प्रयोग करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और योजना को 30 सितम्बर, 1962 से काजू उद्योग के ऐसे कारखानों पर लागू कर दिया गया है जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

**केरल तट पर मछलियों का पता लगाने के लिये भारत-नार्वे परियोजनाओं की कार्यप्रणाली**

784. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री के० चक्रपाणि :** **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल तट पर काम कर रही भारत-नार्वे परियोजना सक्रिय व्यापार में जुटी है यद्यपि वे दावा करते हैं कि अपनी प्रयोगात्मक यात्राओं के दौरान उन्हें जो मछली मिलती है उसी का वे केवल परिष्करण कर रहे हैं और बेच रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केवल प्रयोगात्मक रूप से मछली पकड़ना तथा मछली पकड़कर बेचने के बीच क्या अन्तर है, इस बात का पता लगाना बड़ा कठिन है ;

(ग) क्या यह सच है कि जब सहायता को व्यापार में लगाया जाता है, तो वह इस व्यापार में लगे देशी तत्वों के हितों में प्रतिस्पर्धा करने लगती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) और (ख). भारत-नार्वे परियोजना एक स्कीम के अनुसार झींगा मछली का निर्यात करती है जिसका उद्देश्य प्रसंस्करण और पैकिंग के स्वस्थ तरीकों और आधुनिक तरीकों को प्रदर्शित करना है। प्रयोगात्मक रूप से मछली पकड़ने और मछली पकड़कर बेचने के बीच क्या अन्तर है इस बात का पता लगाने का प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि यह विशेष विकास उद्देश्य को लेकर चलाई गई एक अलग योजना है।

(ग) और (घ). इस परियोजना के अन्तर्गत जमी हुई झींगा-मछली तथा लोबस्टर-पूंछ का होने वाला निर्यात कुल सामुद्रीय उत्पादों का एक छोटा सा भाग है। इसमें व्यापारियों के साथ किसी प्रतिस्पर्धा का प्रश्न नहीं है। निर्यात परियोजना द्वारा पकड़ी और परियोजना के उपकरणों द्वारा परिसंस्करण हुई झींगा और लोबस्टर मछलियों तक ही निर्यात सीमित है जो तकनीशनों के प्रशिक्षण के लिये प्रयोग की जाती हैं।

**बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शन**

786. **श्री नम्बियार :** **श्री नायनार :**
**श्री मोहम्मद इस्माइल :** **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता की अनुमानतः कितनी जनसंख्या है ;

(ख) उन नगरों में कुल कितने टेलीफोन लगाये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन बड़े नगरों की जनसंख्या के अनुपात में नये टेलीफोन लगाने का कोई आधार निश्चित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :**

(क)

| | | |
|---|---|---|
| बम्बई | ... | 55 लाख |
| दिल्ली | ... | 41 लाख |
| मद्रास | ... | 23 लाख |
| कलकत्ता | ... | 85 लाख |

(ख) 31-12-69 को लगे हुए कुल टेलीफोनों की संख्या (निकटतम सैकड़ों में)

| | | |
|---|---|---|
| बम्बई | .. | 1,62,600 |
| दिल्ली | .. | 1,13,300 |
| मद्रास | .. | 62,300 |
| कलकत्ता | .. | 1,49,500 |

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**कलकत्ता में अनिर्णीत टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र**

787. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** **श्री भगवान दास :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री गणेश घोष :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में कलकत्ता में टेलीफोन लगाने के कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे;

(ख) वर्ष 1969 में कलकत्ता में कुल कितने टेलीफोन लगाये गये ; और

(ग) वर्ष 1969 में "अपना टेलीफोन लगवाइये" योजना के अन्तर्गत कुल कितने टेलीफोन लगाये गये ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) 31-12-1969 को प्रतीक्षा सूचियों पर आवेदकों की संख्या 1,04,516 थी, जिसमें से 7817 के नाम 1969 में दर्ज किए गए थे ।

(ख) 4,107

(ग) 1,969

**स्वचालित मशीनों का प्रयोग सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति**

788. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री के० रमानी :** **श्री उमानाथ :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वचालित मशीनों के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा श्री वेंकटहरमन की अध्यक्षता में गठित त्रिपक्षीय समिति ने कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या समिति द्वारा अपनी उपपत्तियां भेजे जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था की प्रश्नावली भेजी गई थी ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) :** (क) स्वचालन सम्बन्धी समिति त्रिपक्षीय समिति नहीं है। इसमें संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि तथा कुछ विशेषज्ञ हैं। इसकी अभी तक दो बैठकें हुई हैं और इसने केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों, नियोजकों व श्रमिकों के संगठनों के विचार जानने के लिये एक प्रश्नावली प्रेषित की है। समिति का सचिवालय भी ऐसी इकाइयों में, जहां स्वचालित मशीनें लगायी गयी हैं, कुछ मामला अध्ययन कर रहा है।

(ख) समिति से एक वर्ष के अन्दर रिपोर्ट भेजने की प्रार्थना की गई है।

(ग) जी हां।

(घ) 8 जनवरी, 1970 को और पुनः 15 जनवरी, 1970 को।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**भारतीय तारयंत्र अधिनियम में संशोधन**

789. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री गणेश घोष :**
**श्री उमानाथ :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय तारयंत्र अधिनियम में संशोधन करने के सुझाव पर विचार कर रही है ताकि प्रेस तारों को भेजने में अनुचित हस्तक्षेप तथा समाचारपत्र संवाददाताओं को परेशान किये जाने से रोका जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय समाचार पत्र परिषद् की ओर से इस सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है तथा कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 में यह उल्लिखित सरकार लाइसेंसशुदा टेलीग्राफ को अपने अधिकार में ले सकती है और किसी सार्वजनिक आपातकाल में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में संदेशों को रोकने का आदेश दे सकती है और यह भी उल्लिखित है कि यदि सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई संदेह पैदा हो तो केन्द्रीय या राज्य

सरकार का एक प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, इस विषय पर अन्तिम सबूत माना जाएगा। इस अंश का संशोधन करने और स्पष्ट करने का प्रस्ताव है ताकि इन शक्तियों का प्रयोग केवल राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री सम्बन्ध, सार्वजनिक अनुशासन बनाए रखने या भारत के संविधान की धारा 19(2) में परिभाषित अपराध करने के लिए उकसाने पर रोक लगाने के लिए किया जाए। इस संशोधन से ऐसी आशा है कि प्रेस या प्रेस के अलावा दूसरे साधनों के संदेशों को रोकने के आदेश केवल तभी दिए जाएंगे जब वास्तविक रूप से ऐसे विशेष आपातकालीन अवसर आएं। इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून लोक सभा में पेश किया जाएगा। इसके लिए मामले की पहले से ही तेजी से जांच की जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 में संशोधन के बारे में प्रेस काउंसिल के प्रस्ताव पर प्रश्न के भाग (ख) में ऊपर विचार किया गया है। जहां तक धारा 29 का प्रश्न है, विधि आयोग से यह निवेदन किया गया है कि वे भारतीय तार अधिनियम पर समूचे तौर पर पुनर्विचार करें और इस अधिनियम की धारा 29 के संशोधन का विषय इस पुनर्विलोकन में शामिल किया जाएगा।

**राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता**

790. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
**श्री बलराज मधोक :**
**श्री प० ला० बारुपाल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों तथा जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागोर तथा बीकानेर को गत कई वर्षों से सूखा तथा अनिश्चित बारिस का सामना करना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों को लगातार सूखे से बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अथवा स्वतः एक प्राथमिकता-प्रधान योजना बनाने का विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी हां।

(ख) से (घ). निरन्तर रूप से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के स्थायी विकास को सुनिश्चित करने तथा देहाती क्षेत्रों में जीविका के साधनों की उपलब्धि के लिये योजनायें बनायी जा रही हैं और इनके ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

**Memorandum by U. P. Sugar Mills Labour Union Ekta Samiti Regarding Second Wage Board**

791. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the demands contained in the memorandum regarding a Second Wage Board submitted to him on the 23rd December, 1969 by the Uttar Pradesh Sugar Mill's Labour Union Ekta Samiti, organised by H. M. S., B. M. S. and V. P. T. U. C. ; and

(b) the reaction of Government thereto ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri D. Sanjivayya) :** (a) The demands related to need based wage, retaining allowance, gratuity, bonus and nationalisation of sugar Mills.

(b) Matters relating to wages, retaining allowance and gratuity have been considered by the Second Sugar Wage Board. Its report was submitted to Government on 18-2-1970 and the recommendations are being studied.

**Exhibition of Films Banned in Fourth International Film Festival**

792. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the exhibition of films included in the Fourth International Film Festival held in New Delhi, last year, had been banned by the Indian Film Censor Board many years ago ;

(b) whether it is also a fact that the films shown in the said festival were contrary to the Indian civilization, culture, and other values ;

(c) if so, the reasons for exhibiting such films in the said Festival :

(d) whether Government protected the characteristics of Indian films in the said Festival.

(e) if so, the manner in which it was done ; and

(f) if not, whether it is a fact that the prestige of Indian films was undermined in the said Festival ;

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) No film banned by the Central Board of Film Censors was shown during the Festival.

(b) and (c). Under the International Regulations, the Festival authorities have to accept the films as presented by the entrants ; they are not competent to make any cuts. The films are also exempted from censorship provisions. The present trend of film-making in most of the countries is towards greater candour and frankness.

(d) to (f). The prestige of the Indian film was raised by the Festival as the Indian film "Bhuvan Shome" won special mention from the CIDALC and UNICRIT Juries while the many International Jury gave it an honourable mention. The Indian short film "Tagore Paintings" won the Bronze Peacock being the third best film of the category in the competition. A special programme of screening of Indian films in the "Indian Cinema Retrospective" was organised during the Festival alongside an exhibition of sixty years of Indian Cinema wnich attracted considerable notice from critics and delegates. Similarly the Symposium provided a valuable forum for projecting the Indian Cinema in relation to world trends.

**Sexy German Film Passed by Censor Board of India for Exhibition**

793. **Shri Deven Sen:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Censor Board of India has passed the film "Beloved India" produced by the German T. V. Films in India with its original script and which is now renamed as 'Kamasutra' and which is a 'Sexual Film' and is against the civilisation and culture of India ;

(b) if so, the reasons for allowing a foreign film Unit for screening a film against the civilisation and culture of India ; and

(c) whether Government would impose restrictions and adopt a stern attitude in future against those foreign film Units which may screen such nude films ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) :** (a) The film has not been certified by the Central Board of Film Censors.

(b) Does not arise.

(c) If the producers intend to exhibit the film to the public in this country, appropriate action will, of course, be taken under the provisions of the Censorship Act.

**Conversion of Posts and Telegraphs Department into a Corporation**

794. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** **Shri Sezhiyan :**
**Shri Saminathan :** **Shri Nihal Singh :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communicaions** be pleased to state :

(a) whether Government have considered and taken a decision on the question of converting the Posts and Telegraphs Department into a Corporation ; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :** (a) and (b). This is one of the terms of reference of the Working Group appointed by the Administrative Reforms Commission. The Working Group has submitted its Report to the Administrative Reforms Commission and the latter's recommendations are awaited.

**Unsatisfactory Telephone Service in Lahar (Madhya Pradesh)**

795. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone service is most unsatisfactory in Lahar, a tehsil town in Bhind district in Madhya Pradesh, and the telephone trunk line generally remains out of order ; and

(b) if so, the measures being taken to make the service satisfactory ?

**The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) :** (a) and (b). Although there are interruptions, the service is not unsatisfactory. The interruptions, such as they are, are largely due to copper wire thefts. It is proposed to replace the copper wire by aluminium wire in order to minimise the incidence of thefts.

**डाक व तार विभाग के अंशकालिक कर्मचारियों की मजूरी में कमी**

796. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग ने 1969 में अंशकालिक कर्मचारियों की मजूरी में कोई कटौती की थी ;

(ख) क्या इन अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्ववत मजूरी तथा भत्ते देने के बारे में अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इन अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** (क) अंशकालिक कर्मचारियों की मजूरी के निर्धारण सम्बन्धी संशोधित आदेश जारी किए गए हैं, जिससे उनकी परिलब्धियों में कमी हो गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह मामला विचाराधीन है ।

**Policy Re : Procurement of Soyabean**

797. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any policy in regard to procurement of Soyabean through the Food Corporation of India with a view to promote Soyabean cultivation ; and

(b) the minimum price fixed by Government for the procurement of Soyabean ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) and (b). The matter is under examination and no fiinal decision has so far been taken.

**Fall in Prices of Potatoes**

798. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of potatoes had gone down even to its cost price during the last crop and it is down this year also ; and

(b) if so, the reasons for not preparing starch from potatoes so as to save foodgrains ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) Yes, Sir ; the price of potatoes in U. P. which accounts for about 35% of the total production of potatoes in India, fell cosiderably during the 1968-69 season but not uptill now in the 1969-70 season.

(b) At present starch in India is being made mainly from maize and tapioca which are rich sources of starch and which have much higher starch content than potatoes.

**Machine for separating Soyabean from Husk**

799. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has not so far been possible to invent some good machine for separating Soyabean from husk and the Soyabean becomes unsuitable for speed purposes as it loses its germinating capacity because of its threshing by bullocks and tractors ; and

(b) if so, the measures being made by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) A Soyabean thresher is under development at the U. P. Agriculture University at Pantnagar and J. L. N. Krishi Vishwa Vidyalaya, Jubbalpur. A firm in Bareilly is reported to have manufactured few of these threshers for sale. Detailed information about the performance of the machines and improvement in viability of seeds threshed with the threshers developed or tested at Pantnagar and Jubbalpur, as compared to those threshed by bullock and tractors, is not available.

(b) Necessary steps are being taken to encourage the development and manufacture of suitable threshers for this pupose in the country.

**Cultivation of Ginger during Fourth Plan Period**

800. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the steps proposed to be taken to develop the cultivation of a ginger in the Fourth Plan period with a view to promote the export of the died ginger ; and

(b) the names of States other than Kerala where exportable ginger is being cultivated ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) :** (a) It is proposed to increase the production of ginger during the Fourth Plan by the intensive cultivation of low fibre content exportable varieties. The programme would involve use of good seed, manuring and plant protection measures over an area of 2,000 hectares in the major ginger growing States for which loans of Rs. 1,000 per hectare have been recommended in the State sector programme.

A nursery has also been established for multiplication and distribution of seeds of exotic varieties with less fibre content in Kerala State under the Central Sector Programme.

(b) Exportable ginger is, at present, being cultivated mainly in Kerala State on commercial scale.

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**विदेशों के सांस्कृतिक तथा सूचना केन्द्रों को बन्द किया जाना**

**श्री पीलु मोडी** (गोधरा) : श्रीमान्, मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में

एक वक्तव्य दें :

"विदेशों के सभी सांस्कृतिक और सूचना केन्द्रों को, जो कि भारत में उनके मुख्यालयों अथवा उनके अन्य वाणिज्यिक और व्यापार कार्यालयों से बाहर स्थित हैं, बन्द करने के भारत सरकार के कथित निर्णय और इस सम्बन्ध में राजनयिक क्षेत्रों में प्रतिक्रियाएं।"

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : सरकार ने फरवरी, 1954 में भारत स्थित सभी राजनयिक मिशनों को सूचित कर दिया था कि राजधानी से इतर किसी स्थान पर राजनयिक कार्यालय अथवा संस्थापन अथवा राजनयिक मिशनों के अनुभाग भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना खोलना स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी बता दिया गया था कि भारत सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि इस प्रकार के संस्थापन और अनुभाग राजनयिक मिशनों के ही अंग हैं। राजनयिक मिशनों को सलाह दी गई थी कि अगर वे इस बात को जरूरी समझें कि उनके हितों की देखभाल करने के लिये भारत की राजधानी से बाहर कार्यालय जरूरी हैं तो उन्हें इस काम के लिए भारत सरकार की विशेष अनुमति लेना चाहिए।

2. हाल ही में सरकार ने यह बात फिर दोहरायी है और राजनयिक मिशनों से कहा है कि जिन स्थानों पर उनके मिशन अथवा कोंसलावास या व्यापार कार्यालय स्थित हैं, उनसे इतर किसी शहर या कस्बे में उनके जो कार्यालय अथवा संस्थापन हैं, उन्हें वे तीन महीने के भीतर-भीतर बन्द कर दें। इन राजनयिक मिशनों को यह भी सलाह दी गई है कि अगर उनमें से कोई सांस्कृतिक केन्द्र, पुस्तकालय आदि जैसे अपने किसी संस्थान को भारत सरकार को सौंपना चाहता हो तो इसके प्रबन्धों पर बातचीत करने के लिए विदेश मंत्रालय तैयार है।

3. राजनयिक मिशनों से जो सूचना मांगी गई है, हम उसके उत्तर की प्रतीता कर रहे हैं। उन्हें यह बता दिया गया है कि विदेशी मिशन अपने राजनयिक, कोंसली अथवा व्यापार कार्यालयों के स्थानों से इतर स्थानों पर जो सूचना और सांस्कृतिक केन्द्र चला रहे हैं, उन्हें बन्द कराने के इरादे का निश्चय इस उद्देश्य से किया गया है कि उनका कार्य एक समान आधार पर नियमित किया जा सके। पहले की तरह ही सरकार सभी मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाती रहेगी। ऐसी उम्मीद की जाती है कि सरकार के इस निश्चय से हमारे सांस्कृतिक सम्बन्धों का स्तर ऊंचा उठेगा।

**श्री पीलु मोडी** : जिस देश में निरक्षर लोग 75 प्रतिशत हैं उस देश में सांस्कृतिक तथा सूचना-केन्द्रों को बन्द करना एक अवांछनीय तथा प्रतिक्रियावादी कार्य है। क्या सरकार ने ऐसी नीति अपना ली है कि सभी विदेशी विचारधाराओं से आंख मूंद ली जाये और सांस्कृतिक स्तर पर विदेशों से आदान-प्रदान न किया जाये। क्या सरकार को पता है कि इन केन्द्रों से कितने ज्ञान-जिज्ञासु लोग लाभ उठा रहे हैं। इन केन्द्रों के प्रति भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? गलती तो की थी रूस ने, जो कानून का उल्लंघन करके त्रिवेन्द्रम में सूचना-केन्द्र खोलने जा रहा था, किन्तु इसके लिये दंडित किसे किया जा रहा है।

**श्री दिनेश सिंह** : माननीय सदस्य के व्यक्तिगत विचारों के बारे में मैं कुछ भी कहना उचित नहीं समझता। जहां तक भेदभाव का सम्बन्ध है, हमने यह कार्यवाही भेदभाव दूर करने

के लिये की है, न कि भेदभाव पैदा करने के लिये। मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि अमरीका ने जो सांस्कृतिक तथा सूचना केन्द्र यहां खोले हैं, वे हमारे हित के लिए खोले गये हैं या उनके अपने हित के लिये, मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता। हम वही काम करते हैं जिसे हम राष्ट्रीय हित के लिये आवश्यक समझते हैं।

**श्री पीलु मोडी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा था कि क्या वह विदेशी विचारधाराओं के प्रति उदासीन हैं और उन पर विचार तक करना नहीं चाहते थे। क्या रूस के गैर-कानूनी कार्य से उत्तेजित होकर सरकार ने विदेशों के सांस्कृतिक और सूचना केन्द्र बन्द करने का निर्णय किया है।

**श्री दिनेश सिंह** : इस प्रश्न पर हमने 1953 में विचार किया था और 1954 में इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय किये थे। समय-समय पर उनमें परिवर्तन होता रहा है। अब हमने यह सोचा है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना उचित होगा।

**श्री सु० कु० तापड़िया** (पाली) : मैंने श्री पीलु मोडी का प्रश्न और मंत्री महोदय का उत्तर सुना। मुझे उनसे यह शंका हुई कि क्या ऐसे विदेशी केन्द्रों से भारत को कोई लाभ हो रहा है ?

मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल ऐसे केन्द्रों को बन्द किया जायेगा, जो बिना अनुमति के बनाये गये हैं। भारत में ऐसे कुल कितने केन्द्र कहां-कहां और किस-किस देश के हैं, जो बिना अनुमति के बनाये गये हैं ? सरकार ने सभी राजदूतावासों से इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े भेजने के लिए 30 दिन की अवधि रखी थी। उस अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही आपने यह निर्णय क्यों किया है ? अन्त में यह भी पूछना चाहता हूं कि देश में विद्यमान संगठन जिन्हें मैत्री और सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है और दो देशों या अधिक देशों के बने हुए हैं, तथा जिनके बारे में जानकारी भी उपलब्ध है और जिन्होंने अपने आपको कानून के अनुसार पंजीकृत नहीं कराया है, ऐसे संगठनों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

**श्री दिनेश सिंह** : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि यह निर्णय उन केन्द्रों पर भी लागू होता जिन्हें अनुमति प्राप्त है, मैं बताना चाहता हूं कि यह सभी केन्द्रों पर लागू होता है चाहे पहले से उन्हें अनुमति प्राप्त है या नहीं। ऐसे सभी केन्द्र तीन महीने की अवधि में बन्द हो जायेंगे।

जहां तक सूचना एकत्र करने के लिये प्रसारित किये गये परिपत्रों का सम्बन्ध है, पहला परिपत्र सभी मिशनों को भेजा गया था। बाद में हमने सोचा कि दूतावासों को ऐसे केन्द्रों को बन्द करने के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिये। इसलिये हमने दूसरा परिपत्र उनके उत्तरों की प्रतीक्षा किये बिना ही जारी कर दिया। यदि कुछ मैत्री संगठन ऐसे हैं जिन्होंने देश के कानून का पालन नहीं किया है तो उनसे निपटने के लिये अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी। हम ऐसे संगठनों को भी प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। माननीय सदस्य यह भी ध्यान में रखें कि सम्पूर्ण देश

में सांस्कृतिक केन्द्र बन्द नहीं किये जा रहे हैं। जहां जिस देश का राजनयिक मिशन, वाणिज्य दूतावास और व्यापार कार्यालय है, वहां वे ऐसे केन्द्र रख सकते हैं। किन्तु हम पूरे देश में उनका विस्तार नहीं चाहते।

जहां तक ऐसे केन्द्रों की संख्या का प्रश्न है, हम आंकड़े एकत्र कर रहे हैं।

**Shri Raghuvir Singh Shastri** (Baghpat): Sir, I think there should be some check on the activities of foreign countries being carried here. I would like to know why they continued sleeping over the matter of closing down such centres for 16 years, if such decision was taken in 1954? Is it a fact that they took this decision after the hue and cry raised on the Trivendrum episode? May I know the number of the centres likely to be affected by this decision; and whether it will affect the British Council, Max Muller Bhawan and Alliance Franchise, which are being run in the name of educational institutions?

**Shri Dinesh Singh:** The Hon. Member should be satisfied that after all we have taken the decision which he also likes. We have no figures of such centres at the moment, as I have already said. Thirdly, we are considering the question of British Council, Max Muller Bhawan and Alliance Franchise.

**श्री समर गुह** (कन्टाई): मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। शायद सरकार अब समझ गई है कि ये केन्द्र ज्ञान का वितरण करने वाली संस्था के रूप में काम नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके द्वारा देश में कुछ विशेष प्रकार की राजनीतिक विचार धाराएं बेची जाती हैं। वहां पर लोगों को किसी विचारधारा विशेष का अनुगामी तथा अभारतीय बनाया जाता है। हमारे यहां मुख्य रूप से दो देशों के दूतावासों से सम्बद्ध केन्द्रों से ऐसे कार्य अधिक किये जाते हैं। अमरीका द्वारा अमरीकी जनतंत्र की उच्चता के बारे में साहित्य बेचा जाता है जबकि रूसी दूतावासों द्वारा अपने सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा साम्यवाद और अमरीकी-विरोधी विचारों का प्रचार किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार उनके प्रचार साहित्य पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

**श्री दिनेश सिंह**: यह निर्णय करते समय हमने सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार किया है। यह सच है कि उनके द्वारा प्रचारित कुछ साहित्य अवश्य ही अवांछनीय होता है, किन्तु साथ ही हमें यह भी देखना है कि हमारे देश में विचार प्रचार करने और विचार प्रसारित करने की स्वतंत्रता पर अनुचित रूप से प्रतिबन्ध न लग जाये।

**Shri Kanwar Lal Gupta** (Delhi Sadar): Mr. Speaker. I welcome the decision of the Government that foreign cultural centres will be allowed only at those places where foreign countries have their consular offices or trade offices. I am also of the opinion that they did little of culture and more of propaganda of their idealogy and policies. I would like to know what provocated them to take this decision so expeditiously after sleeping over the matter for a period of 17 years. May I also know whether any inquiry has been made against the activities of these centres in the country and if so the details thereof and also the names of the cultural centres which have been indulging in anti-national activities? What is the action taken by Government against the organization like Indo-Soviet Friendship Cultural Society, which have been doing espionage? What is the action taken by the Government on the request made by U.S.A. that no action would be taken against their cultural centres opened before 1953-54?

**श्री कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जानी चाहिये ।

**श्री वासुदेवन नायर** (पीरमाडे) : श्री कंवर लाल गुप्त ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि लुगम्बा विश्वविद्यालय के लिये विद्यार्थियों के चयन करने में यह शर्त होनी चाहिये कि वे विद्यार्थी · · · · · · · ·

**श्री बलराज मधोक** : वह समिति भारत विरोधी गतिविधियों में लगी है ।

**Shri Kanwar Lal Gupta:** I am not opposed to Soviet Cultural Society only, but I am opposed also to other cultural societies like German Republic Cultural Society, working in this country.

**श्री वासुदेवन नायर** : मैं यह कहना चाहता था कि शिक्षा मंत्रालय ने भारत-रूस सांस्कृतिक समिति को उक्त आधार पर नियुक्त करने की अनुमति दी है ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या सरकार इस बारे में जांच करने के लिये तैयार है? (**अन्तर्बाधाएं**)

**श्री योगेन्द्र शर्मा** (बेगुसराय) : जो लोग भारत-रूस मित्रता को समाप्त करना चाहते हैं वे प्रतिक्रियावादी हैं । उन्हें भारत-रूस मैत्री को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है । वे समाजवाद के शत्रु हैं । (**अन्तर्बाधाएं**)

**श्री समर गुह** : दुःख की बात यह है कि ये सब लोग भारत की दोस्ती के बिना अन्य देशों की दोस्ती चाहते हैं ।

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : भारत के लोग विश्व के सब लोगों से मित्रता करने के उत्सुक हैं । लेकिन शत्रुओं से नहीं । (**अन्तर्बाधायें**)

**श्री हेम बरुआ** : आपको इस बारे में स्वस्थ परम्परा स्थापित करनी चाहिये । जब भी ध्यान दिलाने की सूचना प्राप्त हो, तो उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये और फिर उस विषय पर आपको प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिये । यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणियां हों तो आप उसका उल्लेख कर सकते हैं और माननीय सदस्य को ऐसा करने से रोक सकते हैं । (**अन्तर्बाधायें**)

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** (जालोर) : मैं अपने व्यवस्था के प्रश्न के बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं । क्या कोई माननीय सदस्य सदन में 'भारत-रूस मित्रता जिन्दाबाद' का नारा लगा सकता है?

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : रूस सरकार से मित्रता रखना हमारी विदेश नीति का एक भाग है । केवल वे ही लोग इस नारे का विरोध करते हैं जो हमारी विदेश नीति के विरोधी हैं ।

**Shri Kanwar Lal Gupta:** We want Indo-Soviet friendship but we do not like that they may do spying here (**Interruptions**).

**श्री पीलु मोडी** : समस्त रूसी स्पुतनिक सरकारी बैंचों पर बैठे हैं ।

**श्री योगेन्द्र शर्मा** : वे स्पुतनिक इनका सिर तोड़ देंगे ।

**श्री पीलु मोडी** : हमें इस प्रकार की धमकी दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय को हमें संरक्षण देना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात पर विचार करूंगा कि क्या उक्त आवांछनीय टिप्पणियों को सभा की कार्यवाही से निकाला जा सकता है।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : माननीय मंत्री को मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया है कि वह उक्त प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

**Shri Dinesh Singh :** So far as the first question is concerned, I admit that there has been delay in taking the decision. But the Hon. Member should congratulate the Government for its right decision **(Interruptions).**

So far as the other question is concerned we have not received good reports regarding these cultural and information centres working in India **(Interruptions).**

**श्री रंगा** : क्या उन्होंने यह कहा था कि वह उस रिपोर्ट को जन हित में सभा पटल पर रखने के लिये तैयार हैं ?

**श्री दिनेश सिंह** : जी, हां, जनहित में ऐसा नहीं किया जा सकता।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : अमरीकी दूतावास को जो आश्वासन दिये गये हैं मैं उनके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**Shri Rabi Ray :** I raise on a point of order. Inspite of the persistant demand for presenting the report regarding foreign money, Shri Chavan has not presented it. Minister of Foreign Affairs has not stated the reasons for not presenting the reports in the House regarding cultural centres working in India. May I know whether you will issue a direction that that report will be placed on the Table of the House ?

**श्री पीलु मोडी** : गृह-कार्य मंत्री ने चुनावों में विदेशी मुद्रा के प्रयोग के बारे में जांच करने का आश्वासन दिया था। इस बारे में जांच हुई थी और एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। लेकिन उन्होंने उक्त रिपोर्ट को अभी तक सभा पटल पर रखने का साहस नहीं किया।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने जब यह बताया है कि वह जनहित में उसके बारे में नहीं बता सकते तब मैं उन्हें ऐसा करने के लिये मजबूर नहीं कर सकता।

**Shri Rabi Ray :** The Hon. Minister should tell whether it is against public interest. We seek your protection in the matter.

**Shri Dinesh Singh :** The American Ambassador said that they were given permission in the first instance. The fact is that when they asked for permission for the opening new centres, we told them that the permission was being accorded on temporary basis and that we would look into the whole matter in due course.

**Shri Rabi Ray :** I have not received a reply to my point of order.

**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह कोई ऐसा नियम बता सकते हैं जिसके अधीन मुझे उनसे जानकारी देने के लिये कहने का अधिकार है ?

**Shri Rabi Ray :** You are entitled.

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता । मैं अपने कक्ष में उनसे पूछ सकता हूं, कि इसमें जनहित का मामला क्या है और यदि मैं उचित समझूं, तो सदस्यों को बता सकता हूं । परस्पर जो टिप्पणियां की गई हैं उन पर मुझे खेद है । मुझे उनमें से कुछ को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना होगा ।

**श्री पीलू मोडी :** कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना बुरी बात है ।

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा करना ही पड़ेगा ।

**श्री चेंगलराया नायडू :** जब तक वे इसे सभा-पटल पर न रखें सदन को उनका वेतन रोकने का अधिकार है ।

**अध्यक्ष महोदय :** सभा-पटल पर पत्र रखे जायें ।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** The report regarding cultural centres must be laid on the Table of the House.

**श्री समर गुह :** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं नहीं ।

**Shri Yajna Dutt Sharma** (Amritsar) : I gave a Calling Attention notice regarding the Station Masters of Ferozepur Division who are on hunger strike. The Railway Department came to a settlement with the employees. The grades fixed for them are not being given to them. The Railway Minister should intervene and redress their grievances.

**श्री समर गुह :** मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखने के लिए खड़ा हुआ था । मुझे उससे रोका क्यों गया ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर आप भाषण न दें ।

**श्री समर गुह :** आप मेरे लिए ही ऐसा रवैया क्यों अपनाते हैं ?

सदन को अधिकार है और आप उस अधिकार के संरक्षक हैं । सांस्कृतिक केन्द्रों के बारे में प्रतिवेदन का यहां न रखा जाना सदन का अपमान है । कोई सदस्य यह नहीं कह सकता कि यह जनहित में नहीं है ।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** उन्होंने कहा है कि इसे प्रकट करना जनहित में नहीं है । आप कागजों को मंगा कर देखें । यदि आप संतुष्ट हो जायें तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उन्हें अपने कक्ष में कागजात दिखाने के लिए कह सकता हूं ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Balrampur) : He has stated that adverse reports have been received in respect of some of the centres. How can these centres be allowed ?

**Mr. Speaker :** If we have to run this House like this, any Hon. Member may say whatever he likes. There is no use my sitting over here. The Members make personal attacks on other Members. We should not make such statements that may hurt others. The Parliamentary Democracy cannot work like this. I have been thinking over the matter seriously and find that there is no other way but to pray to God for its success.

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### भारत में समाचारपत्रों के सम्बन्ध में वर्ष 1968 के लिये भारत के समाचारपत्रों का वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2)

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

भारत में समाचारपत्रों के संबंध में वर्ष 1968 के लिए भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2599/70]**

### विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन नियम, 1969

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री स० चु० जमीर) :** मैं श्री भगवत झा आजाद की ओर से विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954, की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन नियम,1969 की एक प्रति जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 11 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2600/70]**

### भाण्डागार अधिनियम 1962, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कम्पनी अधिनियम 1956, और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 आदि के अधीन अधिसूचनायें

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962, की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम (संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 जनवरी, 1970, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2241 में प्रकाशित हुए थे।

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2772 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1835 में संशोधन किया गया है।

**[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-2601/70]**

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2602/70]**

(4) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951, की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, चीनी उद्योग की विकास परिषद के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2603/70]**

(5) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) (क) चीनी उद्योग के लागत के ढांचे और चीनी के उचित मूल्य के संबंध में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1969)।

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णयों को अधिसूचित करने वाला दिनांक 20 फरवरी, 1970 का सरकारी संकल्प संख्या 2-1-70 एस पी वाई (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) उपर्युक्त मद (एक) (क) में उल्लिखित पत्र कथित अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके इसके कारणों का एक विवरण।

**[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2604/70]**

**भारतीय टेलीग्राफ (दूसरा संशोधन) नियम, 1970**

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) :** मैं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय टेलीग्राफ (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 158 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2605/70]**

---

## सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
## COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

### पचपनवां तथा छप्पनवां प्रतिवेदन

**श्री एम० बी० राणा (भड़ौच) :** मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के संबंध में उनके 11वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 55वां प्रतिवेदन।

(2) सरकारी उपक्रमों में वित्तीय प्रबन्ध के सम्बन्ध में उनके 15वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 56वां प्रतिवेदन ।

---

## समितियों के लिए निर्वाचन
## ELECTION TO COMMITTEES

### भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 10 के साथ पठित नियम 3 (13) के अनुसरण में, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें, डाक्टर जी० एस० ढिल्लन के स्थान पर जिन्होंने उपर्युक्त परिषद् से त्याग पत्र दे दिया है, शेष कालावधि के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि इस सभा के सदस्य, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के नियमों के नियम 10 के साथ पठित नियम 3 (13) के अनुसरण में, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें, डाक्टर जी० एस० ढिल्लन के स्थान पर जिन्होने उपर्युक्त परिषद् से त्यागपत्र दे दिया है, शेष कालावधि के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The motion was adopted**

### अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

**श्री बसुमतारी** (कोकराझार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण संबंधी समिति के रूप में कार्य करने के लिए, श्री जी० जी० स्वैल के स्थान पर जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, समिति की शेष कालावधि के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-

जातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री जी० जी० स्वैल के स्थान पर जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, समिति की शेष कालावधि के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

---

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—(जारी)

## MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—(Contd.)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पाटिल को बाहर जाना है। अतः उन्हें पहले अवसर दिया जाता है।

**श्री स० क० पाटिल** (बनासकंठा) : श्री हनुमन्तय्या ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को अद्वितीय बताया है। वास्तव में यह अद्वितीय है क्योंकि यह जितना लम्बा है उतना ही थोथा है। उसके 48 कंडिकाओं में से 33 कंडिकाओं में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। एक कंडिका में नए दशक का गुणगान किया गया है। अभिभाषण में कहा गया है कि कीमतें पूरी तरह नियंत्रण में हैं। किसके नियंत्रण में हैं यह पता नहीं है।

कुछ वर्षों से कृषि क्रान्ति की बातें की जा रही हैं। परन्तु मुझे ऐसी क्रान्ति कहीं नहीं दिखाई देती।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है। कार्य कैसे चलेगा?

**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : कार्यवाही स्थगित कर दी जाये।

**श्री स० क० पाटिल** : फसल बीमे की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि जब तक फसल की व्यवस्था नहीं की जाती हमारे सारे प्रयत्न विफल रहेंगे।

चीनी-उद्योग की समस्याएं हल करने के लिए समिति गठित करने का वचन दिया गया है। राजनीतिक समस्याओं के लिए चीनी के नाम का उपयोग न करें।

बोकारो कारखाने के दूसरे चरण के बारे में वचन दिया गया है। यदि हम बोकारो के अगले चरणों को हाथ में लेते हैं तो उन्हें हमें पूरा करना पड़ेगा। यदि इस विस्तार कार्य से मूल्य बढ़ते हैं तो इसका लाभ ही क्या?

अभिभाषण में चौथी पंचवर्षीय योजना का उल्लेख किया गया है। परन्तु उक्त योजना अभी संसद में प्रस्तुत ही नहीं की गई है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री पार्किन्सन ने चौथी योजना पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा था, इसे पढ़ते हुए नींद आ जाती है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बहुत ढोल पीटा जाता है, जैसे कि यह विश्व का आठवां आश्चर्य हो। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को छोड़ दें, तो भी आप ऐसे दावे न करें जो वास्तविक

न हों। आप इस समय जनता की आखों में धूल नहीं झोंक सकते। इससे सरकारी पूंजीवाद को प्रश्रय मिलता है और अधिकारी तंत्र की बुराइयां और अधिक पनपती हैं।

चण्डीगढ़ की समस्या के समाधान का आप श्रेय लेते हैं। यदि आपने निर्णय में देरी न की होती तो संत फतेह सिंह को आत्मदाह की बात न कहनी पड़ती। अब आप कहते हैं कि इस निर्णय से हर कोई प्रसन्न है। पंजाब प्रसन्न नहीं है और हरियाणा भी प्रसन्न नहीं है।

**इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर दो मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।**

**The Lok Sabha re-assembled after Lunch at two minutes past Fourteen of the Clock**

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy Speaker in the Chair**]

**श्री स० क० पाटिल** : चण्डीगढ़ के निर्णय से सरकार की यह उपलब्धि तो मानी जा सकती है कि उसने संत फतेह सिंह के जीवन की रक्षा की है और यदि सरकार ऐसा समझती है कि इस समस्या का समाधान हो गया है तो यह उसकी भूल है। इस समाधान में कुछ बातें इतनी गम्भीर हैं कि उनका समाधान हमारे जीवन में नहीं किया जा सकेगा। जब तक हरियाणा को फाजिल्का तहसील का क्षेत्र सौंप नहीं दिया जाता, हरियाणा चण्डीगढ़ नहीं छोड़ेगा। और मैं समझता हूं कि पंजाब फाजिल्का नहीं छोड़ेगा। संत ने आत्मदाह करने के इरादे की सूचना दो-तीन महीने पहले दे दी थी। जो निर्णय लिया गया इसमें इतनी देरी क्यों की गई ?

पंजाब फाजिल्का छोड़ने को राजी नहीं हैं भले ही इसके लिये संत फतेह सिंह को एक और उपवास तथा आत्मदाह करना पड़े।

अभिभाषण में पंजाब, हरिणाणा और हिमाचल प्रदेश के दावों की जांच करने के लिए एक और आयोग नियुक्त करने का वचन दिया गया है। मुझे स्मरण नहीं कि किसी भी आयोग के फैसले को सरकार ने आज तक क्रियान्वित किया हो।

सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों का एक इतिहास बन गया है। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया था। यदि उस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया जाता तो काफी हद तक खतरा टल जाता। मैं नहीं समझता कि हम इतने सारे आयोग क्यों बनाते हैं··· पंजाब के बटवारे के लिए शाह आयोग और महाजन आयोग।

**श्री धीरेश्वर कलिता** (गोहाटी): गत नवम्बर तक वह उस दल में थे।

**श्री स० क० पाटिल** : यदि सरकार को इन आयोगों के निर्णयों को बदलना ही है तो ये आयोग नियुक्त ही क्यों किये जाते हैं। विवादों से निपटान के लिये कोई अन्तिम व्यवस्था होनी

चाहिये । मेरा सुझाव है कि सरकार को तुरन्त ही संविधान में संशोधन करके उसमें एक नया अनुच्छेद रखना चाहिये कि जब भी दो या दो से अधिक राज्यों में कोई विवाद हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त एक विशेष पेनल को भेजा जाएगा और उस पेनल में कोई भी न्यायाधीश विवाद वाले ग्रस्त राज्यों से नहीं होगा और उस पेनल का निर्णय अन्तिम होगा ।

आज प्रत्येक राज्य किसी न किसी विवाद में ग्रस्त है और भविष्य में ये विवाद बढ़ते ही जायेंगे । प्रधान मंत्री ने कहा कि आयोग नियुक्त किये जा सकते हैं किन्तु अन्तिम निर्णय सरकार के हाथ में होगा । यदि ऐसी बात है तो आयोग को नियुक्त ही क्यों किया जाता है ? आयोग के निर्णय के पश्चात् प्रधान मंत्री को अपना निर्णय नहीं देना चाहिये ।

अब मैं निजी थैलियों के प्रश्न को लेता हूं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में भूतपूर्व राजाओं के साथ सहानुभूति में बनावटी आंसू बहाये गये हैं । एक ओर तो उनके बलिदान और कार्य की प्रशंसा की गई है और उनसे आशा की गई है कि वे समाजवादी समाज के हित में निजी थैलियों को स्वेच्छा से त्याग देंगे और दूसरी ओर यह कहा गया है कि सरकार ने निजी थैलियों को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है । यह तो जले पर नमक छिड़कने के समान है ।

सरदार पटेल ने देश को टुकड़े होने से बचाया और उन्होंने वह काम इतने थोड़े समय में कर दिखाया जो बिसमार्क भी जर्मनी में नहीं कर पाया था । अब सरकार 20 वर्ष के बाद कहती है कि निजी थैलियां समाजवादी समाज के सिद्धान्त से मेल नहीं खातीं । क्या 20 वर्ष पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी समाज की बातें नहीं करते थे ? यदि आप कोई गलती कर बैठे हैं तो पहले गलती स्वीकार कीजिये और उनका गला काटिये ।

निजी थैलियों के बारे में कुछ तथ्यों को जानना रुचिकर होगा । 90 शासकों को 30,000 रु० या इससे कम की राशि प्रति वर्ष मिलती है । 99 शासकों को 30,000 रु० और 1.20 लाख रु० के बीच की राशि प्रति वर्ष मिलती है । हमारे संविधान के अनुच्छेद 363 के अन्तर्गत यह उपबन्ध किया गया है कि शासकों के साथ जो करार किये गये हैं उनसे उत्पन्न होने वाले विवादों के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय को निर्णय करने का अधिकार न होगा । ऐसा इसलिये रखा गया था कि कल को शासक ये न कह दें कि हम इस करार को स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम पर दबाव डालकर करार पर हस्ताक्षर कराये गये थे न कि इसलिये कि स्वयं सरकार अपने वचन से फिर जायेगी । शासक तो संविधान में अनुच्छेद 363 को शामिल करने के पक्ष में थे ही नहीं । सरकार के लिये अब अपने वचन से फिरना विश्वासघात के समान है । भगवान के लिये यह स्वीकार तो कर लीजिये कि यह विश्वासघात है । अब 20 साल बाद आप अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करते और कहते हैं कि जमाने की हवा बदल गई है । क्या इस सरकार के सत्ता में आने से ही हवा का रुख बदल गया है और 20 वर्ष पहले दूसरा रुख था ?

इसका एक और भी प्रभाव होगा । प्रश्न यह है कि राष्ट्र की ओर से जिम्मेदार मंत्रियों द्वारा जो वचन दिये जाते हैं, उनको कितना महत्व दिया जाना चाहिये । सरकार निरन्तर रूप से

चलती रहती है और एक सरकार द्वारा दिये गये वचन दूसरी सरकार को पूरी तरह मान्य होने चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में दूसरे देशों के साथ हमने जो करार किये हैं उनके सम्बन्ध में हमारी साख पर इसका बुरा असर पड़ेग ।

यदि राष्ट्र अथवा सरकार अपने द्वारा किये गये करारों का पालन करना उचित नहीं समझती है तो मैं नहीं समझता कि उनकी बात पर कोई विश्वास करेगा । उन्होंने यह कार्य उनको समझा-बुझाकर करवा लिया होता, इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? आप दो वर्षों से उनको बुला रहे हैं, आपने क्या किया है ? क्या आपने यह कहने का प्रयत्न किया कि एक दूसरा भी तरीका है जिसके द्वारा यह किया जा सकता था, अर्थात एक लाख अथवा पांच लाख से अधिक की आय पर आयकर लगाया जायेगा अथवा कोई अन्य उपाय किया जायेगा ? आपने ऐसा कभी नहीं किया । देश में गत सात या आठ महीनों से प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य हो रहा है, देश में प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक राज्य में तथा यहां तक कि केन्द्रीय सरकार में भी राजनीतिक संकट छाया हुआ है । देश में सामान्य जीवन बहुत अस्तव्यस्त हो गया है । राजनीतिक ज्वाला-मुखी के फूटने से प्रजातंत्र की नींव बड़ी तेजी से हिल रही है ।

गरीबों के प्रति एक नया प्यार उमड़ा है, गरीबों के बारे में चर्चा की जाती है, ऐसा लगता है जैसे पहले गरीब ही नहीं और जुलाई, 1969 में अचानक उनका अधिकार दिया गया है मैं कहता हूं कि वे श्रीमती गांधी की रचना नहीं हैं, गरीब लोग हमेशा थे । आप केवल उन पर नारे फेंक रहे हैं । गरीब नारों की प्रतीक्षा में नहीं थे ।

ऐसा विश्वास किया जाता था कि प्रजातन्त्र धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद स्वतंत्र भारत के तीन स्फटिक स्तम्भ हैं । हरेक इस पर विश्वास करता है, मैं भी इस क्रम में विश्वास करता हूं, पहले प्रजातंत्र, दूसरे धर्मनिरपेक्षता तथा फिर समाजवाद, लेकिन प्रधान मंत्री ने एक नये समाजवाद का अविष्कार किया है जिसकी वेदी पर प्रजातंत्र की बलि चढ़ाई गई है । प्रजातंत्र की नींव को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है और अगर इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो आप देखेंगे कि इस देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा । नये समाजवादियों द्वारा इंडिकेट के इशारों पर न चलने वाली सरकारों को गिराया जा रहा है । ऐसा लगता है कि समाजवाद का प्रथम अनुच्छेद यह है कि जो आपको अच्छा न लगे, उसे गिरा दीजिये, प्रजातांत्रिक सरकारों को गिराने के लिए अप्रजातांत्रिक तरीकों को अपनाया जा रहा है, शक्ति, आश्रय तथा धन का बहुत दुरुपयोग किया जा रहा हैं । सरकारों को गिराने में जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका उपयोग क्यों न चौथी पंचव र्षीय योजना में किया जाय ? जिसके हृदय में देश-हित की भावना है, उनका कर्तव्य है कि वे हर कीमत पर प्रजातंत्र की रक्षा करें । जिनके हाथ में सरकार की बागडोर है उनके द्वारा प्राधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अपमान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । यदि यह प्रक्रिया बे रोक-टोक जारी रही तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे ।

**Dr. Govind Das** (Jabalpur): I rise to support the motion moved by Shri Hanumanthaiya. I am surprised to see that the persons, who were some time back in the Government, are criticising and condemning the Government today. Why all these things were not noticed by them when they were in the Government. Why are they raising all these issues today ?

Our attention has been centred in materialism. Materialism is reflected in the Address of the President also ? If we look at the Fourth Plan we will see that there is materialism everywhere. This is an age of creation and two types of creative work is going on i. e. creation of materialism and emergence of the new generation. We might have achieved some success in the field of materialism but so far as the building of new generation is concerned our position is the same what was before independence. We have adopted secularism in our Constitution. I am not against secularism but the English word 'secular' does not fall in favour of our secularism. There was secularism in our country previously also. There was Vedic religion on the one side and Jainism and Buddhism also flourished on the other. There was, therefore, complete secularism in our country. The word 'Dharma' is used in a broader sense in our country and to translate it as 'religion' is a wrong translation. The word 'religion' cannot be a substitute of 'Dharma'. 'Dharma' has broad meanings. Today, we have stopped propagating Ramayana, Gita and similar other books through All India Radio and other such means. Is it a true secularism ? Ramayana, Gita etc. do not fall within the purview of English word 'religion' and Urdu word 'majhab' but these books come within the word 'Dharma'. I want to tell the Education Minister that so long Dharma is not included in our education, we cannot build our new generation in a proper way.

A committee was appointed by the Government in this respect under the Chairmanship of Shri Sri Prakash. In the end of the report of this committee it has been stated that :

"As we close we are bound to say that the many ills that our world of education and our society as a whole is suffering today resulting in widespread disturbance and dislocation of life are mainly due to the gradual disappearance of hold of the basic principles of religion on the hearts of the people."

You daily see violent disturbances. What is the cause of these disturbances ? The cause is that we have neglected Dharma.

I am not against material progress but along this I want to say that Gandhiji stressed both on the material progress and spiritual progress. He wanted to construct the building of materialism on the foundation of spiritualism. We left all that. Because of our materialistic views, the social evils, bribery and corruption are in rampant today. Today money enjoys a superior position to God. If we will keep such an ideal before us, and will not mix materialism and spiritualism properly, the building work of our new generation will be held up.

Now I come to the question of language and the cow protection. People ask me that why I have mingled the questions of language and the cow protection. I want to say that these two things are closely related with each other. Language is related with our brain and cow protection with our body. Mind is useless without body and if there is no mind the body is also useless. Therefore, both language and cow protection are closely related with each other. What the Government have done so far in respect of these two things is unsatisfactory.

The question of language is most important. When I talk about language I donot talk about only Hindi :

While talking about Hindi I talk about Tamil, Telugu, Malayalam, Bengali, Gujrati, Kannada and Marathi also. I talk about all the languages of India. I am not against English language. This is a good and developed language. One who wants to learn he should learn, but it is unnatural that a language should remain prevalent in a country, where even 2 per cent people do not understand it. The English language should go in the same way as British rule went from India.

Hindi was declared as official language by the constituent Assembly unanimously. I surprise when I hear that Hindi was made official language only by a majority of one member. This can be verified from the printed proceedings of the constituent Assembly. The provision that Hindi would take the place of English in 15 years was made at the request of the non-Hindi speaking people. The Government did nothing in this respect. Besides, Act were passed in 1963 and 1968 that English can continue along with Hindi but still only English is going on. We take oath of allegiance to the Constitution but not to do the whole work of the Central Government in Hindi means to violate the sections of the Constitution. English is being used freely but there is no place for Hindi.

I want to put some suggestions before you.

Firstly, all the languages of the country, not only Hindi, should be given alternative place in the Public Service Examinations.

Secondly, the Central Government should make her all correspondence in Hindi with the Hindi speaking States, Gujarat, Maharashtra and Punjab.

Thirdly, the Hindi speaking Ministers in the Parliament should make atleast half of their speeches in Hindi.

Banks have been nationalised and our Prime Minister has written to them that they should work in Hindi. But only this will not do and we will have to followup.

So far as the Central Government employees are concerned, they should know the language of the State where they are working. So far as the employees working in Delhi are concerned, they should have the working knowledge of Hindi compulsorily. I congratulate the Minister of Education that he has given sum of Rupees One crore to each State for producing literature. So far as Hindi speaking States are concerned, their number is only five—U.P., Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Haryana. There should be some such arrangement that there should be no duplication of work in these States. One Co-ordinating Committee can be formed for this purpose. There should be no duplication in the translation work in these States. This is not such a work which the Central Government cannot accept.

Now, I come to the issue of cow protection. A Press Communique was issued by Government in this respect on 5th January 67. The Prime Minister then said "Government have decided to set up a committee which will comprise of the representatives and experts of the Central Government, State Governments and All-Party cow protection Campaign Committee. The committee will consider the question of cow protection, and will give suggestions for the considerations of the Government."

After that our Food and Agriculture Minister wrote to Prof. Ram Singh on 21st June that that had been decided to constitute a high level committee to consider fully the question of ban on cow slaughter. He further stated that this committee would send their report to the Government within six months. But years have passed what to speak of six months only.

The Minister of Agriculture accepted that according to the decision of the Supreme Court he would try to ban cow slaughter at least in those States where it has not been banned.

I want that you should issue instructions regarding ban on cow slaughter to those states where it has not been banned. You should issue instructions to the states for the compliance of the decision of the Supreme Court regarding ban on cow slaughter. In Bombay and Calcutta, cow slaughter is going on a large scale.

No objective can be achieved without faith, planning and perseverance. These three things are very essential if we want to achieve any thing. Our Government have no faith, no planning and no perseverance efforts in respect of Indian Culture, Hindi and cow protection. But these are such questions which are more important than material progress. We should pay attention towards these problems.

I hope that my suggestions will be looked into by the Government.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Balrampur) : Yesterday Shri Hanumanthaiya stated that the Presidential address was extraordinary. I fail to understand that how he stated that the address was extraordinary. when the President, the Government who prepared that address, the Prime Minister are the same.

The truth is that the Presidential address is unrealistic. It presents an incomplete unrealistic and one sided picture of the conditions prevailing in the country. From his address it appears that the country is progressing on all sides but the position is quite opposite to it.

The President has stated that the country has become dynamic but it is the start of lawlessness. In Punjab, on the auspicious occasion of Republic Day, the National Flag was dishonoured and in Haryana Gurdwaras were destroyed. Is it the proof of fervour and encouragement among the people? What is happening in West Bengal ? If political murders. dishonour to ladies, contempt of judiciary, inaction of police, attack on railway stations and Gherao etc. are the signs of fervour then sense is required and not such fervour.

The Hon. Prime Minister in her speech at Calcutta has stated that frustration leads to progress. If that is so then more and more frustration should be created amongst the people to achieve rapid progress.

There is also an indication to this effect in President's Address. No body can deny that democratic structures has been weakened during the last seven or eight months. Attempts have been made to form Governments by encouraging defections. Violation of the conventions and practices is taking place every now and then. Indiscipline is being encouraged. Fifty thousand rupees have been spent to win favour of a single M. L. A. in Uttar Pradesh.

Attempts have been made to downgrade the Supreme Court in the eye of the people by ridiculing its decision on the nationalization of banks. The Hon. Prime Minister has stated at Indore that 'It shows what obstacles are placed in the way of those who want to bring about any chance and do something new." Shri Khadilkar has also stated that such judgments do not enhance the prestige of the judiciary. In this way Prime Minister and her colleagues have lived to demean the Supreme Court. Had these attempt been made by those who do not believe in democracy. I would not have any objection but these attempts have been made by the advocates of democracy ? Therefore I would say that grave doubts have arisen about the future of democracy in this country.

It is correct that decision of Parliament should be implemented faithfully by the bureaucrats but unless the decisions are taken bureaucrats should be allowed to use their calibre and discretion fearlessly. They should not be allowed to work as 'yes man' of the Prime Minister.

The Hon. Prime Minister does not like even the freedom of Press which is considered to be the backbone of democracy. At Bombay session of Congress the Hon. Prime Minister

complained to the leading journalists that they are not giving wide publicity to the session. She gave a threat to this effect that their proprietors can be called and set right in no time. In this connection I may state that the Prime Minister of no other country in the world is getting as much publicity in the press of the respective country as the Prime Minister is getting in the press of our country. Even at this the Hon. Prime Minister is not happy.

I admit that a new delicate situation has arisen due to the decision of the Supreme Court on the nationalization of banks. But this matter has to be considered carefully. If we have to pay such huge amount as compensation then the whole purpose of nationalisation or taking over of any property is defeated. I would, therefore, suggest that we should evolve such methods whereby taking over of private property in public interest could be made financially feasible. But I can not support the deletion of property right from the Fundamental Rights because then we will have to leave thousand of poor farmers and other people on the mercy of Government whose lands Government acquire in public interest. It appears that members of the ruliug congress are also divided on this question. Public opinion should be sought before taking any decision on this question.

Parliament can neither curtail nor abolish the fundamental rights embodied in the Constitution unless Supreme Court revises its decision which has been given by on the Golaknath case.

Both Parliament and Supreme Court are superior to one and other in their respective fields. It is the duty of the Supreme Court to see that laws passed by Parliament do not violate the provisions of Constitution because that is superior to all. We cannot change the preamble of the Constitution even by two-third majority.

We admit that there was a scope for improvement in the private banks in regard to the policy of granting loans to farmers. But in my view it was not necessary to nationalize the banks for this purpose. Even the Hon. Prime Minister herself has stated at Banglore session that either they have to nationalize four or five banks or they have to tighten the social control. It means that she was not having clear mind about this matter. Whatever it is now once they have been nationalized there is no need to give them to the private sector. This nationalization should be made a success. My party does not oppose the nationalization of banks in principle but nationalization should not be considered as panacea for every thing. Nationalization or no nationalization but we should not do anyting which may weaken the democratic set up in our country.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

The Hon. Prime Minister has either failed to understand the meaning of 'Indianisation' or she is deliberately trying to mislead the people. There is nothing communal in it. It is equally applicable to all the people in the country. It simply means that all should be faithful and loyal to the country. This thing has been raised bacause we feel that there are some elements in the country whose loyalty is outside the nation. There are people who worship the 'Red Book' of Mao-tse-Tung rather than Geeta and Gitanjli. Religion should not be mix up with the politics because it will encourage communalism. No wiseman can differ on the definition of 'Indianisation' which we have given. It is not anti-Muslim.

In the economic field it means that the country should be self-sufficient in all respects. We are becoming more and more dependent on foreign investment, technical know how and

expertise. This dependence will have dangerous consequences in our political field. We had to devalue our rupee under the pressure of America. We had signed Tashkent declaration under Russian pressure. We, therefore, request that drastic changes may be made in the Fourth Five Year Plan. We should take example of China. She is progressing without any outside help.

Prof. Subrahmanyam has drawn a plan which can be implemented without foreign assistance. The Hon. Professor has assured growth at the rate of ten per cent. The national Development Council should consider the Plan.

A high power commission should be appointed to look into all agreements of collaboration. These agreements have, actually, ruined our economy.

The Government should take over trade which is going on with rupee payment with East European countries. So far as the question of taking over all import-export trade is considered, a commission should be appointed to look into irregularities which are being committed and a case should be prepared by the Government for this purpose.

So far as the question of Chandigarh is concerned the Government cannot escape responsibility of keeping this case pending for a long time. A decision has now been taken according to which Chandigarh will go to Punjab. In this connection I may mention that recommendations of the Shah Commission have not been implemented.

I would request the Government to adopt some principles for settling border disputes of the States. The border disputes should be referred to the tribunals rather than to the commissions. Their awards should be binding on the concerned parties.

**श्री रा० कृ० सिंह** (फैजाबाद) : संसद् में नैतिकता, अनुशासन तथा जिम्मेदारी तथा देश के प्रतिष्ठा की बात करना एक पृथक चीज है परन्तु वास्तव में इस पर आचरण करना एक अलग बात है । जनसंघ हरियाणा में वहां के लोगों को पंजाब के लोगों के विरुद्ध और पंजाब में लोगों को हरियाणा के लोगों के विरुद्ध भड़का रहा था । 'कांगो' के साथ मिलकर यह पार्टी बसों तथा रेलवे स्टेशनों को जला रही थी । क्या यही नैतिकता और अनुशासन है ?

सिंडीकेट के एक सदस्य श्री एस० के० पाटिल ने अपने चुनाव अभियान में कहा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्सों की समाप्ति मेरे मृतक शरीर पर हो सकेगी । श्री पाटिल को अब राजनैतिक रूप से अलग हो जाना चाहिये । यह सिंडीकेट झूठ की वैद्यशाला है ।

**श्री सु० कु० तापड़िया** (पाली) : माननीय सदस्य सिंडीकेट के बारे में बोल रहे हैं अथवा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ?

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्यों को उनकी बात धैर्य से सुननी चाहिये ।

**श्री रा० कृ० सिंह** : सिंडीकेट का जन्म पंडित नेहरू के समय में ही हो गया था । वह इण्डियन नेशनल कांग्रेस के भीतर कांग्रेस की समाजवाजी पार्टी को सहन नहीं कर सके । वह समझते थे कि पंडित जी इस विश्व से जाने वाले हैं और हो सकता है कि इस देश में लोकतन्त्र समाप्त हो जाये । अतः शक्ति को अपने हाथ में रखने के लिये कुछ लोगों ने इस सिंडीकेट को जन्म दिया । अतः लोकतन्त्र के विरुद्ध वे एक षडयंत्र रचना चाहते थे । परन्तु कांग्रेस संसदीय

दल में परिवर्तन आ चुका था और उनका झुकाव साम्यवाद की ओर हो गया था, यही कारण था कि 25 प्रवक्ताओं में से 23 ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में फरीदाबाद अधिवेशन में आवाज उठाई थी।

संसद सदस्यों तथा विधायकों की अधिकांश संख्या इस समय हमारे साथ है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों तथा डेलीगेटों का बहुमत भी हमारे साथ है।

विरोधी पक्ष के कांग्रेस सदस्यों ने अपने अहमदाबाद अधिवेशन में समाजवाद और बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही है। परन्तु अब उनका परदाफाश हो चुका है।

संविधान बनाने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अतः उनका चुनाव प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। यदि हम समझते हैं कि उस संविधान में कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो हमें उनको दूर करने का अधिकार है क्योंकि भारत के लोग सबसे ऊपर हैं। अतः मेरा सुझाव है कि मूल अधिकारों सम्बन्धी श्री नाथपाई के विधेयक को संसद द्वारा अवश्य पास किया जाना चाहिये और संसद की प्रभुत्ता को स्थापित किया जाना चाहिये। यदि इसके पास करने में कुछ बाधायें आती हैं तो हमें 1972 के चुनाव के समय संविधान सभा के लिये भी चुनाव करना चाहिये। यदि इस बात को भी चुनौती दी जाती है तो जनमत संग्रह द्वारा इस बात का भी निर्णय कराया जाना चाहिये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि वित्तीय संस्थानों को गांवों के विद्युतीकरण के लिये बिजली बोर्डों की सहायता करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का ध्यान अणु-शक्ति आयोग की इस सिफारिश की ओर दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1232 करोड़ रुपये से एक परियोजना शुरू की जाय। इस परियोजना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा पंजाब को लाभ होगा। वैसे भी पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश की अवहेलना की गई है, विद्यमान असंतुलन को दूर किया जाना चाहिये। इस दृष्टिकोण से पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर फैजाबाद डिवीजन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। उस क्षेत्र में कुछ सरकारी उपक्रम स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिये। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग इन पिछड़े क्षेत्रों में उपक्रम स्थापित करने पर सहमत हों, तभी उनको लाइसेंस दिये जाने चाहिये। पिछड़े क्षेत्रों की प्रगति के बिना देश में समाजवाद लाना सम्भव नहीं है।

एक अन्य समस्या देश में पढ़े लिखे लोगों में फैली हुई बेरोजगारी की है। यदि इस समस्या को हल नहीं किया जाता तो देश का भविष्य खतरे में है। समाजवाद की ओर प्रगति में एक बाधा यह है कि देश में निष्ठावान अधिकारियों का अभाव है। इसके लिए समूची शिक्षा प्रणाली को नया रूप दिया जाना आवश्यक है।

हमें देश के युवकों को मातृ भूमि की सेवा के लिये जागृत करना चाहिये। आज उनमें वफादारी की भावना का लोप होता जा रहा है।

परती भूमि की समस्या को हल करने के लिये देश में एक भू-सेना का गठन किया जाना चाहिये ।

***श्री अंबाजागन** (तिरुचेंगोड) : माननीय अध्यक्ष ने सभा में जो साथ-साथ अनुवाद की सुविधा प्रदान की है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । पिछले 20 वर्षों में हमारे देश में अनेक परिवर्तन हुए हैं । परन्तु राष्ट्रपति द्वारा अंग्रेजी में अपना अभिभाषण पढ़े जाने पर हिन्दी समर्थकों ने जिस असहनीय रवैये का प्रदर्शन किया है, उस पर मुझे दुख है । यदि माननीय राष्ट्रपति अपना अभिभाषण तेलगु अथवा तमिल में पढ़ते तो उन लोगों को वास्तविक कठिनाई का आभास होता ।

श्री हनुमन्तैया ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को, इसमें दिये गये मूल्यवान विचारों के लिये अनूठा बताया है । परन्तु विरोधी दल के नेता डा० राम सुभग सिंह ने इसका मजाक उड़ाया है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि समाजवाद की प्राप्ति के लिये अधिक तेजी से आगे बढ़ा जायेगा । इस बात की देश के सभी लोग प्रशंसा करेंगे । स्वयं राष्ट्रपति ने इस बात का संकल्प किया है । अतः यह और भी अधिक प्रसन्नता की बात है । राष्ट्रपति द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों को यदि सरकार पूरी निष्ठा से क्रियान्वित करती है तो लोग इसका स्वागत करेंगे ।

निर्दलीय सदस्य डा० कर्णी सिंह ने कल कहा था कि यह उचित नहीं है कि डी० एम० के० निरन्तर सत्तारूढ़ दल का समर्थन कर रही है । उन्होंने कहा था कि हमें सरकार का विरोध करना चाहिये । इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नीतियां बनाते समय हमारा दल इस बात का ध्यान नहीं रखता कि कौनसा दल सत्तारूढ़ है । हमने जो नीतियां पहले बनाई थीं, हम उन पर अब भी दृढ़ हैं । हमने अपनी नीतियों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया है ।

हमारे दल का लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास है और हमारा यह भी विश्वास है कि देश का भविष्य लोकतंत्र में ही उज्जवल है । लोकतंत्र को मजबूत बनाने के कारण ही हमने पृथक्कता की मांग छोड़ दी है । चीन के आक्रमण के समय हमने महसूस किया था कि यदि हम इस मांग का त्याग नहीं करते तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी । अतः हमने अपनी यह मांग त्याग दी, हम नहीं चाहते कि केन्द्र में बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति हो, इसी कारण हम जहां आवश्यक समझते हैं, सत्तारूढ़ दल का समर्थन करते हैं । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम उनकी सभी नीतियों और कार्यक्रमों से सहमत हैं ।

[**श्री प्रकाशवीर शास्त्री पीठासीन हुए**
**Shri Prakash Vir Shastri in the Chair**]

न्यायालय के निर्णय से हम सहमत हों अथवा नहीं परन्तु हमारे दल का न्यायपालिका में विश्वास है और हम उसका सम्मान करते हैं । इसके साथ-साथ हमें उसके निर्णय से मतभेद रखने तथा उसको दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करने का भी अधिकार रखना है । दूसरे सत्तारूढ़ दल हो अथवा विरोधी दल सभी को सभा का कार्य करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

* Summarised translated version based on English Translarion of speech delivered in Tamil.

चाहिये। यदि कार्य पालिका में कोई त्रुटियां हैं तो हम उनका उल्लेख करने से नहीं हिचकचायेंगे। देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिये ही हमने इन सिद्धांतों को अपनाया है। जब तक हमें यह विश्वास न हो कि वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है, हम किसी भी सरकार को उलटना नहीं चाहते।

मुझे सन्देह है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस तथा विरोधी कांग्रेस के लोग अपने-अपने प्रभुत्व वाले राज्यों में मद्यनिषेध की नीति को लागू करने के लिये अपने-अपने प्रभाव का प्रयोग कर रहे हैं। महात्मा गांधी के इस सिद्धान्त को तमिल नाडु में 1937 से लागू किया जा चुका है। गांधी शताब्दी वर्ष में हमें मद्य-निषेध को कठोरता से लागू करना चाहिये। मद्य-निषेध के कारण तमिल नाडु को 20 से 25 करोड़ रुपये की राजस्व में कमी हो रही है। परन्तु खेद की बात है कि इस कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने बिल्कुल भी सहायता नहीं दी है।

वर्तमान प्रधान मंत्री से जो कि वित्त मंत्री भी हैं, मेरा अनुरोध है कि वह न केवल श्री नेहान बल्कि महात्मा गांधी की नीतियों को भी अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित करें। जो लोग संविधान का संरक्षण करना चाहते हैं और निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करना चाहते हैं उनको कुछ प्रतिकर दिया जाना चाहिए।

यहां पर जिस प्रकार की हिन्दी भाषा बोली जाती है, उसको अनेक हिन्दी जानने वाले लोग भी नहीं समझ सकते। यह कहना भी ठीक नहीं है कि उत्तरी भारत के सभी लोग हिन्दी जानते हैं अथवा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पहाड़ी बोली जाती है। बिहार में भोजपुरी तथा पंजाब और हरियाणा में पंजाबी भाषा बोली जाती है। यदि इन सभी भाषाओं को हिन्दी का रूप दिया जाता है तो हम भी यह कह सकते हैं कि तमिल, तेलगू, कन्नड़ तथा मलयालम, द्रविडियन भाषा है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सभी भारतीय हिन्दी जानते हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हिन्दी के प्रति हमारी घृणा है। जिस प्रकार अंग्रेजी कुछ लोगों के लिए एक विदेशी भाषा है, इसी प्रकार हिन्दी मेरे लिए एक विदेशी भाषा है। अंग्रेजी की उपयोगिता को देखते हुए इसे दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। यदि यह कह कर कि हिन्दी बहुमत की भाषा है, इसे हम पर ठोंसा जाता है तो हम अल्प संख्यक इसका विरोध करेंगे। दक्षिण के लोगों के लिए हिन्दी एक क्षेत्रीय भाषा हो सकती है और जो लोग इस भाषा को सीखना चाहें, सीख सकते हैं परन्तु किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार हिन्दी को लागू करने तथा इसका प्रचार करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आगामी 50 वर्षों तक हिन्दी देश की राजभाषा नहीं बन सकती। दक्षिण भारत में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है, यह पंडित नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध है।

स्वर्गीय श्री नेहरू सबसे बड़े प्रजातंत्रवादी थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब तक अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी नहीं चाहते, अंग्रेजी जारी रहेगी। परन्तु शासक दल ने उसका गलत अर्थ लगाया है। उन्होंने यह नहीं कहा था कि जब तक अहिन्दी भाषा राज्य हिन्दी नहीं चाहते, अंग्रेजी जारी रहेगी। उन्होंने अहिन्दी भाषी जनता से कहा था कि जब तक लोग चाहेंगे तब तक अंग्रेजी जारी रहेगी।

इसलिये इस बारे में निर्णय आचार्य कृपालानी या सेठ गोविन्द दास को नहीं करना है। अपितु अहिन्दी भाषी जनता को करना है। हम अपने संविधान में संशोधन करते रहे हैं। संविधान में मद्यनिषेध का उपबन्ध होते हुए भी उसे लागू नहीं किया गया है। इसलिये हिन्दी के बारे में शोर मचाना बेकार है। हिन्दी ही भारत की एकमात्र भाषा होनी चाहिये। लोगों की अब इस तरह की विचारधारा नहीं रही है। इसे दृष्टि में रखते हुए इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये।

राज भाषा संशोधन विधेयक के साथ-साथ श्रीमती सुचेता कृपालानी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था जिसका उद्देश्य यह था कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिये अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी नहीं होना चाहिये और उन्हें हिन्दी में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दी जानी चाहिये। मैंने उस समय द्रमुक की ओर से श्री चह्वाण से यह आपत्ति की थी कि यह संकल्प अन्याय और पक्षपातपूर्ण है। श्री चह्वाण ने कहा था कि उनका कहना कुछ-कुछ सही है परन्तु इस बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है। हम ऐसे भेदभावपूर्ण संकल्प को अपना समर्थन नहीं देना चाहते थे और इसलिए हम विरोध में सभा भवन से उठकर चले गये थे। कुछ अन्य दलों के सदस्य भी उठकर चले गये थे। श्री चह्वाण को अब तक उस बारे में पुनर्विचार करने का समय ही नहीं मिला है। शासक दल को अपनी ही चिन्ताओं से फुरसत नहीं है और उनके पास इतने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान देने के लिये समय ही नहीं है।

भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज कांग्रेस में भाषा नीति को बनाने में अपने को अनिवार्य आधार समझते थे। अब श्री कामराज तमिलनाडू में लोगों को कह रहे हैं कि क्या द्रमुक, जो हिन्दी को देश की राजभाषा बनाए जाने के विरुद्ध है, भाषा के प्रश्न पर इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध मोर्चा लेने के लिये तैयार है। मुझे प्रसन्नता है कि आखिर उनका पौरुष जाग उठा है। यहां पर राजभाषा संशोधन विधेयक के पारित हो जाने के बाद तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री 'अन्ना' ने विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया था और एक प्रस्ताव पेश किया था। उस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह एक बहुभाषी देश है और इसलिये अन्य भाषाओं की उपेक्षा करके हिन्दी प्रमुख भाषा नहीं बनायी जा सकती और कि राज भाषा संशोधन अधिनियम द्वारा अहिन्दी भाषी लोगों के साथ अन्याय किया गया है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया था। यह प्रस्ताव वहां तक ही सीमित नहीं रहा।

तीन भाषा सूत्र के नाम पर हिन्दी को लादने तथा उसे राज भाषा बनाने का प्रयास किया गया। हमने तमिलनाडु के सभी स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा बन्द करा दी है। देश की एकता के नाम पर द्रमुक सरकार हिन्दी के लादे जाने को स्वीकार नहीं करेगी और हिन्दी को देश की राज भाषा बनाया जाना स्वीकार नहीं करेगी। तमिलनाडु में एन० सी० सी० के लिये हिन्दी कमान शब्दों का प्रयोग बन्द कर दिया गया। केन्द्रीय मंत्रियों ने एक वर्ष तक इस बारे में राज्य सरकार से बातचीत की और आखिरकार उन्हें एन० सी० सी० में अंग्रेजी कमान शब्दों के प्रयोग की अनुमति देनी पड़ी। द्रमुक सरकार ने इतना कुछ कर दिखाया है। यदि श्री कामराज की सरकार होती तो वह यह सब कुछ नहीं कर सकते थे। अब श्री कामराज हमें इंदिरा गांधी के विरुद्ध मोर्चा लेने के लिये कह रहे हैं।

हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण सम्बन्धी धन्यवाद प्रस्ताव पर इसी तरह के संशोधन पेश किये हैं।

यदि संगठन कांग्रेस हमारे इन संशोधनों को समर्थन करने के लिये तैयार है तो हम भी उनका समर्थन करने के लिये तैयार हैं।

हमारे संगठन कांग्रेस के साथ नीति संबंधी कोई मतभेद नहीं हैं। यदि संगठन कांग्रेस श्री कामराज के हाल के उद्गारों को अपनी नीति का अंग मान लेती है तो हम इन्दिरा गांधी सरकार को अपना समर्थन बन्द कर देंगे, हालांकि हम यह महसूस करते हैं कि वर्तमान केन्द्रीय सरकार को नहीं गिराया जाना चाहिये। परन्तु भाषा के प्रश्न को हल करने के लिये हम सभी कुछ करने के लिये तैयार हैं।

तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कार्यालय के समय में हिन्दी सीखने के लिये बाध्य किया जा रहा है और हाल में जारी किये गये एक सरकारी आदेश के अनुसार उनकी हिन्दी कक्षा से अनुपस्थिति को कार्य से अनुपस्थिति समझा जायेगा। यदि केन्द्रीय सरकार इस तरह से लोगों पर हिन्दी थोपने की कोशिश करेगी तो उससे इन्दिरा गांधी सरकार को खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमारे सहयोग, समर्थन या विरोध के पीछे कुछ सिद्धान्त हैं। हिन्दी के साम्राज्यवाद को हम सहन नहीं करेंगे।

**Shri Sita Ram Kesri** (Katihar): If the Government does not move quickly to usher in socialism in this country, it cannot survive for long. The people of the country are now well aware that they can make or unmake Governments and are fully conscious of their voting rights. Non-fulfilment of the basic needs of the common man will create restlessness among them which can lead to violence in this country. We are already seeing a wave of violence in certain parts of the country. If our Constitution or any other legislation comes in the way of fulfilling the basic needs of the people, we shall have to change them. The Government can survive only if the promises held out in the President's Address are implemented without any further delay.

Some Hon. Members have stooped down to personal attacks when speaking on the Motion of Thanks. It is not proper to do so.

Dr. Ram Subhag Singh has stated that as Leader of the Opposition he should have been consulted before the composition of the MPs delegation to U. A. R. was decided upon. Members of Parliament are responsible persons and they know very well what is their responsibility in a foreign country. It is not incumbent upon the Government to consult the leader of the opposition regarding the composition of a delegation for going abroad.

It was Shri Patil who first raised the slogan that he would turn the tables. The sinister motive behind this was to sabotage the Government but it all boomeranged upon him.

In a democracy the minority has to bow before the majority. But what happened here was that he, in the name of the high command, arrogated to himself the powers to expel the Prime Minister from the primary membership of the Party. Now they are in tenuous minority with the backing of only 62 members while we, on this side, are 284 in number. They threw overboard the majority opinion and indulged in character-assassination of the leaders. Dr. Ram Subhag Singh's challenge to the Prime Minister that she would meet her Waterloo in Bihar has also recoiled on him.

Turning to the problem of unemployment especially among the educated people it has assumed grim proportions. Unless expeditious steps are taken and a headway is made in industrialisation the problem of unemployment will continue to bid defiance to solution and it will also give emergence to violence.

So far as our relations with other countries are concerned, it is rather vague to think that we have strained our relations with foreign countries. On the contrary there is ample evidence to prove that enough goodwill and friendship is lost between India and othes countries.

We should have cordial and friendly relations with our neighbours. We should also make efforts to reach an agreement with China. Good relations with our neighbours are essential not only from the point of view of security of our borders but for the speedy economic developments of the country also. Our relations with Pakistan have not been cordial. We should find a common platform to come to some settlements with Pakistan. We should not stand on false prestige. For the security of our borders we should have cordial relation's with Nepal and Afghanistan as well. Biggest democracy is emerging in the whole of Asia on this land. Big powers do not want to see us grow stronger and stronger. They are trying to entangle us with Pakistan and China. So we should not fall into their trap. We should instead strain every nerve to foster cordial and friendly relations with our neighbours.

Government have given the assurance that imports of foodgrains will be stopped within a year or two. This is no doubt welcome but we should increase our agricultural production to such an extent that we are able to export foodgrains and other commodities to foreign countries in order to earn valuable foreign exchange for the country.

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, दविड़ मुनेत्र कषगम के नेता ने तमिल भाषा में बड़ा ही सुन्दर भाषण दिया है। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि जब कि हम सब लोग इस सभा में अपनी मातृ भाषा में भाषण दे सकें और सभी भाषाओं के लिये यहां पर साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था हो।

सिंडीकेट-स्वतंत्र-जनसंघ के सदस्यों ने सरकार की कड़ी आलोचना की है। किन्तु यह अवश्य है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जो कि अधिक आशाजनक हो। कुछ बातों का उल्लेख इसमें अवश्य है किन्तु मैं समझता हूं, उनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अभिभाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार बहुत धीमी गति से प्रजातंत्रात्मक समाज की स्थापना करना चाहती है जो समय की गतिविधियों की गति को देखते हुए कछुए की चाल चलना है। मुझे याद है कि जब सुभाष चन्द्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने एक योजना समिति नियुक्त की और कहा था हमारे देश को बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा अन्यथा हम विश्व की समस्याओं को नहीं समझ पायेंगे। स्वर्गीय नेहरू भी अपने जीवन के अन्तिम दिनों में यही कहा करते थे कि हमें बहुत तेजी से कार्य करना चाहिए। किन्तु अभिभाषण में इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है। इस सरकार को जनता के अधिकांश वर्गों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि उसे इससे अनेक आशाएं हैं। यह बड़े दुख की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में गांधी शताब्दी वर्ष का जो इस वर्ष की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है, कोई उल्लेख नहीं है।

अभिभाषण में कहा गया है कि जनता के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। किन्तु यह सही नहीं है। कल 25 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 401 के उत्तर में बताया गया है कि 1966-67 तथा 1967-68 में प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय क्रमश: 302.4 रुपये और 321.3 रुपये थी जो वर्ष 1968-69 में घट कर 319.3 रुपये रह गई। राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर के अनुसार प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1965 की तुलना में 3.7 प्रतिशत कम थी। सूती कपड़े, खाद्य, तेलों तथा चीनी की खपत में 11 प्रतिशत की कमी हुई है। दूसरी ओर मोटर कारों, रेफरीजरेटरों, वातानुकूलकों, कृत्रिम रेशम के कपड़े आदि विलास की वस्तुओं की खपत में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

अभिभाषण में थोड़ा-सा उल्लेख साम्प्रदायिक दंगों का भी किया गया है। इसके लिये साम्प्रदायिक तत्वों की तुलना में उग्रवादी तत्वों को अधिक उत्तरदायी ठहराया गया है। कुछ साम्प्रदायिक तत्व गैर-हिन्दुओं के भारतीयकरण की बात कह कर गंदी नीति का परिचय दे रहे हैं। जो लोग इस प्रकार की बात कह रहे हैं, वे अपने को वफादार देशभक्त होने का दावा भी करते हैं किन्तु यह कहना कठिन है कि वे वास्तव में देश के प्रति कितने वफादार हैं। अहमदाबाद की घटनाएं इस बात का लज्जास्पद उदाहरण हैं कि हमारा देश कहां जा रहा है।

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि मानवता और देश की एकता के विरुद्ध कोई बात होगी तो जनता उसका डटकर सामना करेगी। अतः मैं समझता हूं कि जनता को जब तक पेट भर भोजन नहीं मिलता तब तक जनता में व्याप्त असंतोष दूर नहीं हो सकता है। डा० चन्द्र शेखर के वक्तव्य के अनुसार देश के लगभग छः करोड़ लोगों को पेटभर भोजन नहीं मिलता है। 23 फरवरी को अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर में इस सभा में यह बताया गया है भोजन में विटामिन 'ए' की कमी के कारण भारत के दक्षिणी और पूर्वी भागों में प्रतिवर्ष लगभग 14,000 बच्चे अन्धे हो जाते हैं। मेरे विचार से देश में अशांति का एक मुख्य कारण यह भी है अतः जब तक इन लोगों को पेटभर भोजन नहीं मिलता, तब तक शान्ति के लिये कोई अन्य उपाय कारगर सिद्ध नहीं होंगे।

जहां तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद जो अध्यादेश जारी किया है, वह समय की मांग को देखते हुए अपने आप में पूरा नहीं है। आज देश में तेजी से बदलते हुए राजनीतिक वातावरण को देखते हुए निहित स्वार्थों के के विरुद्ध कार्यवाही करना सरकार का कर्तव्य है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार को विदेशी बैंकों सहित अन्य सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का अवसर प्रदान किया था किन्तु सरकार ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बैंक के मालिकों, निदेशकों आदि को प्रतिकर के रूप में 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिली है। अब सरकार से मिलने वाली प्रतिकर की राशि अंशधारियों को नहीं मिलेगी। बैंक मालिक इस धन को जिस कारोबार में लगाना चाहें, लगा सकते हैं।

ऐसा लगता है कि सरकार जो भी कार्य कर रही है, वह स्थायी नहीं है। अपने अस्थायी लाभ के लिये ही सरकार ऐसा कर रही है। मैं सरकार को स्पष्टरूप से यह बता देना चाहता हूं

कि यदि सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया और उसकी आशाओं पर कुठाराघात किया तो वह सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। कलकत्ता राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है किन्तु आज उसकी दशा दयनीय है। उसे आज केन्द्र से सहायता की आवश्यकता है जो कि उसे नहीं दी जा रही है।

उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही से आज देश के सामने एक राष्ट्रीय समस्या आ गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा न केवल भारत में अपितु अमरीका में भी जहां का संविधान हमारा जैसा ही है, की गई संविधान की व्याख्या से जनता की इच्छा पर आधारित देश के आर्थिक विकास में अनेक बाधायें उत्पन्न हो जाती हैं।

अमरीका के उच्चतम न्यायालय द्वारा विधान सम्बन्धी नितान्त आवश्यक उपायों को अवैध कर दिये जाने पर राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा था कि अब वह समय आ गया है जबकि हमें संविधान को न्यायालय से और न्यायालय को संविधान से बचाने के लिये अवश्य ही कार्यवाही करनी चाहिये। यहां पर मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल उसके पण्डितों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके उपबन्धों की क्रियान्विति तो संसद को करनी पड़ती है अतः उसको भी उसकी व्याख्या का अधिकार होना चाहिये। स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि सम्पूर्ण जनता के प्रतिनिधियों की संसद का निर्णय सर्वोच्च माना जाना चाहिये, उसके मार्ग में उच्चतम न्यायालय अथवा न्यायपालिका को बाधा नहीं डालनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के कारण संसद को जनता के हित में सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार में भी किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इससे आज देश को एक अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। सम्पति का अधिकार मूलभूत अधिकारों के अन्तर्गत आता है अतः संसद को जब तक मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं मिलता या सम्पति के अधिकार को जब तक मूलभूत अधिकारों से अलग श्रेणी में नहीं रखा जाता, तब तक सम्पति के अधिकार में परिवर्तन नहीं हो सकता, यह बात गोलक नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से स्पष्ट हो गई है। वकील लोग भी पहले से चली आ रही स्थिति के समर्थक हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें आज की आवश्यकता के अनुसार अपनी अर्थ व्यवस्था को ढालना है और इसके लिये हमें अपने पुराने ढांचे में परिवर्तन करना होगा जिससे न्यायपालिका अनावश्यक रूप से सरकार द्वारा नये समाज के निर्माण के लिये किये जा रहे उपायों में बाधा उत्पन्न न करे।

मैं समझता हूं कि सरकार धीरे धीरे कार्य करना चाहती है। यह ठीक है कि सब कार्य एकदम नहीं हो सकते हैं किन्तु सरकार को समस्या के मूल को समझना चाहिए और तब उसे हल करना चाहिए। आज हमें अपने संविधान का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक सामाजिक-आर्थिक उपायों को कार्य रूप नहीं दिया जा सकता। आज चारों ओर से यह मांग की जा रही है कि सम्पति का अधिकार मूलभूत अधिकारों के अध्याय से अलग किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिये मैं माननीय सदस्य श्री नाथपाई के विधेयक को पारित

किये जाने का समर्थन करता हूं। आज देश में या तो जनता की इच्छा के अनुसार सरकार को कार्य करना पड़ेगा या हिंसा का वातावरण बना रहेगा।

हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्यों का दर्जा दिये जाने के प्रश्न भी सरकार के सामने हैं। मैं समझता हूं कि जनता की यह मांग उचित है। पश्चिम बंगाल में नेपाली भाषा भाषी क्षेत्र को मेघालय की भांति उपराज्य बनाये जाने की मांग की जा रही है। सरकार को इन सब प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां तथा उनकी विशेष सुविधाएं समाप्त करने का मामला काफी समय से अनिर्णीत पड़ा है। सरकार इस मामले में टाल मटोल की नीति से कार्य कर रही है। इन नरेशों ने काफी समय तक सुख सुविधाओं का उपभोग कर लिया है। अब आज समय की मांग भी उन्हें समझनी चाहिए और जनता की भावनाओं का आदर करते हुए उन्हें इस मामले में सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। भूतपूर्व रियासतों को मिला कर एक अखण्ड भारत का निर्माण करने के लिये हम स्वर्गीय सरदार पटेल के आभारी हैं। आज से दो वर्ष पूर्व भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां तथा विशेष सुविधाएं समाप्त करने के लिये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था किन्तु खेद की बात है उसे अब तक कार्य रूप नहीं दिया गया। अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस मामले में शीघ्र निर्णय करे। भूतपूर्व नरेशों के साथ साथ आई० सी० एस० अधिकारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाएं भी समाप्त की जानी चाहिए।

एकाधिपत्य वाद को समाप्त करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। गोआ में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये बिड़ला बन्धुओं को जो रियायत देने का निर्णय किया गया है उसके लिये सम्बन्धित मंत्री महोदय को सभा में स्पष्टीकरण देना होगा। इसमें 16 प्रतिशत पूंजी बिड़ला बन्धुओं द्वारा तथा शेष पूंजी यूनाइटेड स्टेट स्टील कारपोरेशन द्वारा लगाई जा रही है। वैसे तो यह दावा किया जा रहा है कि इसका प्रबन्ध पूर्णतः बिड़ला बन्धुओं के अधीन होगा किन्तु तथ्य यह है कि अमरीका के गैरसरकारी क्षेत्र की पूंजी इस अत्यन्त महत्व पूर्ण क्षेत्र में लगाई जा रही है। यह कारखाना पूरा हो जाने पर हमारे देश में कुल पन्द्रह उर्वरक कारखाने होंगे जो कि उर्वरक सम्बन्धी देश की मांग को पूरा कर सकेंगे। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि इससे अधिक लाभ बड़े एकाधिपतियों को ही होगा।

मेरे माननीय मित्र श्री रंगा ने कल कहा था कि हमारे देश में सर्वदलीय सरकार होनी चाहिए किन्तु इसमें साम्यवादी दल को शामिल नहीं किया जाना चाहिये। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि आज जनता चाहती क्या है। आज जनता के सामने सरकार की परीक्षा है। मैं समझता हूं कि जनता सिंडिकेट, स्वतन्त्र तथा जनसंघ जैसी प्रतिक्रियावादी दलों की सरकार को कभी सहन करेगी।

अब मैं विदेश नीति के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के पृष्ठ 16 पर वियतनाम के सम्बन्ध में कहा गया है कि वियतनाम से सभी विदेशी शक्तियों को हट जाना चाहिए जिससे वियतनाम के लोग बिना बाह्य हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्णय कर सकें। वियतनाम में अमरीका द्वारा विनाश किया जा रहा है किन्तु हमारे प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है। सरकार वियतनाम में युद्ध बन्द करने के लिये अमरीका पर दबाव नहीं डालती है। समझ में नहीं आता कि सरकार, पश्चिमी जर्मन उत्तर कोरिया को मान्यता देने में क्यों हिचकता है। भारत जब कोई कार्य करने में सक्षम ही नहीं है तो उसे किसी मामले पर अधिक नहीं बोलना चाहिए।

यह दुख की बात है कि जनता के लिये क्रियान्वित किये जाने वाले सरकार के कार्यक्रमों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि पुरानी कांग्रेस में से, जिसमें प्रतिक्रियावादी लोग भी हैं, एक नई शक्ति उत्पन्न हुई है जो कि इस समय देश का शासन संभाले हुए है। इस सरकार के कन्धों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। यदि सरकार ने जनता की भलाई के लिये कार्य किया, तो उसे हमारा समर्थन मिलता रहेगा अन्यथा स्थिति कुछ दूसरी ही होगी।

जनता को सरकार के साथ सहानुभूति है क्योंकि सिंडीकेट-जनसंघ-स्वतन्त्र मिल कर सरकार से सत्ता छीनना चाहते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण से पहले श्री मोरारजी देसाई को मन्त्रिमण्डल से हटाने का जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी का समर्थन किया था क्योंकि जनता इस प्रकार का परिवर्तन चाहती थी। जनता चाहती है कि जीवन के प्रत्येक पहलू से भ्रष्टाचार समाप्त किया जाये। सरकार को जनता की यह आशा पूरी करनी है। सरकार को जनता की नब्ज पहचाननी चाहिए और इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ करना चाहिए।

मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख है वे समय की मांग को देखते हुए बहुत कम है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को कुछ ठोस तथा रचनात्मक कार्य करने चाहिए जिनसे जनता का हित हो सके।

**Shri G. Venkataswamy** (Siddipet): I welcome the address of the President but it pains me to say that the President has not made any mention of the deaths in Telangana as well as the agitation going on there. The students of Telengana feel that injustice has been done to them for the last thirteen years and it has caused unemployment. To remove this injustice they resorted to agitation. Now they think that it is difficult to remain with them. A sum of Rupees 107 Crores was to be spent on Telengana which was not done. But the question is not of money but of sentiments of the people of Telengana. They think that Andhra Pradesh will not do justice to them and so they want a separate Telengana.

The S. R. C. Commission has mentioned in the Report that they may remain with Andhra Pradesh for five years. After five years they may be asked to make a choice. If they do not want to remain with Andhra Pradesh then they can form a separate Telengana. When the S. R. C. Commission has recommended this then why it is not followed. I would like to say plainly that the people of Telengana do not want to remain with them.

Under the Preventive Detention Act, the leaders and thousand of people of Telengana were arrested. The Central Government asked us not to indulge in violence, not burn buses etc. there so that proper conditions may be created for a solution of this problem. Dr. Chenna Reddy, the leader of Telengana Praja Samiti asked the people to remain calm and February 20 was declared as dead line. But the Government only announced that Rs. 45 crores would be provided to Telengana region. This shocked us.

We believe in democracy. I cannot understand why Government is not heeding the voice of the people. They can have an opinion poll.

The people want that the recommendation of the S. R. C. should be implemented. Why do the Government not allow them to form a separate State ? Do the Government think that such a situation can go on unremedied ?

Our Mayor, Deputy Mayor and other M. L. As. were beaten in Hyderabad. This had not happened in the time of British Government. They were going to lay a memorial stone on the monument of the dead persons and they were meted out such a treatment.

I solemnly declare that the voice of Telengana is that they do not want to remain with Andhra. They are economically ruined. The ruling party of the State does not want that they should be taken in service. First we want that a sum of Rs. 107 crores of Telengana, which was spent on Andhra should be spent on Telengana. At the time of the Gentleman's Agreement in 1956 it was assumed that the Mulki Rule would be maintained and accordingly the people of Telengana would be taken in service because it is a backward area. How was this assurance fulfilled ? The Ministers are appointing their own men. Not only this, they got the Mulki Rule abolished from the Supreme court. How can we remain with them under such conditions ? To-day the Youth do not get employments after coming out from the Colleges. Tired of such State of Affairs what else can we demand excepting a separate State of Telengana. If the Government do not heed our voice then there will be a protracted agitation and we will not rest till we get a separate State of Telengana. It is the voice of the people and the Government should heed it. I request the opposition parties to support us in this cause of ours. Our Prime Minister asked us to suspend the agitation. We remained peaceful for six months. But what is the hindrance in solving the problem ? Are they afraid of Brahmanand Reddy ? The people are being Lathi-charged by the Police. The revenue of Telengana are being spent on the Police to beat the people. I want to declare that there is no alternative except agitation and we will have a separate Telengana. Undue advantage of democracy is being taken there. The M. L. As of Telengana are being given Ministerships just to show that M. L. As are with them. In this way they are being allured.

In the end I want to impress upon the Government that the people of Telengana want a separate State and nothing short of it. The Government will have to consider on the question of forming a separate Telengana. The people of Telengana want to carry on a peaceful agitation. So at least the Police of Delhi should not be sent there. In a democracy it is not in good taste to send Police from any outside State to Lathi-charge the people there. I earnestly request the Government of India to take necessary steps for the formation of a separate State so that the people may live peacefully. Otherwise the people of Telengana will follow in the foot steps of Sant Fateh Singh for securing a separate Telengana. So I warn the Government to solve this problem without any further delay.

**Shri Rabi Ray** (Puri) : The President's Address Indicate the Policy of the Government. For the last two or three months it seems to me that Capitalism and Socialism has become

Synonymous and the difference has been eliminated. According to Shri K. K. Shah 8 crore people are homeless and 32 crore people are illiterate and 6 crore people are jobless. Under such conditions the argument for Socialism is useless.

Shri Hiren Mukerjee regards the Address as an inspiring document. I want to know whether there is any provision in the Address to give housing and jobs to the needy ? I do not know as to what is praiseworthy in the Address.

The Government had more than Rs. 5000 crores before the nationalization of the banks. I want to know how this amount was utilised. That money was given to Mafatlal, Tatas, Birlas as loans. As the policy of giving loans is unchanged even after nationalization of banks how can common man take loans then.

We want nationalisation of banks in real sense. You see Shri Nanda has enhanced the fare of 3rd Class railway passengers. I want to say that the banks have not been nationalized in true sense. The bureaucrats have taken place of Capitalists. There is no change in the Policy of loans. The Foreign banks have not been nationalized and nothing has been done after the verdict of the Supreme Court.

We wanted to shape Bank Nationalization according to the wishes of the people. But our amendments were rejected. Our demand was that the rate of compensation should be decreased, and foreign banks may also be brought under the purview of nationalization.

During the last midterm elections the Indian National Congress was given a loan of Rs. 25 lakhs by the United Commercial Bank and the Punjab National Bank. Does the Congress come under the category of a farmer ? We raised the question in the House. All these things show that the Government is not sincere in ushering in socialism in this country.

If the Government really want to usher in Socialism then the Constitution should be amended for this purpose a new constituent Assembly will have to be convened. We want that the age of adult suffrage should be reduced to 18 years. England has done this. Why the Government want to shut away youth from politics. By doing so a new revolution will take place.

If they do not like this then I will give yet another suggestion. The right of Property should be removed from the chapter of Fundamental rights. The Address makes no mention about it. The right of Property may be included in the Directive Principles. But there should not be any Right of property in the Fundamental Rights. They should bring forward a Bill to this effect and we shall support it. They may have Fundamental Rights except the right of Property. So that the Government may take over property when they think it fit for nationalization. But the Government do not want any radical changes in the country. They are simply making fool of the public by professing their socalled socialism.

After returning from Bombay, the Prime Minister obliged the big Capitalists. Steel prices were allowed to increase. Railways fares were also enhanced and the burden fell upon the poor. Licence was given to Birlas for setting up a Fertilizer Factory. Similarly, Vanaspati rates were also increased.

Those who believe in Socialism should not support the Government. This Government has no faith in socialism and is deceiving the country. This Government should be removed

and then only a true alternative Government will emerge. This Government is acting against the socialist creed. I can recall how my resolution regarding socialism was rejected. This Government is proving a hindrance in the way of Socialism. The only alternative is to replace it by a really Socialist Government. P. Sanyukt Socialist Party has some basic programme. We shall take support of all those parties who support our socialistic programme. We do not give any importance to polarisation or the term leftist or rightists. Our aim is socialism.

The poor people of India feel that the Government are strengthening the hands of capitalists and feudalists. So it is our duty to end the rule of this Government and establish a socialistic Government.

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : The opposition has played such a role in Haryana that the Common man will never excuse them. The leaders of the Jan Sangh had made different statements at different places. Shri Balraj Madhok pleads that Fazilka belongs to Punjab and sometimes he advocates the **Status quo** so far as Chandigarh is concerned. Then they shed crocodile tears in Haryana. Only the Jan Sangh people are responsible for the imprisonment of thousands of people and young students in Haryana. They played with them treacherously.

Not only the members of Jan Sangh, but Dr. Ram Subhag Singh also played mischief with the people of Haryana. On the one hand he assured his support to the people of Haryana and on the other he supported Punjab on the issue of Chandigarh, and clearly proved himself a man of no principles. These people are very very dishonest and have played a treacherous role with the people of Haryana. Similarly the Swatantra Leader Mr. Masani also insisted on the Prime Minister to give away Chandigarh to Punjab.

And now they call themselves to be brave. But every Haryanavi has now understood these dishonest people. He now knows it well that Dr. Ram Subhag Singh played a bigger role in bringing about this great insult to Haryana.

The issue of Chandigarh was to be decided on 28th January but on 26th Swatantra Leader Shri Masani met the Prime Minister and insisted upon giving Chandigarh to Sant Fateh Singh. Similarly, the communist also indulged in bargaining with Punjab for their selfish political motives. Haryana will never forget their treachery. They are very dishonest people and will continue to be so. They had said that they would help Haryana in getting Delhi and Fazilka. But in fact, they wanted to crush the innocent people of Haryana. And now their evil designs have been unveiled.

I congratulate the B. K. D., Shri T. Vishwanathan and Shri N. C. Chatterjee. They acted true to their conscience and said that no injustice should be done to Haryana. But I am sorry to say that Shri Joshi whom I respect and adore so much, should have been misled in the end. How can an intelligent man like Shri Joshi could say that he did not know the fact and figures and that he was not briefed well on the issue ? Did he need that ? Similarly, the PSP members also joined hands with those who opposed justice being given to Haryana. They don't have any Member from Haryana. What enmity did they have then with crores of Haryanavis ?

The Chandigarh issue was not a dispute between the Hindus and the Sikhs ; it was a dispute between two brothers but Punjab took away all resources of water, power, revenue and employment. Naturally, the loser one can't help complaining against that injustice.

In the history of last hundred years, nobody from Haryana was appointed as a Chief Minister, a Vice-Chancellor, a Judge of the High Court, a member or Chairman of the Public Service Commission or head of any Department. It was only then that we felt that it was no longer possible to put up with Punjab, and we got ourselves separated. After that, there had to be a division of Hindi Speaking and Punjabi-Speaking areas. A commission viz. the Shah Commission, was appointed for the purpose and this commission gave its verdict in favour of Haryana on the issue of Chandigarh. But unfortunately, these opposition members did not like to raise their voice for the implementation of the recommendations of the Shah Commission.

Now, the opposition members would see difference between the Shah Commission and the Mahajan Commission. Let them now see the strength of the Marathas.

The Prime Minister did no injustice to us. These 325 members of the opposition, belonging to different parties, and also the independents, compelled her to give Chandigarh to Punjab. She certainly wanted to give Chandigarh to Haryana but what could she do under the pressure of the 325 opposition members ? It is only owing to the Hon. Prime Minister that we got Fazilka. She could give us Chandigarh also but then this opposition might have thought in terms of defeating her socialist Government on that point in the Parliament. Thus it is quite wrong to suggest that the Prime Minister did not want to give Chandigarh to Haryana. Only these dishonest people in the opposition prevented her from doing so. And thus they hurt the sentiments of crores of Haryanavis. The Haryanavis would never pardon them for their treachery. Haryanavis will definitely teach a lesson to the Jana Sangh. And as regards Communists, they can never find a place in Haryana.

The division was to be executed with reference to Hindi speaking and Punjabi speaking areas. The facts are that 73 per cent of Chandigarh is Hindi-speaking the 55 villages on whose land it stands, belonged to Ambala district and Kalka Tehsil. All those villages 85-90 per cent of them—were Hindi-speaking areas. At the time when Chandigarh was built in 1953 73% of Punjab was Hindi speaking. An area of 24,000 Sq. miles was Hindi speaking.

The Centre had provided 32 crore rupees for the construction of Chandigarh and more than 9,000 of opt 11,555 plots in Chandigarh belonged to the Hindi-speaking people. Then 80% students in Middle Schools, 85% in Matriculation examination and 90% of collegiates opt for Hindi in their examinations. Also, Shri Shri Chand Goel was elected from Chandigarh on the election plank that Chandigarh should go to Haryana. He polled 85 per cent votes and the rival Akali candidate who wanted Chandigarh for Punjab lost his deposit.

But these opposition members helped Punjab in taking away our property worth 1000 crores on which Punjab had no claim at all. Also three years ago, Punjab took away Kharar Sub-Division which had 60 per cent of its population as Hindi-speaking. How can we tolerate all this ? Lakhs of Haryanavi Jawans are guarding the country in NEFA and Ladakh. How will this injustice affect their mind ? What would they think about this Parliament and this opposition ?

I am sorry that my house was not burnt prior to the 28th January. I would have been very happy if they could burn me also—lest I should have been alive today to pocket such an insult to me and to my Haryana as well. Our students now have no confidence in our leadership because we have no say here. And this is all due to this treacherous opposition here.

The Prime Minister is really a very brave lady, but these dishonest people do not allow her to work smoothly or do justice. I very much wanted this issue being brought before this

august House. Let Shri Gurnam Singh and myself explain our respective point of view; and then let the Parliament, after hearing both of us, give its decision. I would have had no complaint if Chandigarh or even the whole of Haryana was given to Punjab after that. After all, Punjabis and Sikhs are also our brothers. Although it does not matter very much that Chandigarh has been given to Punjab, but after all a State—our Haryana State—also has got some prestige, some sentiments. But we have been humiliated, our sentiments have been dashed to ground. And that is why we complain of the injustice that has been done to us. I fear Haryana will ever get justice as there people on the other side are very cunning and clever. Shri Gurnam Singh is buttering them and they in turn, will never allow justice to be done to Haryana.

Finally, I submit that Kharar is a Hindi-speaking Tehsil I have no objection if this issue is also decided upon by a commission although I do not think that the Government has a better brain than that represented in the Shah Commission. Anyway, let the issue of Chandigarh and Kharar Tehsil be referred to a commission, I have no objection. Why then they are afraid of it. Let there be a bench of seven or four Supreme Court Judges. Let even Fazilka be referred to that Commission. I have no fear in my mind. But do justice. I would again assert that Haryana has been subjected to great injustice and humiliation.

**श्री हेम बरुआ** (मंगलदायी) : मैंने बड़ी श्रद्धा से राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ा है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह अपना अभिभाषण कल जारी रखें ।

**इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 27 फरवरी, 1970/8 फाल्गुन, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 27th February, 1970/Phalguna 8, 1891 (Saka).**



Tej Kumar Press, Lucknow. 15-5-70—340